Monday, 28 July, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
17-7-92
Fumigated
On 31.1.84
Parliament Library

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

अंक 6, सोमवार, 28 जुलाई, 1969/6 श्रावण, 1891 (शक)
No. 6, Monday, July 28, 1969/Sravana 6, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
151. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Enquiry Committee on National Coal Development Corporation..	1—6
152. मैसूर में खनिज उत्पादन	Mineral Production in Mysore	7—10
153. ईरान से तरल अमोनिया का आयात	Import of liquid Ammonia from Iran ..	10—15
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
1. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, दिल्ली में अग्निकांड	Fire at the Hindustan Housing Factory Ltd., Delhi	15—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
154. लखनऊ के भार्गव ब्रदर्स के बारे में आयकर विभाग से सम्बन्धित फायल	File regarding Bhargava Brothers of Lucknow relating to Income Tax Department ..	22
155. दिल्ली में पटरियों पर सोने वालों के लिये रैन बसेरे	Night Shelters for Pavement Dwellers in Delhi ..	22—23
156. तांबे तथा एल्युमीनियम का उत्पादन	Production of Copper and Aluminium	23

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

157. खानों से धातु तथा खनिज निकालने के लिये स्वामित्व का भुगतान	Payment of Royalties for Extraction of Metals and Minerals from Mines	23—24
158. धर्मार्थ न्यास	Charitable Trusts	24
159. केन्द्रीय अध्ययन दल का राजस्थान का दौरा	Visit by Central Study Team to Rajasthan	25
160. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली के कर्मचारियों की मांग	Demands of Workers of Hindustan Housing Factory, Delhi	25—27
161. सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Employees belonging to Schduled Castes and Scheduled Tribes in Public Undertakings ..	27—28
162. रांची में बाक्साइट के निक्षेप	Bauxite Deposits in Ranchi	28—29
163. जाली मुद्रा बनाने तथा मादक औषधियों का अवैध व्यापार करने के विरुद्ध आन्दोलन	Drive against counterfeiting of currency and illicit Trafficking in Narcotics	29—30
164. पेट्रोल तथा गैस के लिये भारतीय तेल निगम के अभिकरण	Indian Oil Corporation's Agencies for Petrol and Gas	30—31
165. उपरि आसाम में तेल का पाया जाना	Oil found in upper Assam	31
166. पश्चिम बंगाल में बाढ़ से सुरक्षा के उपायों के लिये सहायता	Assistance for flood protection measures in West Bengal ..	31—32
167. बिजली की भारी कमी	Acute Shortage of electricity	32
168. केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	Sea Erosion on Kerala Coast	32—33
169. इडिक्की पन बिजली परियोजना, केरल	Idikki Hydel Project, Kerala ..	33
170. संघर्ष के दौरान बांधों की सुरक्षा	Protection of dams during Hostilities	34
171. आयकर अधिकारियों में काम के वितरण की कार्यात्मक प्रणाली	Functional system of distribution of work among Income Tax Officers ..	34—35

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

172.	उड़ीसा में पारादीप तथा तालचेर उर्वरक कारखाने	Fertilizer plants at Paradeep and Talchar in Orissa ..	35
173.	रामगंगा (कालागढ़) बांध का निर्माण कार्य	Construction work of Ramganga (Kalagarh) Dam ..	35—36
174.	अन्तर्राज्य नदियों और नदी-घाटियों का विकास	Development of Inter State Rivers and River Valleys ..	36
175.	उर्वरकों की कमी	Deficit of fertilizers ..	36—37
176.	बिहार में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up a fertilizer plant in Bihar	37
177.	पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिये चिकित्सा अधिकारियों का नियतन	Allocation of Medical Officers from Punjab to Himachal Pradesh ..	37—38
178.	विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों के बारे में पूंजी बाजार की प्रतिक्रिया	Reaction of Capital Market to various financial proposals ..	38
179.	पाकिस्तान के साथ नहरी पानी सम्बन्धी करार	Canal waters agreement with Pakistan ..	39
180.	भारत नेपाल व्यापार गिरोह सम्बन्धी पुस्तक	Book on Indo Nepal Trade Racket ..	39—40

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1001.	धागे के काउंट पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on the count of Yarn ..	40
1002.	श्री बीजू पटनायक के आय-कर का निर्धारण	Assessment of Income Tax of Shri Biju Patnaik ..	41—42
1003.	मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय ऋण	Central Loan to Madhya Pradesh Government	42
1004.	सरकार को आन्तरिक ऋण	Internal Debts of Government	42—33
1005.	प्लास्टिक के निर्माण के लिये कच्चे माल का आयात	Import of raw material for manufacturing plastics ..	43—45
1006.	भारतीय तेल निगम के डिपो पर पुलिस का छापा	Raid by Police on Indian Oil Corporation depots ..	45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1007. भारतीय तेल निगम द्वारा कर्मचारियों को बरखास्त/मुअत्तिल करना	Dismissal/Suspension of employees of the Indian Oil Corporation ..	46
1008. इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा लगाये गये पम्प	Pumps installed by Indian Oil Corporation	46—47
1009. डेरा इस्माइल खां सहकारी गृहनिर्माण समिति की भूमि का विकास	Development of land of the Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society	47—48
1010. दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों को नियत की गई कालोनियों में सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of amenities in colonies allotted to House building cooperative societies in Delhi ..	48—49
1011. उर्वरक संयंत्रों के लिये विदेशी मशीनरी	Foreign Machinery for fertilizer plants	49
1012. मैसूर में सहकारी कपड़ा मिलें	Cooperative Textile Mills in Mysore	49—51
1013. पोलिस्टर फाइबर प्लांट का स्थापित किया जाना	Setting up of polyester fibre plant ...	51—52
1014. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से ऋण की वसूली	Recovery of Loan from Indian Iron and Steel Company ..	52—53
1015. डी० एम० टी० का उत्पादन	Manufacture of D.M.T.	53
1016. बल्लापुर कोयला खान	Ballapur Colliery	54
1017. एल्युमिनियम के पाइपों का निर्माण	Manufacture of Aluminium pipes	54
1018. पाकिस्तान में भारतीयों का बचत धन	Savings of Indians in Pakistan ..	54
1019. होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद्	Council for Homoeopathic and Indigenous systems of Medicines ..	55—56
1020. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी	Water shortage in drought affected areas ..	56—57
1021. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी	Surplus staff in National coal development corporation ..	57—58

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1022. चण्डीगढ़ में अस्वास्थकारी स्थिति	Insanitory condition in Chandigarh	58
1023. चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता	Chandigarh Compensatory Allowance	58—59
1024. बैंकों का सामाजिक नियंत्रण	Social Control over Banks	59—60
1025. भोजन बनाने में गैस की खपत	Consumption of Gas for cooking purposes	60
1026. दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों को भत्ता	Allowances to Nurses of Delhi Hospitals ..	60—61
1027. मेरठ और दिल्ली के अन्य आस पास के स्थानों का विकास	Development of Meerut and other suburbs of Delhi	61
1028. उत्तर प्रदेश में पोलिस्टर रेशे का कारखाना	Polyester Fibre Plant in Uttar Pradesh ..	61—62
1029. दिल्ली में मंत्रियों द्वारा बनाए गये मकान	Houses Built by Ministers in Delhi	62
1030. धन कर की बकाया राशि	Wealth Tax Arrears	62—63
1031. बिहार के महा लेखापाल का इस्तीफा	Resignation by Accountant General Bihar	64
1032. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission	64
1033. दिल्ली में डाक्टरों की जीवन यापन स्थिति	Living conditions of doctors in Delhi	65
1034. राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों का नैनीताल में सम्मेलन	Conference of the Chairman of the State Electricity Boards at Nainital ..	65
1035. सिन्दरी कारखाने का उत्पादन लक्ष्य	Production Target of Sindri Plant ..	66
1036. दिल्ली में मिट्टी के तेल के व्यापारियों को लाइसेंस	Licences to Kerosene oil Dealers in Delhi	67
1037. नगरों के निकटवर्ती ग्रामों में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities in Urbanside villages of Delhi ..	67—68
1038. मितव्ययता	Economy in Expenditure	68

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1039. मंत्रालयों में संसद् सम्बन्धी कार्य करने वाले हिन्दी सहायक	Hindi Assistants in Ministries employed on Parliamentary work	68—69
1040. तेल निक्षेपों के लिए गहरे समुद्र में ड्रिलिंग कार्य	Deep sea drilling for oil reserves ..	69—70
1041. एलीयावेट और भावनगर में ड्रिलिंग के लिए प्लेट-फार्म	Platform for drilling in Aliabet and Bhavnagar	70—71
1042. भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा उपस्कर (फर्निचर) बिजली और पानी के किराए का न दिया जाना	Non-payment of rents by Ex-Ministers on Account of Furniture, Electricity and Water	71
1043. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी	Officers from Central Health Service on deputation to Himachal Pradesh ..	72
1044. हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारी	Officers of Central Water and Power Commission on Deputation to Himachal Pradesh ..	72—73
1045. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात	Exports by Public Sector Undertakings ..	74
1046. भारत और ईरान के बीच पेट्रो रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के विकास के लिए सहयोग	Collaboration for development of Petro-Chemical and Fertilizer Industry between India and Iran	74—75
1047. 1968-69 में चिकित्सा पर किए गए खर्च का भुगतान	Re imbursement of Medical Charges during 1968-69	75
1048. पी० एल० 480 निधियां	P. L. 480 Funds	75—76
1049. केन्द्रीय सरकार द्वारा चण्डीगढ़ में क्वार्टरों का निर्माण	Construction of quarters in Chandigarh by Central Government ..	76
1050. संसद सदस्यों को आवंटित किया गया निवास स्थान	Accommodation allotted to Members of Parliament ..	77
1051. सरकारी उपक्रमों की निर्यात से आय	Export Earnings of Public Undertakings ..	77—78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1052. भारतीय तेल निगम की कार्यप्रणाली.	Working of Indian Oil Corporation	78—79
1053. हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले की जांच	Enquiry into Haldia Barauni Pipe-line Affairs	79
1054. प्लास्टिक उद्योग	Plastic Industry	79—81
1055. खम्भात की खाड़ी में तट दूर ड्रिलिंग	Off shore Drilling in Cambay Gulf ..	81—82
1056. नई दिल्ली स्थित वेस्टर्न कोर्ट में कमरों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of rooms in Western Court, New Delhi	82—83
1057. देश में नकली तथा घटिया किस्म की औषधियां बेचने पर रोक	Check on Sale of Spurious and Sub-standard Drugs in the country ..	83—84
1058. मध्य प्रदेश में हीरे की खानें	Diamond Mines in Madhya Pradesh	84
1059. मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरक कारखाने	Chemical Fertilizer Factories in Madhya Pradesh ..	84—85
1060. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees	85
1061. उर्वरकों की उत्पादन लागत	Cost of Production of Fertilizers	86
1062. उप प्रधान मंत्री द्वारा मई, 1969 में जामनगर में चिकित्सा की योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेदिक प्रणाली के बारे में व्यक्त किये गये विचार	Views expressed by Deputy Prime Minister on Yoga, Naturopathy and Ayurvedic system of medicines in May, 1969 at Jamnagar ..	86—87
1063. ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन का स्वर्ण कांड	BOAC Gold case ..	87
1064. भारत के भूतपूर्व नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की आय	Income of Former Comptroller and Auditor General of India ..	88—89
1065. महाराष्ट्र में खनिजों का सर्वेक्षण	Mineral Survey in Maharashtra ..	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1066. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता तथा निरूपण में असंतुलन	Imbalance in Production and Formulation capacity of IDPL	89—90
1067. शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजार बनाने के कारखाने में हानि	Loss in Surgical instruments Plant	90
1068. मद्रास स्थित शल्य चिकित्सा के औजार बनाने के कारखाने द्वारा औजारों का निर्माण	Instruments manufactured by Surgical instruments plant, Madras	90—91
1069. आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान का विकास करने के लिये एक पृथक विभाग	Separate cell for research development in the field of Import substitution ..	91—92
1070. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देशी उपकरणों का प्रयोग	Use of Indigenous equipment by Oil and Natural Gas Commission ..	92—93
1071. भारतीय उर्वरक निगम में भर्ती के सम्बन्ध में भेदभाव	Discrimination in Employment in Fertilizer Corporation of India ..	93—94
1072. घटिया दवायें बेचने वाली चांदनी चौक की एक फर्म के विरुद्ध जांच	Enquiry against firm in Chandnichowk, Delhi dealing in sub-standard Drugs	94
1073. राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना	Setting up of State Electricity Boards	95—96
1074. राज्यों के बिजली बोर्डों को अनुदान/ऋण	Grants/loans to State Electricity Boards ..	96
1075. बिहार के लिये पेयजल योजना	Drinking water scheme for Bihar	96—97
1076. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Ministry of Irrigation and Power ..	97

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1077.	नई दिल्ली के अस्पतालों के लिये जांच समितियां	Enquiry committees for New Delhi Hospitals ..	97—98
1078.	एक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक पर आरोप	Allegations against a Central Excise Inspector	98
1079.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के वैद्यों के वेतन और भत्ते	Pay and allowances of Vaids working in C. G. H. S. Dispensaries ..	98
1080.	चर्बी का आयात	Import of Tallow	99
1081.	न्यू स्टैण्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	New Standard Engineering Company Limited, Bombay ..	100
1082.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को दिये गये ऋण की राशियों को बट्टे खाते में डालना	Writing off of loan given to National Coal Development Corporation ..	100—101
1083.	श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर कर की बकाया धनराशि को वसूल करना	Realisation of tax arrears of Shri Haridas Mundhra ..	101—102
1084.	दिल्ली के लिये आयुर्वेदिक अस्पताल	Ayurvedic Hospital for Delhi ..	102
1085.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वैद्यों को बाहर के मरीज न देखने का भत्ता	Non-practising allowances to C. G. H. S. Vaids ..	102
1086.	राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय	C. G. H. S. dispensaries in States ..	102—103
1087.	दिल्ली के स्कूलों में पारिवारिक जीवन की शिक्षा	Family life education in Delhi Schools	103
1088.	व्यास परियोजनाओं की लागत में विभिन्न राज्यों के भाग का प्रतिशत	Percentages of shares of various States in the cost of the Beas projects ..	103—104
1090.	उर्वरकों की उत्पादन क्षमता का विस्तार	Expansion of capacity for production of fertilizers ..	104—105
1091.	मद्रास भेषज कारखाना	Madras Pharmaceutical Factory	105

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1092. उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में रॉक फास्फेट के निक्षेप	Deposits of Rock Phosphate in Uttar Pradesh and Rajasthan	105
1093. सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects	106
1094. गोहाटी तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Gauhati Refinery ..	106—107
1095. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये वाहन	Vehicles for National Malaria Eradication programme ..	107—108
1096. नई दिल्ली में किदवई नगर के चतुर्थ श्रेणी के मकानों के निवासियों की शिकायतें	Grievances of the residents of New Delhi Kidwai Nagar Class IV Quarters ..	108
1097. सरकारी बस्तियों में बिजली के नंगे तारों को उचित तरीके से ढकना	Proper covers for exposed electric wires in Government Colonies ..	108—109
1098. आवास समस्या को हल करने के लिये एक स्वायत्त-शासी निकाय की स्थापना	Setting up of an autonomous body to deal with Housing Problem	109
1099. तमिलनाडु तथा केरल के मध्य पानी के बंटवारे के बारे में अन्तर्राज्य समझौता	Inter-State agreement on the sharing of waters between Tamil Nadu and Kerala..	109—112
1100. राजस्थान में मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं के लिये धनराशि का नियतन	Allocation of funds for Medium irrigation schemes in Rajasthan ..	112
1101. राजस्थान के आदिम जातीय क्षेत्रों में जल संसाधनों का विकास	Development of water resources in Tribal Areas of Rajasthan ..	112—113
1103. जल विद्युत संसाधन	Hydro Electric Resources	113
1104. भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक के कार्य की जांच	Inquiry into working of Trombay Unit of Fertilizer Corporation of India	114
1105. तस्करी का रोका जाना	Prevention of Smuggling ..	114—115
1106. पंजाब उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Punjab ..	115
1107. स्टेट बैंक के हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Employees of State Bank knowing Hindi ..	115

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1108. इन्दौर में कैंसर अस्पताल के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for a Cancer Hospital in Indore	..	116
1109. मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को केंद्रीय सहायता	Central Assistance for Ayurvedic System in Madhya Pradesh	..	116
1110. मध्य प्रदेश में चिकित्सा कालिजों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Medical Colleges in Madhya Pradesh	..	116—117
1111. राजस्थान में बाढ़ों को रोकने के लिये उपाय	Measures to check Floods in Rajasthan	..	117—118
1112. फिल्मी कलाकारों को जीवन बीमा पालिसियों के माध्यम से भुगतान	Payment to Film Artistes through L. I. C. Policies	..	118
1113. गर्भपात को वैध करार दिया जाना	Legalisation of abortion	..	118—119
1114. भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मामले	Cases against corrupt officers		119
1115. अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Tours abroad by officers	..	119—120
1116. बृहत कलकत्ता का विकास	Development of Greater Calcutta	..	120
1117. गैर-सरकारी बैंकों द्वारा थोक व्यापार में पूंजी का विनियोजन	Investment by Private Banks in whole-sale Trade	..	120
1118. कलकत्ता के महानगर आयोजन संगठन में फोर्ड फाउण्डेशन के विशेषज्ञ	Ford foundation experts in Metropolitan planning Organisation Calcutta	..	120—121
1119. आसाम में बाढ़ की समस्यायें	Flood problems of Assam		121
1120. गुजरात में धरोई सिंचाई परियोजना	Dharoi irrigation project, Gujarat	..	121—122
1121. लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर स्वामित्व	Royalty on Iron ore and Manganese Ore	..	122
1122. धन कर में शामिल बहुत देर चलने वाली वस्तुएं	Durable Goods included in Wealth Tax	..	123

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1123. गुजरात के एक आवास बोर्ड को ऋण	Loan to a Housing board of Gujarat	.. 123—124
1124. मैसर्स विलासको इंजीनियरिंग कम्पनी कलकत्ता द्वारा राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को विशेष इस्पात का सम्भरण	Supply of special steels by M/s Vilasco. Engineering Co., Calcutta to Rajasthan State Electricity Board	.. 124
1125. मनीपुर सरकार के चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशन	Laboratory Technicians of Medical Department, Government of Manipur	.. 124
1126. लोक निर्माण विभाग मनीपुर के कार्यभारित कर्मचारी	Work charged staff of P. W. D. Manipur	.. 125
1127. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Family Planning Programme	125
1128. धोखा देकर नसबन्दी आपरेशन करना	Fraudulent vasectomy operations	.. 125—126
1129. साहू जैन उद्योग समूह	Sahu Jain Group of Industries	126
1130. काम्पटी में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये भत्ते की मंजूरी	Grant of allowances to Central Government Employees in Kamptee	.. 126—127
1131. वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न फर्मों को दिये गये ऋण	Loans given to various firms by Financial Institutions	.. 127
1132. भारत को अनुदान देने वाले अमरीकी संस्थान	U. S. Foundations giving Grants to India	.. 127—128
1133. परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of family planning programme	128
1134. अपंजीकृत औषध विक्रेता	Unregistered pharmacists	.. 128—129
1135. तटवर्ती प्रदेशों में तेल की खोज	Oil Exploration in coastal regions	129
1137. उद्योगपतियों और व्यापारियों से ऋण की वसूली	Loan recoveries from industrialists and Businessmen	.. 129—131

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1138.	बम्बई में भारत के रक्षित बैंक के कार्यालय	Reserve Bank offices in Bombay ..	131—132
1139.	जेसलमेर क्षेत्र में तेल निकाला जाना	Oil Drilling in Jaiselmer Area	132
1140.	इंडिया शूगर्स एण्ड रिफाइ-नरीज लिमिटेड, हास्पेट	India Sugars and Refineries Ltd., Hospet ..	132
1141.	तेलंगाना आन्दोलन के कारण सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा बोमा कार्य करने में संकोच	General Insurance Companies' hesitation to do Business due to Telangana Agitation	133
1143.	योजना हेतु खातों की जांच	Reviewing of accounts for plan purposes ..	133—134
1144.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये स्वीडन से सहायता	Aid from Sweden for Family Planning programme ..	134—135
1145.	कोयना में अल्यूमीनियम कारखाना	Aluminium plant at Koyna ..	135—136
1146.	अलीयावेट में तेल की खुदाई	Oil drilling at Aliabet	136
1147.	नान रेजिडेंट भारतीयों को भारत में मकान बनाने के लिये भूमि देने की योजना	Scheme for allotment of residential Plots in India to Non-Resident Indians ..	136—137
1148.	भारतीय विशेषज्ञ दल द्वारा अफगानिस्तान में सिचाई तथा जल विद्युत योजनाओं का सर्वेक्षण	Survey of Irrigation and Hydro Electric Schemes in Afghanistan by Team of Indian Experts	137
1149.	ट्राम्बे परियोजना के विस्तार के लिये पूर्व अर्हताप्राप्त अमरीकी इंजीनियरिंग फर्मों को बोली बोलने का आमंत्रण देना	Bid invitations from prequalified US Engineering firms for Trombay project Expansion ..	137—138
1150.	पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक	West Bengal State Cooperative Bank ..	138—140
1151.	पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक	West Bengal State Cooperative Bank	140
1152.	1968-69 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय	Expenditure on family planning programmes during 1968-69 ..	140
1153.	स्वदेशी तकनीकी ज्ञान के विकास के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत	Foreign exchange saved on account of development of indigenous know how ..	140—141

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1154. पेट्रो रसायन उद्योगों में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	L. I. C. participation in Petro-Chemical Industries	141
1155. सुकिण्डा, उड़ीसा में निकल पिघलाने वाली भट्टी	Nickel smelter at Sukinda, Orissa	141
1156. उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार सूचकांकों में गिरावट	Fall in employment index in Public Sector Projects in Orissa ..	141—142
1157. भारत और सऊदी अरब के बीच तेल की खोज के लिये संयुक्त उद्यम	Joint venture for exploration of oil between India and Saudi Arabia ..	142
1158. तांबा अयस्क के निक्षेपों की खोज	Exploration of Copper Ore Deposits ..	142—143
1159. उड़ीसा को दिये गये ऋण, अनुदान और सहायता	Loans, Grants and Assistance given to Orissa ..	143—144
1160. केन्द्रीय अधिकारियों के दल का उड़ीसा का दौरा	Visit of Team of Central Officer's to Orissa ..	144—145
1161. रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक के चैक और कागजों पर हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में हस्ताक्षर	Signing of Checks and Documents of Reserve and State Banks in Hindi Regional Languages ..	145
1162. सस्ती और अच्छी किस्म की दवाइयों का उत्पादन	Production of Cheap and Quality Drugs ..	145—146
1163. राजस्थान में पोस्त की खेती	Opium cultivation in Rajasthan ..	146
1164. तेल वितरक एजेन्सियां	Oil Distributing Agencies ..	146—147
1165. भुज में चांदी का तस्कर व्यापार	Smuggling of Silver in Bhuj ..	147
1166. हृदय रोगों तथा जठर आंत्र शोथ के मामले	Incidence of Cardiac diseases and Gastro Enteritis ..	147—148
1167. परिवार नियोजन कार्यों तथा उपायों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Family Planning Operation and Devices	149
1168. आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी	Shortage of doctors in Andhra Pradesh, Maharashtra and Mysore Hospitals ..	149—150

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1169. आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, आसाम तथा हिमाचल प्रदेश की पीने के पानी की सप्लाई सम्बन्धी योजनायें	Drinking Water Supply Schemes of Andhra Pradesh, Mysore, Assam and Himachal Pradesh	150
1170. बंगलौर में राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन	State Housing Ministers Conference at Bangalore	150—151
1171. बंगलौर में राज्य आवास मंत्री सम्मेलन	State Housing Ministers' Conference at Bangalore	151
1172. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागबानी विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्कों का स्थायीकरण	Confirmation of Lower Division Clerks in the Horticulture Department of CPWD	152
1173. बिहार में तपेदिक के रोगी	T. B. Patient in Bihar	152—153
1174. ठेकेदारों द्वारा इमारतों के निर्माण कार्य का बन्द किया जाना	Suspension of work by Contractors at Building Sites	153—154
1175. चिकित्सकों के पंजीयन के लिये विधेयक	Bill for Registration of Medical Practitioners	154—155
1176. पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेलशोधक कारखाना	Oil Refinery in Eastern U. P.	155
1177. मध्य प्रदेश में पुनासा और वारगी परियोजनाएं	Punasa and Bargi Projects in Madhya Pradesh	155
1178. केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य बन्द किया जाना	Suspension of construction work by contractors	156
1179. कोसी नदी के तटबन्धों में दरार पड़ जाने के कारण उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल में जान और माल की हानि	Loss of life and property in North Bihar, North Bengal due to Breaches in Kosi Embankments	156—157
1180. बरौनी में विद्युत जनन यूनिटों में खराबी	Failure of Generator Units at Barauni	159
1181. भारत को विदेशी सहायता सम्बन्धी अमरीकी नीतियों की समीक्षा	Review of USA policies regarding Foreign Aid to India	159
1182. गोआ में बिड़ला बन्धुओं का उर्वरक कारखाना	Fertilizer factory by Birla Brothers in Goa	159

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1183. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये अर्हता प्राप्त डाक्टरों को प्रोत्साहन	Incentives to qualified doctors for serving in Rural Areas ..	160
1184. चलचित्र कलाकारों से काला धन निकालने के लिये छापे	Raids to unearth unaccouted Money from Film Stars ..	160—161
1186. वित्तीय वर्ष में परिवर्तन	Change in Financial Year	161
1187. पश्चिम बंगाल में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री का वक्तव्य	Former Deputy Prime Minister and Finance Minister's Statement on Law and Order situation in West Bengal ..	162
1188. बिहार में आयकर विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के निरीक्षकों तथा अधिकारियों को नियुक्ति	Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Inspectors and Officers of Income Tax Department in Bihar ..	162—163
1189. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये ऋण	Loan Floated by Centre	164
1190. बर्दवान जिले में सोनेटोरिया गांव में भूमि में दरार पड़ना	Ground cracks in Sonetoria village in Burdwan District ..	164
1191. बिजली का उपादन	Production of Power ..	164—165
1192. कम आय के मामलों में कर निर्धारण की योजना	Small Income Cases Assessment Scheme ..	165—167
1193. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का परिसमापन	Winding up of National Projects Construction Corporation ..	167—168
1194. गंडक परियोजना पर काम का रुक जाना	Work on Gandak Project at stand still ..	168—169
1195. श्रीलंका को ऋण	Credit to Ceylon ..	169—172
1196. पारी से बाहर सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के अनिर्णीत मामलों पर पुन-विचार के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to review the pending cases of out of turn Allotment of Government Accommodation ..	172—173
1197. वाणिज्यिक बैंकों में जमा-कर्ताओं की श्रेणी का अध्ययन	Study of Status of Depositors in Commercial Banks ..	173

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1198. नई दिल्ली में आरामबाग क्षेत्र के क्वार्टरों में अतिरिक्त पंखे की व्यवस्था	Additional Ceiling Fan for Government quarters in Arambagh Area, New Delhi ..	174
1199. शहरी आय की अधिकतम सीमा	Ceiling on Urban Income ..	174—175
1200. मंत्रियों द्वारा सरकारी व्यय पर विदेशों की यात्रा पर अपने रिश्तेदारों को साथ ले जाना	Ministers Taking their Relations on foreign tours at Government expense ..	175
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अमरीका की डगलस कम्पनी द्वारा इण्डियन एयर लाइन्स के एक अधिकारी को रिश्वत देने की कथित पेशकश	Alleged offer of bribe by Douglas Co. of USA to an Indian Airlines Officer ..	186 175
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	175,178—179
डा० करण सिंह	Dr. Karan Singh	175—178,179 184—186
'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' नामक दैनिक समाचार-पत्र के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege Against the Editor, 'The Hindustan Times' ..	186—188 190—191
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	188—190
पूर्वी नदियों के सम्बन्ध में भारत-पाक वार्ता के बारे में वक्तव्य	Statement re. Indo-Pakistan Talks on Eastern Rivers ..	191
सदस्य द्वारा त्यागपत्र (श्री० सो० सिं० वसी)	Resignation of Member (Shri S. S. Basi) ..	191
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment ..	191
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1969-70	Demands for Supplementary Grants (Railway) 1969-70 ..	192
लोक-लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
83 वां प्रतिवेदन	Eighty-third Report ..	192
ब्रिटेन द्वारा सूती कपड़े पर टैरिफ लगाये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Imposition of Tariff on Textiles by UK ..	192—195
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat ..	192—195
स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक— पुरःस्थापित	Gold (Control) Amendment Bill— Introduced ..	195—196

स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Gold (Control) Amendment Ordinance ..	196
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प तथा बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक	Statutory Resolution re. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill ..	196—209
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	197
श्री यज्ञ दत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma ..	199—202
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon ..	198
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar ..	204—206
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav ..	206—207
श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange ..	207—209
आधे घण्टे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
रूस तथा अन्य देशों को माल-डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to USSR and other countries ..	209—213
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani ..	209—210
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat ..	210—211 212—213

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 28 जुलाई, 1969/6 श्रावण, 1891 (शक)
Monday, July 28, 1969/Sravana 6, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Report of the Enquiry Committee on National Coal Development Corporation

*151. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri George Fernandes :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Sitaram Kesri :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Muhammad Sheriff :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the full details of the Report of the Enquiry Committee on the National Coal Development Corporation ; and

(b) the decision and steps taken in this connection and the outcome thereof ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पूरे ब्योरे देने वाली रिपोर्ट पहिले ही 15 मई, 1969 को सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1384/69]**

(ख) सिफारिशें/निष्कर्ष तथा उन पर सरकार के निर्णय दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

Shri Brij Bhushan Lal: The National Coal Development Corporation was constituted in 1956, because although the number of coal mines was not shown yet the required supply was not there. When it was found that its working had not been satisfactory during 9 or 10 years, an expert committee was appointed. In 1967, the committee submitted its first report and gave its recommendation in February 1968 and final report in August, 1968. A number of important recommendations were made therein. They recommended for removing shortcomings in management. An objection was also taken to low returns on investments and heavy loss as a result thereof. The production in 1967-68 was far below the target of 39 lakh tonnes.

A major recommendation related to the purchase of machinery worth Rs. 20 lakhs which did not suit Indian conditions and proved useless. It became difficult to dispose it off and a loss of Rs. 20 lakhs had to be incurred thereby.

An other recommendation related to the sale through middlemen. Direct sale should be effected to publie undertakings and particularly railways. They also recommended to make direct sale to big public enterprises, as far as possible.

The railways maintain that they supply wagons as per requirements but they are not utilized by the corporation.

Another recommendation was that during slack season of July to October, financial incentive should be given for transportation of coal. I would like to know from the Minister the measures taken in response to those important recommendations and the reasons for carelessness in this direction which is resulting in loss of lakhs of Rupees.

श्री जगन्नाथ राव : यह ठीक है कि प्रथम प्रतिवेदन फरवरी, 1968 में दिया गया था। 34 सिफारिशें की गई थीं जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के ढांचे से सम्बन्धित थीं। हमने तुरन्त ही निदेशक नियुक्त किया तथा विक्रय विभाग सुदृढ़ किया। लगभग 155 अन्य सिफारिशें की गईं जिनमें से अधिकांश स्वीकार कर ली गई हैं। मैंने सभा-पटल पर जो प्रतिवेदन रखा है, उसमें सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बताया गया है। प्रशासन को सुचारु ढंग से चलाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, तृतीय योजना में लगभग 9.85 करोड़ मीटरिक टन के उत्पादन का अनुमान था। बाद में 9 करोड़ मीटरिक टन कोयले के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था परन्तु वास्तविक उत्पादन केवल 6.7 करोड़ मीटरिक टन हुआ। इसका कारण यह था कि औद्योगिक विकास न होने के कारण विक्रय नहीं बढ़ा था। अतः उत्पादन कम करना पड़ा। अब राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में है।

Shri Brij Bhushan Lal: Allotments of wagons is made for the transportation of soft coke but actually they are loaded with slack coal. This is a corrupt practice. In July,1968 wagons numbering 2100 were labelled to have been loaded with soft coking coal, but actually they were loaded with slack coal. Railways are undergoing a loss of lakhs of rupees in frteight as a result thereof. The brick kiln owners are not allotted wagons for coal. I would like to know whether Government will allot wagons for loading of slack coal to the brick kiln owners. I would also like to know whether Government will also hold an enquiry in this connection and lay the report on the table of the House?

श्री जगन्नाथ राव : वैगनों के आवंटन के बारे में हम रेलवे मंत्रालय से लगातार बातचीत करते रहते हैं। इसमें हमें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। घोटाले के बारे में यदि माननीय सदस्य कोई विशेष उदाहरण दें तो अवश्य ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

Shri Ram Gopal Shalwale: May I know whether it is a fact that the Government permit digging of coal from mines to a limited extent only? If so, what are the reasons therefor?

The coal purchased from mine owners is of low quality. Complaints have been made in this connection but no action is taken against the Government officials responsible therefor. I would like to know the reasons for the same?

श्री जगन्नाथ राव : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से है। गैर-सरकारी कोयला खानों के मालिक भी हैं। यदि किसी व्यक्ति को उस प्रकार का कोयला नहीं मिलता है जिसके लिए उसने भुगतान किया है, तो निश्चय ही कार्यवाही करना उसका काम है।

Shri Suraj Bhan: The report of enquiry Committee on National Coal Development Corporation runs into 65 pages and it is physically impossible to read it with in one hour. If a statement runs into more than twenty pages, it should be sent to questioners one day in advance.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

Shri Suraj Bhan: An Hon. Member has referred to machinery worth Rs. 20 lakhs imported in India, which does not suit Indian conditions. I would like to know the name of the country from which the machinery has been imported, the person responsible therefor and whether it is in fact lying idle?

I would also like to know whether the enquiry committee has given any suggestion pertaining to labour and if so, reaction of Government thereto?

श्री जगन्नाथ राव : उसमें 155 सुझाव हैं। प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। मेरे लिये प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में बताना कठिन है। सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं कि सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है।

Shri Suraj Bhan: What about machinery worth Rs. 20 lakhs?

श्री जगन्नाथ राव : माननीय सदस्य ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। कुछ मशीनरी फालतू पाई गई है और उसे बेचने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

Shri George Fernandes: Government has invested about Rs. 180 crores in N.C.D.C. It seems Government is not setting the working of this corporation right. I want to know whether it is a fact that a number of the officers of the same committee, which submitted report on this corporation, for example, Shri Ram Sahay has been appointed an officer on special duty in N.C.DC. and whether it is also a fact that Shri Mohan Lal Gautam, a former Congress M. L. A. who was a member of the committee and who has no knowledge

about coal, has been appointed a Director on the Board? I want to know whether these persons have been appointed on big salaries, and whether Shri Ramanand Sinha, who was removed from the service of Hindustan Steel Limited, has been appointed Director of administration with a monthly salary of Rs. 1000 p. m. Further, I want to know whether Shri Kanti Mehta of I.N.T.U.C. has also been appointed? What is the justification in these appointments?

श्री जगन्नाथ राव : समिति ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि उसके सदस्य योग्य व्यक्ति थे। श्री गौतम उत्तर प्रदेश में सदस्य थे। और वह कोयला परिवहन समिति के चेयरमैन थे। यदि ये आरोप ठीक हैं तो वह मुझे पत्र लिखें। मैं इस बारे में पूर्व सूचना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति पर आपत्ति की है। उस पर मंत्री महोदय को क्या कहना है।

श्री जगन्नाथ राव : उन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी जिन्होंने समिति पर कार्य किया था। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इस बारे में लिखें। मैं उन्हें उत्तर दूंगा।

Shri Rabi Ray: Question has not been answered.

Shri Shiva Chandra Jha: He is misguiding the House.

Shri Rabi Ray: Shri Fernandes has asked appointment of Shri Mehta and Shri Mohan Lal Gautam who have no experience about coal.

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय पर एक सदस्य को बोलना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta: It is expected that questions would be answered during the question hour. They have made political appointments and now they want to evade questions. We want your protection. They should give answer to our questions. They want to suppress information about their misdeeds. It is not enough to ask for writing letters.

श्री म० ला० सोंधी : वे स्वयं तो हमारे पत्रों का उत्तर ही नहीं देते।

श्री समर गुह : कुछ विशेष मामलों के बारे में प्रश्न पूछे गये हैं। इसका उत्तर मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : समितियों में कुछ नियुक्तियां की गई हैं। उन पर आपत्तियां उठायी गई हैं। माननीय मंत्री उनके बारे में उत्तर दें अथवा पूर्व सूचना की मांग करें।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस बारे में एक आम शिकायत नहीं की जा सकती। यदि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में शिकायत हो तो हम उस पर विचार करेंगे····(**व्यवधान**)। माननीय मंत्री ने यही कहा है कि यदि कोई ऐसी बात उनके ध्यान में लायी जाये तो वह उसका पूरा उत्तर देंगे····(**व्यवधान**)

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : उपाध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पर जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। समिति की सिफारिशों की एक प्रति तथा सरकार के निणय को सभा-पटल पर रख दिया गया था। अब

कुछ माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट के बारे में कुछ अन्य प्रश्न उठाये हैं। ये कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप हैं। इन आरोप के बारे में देखा जायेगा····(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय····(**व्यवधान**)** यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। जब तक माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार नहीं चलेंगे, तब तक कार्यवाही चलाना बहुत कठिन है।

प्रधान मंत्री की बात से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रश्न एक संक्षिप्त है परन्तु माननीय सदस्य ने कुछ नियुक्तियों को चुनौती दी है। यदि पूर्व सूचना दी जाये तो मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री शिव नारायण : वह इस सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकते हैं। माननीय मंत्री कह सकते हैं कि मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फरनेन्डीज यदि चाहते हैं तो स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

Shri George Fernandes : I am being quoted to have asked irrelevant questions. I may tell you the relevancy of the matter. Is it not a fact that after the committee has submitted its report, its recommendations were not implemented and a particular post was created for the secretary of the committee, Shri Ram Sahai who was appointed as an officer on Special Duty on a pay of rupees three thousands per month, the other member, Shri Mohan Lal Gautam, who does not know even the elementary knowledge of coal Industry, was appointed as Director. Shri Rama Nand Sinha who was removed from Hindustan Steel, has been appointed as Director of Administration and thousands of rupees are being given to him per month as pay. Shri Kanti Mehta, the leader of the INTUC, has been appointed as a part time Director. My point is as to whether the recommendations of the committee included the question of these four appointments. I also want to know what peculiarities has Government found in those four particular persons on the basis of which they were appointed ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं उनके नाम बताऊंगा। ये सदस्य हैं : श्री जी० आर० कामथ जिन्हें योजना आयोग के सचिव पद से सेवा मुक्त किया गया ; श्री मोहन लाल गौतम ; और तीसरे सदस्य श्री एस० एस० सलेजा हैं, जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के खान तथा भूविज्ञान विभाग में प्रोफेसर थे; तथा अन्य व्यक्ति श्री राम सहाय हैं। श्री मोहन लाल गौतम तथा श्री राम सहाय इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं····(**व्यवधान**)। मैं जानकारी दे रहा हूं। कृपया आप सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए।

श्री जगन्नाथ राव : आप मेरी ओर ध्यान दें। श्री मोहन लाल गौतम तथा श्री राम सहाय के विषय में कुछ कहा गया है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री रामानन्द सिन्हा।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री जगन्नाथ राव : वह समिति के सदस्य नहीं है। मैं इस विषय को बाद में लूंगा। आप मेरी ओर ध्यान दें। आरोप लगाए गए हैं। मेरी जानकारी यह है कि इन अन्य सदस्यों की नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि उन्हें विषय का ज्ञान था। श्री मोहनलाल गौतम कोयले से सम्बन्धित परिवहन समिति के सभापति थे। अतः उनके विषय में समझा गया कि उन्हें कोयला उद्योग के सम्बन्ध में जानकारी होगी। श्री राम सहाय के सम्बन्ध में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी मैं जांच करूंगा। और इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। मैं यही आश्वासन दे सकता हूं कि स्थिति की जांच करके सदस्यों को इसकी सूचना दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह काफी है। अब श्री सीता राम केसरी।

Shri Sitaram Kesri : When we go through the recommendations of the Enquiry Committee on N.C.D.C. we find that its administrative machinery is inefficient in certain matters, particularly in the matter of over reporting and under reporting in so far as the stock is concerned. Keeping in view all these administrative inefficiency in the N.C.D.C. which was discussed and was condemned, was due to the lack of top ranking officers and also the vacancies lying vacant which resulted considerable loss to the N.C.D.C. I want to know from the Hon. Minister whether he, on the recommendation of the Enquiry Committee regarding over reporting and under reporting, has taken any action against those officers responsible for over reporting and under reporting ?

Secondly, what are the criteria on which you determine the price of the coal ? Do you determine the coal prices on the calorathic basis like other countries or not ?

Thirdly, the N.C.D.C. is a public sector undertaking and its function is very important one, I want to know whether, unlike priate sector undertakings, you will determine the coal price on calorathic basis ?

श्री जगन्नाथ राव : नमक मिर्च लगाकर कहने से यदि माननीय सदस्य का आशय ऊंची वस्तु सूचियों से है तो....

एक माननीय सदस्य : उनका तात्पर्य 'अधिक मूल्यांकन' और 'कम मूल्यांकन' करने से है।

श्री जगन्नाथ राव : 31-3-1967 तक संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य 18.14 करोड़ रुपया था और जो 31-3-1968 तक घट कर 13.25 करोड़ रुपया रह गया। फालतू पुर्जों का मूल्य भी जो 31-3-1967 को 16.56 करोड़ रुपये था, 31-3-1968 को घट कर 13.05 करोड़ रुपये रह गया था और फालतू पुर्जों का निपटान कर दिया गया था। माननीय सदस्य कोयले के मूल्य के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। जैसा मैं समझता हूं कि कोयले के मूल्य का निर्धारण मुख्य रूप से उसके भस्मांश के आधार पर किया जाता है। यदि किसी अन्य तत्व के आधार पर इसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो मैं वास्तव में इसकी जांच करूंगा और सदन को इसकी जानकारी दे दूंगा।

मैसूर में खनिज उत्पादन

*152. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में 1967-68 और 1968-69 में कुल कितनी मात्रा में खनिज निकाला गया ;

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह आंकड़े कम हैं अथवा अधिक ;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उस राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). मैसूर राज्य में 1965 से 1968 वर्षों के दौरान खनिज उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार से है :

1964	..	8.8 करोड़ रुपये
1965	..	8.0 करोड़ रुपये
1966	..	8.9 करोड़ रुपये
1967	..	9.5 करोड़ रुपये
1968	..	10.8 करोड़ रुपये

1968 वर्ष के उत्पादन के मूल्य में छोटे खनिजों का मूल्य सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आधार सामग्री अभी नहीं भेजी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री ए० श्रीधरन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि जब आरोपों को पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाता है तब भी मंत्रालय ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि ये मस्तिष्क के लकवे के रोगी हैं । श्रीमान् जी, मैसूर में खनिज पदार्थ एवं अन्य वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं और प्राचीन सभ्यता की दिशा में भी वह समृद्ध है । अतः मैसूर राज्य अपने खनिज उत्पादन को बढ़ाने के हेतु वह अपने खनिज संसाधनों का विकास करने के लिये बहुत उत्सुक है । मेरी अपनी जानकारी के अनुसार मैसूर राज्य सरकार सहित अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अभिवेदन किया है कि लौह अयस्क के स्वामित्व में वृद्धि की जाये जिससे राज्य/सरकारों को अपने खनिज उत्पादन में प्रगति करने के लिये उन्हें अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके । यदि हां, तो सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

श्री जगन्नाथ राव : खान तथा खनिज विकास विनियम अधिनियम के अन्तर्गत स्वत्व शुल्क निर्धारित किया गया है। खनिज सलाहकार बोर्ड की स्थाई समिति की बैठक इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 5 सितम्बर को हो रही है। मैसूर के अतिरिक्त, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भी स्वत्व शुल्क बढ़ाने का प्रश्न उठाया है।

श्री ए० श्रीधरन : मंत्री महोदय ने ठीक सूचना नहीं दी क्योंकि खनिज सलाहकार बोर्ड की स्थाई समिति की बैठक दिल्ली में 28-11-68 को हुई थी जिसमें स्वत्व शुल्क 50 पैसे प्रति टन बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। 62% तथा उससे ऊपर के वर्तमान दर 1 रु० 50 पैसे प्रति टन है तथा 62% से कम पर दर एक रुपया प्रति टन है। सरकार द्वारा उस सिफारिश के स्वीकार न किये जाने का एक कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। उल्लेखनीय है कि कच्चे लोहे पर निर्यात शुल्क 10 रु० 50 पैसे प्रति टन है जबकि विभिन्न राज्यों में स्वत्व-शुल्क 4-6 रुपये है। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा उठाया गया मामला दृढ़ है। क्या सरकार ने स्थाई समिति की सिफारिश पर कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं।

श्री जगन्नाथ राव : हर राज्य सरकार के दावे पर ध्यान देना होगा। इसीलिए निर्णय में विलम्ब हुआ है। स्वत्व के सभी मामलों पर 5 सितम्बर की बैठक में विचार किया जायेगा।

श्री ए० श्रीधरन : कोई भी राज्य सरकार यह नहीं कहेगी कि वह कम स्वत्व-शुल्क चाहती है। आपने उनके विचार जानने की दशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगन्नाथ राव : हम राज्य सरकारों के विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री ए० श्रीधरन : विलम्ब के लिये ऐसी नीतियां अपनायी जाती हैं। आपने उनके विचारों को जानने के लिए क्या कार्रवाई की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा कि बैठक होने जा रही है।

श्री मु० न० नाघनूर : कुडरीमुख परियोजना की क्षमताओं को 60 करोड़ से 100 करोड़ टन आंका गया है। योगोस्लाव तथा जापान के दल खनिज धातुओं को संवारने के लिये सहयोग कर रहे हैं। क्या सरकार इस बारे में कुछ प्रगति कर पाई है। 24 करोड़ रुपया की लागत से मंगलोर पत्तन का निर्माण हो रहा है तथा हसन मंगलोर रेलवे लाइन बन रही है। देश की अर्थ व्यवस्था के लिए हितकर होगा कि खनिज धातुओं को शीघ्र ही प्रयोग में लाया जाए।

श्री जगन्नाथ राव : कुडरीमुख परियोजना पर एक मार्गदर्शी संयंत्र प्रायोजन की अभिस्वीकृति अमरीका की मारकोनी तथा जर्मनी की मोन कम्पनियों के सहयोग के साथ दी गई है। यह मार्गदर्शी संयंत्र लगभग तैयार है तथा हमें पता चला है कि दिसम्बर-जनवरी तक

परीक्षा के तौर पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। उसके परिणाम मिलने पर इस परियोजना के विकास पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री लोबो प्रभु : मैसूर अपनी भूमि खो रहा है, बिजली खो रहा है परन्तु मन्त्रिमण्डल में इस राज्य के सदस्य हैं, वे राज्य के हितों के प्रति जागरूक नहीं। माननीय सदस्य ने जिस परियोजना का उल्लेख किया है वह कार्यक्रम से छः महीने पीछे है। छः वर्ष पूर्व बताया गया था कि वहां बौक्साइट मिलने की पर्याप्त सम्भावना है। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यदि इन परियोजनाओं का विकास नहीं किया जाता तो क्या मंगलोर पत्तन परियोजना हानि में रहेगी।

श्री जगन्नाथ राव : इस परियोजना की वाणिज्यिक सफलता की सम्भावना देखने के लिये मार्गदर्शी परीक्षण किये जाते हैं। संयंत्र लग गया है तथा विदेशी विशेषज्ञों ने सूचित किया है कि जनवरी में परीक्षण शुरू किया जायेगा परिणाम मिलने पर हिसाब लगाया गया था।

बौक्साइट के मामले पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है। यदि मंगलोर पत्तन विकसित होता है, तो निश्चय ही खनिज लोहे का यातायात के लिए मिलने पर ही पत्तन आत्म-निर्भर हो सकेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैसूर तथा अन्य स्थानों के मैंगनीज खानों के स्वामी भारी संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि मैंगनीज का व्यापार एम० एम० टी० सी० के माध्यम से होता है। उस कार्पोरेशन की ऐसी नीतियां रही हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज के विक्रय के लिये मांग नहीं। यदि यह सत्य है, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है, कि मैंगनीज उद्योग की स्थिति अनिश्चित है। उसको खपत विदेशों में ही होती थी परन्तु अब वहां इसकी मांग घट गई है और परिणाम स्वरूप खानों में काफी माल पड़ा हुआ है। कुछ खानें स्थायी रूप में तथा कुछ अस्थायी रूप से बन्द हो गयी हैं। मैंने मैंगनीज उद्योगपतियों की एक बैठक में भाग लिया था जिसमें कुछ निर्णय लिये गये थे। एम० एम० टी० सी० के माध्यम के बिना खान मालिकों को ग्राहक खोजने की स्वतंत्रता दी है। अन्त में वे कारपोरेशन की अनुमति से करार कर सकते हैं। मांग कम होने के कारण ही उद्योग पर संकट आया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : खेद की बात है कि मैंगनीज खानों के मालिकों ने दो लाख टन माल की तुरन्त बिक्री के लिये एम० एम० टी० सी० को कहा है परन्तु उक्त कार्पोरेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या मंत्री महोदय उनके प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे?

श्री जगन्नाथ राव : मैं पहले ही उनसे मिल चुका हूं।

श्री एन० शिवप्पा : प्रश्न मैसूर के खनिज पदार्थों से सम्बन्धित था न कि किसी विशेष धातु से/प्रश्न यह था—कि क्या खनिजों के उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी । कई स्थानों पर खनिज पदार्थ मिल सकते हैं परन्तु इस बारे में पूरी खोज नहीं की गई। मैसूर सरकार उत्तरदायित्व विहीन रही है । क्या केन्द्रीय सरकार मैसूर राज्य में खनिज उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है तथा खनिज खानों को पत्तनों से मिलाने के लिये खनिज-राजपथों का निर्माण कर रही है । यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामला है । बेल्लारी-होसपत क्षेत्र में खनिज धातुओं के बड़े-बड़े भण्डार हैं । दूसरे चिककल्याणपल्लि क्षेत्र हैं यहां से धातुओं को मंगलौर तथा अन्य पत्तनों से बाहर भेजा जाता है । क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि खनिज क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजपथों द्वारा पत्तनों से जोड़ा जाएगा ? खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में मंत्री महोदय क्या आश्वासन देते हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : खानों और खनिजों का विकास राज्य सरकारों का विषय है ; यदि राज्य सरकार केन्द्र से कोई सहायता चाहेगी तो केन्द्र उस पर विचार करेगा । हमने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बेल्लारी तथा होसपत क्षेत्र के संलग्न क्षेत्रों में कच्चे लोहे की खानों को ले लिया है । कारबार के विकास का प्रश्न तब उठेगा जब रामदुर्ग क्षेत्र का विकास हो जाता है । मैसूर में खनिजों का विकास राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है ।

श्री एन० शिवप्पा : आपने क्या वित्तीय सहायता दी है ?

श्री जगन्नाथ राव : उन्होंने कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी/कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई ।

Import of Liquid Ammonia from Iran

\+

*153.	**Shri Himatsingka :**	**Shri Zulfiquar Ali Khan :**
	Shri Nihal Singh :	**Shri N. Shivappa :**
	Shri Meetha Lal Meena :	**Shri R. K. Amin :**
	Shri P. K. Deo :	**Shri Indrajit Gupta :**
	Shri K. M. Koushik :	**Shri R. Barua :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to import ammonia from Iran ;

(b) if so, the terms of the agreement entered into with the Government of Iran for import of liquid ammonia ;

(c) the place where the Fertilizer factory would be set up to make use of it ;

(d) whether the factory would be in the public sector or private sector ; and

(e) how this decision would affect the proposed Tata Fertilizer project ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अमोनिया के उत्पादन हेतु ईरान में एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिये

सरकार ईरान को सहयोग देने में सहमत हो गई है, उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल के लिये अमोनिया का अधिकांश अंश भारत में आयात किया जायेगा। उपरोक्त संयुक्त उद्यम की स्थापना होने तक, भारतीय खरीदारों को ईरान के वर्तमान संयंत्र से अमोनिया की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिये भी सरकार सहमत हो गई है।

(ख) आयात की जाने वाली मात्राएं, कीमत तथा अन्य विस्तृत शर्तें अभी निर्धारित करनी हैं।

(ग) और (घ). ईरान के संयुक्त उद्यम से आयात किया जाने वाले अमोनिया को सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। इस कारखाने के स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक ईरान के वर्तमान संयंत्र से भारतीय खरीदारों द्वारा अमोनिया के आयात, जिसके लिये भारत सहमत है, का सम्बन्ध है, प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर फैसला किया जाएगा।

(ङ) उपरोक्त उत्तरों को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। टाटा उर्वरक परियोजना पर गुणावगुणों के आधार पर अलग से विचार हो रहा है।

श्री हिम्मतसिंहका : भारत में उर्वरकों के उत्पादन की भारी कमी तथा उसके आयात पर खर्च की जाने वाली भारी विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए, टाटा उर्वरक परियोजना के आवेदन पत्र की अब क्या स्थिति है ? क्या इसको खटाई में डाल दिया गया है अथवा इसकी स्वीकृति दी जाने वाली है ? यदि इसको खटाई में डाल दिया गया है तो उर्वरक उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ेगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। टाटा उर्वरक परि योजना पर गुण-दोष के आधार पर अलग से विचार किया जा रहा है।

श्री हिम्मतसिंहका : निर्णय कब किया जायेगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि सारी परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

Shri Meetha Lal Meena : In the deal with Iran it had been stipulated that liquid ammonia would be imported for use in the Tata Fertiliser Factory. Now the Government have instead decided to use that in the Public Sector. In view of this may I know whether the terms have since been revised ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा कि मैंने बताया है टाटा उर्वरक परियोजना अभी विचाराधीन है। इसको रद्द नहीं किया गया है। भारत सरकार ईरान सरकार को अमोनिया के उत्पादन के लिये एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में सहयोग देगा। उस अमोनिया को उर्वरक उद्योग में यहां सरकारी क्षेत्र में प्रयोग में लाया जायेगा। जहां तक ईरान के पेट्रो-रसायन उद्योग समुह में उत्पादित अमोनिया का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

Shri Meetha Lal Meena : The deal had been struck keeping in view the Tata Fertiliser Factory. In the beginning the ammonia was proposed to be utilised in the Private Sector but now that ammonia will be used in the Public Sector. Have the original terms been altered?

श्री दा० रा० चह्वाण : बात यह है कि अमोनिया का उत्पादन संयुक्त उपक्रम में किया जायेगा जिसे वहां भारत सरकार और ईरान सरकार के सहयोग से स्थापित किया जायेगा । वहां पैदा किये गये अमोनिया का सरकारी क्षेत्र में काम में लिया जायेगा । जहां तक ईरान के पेट्रो-रसायन उद्योग से आयात किये जाने वाले अमोनिया का सम्बन्ध है और जहां तक टाटा उर्वरक परियोजना का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले बताया मामला विचाराधीन है ।

श्री एन० शिवप्पा : क्या सरकार को पता है कि गुजरात उर्वरक के मामले में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में सहयोग का जो तरीका विकसित हुआ है, वह बहुत सफल रहा है ? क्या सरकार अमोनिया के आयात और उर्वरक के निर्माण में उसके प्रयोग के बारे में ऐसी ही व्यवस्था विकसित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तक ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा कि मैंने बताया गैर-सरकारी क्षेत्र से आयात की मात्रा, मूल्य तथा अन्य विस्तृत शर्तें अभी तय की जानी हैं । जहां तक सरकारी क्षेत्र से अमोनिया के आयात का सम्बन्ध है, इसे ईरान सरकार तथा भारत सरकार के सहयोग से अभी स्थापित किया जाना है । वहां पर जो अमोनिया तैयार किया जायेगा, उसे वहां सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्रयोग किया जायेगा । जहां तक ईरान के पेट्रो रसायन उद्योग समूह से आयात का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्तिगत पक्ष को तरल अमोनिया आयात करने की स्वतन्त्रता होगी और हम देश में इसकी बिक्री को सुविधाजनक बनायेंगे ।

श्री रा० कृ० अमीन : आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरम्भ में सरकार की नीति अमोनिया के आयात के लिए अनुमति देने की नहीं थी । जब ईरान हमारे साथ सहयोग करने को राजी हो गया उसके बाद ही हम अमोनिया के आयात के लिये सहमत हुये थे ।

जब उस करार के बारे में सभा में विचार विमर्श हुआ था तो माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सहयोग कार्य भी साथ-साथ किया जाएगा । हम नमक का निर्यात करेंगे तथा ईरान में नमक पर आधारित उद्योग की स्थापना की जायेगी और ईरान हमें अमोनिया देगा । टाटा उर्वरक योजना में भी अमोनिया के आयात तथा नमक के निर्यात में पारस्परिक सम्बन्ध था अन्यथा मीठापुर में भी कारखाना खोलना लाभप्रद न रहता । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार नमक पर आधारित रासायनिक उद्योग के बारे में ईरान से सहयोग करेगी तथा जैसा कि पहले समझा गया था क्या सरकार नमक के निर्यात के साथ अमोनिया के आयात को सम्बद्ध करेगी और यदि ऐसा किया गया तो क्या मीठापुर इस कारखाने के लिये सबसे उपयुक्त स्थान होगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह कार्य के लिये सुझाव है ।

श्री रा० की० अमीन : यह सुझाव नहीं है। क्या सरकार इस नीति को स्वीकार करेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री रा० बरुआ : गत कुछ वर्षों से इस बारे में वाद-विवाद चल रहा है कि क्या तरल अमोनिया को उर्वरक बनाने के लिये उपयोग किया जाय या नेफ्था को किया जाय और इसी कारण उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। हमें यह निश्चितरूप से मालूम है कि भविष्य में हमारे देश में नेफ्था कम मात्रा में उपलब्ध होगा तथा दूसरी ओर विदेशों में तरल अमोनिया बहुतायत से पाया जाता है। अतः क्या सरकार निश्चित निर्णय करके आसान शर्तों पर तरल अमोनिया प्राप्त करके उर्वरक का उत्पादन करने की अनुमति देगी तथा टाटा उर्वरक का उत्पादन घटने से रोकेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है कि सरकार ईरान से सहयोग करके अमोनिया का उत्पादन करने के बारे में सहमत है। इसके उत्पादन का अधिकतर भाग उर्वरक कारखानों के उपयोग के लिये मंगाया जायगा। जब तक इस संयुक्त उपक्रम की स्थापना होगी तब तक के लिये सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि वह ईरान के वर्तमान कारखानों में उत्पादित होने वाले अमोनिया का भारतीय खरीदारों द्वारा आयात किये जाने के बारे में भी सुविधा होगी।

श्री समर गुह : हमारे देश में कुल कितने अमोनिया की आवश्यकता है, विदेशों से कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाता है तथा स्वयं अपने देश में इसका कितनी मात्रा में उत्पादन होता है। क्या सरकार बतायेगी कि उसने देश को अमोनिया के बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या योजना बनाई है ? क्या यह सच है कि धनबाद ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोयले से अमोनिया बनाने के बारे में एक तरीका निकाला है तथा संस्थान ने इस योजना को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : कोयले पर आधारित कारखानों के बारे में मैं सदन में कई बार निवेदन कर चुका हूं कि सरकार के विचाराधीन इस बारे में तीन परियोजनाएं हैं, एक की स्थापना रामगुण्डम में करनी है, दूसरे की उड़ीसा राज्य के तेलचर में तथा तीसरी की मध्य प्रदेश कोरबा नामक स्थान में। इन तीनों परियोजनाओं पर सरकार विचार कर रही है।

जहां तक तरल अमोनिया के आयात का सम्बन्ध है.....

श्री समर गुह : माननीय मंत्री पहले देश की कुल आवश्यकता बताएं.....

श्री दा० रा० चह्वाण : तरल अमोनिया पर आधारित जितने कारखाने होंगे, उनके अनुसार ही आवश्यकता का पता लगेगा।

इस समय आयातित तरल अमोनिया पर तीन परियोजनाओं को आधारित करना है,

एक विशाखापतनम जो आक्सीडेंटल्स की है, दूसरी मीठापुर में है तथा तीसरी पारादीप में है। जहां तक मीठापुर की परियोजना का सम्बन्ध है, उसकी सात साल की अवधि के लिये 12.5 लाख टन की आवश्यकता है। आक्सीडेंटल्स की आवश्यकता के आंकड़े मुझे याद नहीं हैं तथा पारादीप की आवश्यकता के लिये लगभग 100,000 टन अमोनिया का आयात करना है।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने मेरे धनबाद के बारे में पूछे गये अन्तिम प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है। धनबाद ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोयले से अमोनिया बनाने के बारे में एक पद्धति का विकास किया है तथा संस्थान ने उस योजना को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं इस योजना का उल्लेख कर चुका हूं। इस योजना को कोयले पर आधारित गैस बनाने वाली योजना कहते हैं। मैं निवेदन कर चुका हूं कि तीन परियोजनाएं हैं जिनको कोयले से प्राप्त गैस पर आधारित.....

श्री समर गुह : मुझे यह सम्बद्ध व्यक्तियों से ज्ञात हुआ है तथा वे कहते हैं कि यद्यपि हमने एक ऐसी पद्धति निकाली है जिससे देश में ही अमोनिया का उत्पादन किया जा सकता है किन्तु सरकार फिर भी विदेशों से इसका आयात करती है। सरकार ने इस तरीके के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कब तक इसी प्रकार बहस करते रहेंगे ? माननीय मन्त्री कहते हैं कि वह प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं तथा उससे सभा पूर्णतः संतुष्ट हो चुकी है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पारादीप में अमोनिया पर आधारित कारखाना खोलने के लिये किस पार्टी को लाइसेंस दिया गया है ? क्या चालू वर्ष अर्थात 1969-70 में ही अमोनिया का आयात आरम्भ हो जायेगा और यदि हां, तो उर्वरक के उत्पादन की मात्रा क्या होगी तथा वर्ष 1970-71 के अन्त तक क्या स्थिति होगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं निवेदन कर चुका हूं कि आयातित अमोनिया पर तीन कारखानों को आधारित करना है तथा अमोनिया के आयात के बारे में विचार किया जा रहा है। पारादीप के कारखाने को साहू जैन ने प्रायोजित किया है और यह परियोजना भी आयात से प्राप्त अमोनिया पर आधारित है।

देश में उर्वरक के सम्भावित उत्पादन के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार अधिष्ठापित क्षमता लगभग 37 लाख टन निर्धारित की गई है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात वर्ष 1973-74 तक 30 लाख टन अमोनिया के उत्पादन की सम्भावना है। सम्भावना है कि 1973-74 तक लगभग 7 लाख

टन अमोनिया की कमी पड़ेगी क्योंकि उपभोग की मात्रा लगभग 37 लाख टन होगी जबकि उत्पादन केवल 30 लाख टन अमोनिया का ही होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया । अब अल्प सूचना प्रश्न लेना है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था । जो कि विधि उप-मंत्री के आचरण से सम्बन्धित था । उसका उत्तर अवश्य मिलना चाहिये था । आपने सरकार को इस सवाल से बचा दिया ।

श्री बलराज मधोक : हमने आप से बार-बार यह निवेदन किया है कि नित्य कम से कम 10 प्रश्नों को लिया जाय । किन्तु पिछले सप्ताह से यह देखा जा रहा है कि केवल 4 या 5 प्रश्न ही पूरे हो पाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं किन्तु इस बारे में माननीय सदस्यों को अध्यक्ष पीठ से सहयोग करना चाहिये ।

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मंत्रियों को ईमानदार तथा स्पष्ट वक्ता होना चाहिये ।

Shri Rabi Ray: The Hon. Members of the Party in power do not co-operate with the Chair. We are helpless.

Shri Kanwar Lal Gupta: You have given an opportunity to the Government not to answer that question.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने प्रधान मंत्री को बचा लिया है । यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसका उत्तर मिलना ही चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अल्प सूचना प्रश्न लेते हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Fire at the Hindustan Housing Factory Ltd., Delhi

\+

1. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
   Shri Yajna Datt Sharma:
   Shri S. K. Tapuriah:

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some employees of the Hindustan Housing Factory Ltd., Delhi set fire to the Factory on the 2nd July, 1969 ;

(b) if so, the causes of the incident ; and

(c) the steps taken by Government to accede to the legitimate demands of the employees and to punish the rioting employees of the Factory?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई दर पर महंगाई भत्ते को अदायगी के लिए, कम्पनी के कर्मचारियों की मांग आने पर, कर्मचारियों और प्रबन्धकों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। यह विवाद दिल्ली प्रशासन द्वारा जनवरी, 1967 में औद्योगिक अधिकरण (ट्रीब्यूनल) को निर्णय के लिए भेजा गया और अभी तक न्यायाधीन है।

महंगाई भत्ते के लिए अपनी मांग मनवाने के लिए, लगभग अप्रैल, 1969 से कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में पारी के दौरान अपने कार्य-स्थान से अपने आप को अनुपस्थित करना आरम्भ कर दिया। पेमेन्ट आफ वेजिज एक्ट के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धकों ने ऐसी अनुपस्थिति के लिए मजूरी में कटौती लागू की।

2 जुलाई, 1969 को फैक्टरी के सामने, गेट पर हुई सभा के बाद कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के एक बड़े समूह ने फैक्टरी परिसर में जबरदस्ती प्रवेश किया और यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने आगजनी तथा अन्य अपराधात्मक कार्य किये। परिणामस्वरूप, कम्पनी को 2 लाख से कुछ अधिक की हानि उठानी पड़ी।

आरोप लगाये गये अपराधियों में से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमे चलाने का प्रश्न विचाराधीन है। महंगाई भत्ते के प्रश्न पर सरकार को स्वाभाविक रूप से कानूनी तथा अधिनिर्णय की कार्यवाही के परिणामों की प्रतीक्षा अवश्य ही करनी है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: This incident, so far as the disputes between our employees and Managers of our industries are concerned, is a very serious matter. The Hon. Minister has not laid the emphasis on this point which it needs. This factory yielded a profit of Rs. 6,77,000 during 1966-67 and the employees were given 19.13% bonus and during 1967-68 the yield was Rs. 19,53,000 but the bonus given was only 6½%. Why is it that when the income has risen three fold, the bonus has been reduced to one-third.

Second, when the factory belongs to centre, why are the employees not being paid dearness allowance @ Central Government rates.

Third, the deduction of 2 days pay from the employees in an arbitrary matter without any notice and no efforts were made to discuss the matter with the employees.

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): Regarding the first question the fact is that there are two groups of the employees. We settled with one group and the other group went to the Court of Law and the settlement was not agreed to. We have received a letter from Shri Sashi Bhushan that he is trying to persuade the groups for an accord. There is no dispute regarding Bonus... **(Interruption)** but there is a dispute regarding dearness allowance.

Shri Raghuvir Singh Shastri: When the factory belongs to the Central Government, why is it that the employees are not being paid dearness allowance at Central Government rates?

Shri K. K. Shah : This dispute started in 1961 and the matter was referred for adjudication, wherein it was decided that they would not claim dearness allowance @ Central Government rates and this is a engineering factory and as such the rules for Engineering factories would apply to them. Accordingly, we agreed to give interim allowance as suggested by Inspector of factories. But the employees view was that they should be given D. A. admissible to Central Government employees. So we referred the matter for adjudication again.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is it a fact that the first shift ended peacefully and thereafter a meeting of employees was held wherein some employee clearly misguided the workers to do looting and arson ? Is it also true that when the fire brigade arrived it was stoned and it was prevented from entering the premises. It was with great difficulty that police could bring it in. Whether some police constable and officers were also injured there ? If so, how many ? Whether the loss of Rs. 2 lakhs include the cost of factory and the vehicles set on fire ? Will the Government give some compensation for that ? How many persons have been arrested and whether there are outsiders as well in the union ?

Shri K. K. Shah : The way the Hon. Member put questions indicate that he knows all the details. You know, that Shri R. D. Jain is an outsider. We have never stressed that outsiders would not work in the unions, so it is no use taking it up here. Efforts are being made to end the dispute. Any statement made here in this connection may prolong the dispute. The loss of Rs. 2 lakhs does not include the cost of vehicles set on fire. According to Payment of Wages Act Cl-18-B the deduction of pay is permitted. Shri R. D. Jain has complained against it. Thereafter it was decided that the action taken was in order. I want to give some other figures. In January 15 workers were absent, in February 37, in March 34, in April the figure rose to 363, in May 392, in June 272. Even then the amount deducted in June was Rs. 215/- and in no case the deduction was more than Rs. 10/-. In April and May the deduction from 15 persons was Rs. 21/- against a pay of Rs. 145.

Shri Yajna Datt Sharma : I want to know the number of employees of Delhi Housing Factory, category-wise.

(2) The particulars of pay and allowances of those employees category-wise.

(3) What is the difference between pay and allowances of the employees of this factory and that of the employees of other Central Government undertakings, works and projects ?

Shri K. K. Shah : There is only one factory with which there can be comparison regarding the wages. A mechanic in this factory gets Rs. 261/- whereas one in National Building Construction Corporation mechanic gets only Rs. Rs. 175/-.

Shri Surendra Nath Dwivedy : Has not NBC been abolished as yet ?

Shri K. K. Shah : No, Sir. It still exists. The comparison is very exhaustive and if you like I can place the complete information on the Table of the House.

Shri Randhir Singh : I cannot understand the burning of property, particularly in Delhi, merely for not getting dearness allowance or the bonus. Who is responsible for this burning of property. Whether the management, or the outside people or the labour leaders are responsible for it, should be thorougly investigated. There is no question of compromise for curbing this type of violence in Delhi which gives a bad name to the whole country. What concrete steps the Government propose to take in order to prevent recurrence of such violent incidents in Delhi ?

Shri K. K. Shah: At present the matter is sub-judice and, therefore, I do not want to make any statement. The dispute will be solved in accordance with the court proceedings. The Government do not intend to withdraw the case from the court.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कार्य की शर्तों, वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त प्रशासन कक्ष को किसी निहित स्वार्थी व्यक्ति द्वारा जला दिया गया क्योंकि वहां संगम पार्क तथा अन्य स्थानों के विरुद्ध शिकायतें पड़ी थीं। मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वहां कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराई गई थी, जिन्होंने 1967 तथा 1969 में धन कमाया था।

क्या यह सच है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए संगम पार्क के विवरण वाली सारी मिसिलें जला दी गई ? यदि हां, तो क्या इसकी न्यायिक जांच कराई जायेगी ?

श्री के० के० शाह : इस बारे में भारत सरकार ने एक तकनीकी समिति बैठाई थी जो विस्तारपूर्वक मामले की जांच के पश्चात इस निर्णय पर पहुंची कि भवन किसी विशेष व्यक्ति की भूल के कारण, अथवा घटिया दोषयुक्त सामग्री के कारण नहीं गिरा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि प्रशासन कक्ष इसलिए जला दिया गया था क्योंकि इसमें वे मिसिलें थी। क्या वे मिसिले सुरक्षित हैं ?

श्री के० के० शाह : मिसिले सर्वथा सुरक्षित हैं।

Shri Prem Chand Verma: This is a very serious incident over 3000 crores of rupees has been spent on public sector undertakings. If the employees of one such undertakings burn Government property and Machinery in order to get their grievances redressed, it is really a pity. I hope the Hon. Minister and the Prime Minister would undertake such strong steps that this type of incident may not occur again. I have every sympathy for the labour. I feel that the well-wishers of the labour will have to seriously consider that how far loss of property by the labour can be tolerated.

In this regard, I want to know from the Hon. Minister whether he would consider that the pay-scales in all the undertakings under a Ministry are uniform ?

(2) Whether the employees of the Housing undertaking had given any Memoranda containing any complaint ? If so, the Hon. Minister may please give its details (**Interruption**). The opposition members want to irritate the labour.

(B) The Hon. Minister may please give an assurance that if the persons who were arrested want some sort of compromise, he would not agree to it. That those arrested on the charge of setting fire to public property would not be letout and the Government would not hesitate on instituting a ease.

Shri K. K. Shah: I share the responsibility with the Hon. Member. This factory earns money. It awards bonus. The dispute is on the matter of grant of dearness allowance alone. I mentioned compromise on that matter.

So far as the cases are concerned, I never mentioned of any intention for compromise. The police is enquiring into the matter and the result of the findings would have to be faced by the employees who are at fault.

There has been a settlement in regard to wages which I am to place on the Table of the house shortly.

श्री म० ला० सोंधी : इस गम्भीर घटना पर अधिक चिन्तनमय विश्लेषण की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय को समझौता वार्ता में परेशान नहीं करना चाहता। परन्तु मैं चाहूंगा कि प्रश्नों के रूप में कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालूं। क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर गया है कि यह कार्यकर्त्ताओं एवं प्रबन्धकों का पारस्परिक अविश्वास ही था जिसने, ईमानदार सीधे-साधे, सद्भावना रखने वाले कार्यकर्त्ताओं को इतने लज्जास्पद कार्य करने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने फैक्टरी को आग ही लगा दी जबकि हमारे साथी भीतर कार्य कर रहे थे ? इस पर सरकार की प्रक्रिया सामाजिक स्थिति की वास्तविक समझते हुए कार्यकर्त्ताओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण तथा प्रबन्धकों की कठिनाई को समझने की न होकर पुलिस को जुलम की छूट देने की ओर आवृत्त हुई। मेरे पास प्रमाण है कि उन कार्यकर्त्ताओं के परिवारों को एक महीने से तंग किया जा रहा था। पुलिस उनके घरों में घुसकर उन्हें धमकाती रही थी। क्या मंत्री महोदय श्रममंत्री के साथ बैठकर मामले को सही रूप में देखने का प्रयत्न करेंगे ? क्या उनका प्रस्ताव कार्यकर्त्ताओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का है ? क्या वे भोले-भाले स्त्री-बच्चों को तंग करने की घटनाओं को, यदि उनको विदित हैं, रोकेंगे और यदि विदित नहीं है, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए लज्जा की बात है।

श्री के० के० शाह : मेरे मित्र कभी-कभी शब्दों पर अधिक जोर देते हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि फैक्टरी का कार्य ठीक रूप से चालू हो गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : निलिम्बित किए गये अनेक व्यक्तियों की स्थिति क्या है ?

श्री म० ला० सोंधी : यदि आप श्री बर्मा के निदेशों पर चलना चाहते हैं तो उन्हें आतंकित करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चंगेज खां के मार्ग पर न चलें।

श्री के० के० शाह : जब मैं आपके संकेत पर चलता हूं तब आपको आपत्ति नहीं। जब मैं उनके संकेत पर चलता हूं तब आप आपत्ति कैसे कर सकते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : मैं आपका शुभ चिन्तक हूं परन्तु वे आपके प्रतिस्पर्धी हैं :

श्री के० के० शाह : यदि परिवारों का पीछा किया जाता तो फैक्टरी सामान्य रूप से चालू न हो पाती। पुलिस जांच कर रही है उसे मैं नहीं रोक सकता। फिर भी मैं दोनों दलों के मतभेदों को दूर कराने का यत्न कर रहा हूं जिससे कि महंगाई भत्ते का मामला तय कर दिया जाये।

Shri Chandrajeet Yadav : Will the Hon. Minister please intimate that the persons who tried to set fire to the factories, where by the property of the factory and the life of the workers was endangered, would be dealt with severely. There may be certain innocent persons who might have been entangled by the police. Will the Government take care and appoint a high police officer to investigate the matter so that innocent persons are not harassed ?

Secondly, may I know whether efforts will be made by the management to improve the labour relations which had been bedevilled for quite some time by trivial disputes? What steps Government propose to take to restore normal facilities to the labour and for bringing to book the officers indulging in unnecessary harassment of the labour, let alone the question of granting dearness allowance to them?

Shri K. K. Shah : It is for this reason that I placed the figures here. The information given to you is not correct since the number of absentee employees in January February & March was 15, 37 and 34 respectively. The number of absentees is not usual considering the size of the factory with a strength of 1800 workers. The number of absentees started increasing from April when it became 363. In May it rose to 392 and in June came to 276. Had the labour reations not been good, it would not have been put in operation again.

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that this incident was an unparolled one in the history of labour management relations as is borne out by the press reports that 100 persons were completely shut up due to the fire and that abortive attempts were made to foible the Fire Brigade efforts to fight the flames and to check the police from having access to the spot, may I know whether considering the magnitude of the incident the whole dispute centred round the dearness allowance only which you have related so lightly or it emanated from the tussle for leadership between the two contending groups of labour?

Shri K. K. Shah : I was trying to evade, but now that you have put a specific question, I must say that it all happened due to the scramble for leadership....

Shri Kanwar Lal Gupta : This fire was ignited by the Congressmen. (**Interruptions**)

Shri K. K. Shah : It will be hazardous for the Hon. Member to make such a statement outside. Shri Shashi Bhushan was doing good work....

Shri Kanwar Lal Gupta : It is the Congressmen who ignited the fire and who is now facing prosecution.

Shri K. K. Shah : Efforts were made to struck work from 2.30 on the 1st, but at 9.00 P. M. a dispute arose between them and our Welfare Officer and the same was resolved. On the other hand, it is also correct that the impassioned speeches made after 1.00 had a damaging effect. I have got the names of those four persons and they are Shri K. L. Sethi, Shri Mangal Singh, Shri R. N. Tiwary and Shri R. D. Jain. The facts given by Shastriji are correct. It is true that but for the timely arrival of the police, our employees in a room on the upper storey would have met a gruesome tragedy. It is also true that they were put under restraint and the Fire Brigade was detained for about 10 minutes. Supply of water was also inordinately delayed.

श्री ज्योतिर्मय बसु : विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हमारी जानकारी यह है कि यह सारी गड़बड़ घटिया सीमेंट के प्रयोग पर हुई। मंत्रालय द्वारा जांच कराई गई थी और उसके बाद यह देखा गया कि घटिया सीमेंट से उनकी इमारत को काफी क्षति पहुंची है। घटिया सीमेंट के उपयोग को दिखाने वाले कागजात को खत्म करने के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के प्रबन्धगण ने इमारत को आग लगाकर समाप्त कर दिया है। क्या मंत्री महोदय एक न्यायायिक जांच करायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री के० के० शाह : यह कथन सही नहीं है । सारी फाइलें उपलब्ध हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा । मैं यह आश्वासन दे सकता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : न्यायिक जांच कराने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री के० के० शाह : ज्योंही हमारे सामने आरोप आये हमने उनकी जांच करने के लिये एक सीमित नियुक्त की और वे आरोप सही सिद्ध नहीं हुए हैं । फिर न्यायिक जांच किस लिये ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप डरते क्यों हैं ?

श्री के० के० शाह : मामले अनिर्णीत पड़े हैं । (**व्यवधान**)

Shri Sheo Narain : In the first place may I know whether this factory is insured or not ; secondly, whether any housing facilities have been made available to the workers of this factory ? May I also know the names of the officers who blocked the entry of the Fire Brigade and the action taken against them ?

Shri K. K. Shah : The factory is running nicely and earning profits. There is no ground for worry. The factory is always insured. I should not like to hazard any opinion at this juncture when the matter is **sub-judice.**

Shri Balraj Madhok : May I know whether Government propose to hold a proper enquiry into this incident, in view of the fact that there are two factions of labour in this factory, one supported by the management and the other opposed by them and also to check the veracity of the allegation made by the opposition faction the building was set on fire and violence let loose by the hirelings ?

May I know whether it is a fact that no notice or warning had been given before making any deductions from the pay of the employees and that when the employees wanted to see the General Manager, the later refused to see them, that when trouble was there outside, the General Manager was inside; if so, whether it was not his duty to come out and talk to the workers ? Is it not a fact that the General Manager is incompetent and unfit to deal with this matter ? In view of the Governments tall talk about nationalisation, socialisation etc. may I know the number of houses constructed for the 1800 workers of this Housing Factory ?

Shri K. K. Shah : The Hon. Member stated that the Management is giving encouragement to one section and that the other section is against the management. At present Shri R. D. Jain is their leader. Had it been so, we would not have tried to bring about a rapprochement. It is good that the solution is being found out. If the Hon. Member can give even the slightest proof of the alleged discrimination on our part I can assure him of a proper enquiry. But I feel that the management does not want this because the more the production, the more the profit. There is no good in broiling a dispute.

Shri Balraj Madhok : It can be your consideration but not of your management. Why are you afraid of an enquiry. If your case is tenable, hold a court enquiry, let the facts come out.

Shri K. K. Shah : There is no question of enquiry ; you give me the proof.

यदि आप मुझे इस मामले में पांच प्रतिशत भी संतुष्ट कर दें तो मैं जांच कराने के लिये तैयार हूं क्योंकि मैं शांति चाहता हूं । बोनस के बारे में झगड़े का कोई प्रश्न नहीं है । झगड़ा मंहगाई भत्ते के बारे में है । यदि महंगाई भत्ते का मैं प्रश्न हल कर दूं तो कोई और झगड़ा नहीं रहेगा । यदि कोई अन्य प्रश्न होते तो मैं जांच के लिये तैयार हो जाता । यदि आप मुझे एक भी उदाहरण दें जो महंगाई भत्ते से भिन्न किसी प्रश्न से सम्बन्धित हों तो मैं जांच के लिये तैयार हूं ।

Shri Balraj Madhok : My second question was about housing facilities.

Shri K. K. Shah : That I cannot tell off hand.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लखनऊ के भार्गव ब्रदर्स के बारे में आयकर विभाग से सम्बन्धित फाइल

*154. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण .
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि लखनऊ के भार्गव ब्रदर्स के बारे में आय-कर विभाग से सम्बन्धित फाइल विधि मंत्रालय में कैसे पहुंची ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख): इस मामले की छानबीन की गयी है । पहले मौके पर इस फाइल को विधि मंत्रालय को किन परिस्थितियों में भेजा गया था इसका कोई निर्णयात्मक प्रमाण नहीं है । परिस्थितियां कुछ भी रही हों, तथ्य यह है कि इस मामले में निर्णय कानून के अनुसार और महा न्यायवादी की राय से किया गया है ।

दिल्ली में पटरियों पर सोने वालों के लिए रैन बसेरे

*155 **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने बेघर व्यक्तियों को पटरियों पर रहना पड़ता है ; और

(ख) क्या उनकी कठिनाई कोई दूर करने के लिये अधिक रैनबसेरे स्थापित करने के लिये कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जनवरी, 1966 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 5,000 व्यक्ति पटरियों पर सोते पाये गये ।

(ख) पहिले ही से बनाए गए स्थाई तथा अस्थाई रैन-बसेरों में 5,060 व्यक्तियों के लिये स्थान है । तथापि, इनमें सर्दियों में 2,700 तथा गर्मियों में 600 व्यक्ति औसतन रहते हैं । यदि मांग न्यायसंगत हुई तो और अधिक रैन बसेरे स्थापित किये जायेंगे ।

Production of Copper and Aluminium

*156. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the extent to which the production of copper and aluminium is less than our requirements during the current financial year; and

(b) what will be the position in this respect at the end of the Fourth Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) During the current financial year production of copper is estimated to be less than our requirement by about 75,300 tonnes while in the case of aluminium the shortfall is likely to be marginal.

(b) At the end of the Fourth Plan self-sufficiency is expected to be attained in the case of aluminium. In the case of copper the shortfall is likely to be of the order of 74,000 tonnes per annum.

Payment of Royalties for Extraction of Metals and Minerals from Mines

*157. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that metals and minerals like gold, iron, copper, brass and coal are extracted from mines in various parts of the country ;

(b) whether it is also a fact that royalties are paid to the persons in whose land these mines are located ; and

(c) if so, the quantity of each type of mineral extracted from mines during the year 1968-69 and the amount of royalties paid and if no mineral was extracted during this year, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Ores of gold, iron, copper and mineral coal are extracted from mines located in various parts of the country. Brass is an alloy and the question of its extraction from a mine does not arise.

(b) Royalty is payable to the State Government or the person owning the sub-surface rights (i.e. mineral rights) and not to the owner of the surface rights.

(c) During the year 1968-69, the production of gold, copper, iron, coal and lignite was as follows:

Gold		3,609 Kilograms
Copper ore		4,73,832 tonnes
Iron ore	..	2,83,57,000 tonnes
Coal		7,04,19,000 tonnes (approximately)
Lignite	..	39,86,407 tonnes

Information in regard to the amount of royalty on these minerals is being collected and will be laid on the Table of the House.

धर्मार्थ न्यास

*158. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्थाओं को धर्मार्थ न्यास घोषित करने के बारे में सरकार की क्या नीति है और किसी संस्था को धर्मार्थ संस्था अथवा न्यास की श्रेणी में रखे जाने के लिये किन-किन शर्तों को पूरा करना होता है ;

(ख) ऐसे धर्मार्थ न्यास अथवा ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है जिन्हें आयकर के भुगतान से छूट मिली हुई है और जो बड़े उद्योग समूहों द्वारा चलाये जाते हैं ;

(ग) इन धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं की आस्तियां क्या हैं ; और

(घ) क्या इन न्यासों के कार्यसंचालन के बारे में जांच पड़ताल की गई है और यदि हां, तो क्या कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के साथ पठित धारा 11 में वे उपबन्ध दिये गये हैं जिनके अधीन किसी संस्था को धर्मार्थ न्यास के रूप में घोषित किया जा सकता है ; तथा साथ ही संस्थाओं के इस प्रकार घोषित होने की पात्रता के लिये शर्तें भी उन्हीं धाराओं से शासित होती हैं ।

(ख) और (ग). एक व्यापक किस्म के प्रश्न के आधार पर इस प्रकार का ब्योरा देना सचमुच ही कठिन है । आदरणीय सदस्य जिन न्यासों और औद्योगिक गृहों के बारे में जानना चाहते हैं उनके ब्योरे देने की यदि वे कृपा करें तो वांछित सूचना इकट्ठी की जा सकती है ।

(घ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के अन्तर्गत आयकर से छूट देने के पहले, धर्मार्थ न्यास को एक शर्त यह पूरी करनी होती है कि उसकी आय कम से कम 75 प्रतिशत, वास्तविक रूप से, भारत में धर्मार्थ कार्यों में खर्च किया जाता है । प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आदेश जारी किये हैं कि इस सुविधा के लिये मान्यताप्राप्त न्यास इस धारा की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं अथवा नहीं, इस बात की जांच करने के लिये आयकर आयुक्त नियतकालिक समीक्षा करते रहें ।

केन्द्रीय अध्ययन दल का राजस्थान का दौरा

*159. **श्री समर गुह :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
डा० सुशीला नैयर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री गं० चं० दीक्षित :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री शशि भूषण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस केन्द्रीय अध्ययन दल ने जिसने राजस्थान में अकाल की स्थिति का मौके पर जाकर अध्ययन करने हेतु राजस्थान का दौरा किया था, अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय अध्ययन दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ; और

(ग) राज्य सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय अधिकारियों के एक दल ने सूखे की स्थिति की समीक्षा करने के लिये और चालू वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले विभिन्न राहत कार्यों के लिये धन की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये 21 जून से 24 जून तक राजस्थान की यात्रा की। जैसे ही इस दल को राज्य सरकार से कुछ और तथ्य आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, वैसे ही यह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा।

(ग) केन्द्रीय दल को दिये गये ज्ञापन में, राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि चालू वर्ष में सूखे से सम्बन्धित विभिन्न राहत कार्यों पर लगभग 25 करोड़ रुपया खर्च होगा।

सूखे से सम्बन्धित राहत कार्यों पर खर्च के लिए अब तक 9.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को दी जा चुकी है। खर्च को देखते हुए और केन्द्रीय दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाएंगी उनके अधीन रहते हुए आवश्यकतानुसार आगे और सहायता दी जायगी।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली के कर्मचारियों की मांग

*160. **श्री बलराज मधोक :**
श्री के० रमानी :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी दिल्ली में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) इस फैक्टरी के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों का श्रेणीवार ब्योरा क्या है और दिल्ली संघराज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों तथा परियोजनाओं के अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों की तुलना में इनके वेतन और भत्ते कैसे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों की प्राप्ति के लिये काफी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) फैक्ट्री में कर्मचारियों की कुल संख्या 1462 है, जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(I) कुशल		
(i) मुख्य कारीगर	...	31
(ii) प्रथम श्रेणी के कारीगर	...	189
(iii) द्वितीय श्रेणी के कारीगर	...	255
(II) अर्ध-कुशल	...	492
(III) अ-कुशल	...	454
(IV) साइट वर्कर्स	...	41

(ख) न्यूनतम मजूरी का ब्योरा जिसमें फैक्ट्री के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई, नगर प्रतिकर तथा आवास किराया भत्ता शामिल है, निम्नांकित है :

(I) कुशल :		
(i) मुख्य कारीगर	...	261 रुपये प्रतिमाह
(ii) प्रथम श्रेणी के कारीगर	...	215.50 रुपये प्रतिमाह
(iii) द्वितीय श्रेणी के कारीगर	...	152 रुपये प्रतिमाह
(II) अर्ध-कुशल	...	135 रुपये प्रतिमाह
(III) अ-कुशल	...	130.50 रुपये प्रतिमाह
(IV) साइट वर्कर्स	...	भवन-निर्माण उद्योग के संबंध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली प्रशासन के द्वारा निर्धारित मजूरी के अनुसार दी जाती है ।

अध्ययन से पता चला है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों

की मजूरी, नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड में जो कि संघ क्षेत्र दिल्ली में उनसे कुछ मिलता-जुलता कार्य करने वाला अकेला सरकारी उपक्रम है, उनके प्रतिरूपों से अधिक है।

(ग) और (घ). अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिये जाने वाली दर पर महंगाई भत्ता देने की मांग पर कर्मचारियों और प्रबंध (मैनेजमेंट) में विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद को दिल्ली प्रशासन के द्वारा निर्णय के लिए इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जनवरी, 1967 में भेज दिया गया। यह अभी तक न्यायाधीन है।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

*161. **श्री द० रा० परमार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या उनके लिये नियत स्थानों की संख्या से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात राज्य में प्रत्येक सरकारी उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों की इस समय श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक उपक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा, समय-समय पर सरकारी उद्यमों को इस प्रकार की हिदायतें दी जाती रही हैं जिनमें उनसे कहा गया है कि वे उद्यम भी अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों को उसी प्रकार अंगीकार करें जिस प्रकार कि वे आदेश केन्द्रीय सरकारी सेवाओं पर लागू होते हैं। उनमें से बहुतों ने इस बारे में जारी किये गये आदेशों को अपना लिया है पर कुछ उद्यमों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने के बारे में सरकारी उद्यमों को निदेश जारी करने की सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है। सरकार यह अनुभव करती है कि सरकारी उद्यमों को इस प्रकार के निदेश न भी जारी किये जायं तो उन्हें अपने यहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

लेकिन जिन सरकारी उद्यमों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे हैं, उन्होंने भी यह सूचना दी है कि समाचार-पत्रों में रिक्तपदों का विज्ञापन देने के बाद भी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में प्रायः उपलब्ध नहीं होते।

(ग) 31 मार्च, 1968 को विभिन्न सरकारी उद्योगों में से हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड,

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग, भारतीय तेल निगम लिमिटेड और माडर्न बेकरीज लिमिटेड के एकक गुजरात में स्थित थे और इन उपक्रमों के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी इस प्रकार है :

	सेवा श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या
हिन्दुस्तान साल्ट्स, लिमिटेड	श्रेणी-एक	1	—
	श्रेणी-दो	3	—
	श्रेणी-तीन	44	4
	श्रेणी-चार (झाड़ूकश सहित)	136	50
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (राजकोट एकक)	श्रेणी-एक	14	—
	श्रेणी-दो	2	—
	श्रेणी-तीन	78	—
	श्रेणी-चार (झाड़ूकश सहित)	41	12
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	श्रेणी-एक	592	5
	श्रेणी-दो	637	7
	श्रेणी-तीन	6824	351
	श्रेणी-चार (झाड़ूकश सहित)	2848	668
भारतीय तेल निगम लिमिटेड (शोधन प्रभाग)	श्रेणी-एक	198	—
	श्रेणी-दो	11	—
	श्रेणी-तीन	1054	12
	श्रेणी-चार (झाड़ूकश सहित)	364	78
माडर्न बेकरीज लिमिटेड	श्रेणी-एक	3	—
	श्रेणी-दो	3	—
	श्रेणी-तीन	30	—
	श्रेणी-चार	34	7

टिप्पणी : ऊपर दी गयी सूचना केवल गुजरात राज्य में स्थित एककों के बारे में ही है ।

रांची में बाक्साइट के निक्षेप

*162. **श्री कार्तिक ओरांव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार राज्य में रांची जिले में लोहारडागा के समीप

बागर पहाड़ी में बाक्साइट अयस्क के बड़े निक्षेप हैं;

(ख) यदि हां, तो इस खान से कुल कितना बाक्साइट प्रति वर्ष निकलता है;

(ग) देश में बाक्साइट के कुल उत्पादन की तुलना में इसका उत्पादन कितने प्रतिशत है; और

(घ) इस क्षेत्र में जहां बाक्साइट उपलब्ध है, अल्मोनियम का कारखाना न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) 1968 वर्ष के दौरान बागर पहाड़ी खान से कुल उत्पादन 214,715 मैट्रिक टन था ।

(ग) खान का उत्पादन 1968 के दौरान सारे भारत के उत्पादन का 22.9 प्रतिशत था ।

(घ) निक्षेप इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी के पट्टे में सम्मिलित है और बिहार के रांची जिले में स्थित कम्पनी के मुरी एल्यूमिना संयंत्र का पोषण करता है । इस संयंत्र में उत्पादित एल्यूमिना का उपयोग कम्पनी के उड़ीसा में हीराकुड तथा केरल में एल्यूपूरम स्थित प्रद्रावकों में एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिये किया जाता है । लोहारदागा क्षेत्र में एल्यूमिनियम प्रद्रावकों की स्थापना न कर पाने का कारण सस्ती बिजली का उपलब्ध न होना है, जो कि एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिये अत्यंत आवश्यक है । खेत्र में पर्याप्त संचार व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं की भी कमी है ।

जाली मुद्रा बनाने तथा मादक औषधियों का अवैध व्यापार करने के विरुद्ध आन्दोलन

*163. **श्री प० मु० सईद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली मुद्रा बनाने तथा मादक औषधियों का अवैध व्यापार करने की बढ़ती हुई बुराई को रोकने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अन्तर्गत एक पृथक एकक स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोजनों के लिये कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है; और

(ग) इस एकक की कार्य प्रणाली क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रभाग की स्वीकृत कर्मचारी संख्या विवरण में दी गयी है ।

(ग) यह प्रभाग नार्कोटिक ड्रगों तथा सिक्कों, सरकारी टिकटों और करेंसी नोटों के जालीपन के अपराधों तथा इनसे संबंधित अन्य अपराधों के बारे में गुप्त सूचना का संग्रह करेगा और भिन्न-भिन्न राज्यों में फैले हुए तथा/अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले गम्भीर मामलों की छानबीन भी करेगा।

विवरण

जाली करेंसी और नार्कोटिक्स प्रभाग के लिये स्वीकृत कर्मचारी संख्या :

1.	अधीक्षक, पुलिस	1
2.	वरिष्ठ सरकारी अभियोक्ता	1
3.	उप अधीक्षक, पुलिस	3
4.	निरीक्षक	6
5.	सरकारी अभियोक्ता	1
6.	उप-निरीक्षक	1
7.	सहायक उप-निरीक्षक	1
8.	हैड कांस्टेबल	1
9.	पैदल सिपाही	18
10.	हैड क्लर्क	1
11.	जालसाजी विशेषज्ञ	1
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	2
13.	निम्न श्रेणी लिपिक	4
14.	वरिष्ठ लिपिक स्टेनो	4

Indian Oil Corporation's Agencies for Petrol and Gas

*164. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Shiv Charan Lal:**
Shri Shiv Kumar Shastri: **Shri Ram Avtar Sharma:**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government are proposing to take some fresh independent decisions in regard to assigning agencies of petrol and gas of Indian Oil Corporation ;

(b) if so, the date by which those decisions would be taken ;

(c) whether Government have received certain complaints in this regard ; and

(d) if so, the details of the results of the investigation made in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chmicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). All agencies of petrol and gas as well as for other petroleum products are awarded by the Indian Oil Corporation, an autonomous body, in accordance with the policies of the Corporation. The Government are not proposing to issue any directive to the Indian Oil Corporation in this regard.

(c) and (d). The complaints received are sent to the Chairman of the Corporation or to the Managing Director (Marketing Division) for necessary action. In some cases, the complaints are also examined by the Government in consultation with the Indian Oil Corporation and a suitable reply sent to the complainants.

Three instances of alleged undue favour during 1964 to 1966 to certain persons in recommending their cases for the allotment of Petrol Pumps in Delhi were investigated by the Special Police Establishment. It was found that no action was justified against any officer of Indian Oil Corporation Limited.

उपरि आसाम में तेल का पाया जाना

*165. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री बेधर बेहेरा :
श्री वी० नरसिम्हा राव :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री विश्वनारायण शास्त्री :
श्री गणेश घोष :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपरि आसाम में डुमडुमा में कुसिजन नामक स्थान पर तेल निकला है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी हां, कुसीजन-2 कुएं का प्रारम्भिक परीक्षण कार्य पूरा हो गया है और कुआं तेल-युक्त पाया गया है ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ से सुरक्षा के उपायों के लिए सहायता

*166. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जि० मो० विस्वास :
डा० रानेन सेन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री देवेन सेन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ से सुरक्षा के कुछ उपायों और मरम्मत के कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार से 8 करोड़ रुपये की राशि मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस राशि का ऋण राज्य सरकार को मंजूर कर दिया है और यदि हां, तो क्या यह राशि मानसून के आने के पहले उसे उपलब्ध हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). 1968 की बाढ़ों के पश्चात पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार से उत्तर बंगाल में 1968 की बाढ़ों से प्रभावित कार्यों के जीर्णोद्धार के लिये 204 लाख रुपये और बाढ़ नियंत्रण कार्यों को पक्का करने के लिये 250 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी। इसमें से, 1968-69 वर्ष के दौरान 137 लाख रुपये की राशि दी गयी थी। इस वर्ष अप्रैल-मई में अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी स्वीकार की गई है। परन्तु इसकी सीमा 146 लाख रुपये की राशि तक होगी।

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 553.36 लाख रुपये की लागत के कार्यों की क्रियान्वित के लिये सहायतार्थ लिखा है जिसमें से 357.36 लाख रुपये मिदनापुर और 24 परगना जिलों में 1968 की बाढ़ों से प्रभावित निकास-कार्यों और तट-बंधों आदि के जीर्णोद्धार और उनको पक्का करने के लिये चालू वर्ष के दौरान अपेक्षित हैं। वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Acute Shortage of Electricity

*167. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of electricity in the country and electricity is provided to different industrial centres in almost all the States by staggering the hours ;

(b) whether the target of electricity fixed for the Fourth Plan has been reduced; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) At present, power shortage conditions are prevailing in the States of Punjab, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Gujarat and Bihar where restrictions in the supply of power have been imposed.

(b) According to the Fifth Annual Power Survey modified by Working Group, the installed capacity at the end of Fourth Plan should be 26 million kW while the Fourth Plan envisages a target of 22 million kW only.

(c) Financial restraint is the only bottleneck for creating additional generating facilities to meet the anticipated demand.

केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

*168. **श्री क० लकप्पा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 3 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 256 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव को रोकने के लिये केरल सरकार को वित्तीय सहायता देने के बारे में सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). 1968-69 के वर्ष के लिए केरल राज्य की वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के हेतु, बाढ़ नियंत्रण और समुद्र कटाव-रोधी कार्यों पर रुपये 75 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ और इस पर धनराशि को ऋण सहायता के रूप में मंजूर किया गया ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1969-70 से प्रारंभ होने वाली चौथी योजना से आगे राज्यों को केंद्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों एवं ऋणों के रूप में दी जायगी जिसको किसी विकास शीर्ष के साथ नहीं बांधा जाएगा । योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि वर्ष 1969-70 में राज्य सरकार के लिए स्वीकृत कुल सहायता का मीजान लगाने के उद्देश्य से, बाढ़ नियंत्रण और समुद्र कटाव-रोधी कार्यों के लिए रुपये 55 लाख के परिव्यय की भी गणना करनो चाहिए । राज्य सरकार को इस परिव्यय में कोई भो परिवर्तन राज्य योजना के अन्तर्गत अन्य विकास शीर्षों को आवंटन के द्वारा करना पड़ेगा ।

इडिक्की पन बिजली परियोजना, केरल

*169 **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार ने केरल में उपद्रव के बारे में जिसके कारण केरल राज्य में कनाडा की सहायता से चल रही इडिक्की पन बिजली परियोजना का कार्य ठप्प हो गया है, चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ;

(ग) क्या भारत में कनाडा के राजदूत इस सम्बन्ध में उनसे मिले भी थे ;

(घ) यदि हां, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई ; और

(ङ) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). इस विषय पर जांच केरल सरकार के परामर्श से की गई थी ।

(ग) और (घ). जी, हां । परियोजना क्षेत्र में श्रमिकों के उपद्रवों को रोकने के प्रस्तावित उपायों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(ङ) मेसर्स 'हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०' तथा श्रमिकों के चारों संघों के बीच समझौता हो गया था । राज्य सरकार ने परियोजना स्थल पर सुरक्षा के प्रबन्धों को पुनर्बलित भी कर दिया है ।

संघर्ष के दौरान बांधों की सुरक्षा

*170. **श्री रविराय :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव श्री ऊथांट से बातचीत के दौरान यह प्रश्न उठाया था कि संघर्ष के दौरान बांधों को अस्पतालों के समान माना जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर श्री ऊथांट की प्रतिक्रिया क्या रही ; और

(ग) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं अन्य सदस्य देशों को यह प्रस्ताव भेजा था और यदि हां, तो इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या रही ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सिंचाई व बिजली मंत्री के इस प्रस्ताव की सराहना की थी ।

(ग) यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। किन्तु इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के महा-सचिव के साथ औपचारिक रूप से उठाने के प्रश्न पर विदेश मंत्रालय का परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है ।

आय-कर अधिकारियों में काम के वितरण की कार्यात्मक प्रणाली

*171. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर विभाग के कुछ केन्द्रों में काम के कार्यात्मक वितरण की योजना को लागू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में योजना के किन गुण-दोषों का पता लगा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को अन्य केन्द्रों में भी लागू करने का है ; और

(घ) कार्यात्मक योजना के दोषों को दूर करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यात्मक-यूनिट प्रणाली से मामलों के निपटान तथा कर-संग्रह में तो सामान्यतः सुधार हुआ है परन्तु साथ ही अपीलीय आदेशों को अमल में लाने, भूल सुधारने, लेखा परीक्षा आपत्तियों पर कार्यवाही करने जैसे विविध कार्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनकी तरफ पहले साधारणतया पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था ।

परन्तु कार्यात्मक प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर विशेष समन्वय तथा नियन्त्रण की आवश्यकता होती है, जिससे कार्यात्मक प्रणाली के ठीक से काम करने का इतमीनान हो सके ।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि कार्य की इस कार्यात्मक प्रणाली को अधिकांशतः ऐसे आय-कर सर्कलों में भी लागू कर दिया जाय जिनमें छः अथवा अधिक आय-कर अधिकारी हों।

(घ) कार्यात्मक यूनिटों के कार्यचालन के उपयुक्त समन्वय तथा नियंत्रण के लिये ब्योरे-वार आदेश जारी किये गये हैं।

उड़ीसा में पारादीप तथा तालचेर में उर्वरक कारखानें

*172. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री स० कुण्डू :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप तथा तालचेर में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसकी कार्यान्विति के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). पारादीप तथा तालचेर में उर्वरक कारखानों की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

रामगंगा (कालागढ़) बांध का निर्माण कार्य

*173. **श्री जागेश्वर यादव :** **श्री इसहाक सामली :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : **श्रीमती इला पालचौधरी :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रामगंगा (कालागढ़) बांध के निर्माण-कार्य आदि के सम्बन्ध में कोटद्वार के हिन्दी साप्ताहिक 'कर्मभूमि' में दिनांक 24 मई, 1969 को प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इन समाचारों में व्यक्त आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) बेकार पड़ी मशीनों को चालू करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात और सीमेंट की तंगी के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही है और वह अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(ग) एक वक्त ऐसा था कि आधारभूत मेंचिंग उपस्कर के प्राप्त न होने के कारण कुछ मशीनों को आवश्यकता से कम इस्तेमाल किया जाता था। इस सम्बन्ध में जो कठिनाई उत्पन्न

हो गई थी, उसे इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन की सहायता से अपेक्षित उपस्कर के सीधे आयात से दूर कर लिया गया था। आशा है कि अब ये फालतू पुर्जे ठीक प्रकार से आते रहेंगे और कम प्रयोग से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की सम्भावना नहीं रहेगी।

Developments of Inter-State Rivers and River Valleys

*174. **Shri J. Sunder Lal:**

Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether a high-level Technical Committee has suggested that the Central Government should have more responsibility for the development of Inter-State rivers and river-valleys;

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken in this regard; and

(c) the other recommendations made by this Committee and the action proposed to be taken by Government in respect of them?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) A detailed study of the practices in other countries is being made. Thereafter this recommendation will be examined in consultation with the State Governments.

(c) A statement showing the action taken on the main recommendations of the Committee was laid on the Table of the House on 21-7-1969 in reply to Starred Question No. 8.

उर्वरकों की कमी

*175. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारत को संभवत: 1970-71 में विभिन्न किस्मों की नाइट्रोजन वाली खाद की 7 लाख टन कमी का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र उर्वरक मिशन के इस प्रतिवेदन की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि भारत में उर्वरक कारखाना पूरा करने में वास्तव में 32 से 40 महीने लगे हैं जब कि सामान्यतया 24 से 30 महीने का समय लगता है ;

(ग) यदि हां, तो इस देरी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) सरकार उर्वरकों की कमी को कैसे दूर करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि 1970-71 में 2.4 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन की अनुमानित आवश्यकताओं और लगभग 1.2 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन के

अनुमानित घरेलू उत्पादन के बीच लगभग 1.2 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन के अन्तर की सम्भावना है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उर्वरक कारखानों के निर्माण की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही ताकि परियोजनाओं की शीघ्र कार्यान्विति में उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की सम्भाव्य रुकावटों को दूर किया जा सके । पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय और अन्य विभागों के अधिकारियों तथा परियोजनाओं के प्रतिनिधियों की एक विशेष समिति बनाई गई है ताकि वह सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण करें और जहां जरूरी हो, औपचारिक कार्यवाही करें ।

(घ) घाटा को यथासम्भव आयात से पूरा करने की आशा है ।

बिहार में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*176. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में मिश्रित (कम्पोजिट) उर्वरक के उत्पादन के लिये एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(ग) इस पर क्या लागत आयेगी तथा इसका अन्य ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं । इस समय कार्यान्वित की जा रही सिन्दरी युक्तिकरण योजना के अलावा, बिहार में मिश्रित उर्वरकों को तैयार करने के लिए किसी नये उर्वरक कारखाने को लगाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिये चिकित्सा अधिकारियों का नियतन

*177. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 7 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन चिकित्सा अधिकारियों का पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिये नियतन किया गया है, उनके नाम क्या हैं और उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या उन चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता हिमाचल प्रदेश में उनके समकक्ष चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता के अनुसार निश्चित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गत ढाई वर्षों से यह निर्णय क्यों स्थगित किया जा रहा है ;

(घ) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में उनके समकक्ष कर्मचारी उनके कनिष्ठ हैं और हिमाचल प्रदेश का प्रशासन उन्हें तदर्थ पदोन्नतियां देकर परिषद् पदों पर नियुक्त कर रहा है जिसके कारण पंजाब से गये वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नतियों के अवसर खराब हो रहे हैं ; और

(ङ) जून, 1969 की समाप्ति तक ऐसी कितनी तदर्थ पदोन्नतियां की गई हैं और ये पदोन्नतियां किन आधारों पर की गई हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1385/69]**

विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों के बारे में पूंजी बाजार की प्रतिक्रिया

*178. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद पूंजी बाजार में क्या प्रतिक्रिया देखी गई है ;

(ख) जीवन निर्वाह सूचक अंक और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें इस समय कैसी हैं ; और

(ग) गत वर्ष इस अवधि में विद्यमान सामान्य आर्थिक स्थिति की तुलना में इस समय आर्थिक स्थिति कैसी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नये पूंजी निर्गमों की राशि में और शेयरों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है।

(ख) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949=100), जो अक्टूबर 1968 में 219 था, उसके बाद गिरना शुरू हो गया। लेकिन मार्च, 1969 के बाद इसमें वृद्धि होनी शुरू हो गई। लेकिन इसके बावजूद, मई, 1969 में, जो कि ऐसा अन्तिम महीना है, जिसका कि सूचक अंक उपलब्ध है, यह 210 था जबकि इसकी तुलना में मई, 1968 में यह 212 था।

(ग) इस समय, सामान्य आर्थिक सम्भावना जुलाई, 1968 की सम्भावना की तुलना में सन्तोषजनक है।

पाकिस्तान के साथ नहरी पानी सम्बन्धी करार

*179. **श्री श्री चन्द गोयल :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री जुगल मण्डल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ किया गया नहर पानी सम्बन्धी करार कब समाप्त हो जायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त करार की समाप्ति के बाद आवश्यकता से अधिक पानी को प्रयोग करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार ने आवश्यकता से अधिक पानी में से अपने जरूरत के लिए पानी मांगा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) और (घ). पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने रावी-ब्यास के फालतू पानी के समुपयोजन के लिए परियोजना प्राक्कलन प्रस्तुत किये हैं । इस विषय पर शीघ्र ही पंजाब और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों से विचार-विमर्श किया जायेगा ।

विवरण

सिंधु जल सन्धि, 1960 के अनुसार भारत 'संक्रान्ति काल' के दौरान पाकिस्तान को रावी ब्यास और सतलज का कुछ पानी देगा । वर्तमान संकेतों के अनुसार यह अवधि 31 मार्च, 1970 को समाप्त हो जायेगी । संक्रान्तिकाल के समाप्त होने के पश्चात भारत को रावी, ब्यास और सतलज से पाकिस्तान को कोई पानी नहीं देना होगा । सतलज का सारा पानी पहले से ही प्रयोग में लाया जा रहा है । ब्यास का पानी इस्तेमाल करने के लिये व्यास नदी पर एक संचय बांध और सतलज में ब्यास का पानी व्यपवर्तित करने के लिये एक परियोजना का निर्माण हो रहा है । रावी के पानी का पूर्ण उपयोग करने के लिये भी उस पर एक संचय बांध बनाना होगा । इस परियोजना की जांच हो रही है । इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर और राजस्थान नहर के पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर सभी पानी भारत में ही पूर्ण रूप से प्रयोग में लाया जायेगा ।

भारत नेपाल व्यापार गिरोह सम्बन्धी पुस्तक

*180. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री मधु लिमये की भारत-नेपाल व्यापार गिरोह सम्बन्धी

पुस्तिका की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच कोई अधिसूचना जारी की है जिसके अन्तर्गत नवम्बर, 1968 में नेपाल द्वारा स्वीकार की गई अधिकतम सीमा से अधिक संश्लिष्ट कपड़े तथा स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं का नेपाल से भारत में निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह अधिसूचना उस विषय पर भारत के स्मरण-पत्र पर नेपाल द्वारा दिये गये उत्तर के पश्चात जारी की गई थी, जिसका उल्लेख वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री ने 1969 के बजट सत्र में किया था ; और

(घ) नेपाल द्वारा स्वीकृत अधिकतम सीमा से कम तथा अधिकतम सीमा से अधिक वस्तुओं में सरकार का किस प्रकार अन्तर करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) 19 मई, 1969 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें यह अधिसूचित किया गया कि नकली धागे के बने कपड़े तथा स्टेनलेस स्टील के उत्पादों के नेपाल से आयात की अनुमति निर्यात नियन्त्रण सम्बन्धी उस व्यवस्था के अनुसार ही दी जायगी जो नवम्बर, 1968 में दोनों सरकारों के बीच तय हुई थी ।

(ग) हमारे 10 अप्रैल, 1969 के स्मरण-पत्र का औपचारिक उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) सीमा स्थित चौकियों पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि नेपाल से ऐसे माल का आयात निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो ।

धागे के काउंट पर उत्पादन शुल्क

1001. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूत के काउंट के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगाने के सिद्धान्त से सरकार को हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सूत के काउंट के आधार पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के बजाय कपड़े के मूल्य के आधार पर उत्पादन शुल्क लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). यह प्रश्न नहीं उठता । परन्तु साथ में यह बात भी है कि उन सूती कपड़ों की कई अधिक कीमती किस्मों के सम्बन्ध में मूल्यानुसार शुल्क निर्धारण का आधार अपनाया गया है जिन पर 1969 के बजट में किये गये परिवर्तनों से पूर्व विशिष्ट दरों पर शुल्क का भार कम था ।

श्री बीजू पटनायक के आयकर का निर्धारण

1002. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक तथा उनके उद्योग समूह का आयकर का निर्धारण किस वर्ष तक पूरा हो गया है ;

(ख) उनकी ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) क्या बकाया राशि वसूल करने के लिये कोई सख्त तरीका अपनाया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) **नाम**	**कर-निर्धारण वर्ष जहां तक के कर-निर्धारण पूरे हो चुके हैं**
1. श्री बीजू पटनायक	1964-65 (इनमें से 1962-63 से 1964-65 तक के कर-निर्धारणों को रद्द कर दिया गया है और कर-निर्धारण वर्ष 1949-50 और 1957-58 से 1961-62 तक के कर-निर्धारणों की कार्यवाही फिर से चालू की गई है। इन सब वर्षों के लिए कर-निर्धारण की कार्यवाही चालू है)।
2. कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट	कर-निर्धारती द्वारा दायर की गई रिट याचिका के कारण अभी तक कोई कर-निर्धारण पूरे नहीं किये जा सके हैं।
3. बी० पटनायक एण्ड कंपनी (प्रा०) लिमिटेड	1968-69. (1958-59 के लिये फिर से चालू की गई कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी चल रही है)।
4. बी० पटनायक माइन्स (प्रा०) लिमिटेड	1964-65. (1959-60 के लिये फिर से चालू की गयी कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी चल रही है)।
5. कलिंग इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड	1964-65. (1960-61 और 1961-62 के लिये फिर से चालू की गयी कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी चल रही है)।
6. कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड	1964-65 (1959-60 से 1963-64 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिये कर-निर्धारण की कार्यवाही फिर से चालू की गयी है/रद्द कर दी गयी है और नयी कार्यवाही चल रही है)।

7. कलिंग एयरलाइन्स (प्रा०) लिमिटेड	1964-65. (कर-निर्धारण वर्ष 1961-62 के लिये फिर से चालू की गयी कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी चल रही है)।
8. कलिंग पब्लिकेशन्स लिमिटेड	कुछ नहीं। 1965-66 के लिये और उसके बाद के वर्षों के कर-निर्धारण होने बाकी हैं।
9. कलिंग कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लिमिटेड	1958-59।

(ख) और (ग). श्री बीजू पटनायक की तरफ 31-3-1969 को आयकर की कोई रकम लेना बाकी नहीं रहती है, इसलिये किसी प्रकार की दबावपूर्ण कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय ऋण

1003. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में विद्यमान सूखे तथा अकाल जैसी स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय ऋणों के एक भाग को बट्टे खाते में डालने की प्रार्थना की थी जिन पर केन्द्र ने विचार करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश को 1968-69 में कितना ऋण दिया गया था ; और

(ग) 1969-70 में केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित ऋण की राशि तथा ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की है कि सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों के लिये उसे जो केन्द्रीय ऋण पहले दिये गये थे उसमें से कुछ रकम बट्टे खाते में डाल दी जाय।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों पर 1967-68 में जो खर्च किया था, उसके लिये उसे 5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था।

(ग) केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिये 1969-70 में सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों के लिये अधिकतम खर्च की सीमा 2.15 करोड़ रुपया निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने अभी तक खर्च की सूचना नहीं दी है, इसलिये वास्तव में अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। जब राज्य सरकार किये गये खर्च की सूचना भेज देगी, तब इस बात का पता चलेगा कि वह ऋणरूपी सहायता के तौर पर कितनी रकम पाने की हकदार है।

सरकार को आन्तरिक ऋण

1004. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि *31 मार्च* 1969 को सरकार पर रुपये में ऋण खजाने की हुंडियां, छोटी बचतें, भविष्य *निधि* आदि समेत कुल कितना आन्तरिक ऋण था और उन पर कुल कितना वार्षिक ब्याज देय है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 31 मार्च 1969 को केन्द्रीय सरकार पर लगभग 102,41.03 करोड़ रुपये का आन्तरिक ऋण था जिसका ब्योरा इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपये में)
(1) रुपया ऋण	39,22,86
(2) राजकोष हुंडियां	23,44,34
(3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और एशियाई विकास बैंक को जारी की गयी विशेष रुपया प्रतिभूतियां	6,87.85
(4) छोटी बचतों की योजनाएं (इनमें इनामी बाण्ड और वार्षिकी-पत्र भी शामिल हैं)	19,11.87
(5) राज्य और लोक भविष्य निधियां	6,97.59
(6) पी० एल० 480 की जमा रकमें	5,81.40
(7) आयकर वार्षिकी जमा	1,35.74
(8) अन्य मदें (इनमें अनिवार्य जमा योजनाओं की रकमें भी शामिल हैं)	59.38
	102,41.03

ब्याज और प्रासंगिक मदों के भुगतान के लिये, चालू वर्ष के बजट में 395.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

प्लास्टिक के निर्माण के लिये कच्चे माल का आयात

1005. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में प्लास्टिक के निर्माण के लिये $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की कीमत का कच्चा माल आयात किया गया था :

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 में किन-किन देशों से आयात किया गया और प्रत्येक देश से कितनी-कितनी कीमत का माल आयात किया ;

(ग) वर्ष 1967-68 में आयात किये गये पुर्जों के नाम और कीमत क्या हैं ;

(घ) हमारा देश आयात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) वर्ष 1967-68 में देश में कुल कितनी कीमत के प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण हुआ ; और

(च) कुल कितनी कीमत के प्लास्टिक उत्पादों का निर्यात किया गया और निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) 1967-68 के दौरान आयात के मूल्यों सहित देश-वार ब्योरा निम्न प्रकार है :

देश का नाम	मीटरी टनों में मात्रा	हजार रुपयों में मूल्य
जापान	9,081	31,778
जर्मन संघीय गणराज्य	5,707	23,539
यू० के० (बर्तानिया)	4,320	19,838
अमरीका	3,723	26,941
इटली	3,087	9,098
हंगरी	643	2,457
यूगोस्लाविया	1,263	3,152
रुमानिया	1,832	4,491
फ्रांस	46	573
अन्य देश	1,773	9,728
कुल	31,475	131,595

(ग) प्लास्टिक के निर्माण के लिए मशीन के पुर्जों का इण्डियन ट्रेड क्लासीफिकेशन में अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता है, इसलिए, यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) वर्तमान और भविष्य मांग को पूरा करने में समर्थ पी० वी० सी०, पोलीथीलीन और पोलीस्टयरीन जैसे मुख्य प्लास्टिक कच्चे माल के देशीय उत्पादन को विचार में रखते हुए, 1969-70 से इन मुख्य कच्चे मालों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है । किन्तु अन्य विशेषित प्लास्टिक कच्चे माल के आयात को जारी रखा जायेगा क्योंकि विशेषीकृत आकार और मात्रात्मक आवश्यकताओं के कारण, जो निर्माण की ऐसी स्कीमों की स्थापना में पर्याप्त न्याय-संगत नहीं है, उनके निर्माण के लिए कोई विशिष्ट स्कीमें तैयार नहीं की गई हैं ।

(ङ) 1967-68 के दौरान देश में तैयार की गई प्लास्टिक वस्तुओं का कुल मूल्य 22 करोड़ रुपये था।

(च) 1967-68 के दौरान देश-वार निर्यात की गई प्लास्टिक वस्तुओं का मूल्य निम्न प्रकार है :

	देश	रुपये
(1)	चैकोस्लोवाकिया	33,21,423
(2)	इराक	14,08,843
(3)	कुवैत	18,65,740
(4)	नाइजेरिया	13,55,715
(5)	सूडान	11,59,103
(6)	थाइलैंड	15,90,983
(7)	यू० ए० आर० (संयुक्त अरब गणराज्य)	74,64,081
(8)	यू० के० (बर्तानिया)	27,87,032
(9)	यूगोस्लाविया	19,05,960
(10)	अफ्रीका	25,17,015
(11)	अन्य देश	81,62,757
	कुल रुपये	3,29,38,652

भारतीय तेल निगम के डिपो पर पुलिस का छापा

1006. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में 15 जून, 1969 तक भारतीय तेल निगम के किसी डिपो पर पुलिस द्वारा छापा मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). पुलिस ने पिछले तीन वर्षों में भारतीय तेल निगम के किसी डिपो (संग्रह केन्द्र) पर, किसी स्टाक/रिकार्ड पर कब्जा करने या किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए छापा नहीं मारा।

भारतीय तेल निगम द्वारा कर्मचारियों को बरखास्त/ मुअत्तिल करना

1007. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 15 जून, 1969 तक गत तीन वर्षों में भारतीय तेल निगम ने कितने अधिकारियों को बरखास्त अथवा मुअत्तिल किया ;

(ख) उन्हें बरखास्त अथवा निलम्बित किये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या कोई अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है और यदि हां, तो मुकदमे का क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है और यदि हां, तो उसके क्या नाम हैं तथा उनको क्या दण्ड दिया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :

(क) मुअत्तिल किये गये अफसरों की संख्या — 7

बरखास्त किये गये अफसरों की संख्या — 2

(ख) **मुअत्तिल करने के कारण :** कम्पनी के आचार नियमावली का उल्लंघन, ड्यूटी का उत्याग, अवैध परितुष्टि, कम्पनी को सम्पत्ति का गलत-हिसाब किताब रखना आदि ।

बरखास्त करने के कारण : जिला कार्यालय को चलाने में अनियमितताएं तथा कम्पनी के स्टाक का गलत-हिसाब-किताब रखना ।

(ग) अभी तक नहीं ।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने एक अफसर अर्थात् श्री पी० एल० दत्ता, विक्रय (सेल्ज) अधिकारी को अवैध परितुष्टि स्वीकार करने पर पकड़ा था और उसे मुअत्तिल किया गया है ।

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा लगाये गये पम्प

1008. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने पिछले तीन वर्षों में वर्ष वार कितने पम्प लगाये हैं तथा इन पम्पों को प्रति वर्ष कितना पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल सप्लाई किया गया ;

(ख) प्रति वर्ष कितने पम्प बन्द हो गये तथा इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या ये वस्तुएं नकद मूल्य पर सप्लाई की गई थीं अथवा उधार के आधार पर ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगाये गये फुटकर तेल

पम्पों की संख्या निम्न प्रकार है :

1966	458
1967	381
1968	621

इण्डियन आयल कारपोरेशन के पम्पों की सप्लाई की गई पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मात्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	पेट्रोल किलो लिटर	हाई स्पीड डीजल आयल किलो लिटर
1966	79880	242845
1967	116507	287831
1968	163761	400300

(ख) पिछले तीन वर्षों में बंद किये गये पम्पों की संख्या निम्न प्रकार है :

1966	6
1967	11
1968	19

इन पम्पों के बन्द किये जाने के निम्न प्रकार हैं :

(1) व्यापारियों की वित्तीय असमर्थता ।

(2) व्यापारी की भारतीय तेल निगम को स्थान, पट्टे पर देने में अनिक्षा।

(3) परिवर्तित प्रतियोगिता शर्तों, व्यापारिक पैटर्न या सड़क समरेखन के कारण मूल स्थानों की अनुपयुक्तता ।

(ग) व्यापारियों को की गई पूर्ण सप्लाई, बिल्कुल नकदी आधार पर थी ।

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि का विकास

1009. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 5 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति 13 मार्च, 1970 तक उसे एलाट की गई भूमि का विकास नहीं कर सकी और विलम्ब के लिए कोई सन्तोषजनक कारण

नहीं बता सकी, तो समिति के अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : निर्धारित समय के अन्दर भूमि के विकास करने में असफल होने की स्थिति में समिति के विरुद्ध जो कार्यवाई सरकार द्वारा की जा सकती है, उसका स्वरूप विलम्ब के लिए उत्तरदायी कारणों पर निर्भर करेगा ।

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों को नियत की गई कालोनियों में सुविधाओं की व्यवस्था करना

1010. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कालोनियों के लिए पृथक-पृथक रूप में कितना-कितना क्षेत्र नियत किया गया, इनमें सम्भावित जनसंख्या कितनी होगी, कितने फ्लैट बनेंगे तथा उनका आकार क्या होगा ; कितने स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केन्द्र, पेट्रोल पम्प स्थापित किये जायेंगे तथा पार्कों तथा खेल के मैदान आदि के लिये कितना क्षेत्र नियत किया जायेगा ;

(i) डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली ;

(ii) गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति ;

(iii) स्टेट बैंक कर्मचारी आवास समिति, दिल्ली ;

(ख) क्या डेरा इस्माइल खां सहकारी समिति के लिए स्कूलों एवं अस्पतालों की संख्या तथा इनके लिए नियत किया गया क्षेत्र तथा निकटवर्ती समितियों को समान उद्देश्य के लिए नियत किये गये क्षेत्र में बहुत अन्तर है ;

(ग) क्या इससे कालोनी में रिहायशी उद्देश्य के लिए नियत क्षेत्र तथा प्लाटों के आकार पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वांछित सूचना अनुलग्नक में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1386/69]

(ख) और (ग). डेरा इस्माइल खां कोआप्रेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी द्वारा दिया गया ले-आऊट प्लान दिल्ली विकास अधिकरण के पास विचारार्थ अनिर्णीत पड़ा है । जब तक यह स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक इस सोसाइटी द्वारा विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं के लिए

नियत किए गए क्षेत्र की अन्य सोसाइटियों द्वारा उसी उद्देश्य के लिए नियत किए गए क्षेत्रों से तुलना करना संभव नहीं है, जिन्हें पड़ौस में भूमि आवंटित की गई है।

(घ) और (ङ). डेरा इस्माइल खां कोआप्रेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा संबंधित इलाका के क्षेत्रीय प्लान के विरुद्ध की गई आपत्तियों पर दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

उर्वरक संयंत्रों के लिए विदेशी मशीनरी

1011. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत में उर्वरक संयंत्रों के लिए आवश्यक मशीनरी सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) उन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा वे कौन-कौन से देश हैं जो इसकी अदायगी भारतीय मुद्रा में चाहते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : उर्वरक सन्यन्त्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी तथा उपकरण, देश में उपलब्ध नहीं हैं, अधिकांश तौर पर विदेशी उधार या ऋणों पर प्राप्त किये जाते हैं। अमरीका,इंगलिस्तान, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान और बुलगारिया आदि से अब तक ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाया गया है।

(ख) पाइराइट्स पर आधारित एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट के उपकरण के लिए, जिनका कुल मूल्य लगभग 2.16 करोड़ रुपये है और जिसकी अदायगी रुपयों में होगी ; बुलगारिया को आर्डर दिये गये हैं।

मैसूर में सहकारी कपड़ा मिलें

1013. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में रायचूर, बीजापुर और बगलकोट स्थित सहकारी कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक मिल को प्राप्त हुई राशि इन सहकारी मिलों के पंजीयन की तारीख तथा सदस्यों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पूंजी का ब्योरा क्या है ;

(ग) इन मिलों ने अब तक क्या प्रगति की है तथा स्थापना, प्रशासन, इमारतों और

मशीनों पर कितनी राशि खर्च की गई है और इन तीनों सहकारी कपड़ा मिलों की स्थापना से अब तक वर्षवार इकट्ठी की गई राशि पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है ; और

(घ) इन सहकारी कपड़ा मिलों के कब चालू हो जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने मैसूर राज्य की रायचूर और बीजापुर की सहकारी सूती मिलों को वित्तीय सहायता मंजूर की है, पर बागलकोट की सहकारी सूती मिलों ने इस प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

(लाख रुपयों में)

पंजीकरण की तारीख	वित्तीय सहायता		15-11-1968 को अभिदत्त और पूर्णतः चुकता शेयर पूंजी की रकम		
	मंजूर की गयी रकम	दी गयी रकम	राज्य सरकार द्वारा	सदस्यों द्वारा (इनमें बुनकर सहकारी समितियां और शीर्ष सहकारी बैंक शामिल हैं)	जोड़
1. कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड रायचूर 13-3-1961	45.00	शून्य	अभिदत्त शेयर पूंजी	20.00	10.37 30.37
			चुकता शेयर पूंजी	10.00	10.37 20·37
2. बीजापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० बीजापुर 12-1-1959	34.00	शून्य	अभिदत्त शेयर पूंजी	20.00	9.66 29.66
			चुकता शेयर पूंजी	20.00	9.66 29.66

(ग) उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है :

दि कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, रायचूर

औद्योगिक वित्त निगम के पास 15-11-68 तक की सूचना उपलब्ध है । उससे पता चलता है कि समिति द्वारा भूमि प्राप्त की जा चुकी है और नींव भी खोदी जा चुकी है । कारखाने की मुख्य इमारत और अन्य सहायक इमारतों के निर्माण का काम चल रहा है । आयातित मशीनें प्राप्त हो गयी हैं और कुछ देशी मशीनों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं । 15-11-68 तक इसने भूमि, इमारतों संयंत्र और मशीनों, विविध स्थिर परिसम्पत्तियों तथा व्याज पर और दूसरे किए जाने

वाले पंजीगत खर्चों तथा परिचालन से पहले के खर्चों के रूप में कुल 7.93 लाख रुपया व्यय किया था। योजना को पूरा करने के लिए समिति को अभी 83.97 लाख रुपया और खर्च करना था।

शेयर-पूंजी के रूप में इकट्ठी की गई रकम पर प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज मिला इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। पर, समिति ने जमा राशि पर अर्जित ब्याज के रूप में 0.87 लाख रुपया, इस योजना के खर्च को पूरा करने के लिए साधन के रूप में दिखाया है।

दि बीजापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, बीजापुर

औद्योगिक वित्त निगम के पास 15-11-68 तक की सूचना उपलब्ध है ; उससे यह पता चलता है कि समिति द्वारा भूमि प्राप्त की जा चुकी है। मुख्य कारखाने और अन्य सहायक इमारतों का निर्माण-कार्य चल रहा है। इसने आयातित मशीनें और देश में बनी कुछ मशीनें भी प्राप्त कर ली हैं। 15-11-1968 तक इसने भूमि, इमारतों, संयंत्र और मशीनों, विविध स्थिर परिसम्पत्तियों तथा ब्याज पर और दूसरे पूंजीगत खर्चों तथा परिचालन से पहले के खर्चों के रूप में कुल 28.99 लाख रुपया व्यय किया था। योजना को पूरा करने के लिए समिति को अभी 61.02 लाख रुपया और खर्च करना था। शेयर-पूंजी के रूप में इकट्ठी की गयी रकम पर प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज मिला, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। पर समिति ने जमा राशि पर अर्जित ब्याज के रूप में 1.93 लाख रुपया, इस योजना के खर्च को पूरा करने के लिए साधन के रूप में दिखाया है।

(घ) निगम ने नवम्बर, 1968 में जो अनुमान लगाया था, उसके अनुसार इन मिलों के, साधारण रूप से, निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार, चालू हो जाने की पूरी आशा है :—

(1) दि कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, रायचूर — मई/जून, 1970

(2) दि बीजापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० — मार्च,1970

पोलिस्टर फाइबर प्लांट का स्थापित किया जाना

1013. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलिस्टर फाइबर बनाने का कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकार के सामने क्या प्रस्ताव हैं ;

(ख) ऐसे कितने एकक हैं जिनके लिये इन्डैन्ट मंगाये गये हैं और विचाराधीन एकक कितने हैं ;

(ग) उत्तरी क्षेत्र अर्थात् पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अथवा जम्मू और काश्मीर में कितने एकक स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे लगभग 40 प्रतिशत निर्माण कारखानें पंजाब में हैं जिनको पोलिस्टर फाइबर की कच्चे माल के रूप में आवश्यकता होती है ;

(ङ) पंजाब के अतिरिक्त अन्य राज्यों में ये निर्माण कारखानें स्थापित करने के बारे में सरकार किस लिये विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पोलिस्टर फाइबर के निर्माण के लिये कारखानों की स्थापना के बारे में सरकार के पास 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अब तक 4 यूनिटों को आशय पत्र जारी किये गये हैं और कोई यूनिट विचाराधीन नहीं है ।

(ग) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश एक एकक क्षेत्रों की पोलिस्टर फाइबर की खपत क्षमता के लिये, एक एकक उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किये जाने की संभावना है ।

(घ) देश में विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को केवल एकमात्र उत्पादनकर्ता द्वारा पोलिस्टर फाइबर के वितरण के आधार पर, अक्तूबर, 1967 से सितम्बर, 1968 की अवधि में पंजाब में 1.9 प्रतिशतता खपत पाई गई है ।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से ऋण की वसूली

1014. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने भारत सरकार को ऋण की कुल कितनी राशि देनी है ;

(ख) इन ऋणों पर किस दर से ब्याज लिया जाता है ;

(ग) 1966 से अब तक कितना ऋण तथा ब्याज अदा कर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 31 दिसम्बर, 1968 को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा भारत सरकार की ऋण की कुल 9.10 करोड़ रुपये की रकम देय थी जिसमें निम्नलिखित रकमें शामिल थीं :—

(i) 5 करोड़ रुपये का विशेष अग्रिम जिसके ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक की समय-समय पर प्रचलित ब्याज की दर के अनुसार है और जो 31 मार्च, 1972 तक चुकाया जाना है ; और

(ii) 31 दिसम्बर, 1968 को 4.10 करोड़ रुपये का समेकित ऋण जिसके ब्याज की दर $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष है और जो 30 जून, 1972 तक चुकाया जाना है।

(ग) **विशेष अग्रिम :**

मूल की वापसी :	शून्य
ब्याज की अदायगी : (29 मार्च, 1968 तक)	74,61,082.41 रुपये

समेकित ऋण

मूल की वापसी :	51,30,000 रुपये
ब्याज की अदायगी (30 जून, 1968 तक)	54,74,275 रुपये

डी० एम० टी० का उत्पादन

1015. **श्री मधु लिमये :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी यूनिट को डी० एम० टी० (Di Methyl Terephalate) का, जो कोयाली तेलशोधक कारखाने में पोलिस्टर कपड़े के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कितने टन की क्षमता होगी तथा उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) यह कारखाना कब तक उत्पादन करना आरम्भ कर देगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। कोयाली में सरकारी क्षेत्र में एक यूनिट (कारखाने) को डी० एम० टी०, ओ जाइलीन और मिश्रित जाइलीनों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है।

(ख) प्रति वर्ष 24,000 मीटरी टन; परियोजना की अनुमानित लागत 18 करोड़ रुपये है।

(ग) 1971-72 तक परियोजना के उत्पादन करने की आशा है।

बल्लापुर कोयला खान

1016. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री बल्लापुर कोयला खान के बारे में 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1921 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब जांच पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): स्टाक में रखी रस्सियों तथा नलिकाओं आदि की कुछ मदों को छोड़ कर बल्लापुर कोयला खान द्वारा आयात की गई मशीनरी तथा फालतू पुर्जों का खानों में लगभग सभी का उपयोग हो गया लगता है। खान में उक्त स्टाक के उपयोग की जांच प्रगति पर है।

Manufacture of Aluminium Pipes

1017. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some method has been found out to manufacture aluminium pipes by which small pipes can be manufactured easily by ordinary workers and their cost will be equal to that of the steel pipes ; and

(b) if so, its probable impact on agriculture and industry ?

The Minister of State in the Ministy of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) The Directorate General of Technical Development have reported that they are not aware of any new method for manufacture of aluminium pipes by which small pipes can be manufactured easily by ordinary workers. Welding of aluminium requires some sophisticated equipment unlike welding of mild steel sheets and the cost is, therefore, bound to be greater than that in welding small sized steel pipes.

(b) Does not arise.

पाकिस्तान में भारतीयों का बचत धन

1018. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सहस्रों भारतीय जो पाकिस्तान में गैर-सरकारी कम्पनियों में कार्य करते थे, अपना बहुत सा बचत का धन वहां छोड़ आये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले भारतीयों के निरुद्ध लेखों का, जो पाकिस्तान के रिजर्व बैंक की अनुमति से ही देय है, स्थानान्तरण करने के लिये पाकिस्तान के साथ पारस्परिक आधार पर व्यवस्था करने हेतु कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में पाकिस्तान की सरकार से काफी समय से बातचीत चल रही है परन्तु अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है।

Council for Homoeopathic and Indigenous Systems of Medicines

1019. **Shri Molahu Prasad :** **Shri D. N. Patodia :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Sradhakar Supakar :**
Shri Balraj Madhok : **Shri Yamuna Prasad Mandal :**
Shri Yashpal Singh : **Shrimati Yotsna Chanda :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of India have announced the establishment of an autonomous body for Indian and Homoeopathic System of medicines and Yoga on the lines of Medical Council of India ;

(b) if so, the broad outline and constitution financial implication thereof ;

(c) whether Government propose to translate all the work of the said body or Institute in Hindi or Sanskrit so that the practitioners in the Indian system of medicine, not knowing English, could also benefit from it ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) whether Government prorose to elicit the opinion of Vaids in this connection before taking the final decision ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Indian Medicine and Homoeopathy Central Council Bill, 1968 was introduced in the Rajya Sabha on the 27th December, 1968 and is at present before the Joint Select Committee of the Parliament. This Bill provides for the establishment of a Statutory Composite Central Council for Indian Systems of Medicine (Ayurveda, Siddha and Unani) and Homoeopathic System of Medicine on the analogy of the Medical Council of India. This Council will deal with education, training and practice.

An autonomous Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy is being constituted as a registered society. This Council will function on the lines of the Indian Council of Medical Research.

(b) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy will initiate, guide, develop and co-ordinate scientific research in the different aspects of Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy Systems of Medicine in Yoga Therapy. The composition of the Council is as follows :

1. President .. Union Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development. (ex-officio)

2. Senior Vice-President .. Union Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development. (ex-officio)

3. Vice-President .. Union Secretary/Additional Secretary for Health and Family Planning. (ex-officio)

Official Members

4. The Financial Adviser to the Ministry of Health and Family Flanning and Works, Housing and Urban Development. (ex-officio)

5. Director General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. (ex-officio)
6. The Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi. (ex-officio)
7. Honorary Adviser in Homoeopathy, Department of Health. (ex-officio)
8. Adviser in Indian Systems of Medicine, Department of Health, New Delhi. (ex-officio)

Representative of Parliament

9. & 10. Two Members of Parliament representing the Lok Sabha to be elected by that Sabha.
11. One Member of Parliament representing the Rajya Sabha to be elected by that Sabha.

Non-Official Members

12. to 15. Four eminent Scholars of Ayurveda to be nominated by the Central Government.
16. One eminent Scholar of Siddha to be nominated by the Central Government.
17. & 18. Two eminent Scholars of Unani to be nominated by the Central Government.
19. & 20. Two eminent Yogis to be nominated by the Central Government.
21. & 22. Two eminent Scholars of Homoeopathy to be nominated by the Central Government.
23. One Representative of the Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, to be nominated by the Central Government, on the recommendation of the Vice-Chancellor of that University.
24. One Representative of the Post Graduate Institute of Indian Medicine, Banaras Hindu University, Varanasi, to be nominated by the Central Government on the recommendation of the Vice-Chancellor of that University.

The Adviser in Indian Systems of Medicine in the Department of Health, will be the Member-Secretary of the Governing Body and the Director of the Central Council.

The administrative expenditure of the Council has been estimated at Rs. 2.5 lakhs per annum. Government will give a grant to the Council for Developing Research Programmes.

(c) to (e). The matter will be placed before the Council when it begins to function as a registered society.

Water Shortage in Drought-Affected Areas

1020. **Shri Valmiki Choudhary:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was an acute shortage of drinking water this year in the drought-affected areas of Bihar, so much so that in certain areas one pitcher of water was sold at Rupee one;

(b) whether many persons died of heat in these very areas of Bihar during this period and if so, their number and how many of them were children and women;

(c) the steps being taken to solve the problem of drinking water in areas of Bihar and Central assistance given so far to the Bihar Government to solve this problem and expenditure incurred so far as also the progress made in this direction; and

(d) the amount of Central Assistance proposed to be given during the next year to solve this problem and the details of the Schemes in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Developmant (Shri B. S. Murthy): (a) The Government of Bihar have informed that only Palamau district was drought affected and at some places

there was an acute shortage of drinking water. The State Government has no information that water at any place was sold at Rs. 1.00 per pitcher.

(b) The Government of Bihar have received no such report.

(c) The Government of Bihar have not approached the Central Government for any assistance for this purpose during the current year. However, the Government of Bihar sanctioned—

(i) Rs. 78,000/- for solving the water scarcity problem;

(ii) Rs. 8,000/- for supplying water on trucks in high level mohallas of Daltonganj Town;

(iii) Rs. 35,000/- for repairing tube-wells; and

(iv) Rs. 35,000/- for completing a piped water supply system in Mahammadganj village.

The works done during the relief operation in 1967 also went a long way in reducing the distress of water scarcity arising out of drought conditions.

The State Government have spent Rs. 27,000/- on repairs of tube-wells.

(d) Under the procedure introduced with effect from this year (1969-70), the Central assistance is to be provided in block loans and block grants on the Plan as a whole without reference to any particular Scheme/Programme/Head of Development. It is for the State Government themselves to draw up the programme, determine the priorities and allocate the necessary funds. According to the State Government, Rs. 2 crores have been provided for Water Supply in rural areas in the Fourth Plan period. Schemes are under preparation by their Public Health Engineering Department and funds will be granted by the State Government on priority basis.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी

1021. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सिविल, भू-तत्वीय तथा ड्रिलिंग अनुभागों में कुछ कर्मचारी तथा अधिकारी फालतू हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; इन फालतू कर्मचारियों पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जा रहा है और उनकी सेवा की अवधि कितनी है और 1968-69 तक इन पर कुल कितना व्यय किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति ने बताया था कि निगम के मुख्यालय में सिविल इंजीनियरी विभाग में कमी की जा सकती है और भूविज्ञान अनुभाग के विषय में समिति

ने कहा कि उसमें कम से कम कर्मचारी रखने के लिये स्थिति का पुनरावलोकन किया जाये तथा फालतू कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर काम पर लगाया जाये या उनकी छंटनी की जाये ।

(ख) सिविल इंजीनियरी विभाग में इस समय कोई फालतू कर्मचारी नहीं है । भूविज्ञान तथा व्यधन विभागों में 1 अप्रैल, 1968 को किये गये निर्धारण के अनुसार यह पाया गया कि 656 कर्मचारी (9 अधिकारी, 228 तकनीकी कर्मचारी और 419 मजदूर) निगम की आवश्यकता से फालतू थे । इन में से 419 मजदूरों की तत्काल छंटनी कर दी गई । जिससे फालतू कर्मचारियों में से 9 अधिकारी तथा 228 तकनीकी कर्मचारी बाकी बच गये । कुछ मजदूरों तथा तकनीकी कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरी के प्रस्ताव दिये गये हैं । 1968-69 वर्ष के दौरान उन पर 12.55 लाख रुपयों का खर्चा किया गया था । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के भूविज्ञान तथा व्यधन विभाग के कर्मचारियों का सेवा काल लगभग 4 वर्ष से लगभग 12 वर्ष के बीच है ।

चण्डीगढ़ में अस्वास्थ्यकारी स्थिति

1022. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ के घने बसे क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था दिन प्रति दिन बुरी होती जा रही है तथा गंदगी और कूड़े-करकट के बड़े-बड़े ढेर घनी बसी बस्तियों में पड़े हुये दिखाई देते हैं तथा उन्हें कई-कई सप्ताह तक नहीं उठाया जाता ;

(ख) क्या यह सच है कि अब भी चण्डीगढ़ में सफाई कार्यों के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या वही है जो 10 या 15 वर्ष पहले वहां की 20 हजार की जनसंख्या की सेवा करने के लिये रखी गई थी, यद्यपि अब वहां जनसंख्या में 10 गुनी वृद्धि हो चुकी है ; और

(ग) क्या संघीय राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ प्रशासन ने केन्द्र सरकार से वहां की स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने के लिये धन राशि की मांग की है और यदि हां, तो सरकार की उनकी मांग के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता

1023. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में जीवन निर्वाह व्यय अधिक होने के कारण सरकार ने वहां के कर्मचारियों को चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता दिया था ;

(ख) क्योंकि पंजाब सरकार ने चण्डीगढ़ में रहने वाले अपने कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता देना बन्द कर दिया था तो क्या इसी कारण सरकार ने भी ये प्रतिकर भत्ता देना बन्द कर दिया था ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने बाद में यह भत्ता देना प्रारम्भ कर दिया था ;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने अभी तक प्रतिकर भत्ता देना आरम्भ नहीं किया है ; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के चण्डीगढ़ रहने वाले कर्मचारियों ने इस भत्ते को पुनः देने की मांग की है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चंडीगढ़ में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-12-54 से मूल वेतन के 12½% के हिसाब से विशेष नगर-निवास प्रतिपूर्ति भत्ता दिया गया था। उस समय चंडीगढ़ अविकसित क्षेत्र था, जहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा था और जीवन की प्राथमिक सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं, और इन्हीं कारणों से यह भत्ता दिया गया था।

(ख) जी नहीं, चंडीगढ़ में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-1-64 से यह भत्ता देना बन्द कर दिया गया क्योंकि जिन परिस्थितियों में यह भत्ता देने की पहले आवश्यकता पड़ी थी, वे परिस्थितियां खतम हो गई थीं। चंडीगढ़ का विकास हो जाने से आवास, स्कूल, बाजार जैसी सुविधायें तब तक उपलब्ध हो चुकी थीं।

(ग) तथा (घ). पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह भत्ता 1-4-1963 से देना बन्द कर दिया था, परन्तु बाद में इसे फिर से चालू कर दिया। केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को इसे फिर से देना चालू नहीं किया क्योंकि जिन कारणों से यह पहले दिया गया था, वे कारण अब मौजूद नहीं हैं।

(ङ) इस भत्ते को फिर से चालू करने के लिये चंडीगढ़ में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से अश्यावेदन प्राप्त हुये हैं, परन्तु उपर्युक्त (ग) तथा (घ) में बताये गये कारणों से इस मांग को स्वीकार करना सरकार के लिये संभव नहीं हुआ है।

Social Control of Banks

1024. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Sradhakar Supakar : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Charan : **Shri Abdul Ghani Dar :**
Shri C. Janardhanan : **Shri S. M. Banerjee :**
Shri Bhogendra Jha : **Shri Ramchandra Veerappa :**
Shri Nathu Ram Ahirwar : **Shri S. Kundu :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the scheme of social control over banks has yielded some desired results ;

(b) if so, whether Government are considering to make this scheme more effective in future ; and

(c) the time by which a final decision in this regard would be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). Government promulgated an Ordinance on 19th July, 1969, nationalising fourteen major commercial banks incorporated in India. The Prime Minister made a statement in the House on the subject on 21st July, 1969.

Consumption of Gas for Cooking Purposes

1025. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the extent to which there has been an increase in the consumption of gas used for cooking purposes in the country ;

(b) the time by which the fuel requirements of the country would be completely met by gas ; and

(c) the percentage of further increase in the production of cylinders needed for filling gas, which were in short supply some time ago ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The consumption of liquid petroleum gas increased by 34.9% during 1968.

(b) The total fuel requirements of the country cannot be met by this gas.

(c) The Oil Companies received 2,03,350 cylinders during January-June, 1969 as against 3,43,115 cylinders during 1968 indicating a 19% increase in availability.

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों को भत्ता

1026. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 14 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की नर्सों के मंहगाई भत्ते, नगर प्रतिकार भत्ते, भोजन भत्ते और धुलाई भत्ते में इस बीच वृद्धि कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भत्ते में किस दर से वृद्धि की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, धुलाई भत्ते के अतिरिक्त ।

(ख) नर्सिंग स्टाफ का मंहगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता बढ़ाकर अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली दरों का 80 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि पहले उन्हें इन भत्तों का 2/3 और 50 प्रतिशत मिलता था । विभिन्न ग्रेडों का विचार किए बिना ही

खुराक भत्ता 60 रु० प्रतिमास की समान दर से दिया जाने लगा है। इसमें विभिन्न ग्रेडों का विचार नहीं रखा गया है। स्टाफ नर्सों को पूर्ण मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त खुराक भत्ते के रूप में 30 रुपये प्रतिमाह देने की पद्धति बन्द कर दी गई है। अब उन्हें अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते की दरों के 80 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त दूसरी नर्सों की भांति, 60 रु० खुराक भत्ता दिया जाता है।

मेरठ और दिल्ली के अन्य आस पास के स्थानों का विकास

1027. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के चारों ओर सुगठित ग्रामीण तथा शहरी केन्द्र स्थापित करने की सरकारी योजना के एक भाग के रूप में मेरठ का महानगरीय केन्द्र के रूप में विकास करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राजधानी के आस-पास अन्य किन केन्द्रों का विकास किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) . राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का आरंभिक आध्ययन किया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, खुरजा और मोदी नगर, हरियाणा में फरीदाबाद, बलबगढ़, गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत, रोहतक और पानीपत, तथा राजस्थान में अलवर जैसे नगरों के विकास की अच्छी गुंजाइश है। इन नगरों के विकास का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों पर है और उन द्वारा ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में पोलिएस्टर रेशे का कारखाना

1028. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पोलिएस्टर रेशे का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) (क) जी हां, उत्तर प्रदेश में एक पोलिस्टर कारखाने की स्थापना के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मंत्रियों द्वारा बनाए गये मकान

1029. **श्री क० लकप्पा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री बाबूराव पटेल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों ने दिल्ली तथा नई दिल्ली में स्वयं अपने नाम से अथवा अपने सम्बन्धियों, पत्नियों तथा लड़कों के नाम से अपने मकान बनाये हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक मकान पर कितनी लागत आई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धनकर की बकाया राशि

1030. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर दाताओं के नाम क्या हैं जिनकी ओर 31 मार्च, 1969 को 10 लाख रुपये अथवा इससे अधिक धन कर की राशि बकाया थी ;

(ख) उन करदाताओं के नाम क्या हैं जिनकी ओर यह राशि गत पांच वर्षों अथवा इससे अधिक समय से बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मांगी गई सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) अनुबन्ध में उल्लिखित किसी भी मामले में पिछले पांच अथवा उससे अधिक वर्षों की अवधि सम्बन्धी धन-कर की कोई रकम वसूली के लिए बकाया नहीं है।

(ग) आयकर विभाग द्वारा बकाया रकम की वसूली करने के लिए की गई कार्यवाही का प्रत्येक मामले सम्बन्धी विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

जिन निर्धारितियों की ओर 31-3-1969 को धन-कर की 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक रकम वसूल होनी बाकी है, उनके नाम तथा बकाया रकम को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :

क्र० सं०	निर्धारिती का नाम तथा पता	धन-कर की बकाया रकम वसूल करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1.	हैदराबाद के स्वर्गीय परम महामान्य निजाम सर मीर उसमान अली खां बहादुर, कानूनी वारिसों की मार्फत।	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। उच्च न्यायालय ने कानूनी वारिसों द्वारा सम्पदा शुल्क सम्बन्धी दायित्वों की अदायगी को छोड़ कर अचल सम्पत्ति के निपटान पर रोक लगा दी है। कोई चल परि सम्पत्तियां नहीं हैं जिनसे वसूली की कार्यवाही की जाय।
2.	डा० जयन्ती धर्म तेजा, मार्फत : जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन लि०, बम्बई।	धन-कर सम्बन्धी मांगें 1-4-1969 को देय हुई निर्धारिती ने भारत छोड़ दिया है तथा वह अब कोस्टारीका में है। आयकर की बकाया की वसूली के लिए डा० जे० धर्म तेजा के नाम के 2.12 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के हिस्से अभिग्रहीत कर लिये गये हैं। हिस्सों की बिक्री से प्राप्त रकम में से आयकर की बकाया रकम की वसूली के बाद यदि कोई रकम बचेगी तो उसे-धन की बकाया रकम में समायोजित किया जायगा।
3.	बड़ौदा के महामान्य महाराज फतह सिंह राव पी० गायकवाड़, लक्ष्मी निवास पैलेस, बड़ौदा।	निर्धारिती द्वारा दायर की गई नजरसानी की दरख्वास्तों का निर्णय होने तक धन-कर की बकाया रकम की वसूली रोक रखी गई है।

बिहार के महा लेखापाल का इस्तीफा

1031. **श्री क० लकप्पा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के महा लेखापाल ने 14 मई, 1969 से सेवा से त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

1032. **श्री रबि राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के महा प्रबन्धकों, परियोजना प्रबन्धकों तथा जिलों के प्रमुखों के एक सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने सम्मेलन में इस बात पर बल दिया था कि अन्दमान, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि के जल्प-विकसित विशाल क्षेत्रों जैसे ऐसे क्षेत्रों जहां खोज नहीं की गई है, में खोज की संभावनाओं का पता लगाने के लिये जोरदार कार्यक्रम आरम्भ करें ; और

(ग) तब से इस दिशा में क्या प्रगति की गई है, और उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) त्रिपुरा-सूर्मा घाटी में अन्वेषी कुएं खोदने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल के लिए अंगुलि भूकम्पनीय उपकरण आयात करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव भी किया गया है । खम्बात की खाड़ी के दक्षिण भाग तथा अरब सागर से मिलते-जुलते क्षेत्रों में व्यधन के लिये एक तटदूर मोबाइल यूनिट की उपयुक्त किस्म की सिफारिश करने के लिये, परामर्शदाताओं की एक विदेशी फर्म से एक परामर्शी प्रबन्ध भी किया गया है ।

दिल्ली में डाक्टरों की जीवन-यापन स्थिति

1033. **श्री रवि राय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करमारकर समिति ने दिल्ली में डाक्टरों की जीवन-यापन स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1387/69]

राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों का नैनीताल में सम्मेलन

1034. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों का हाल में नैनीताल में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों/दिये गये सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन 24 मई, 1969 को नैनीताल में हुआ था ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न किया जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1388/69]

(ग) सम्मेलन में की गई सिफारिशों/सुझावों को राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है ।

Production Target of Sindri Plant

1035. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri J. M. Biswas :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the production target of Sindri Plant during the last three years and its actual production ;

(b) the reasons for the difference ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to streamline the working of Sindri Factory ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The planned and actual production in the Sindri Unit of the Fertilizer Corporation in terms of nitrogen (in end products and including in ammonia, nitric acid etc. sold) for the last three years were as follows :

	Planned Production (Tonnes)	Actual Production (Tonnes)
1966-67	96271	95447
1967-68	98193	79435
1968-69	87100	82615

(b) During 1966-67, the shortfall was mainly due to non-availability of catalyst for the Gas Plant which again was due to non-availability of ferrous sulphate in the country.

During 1967-68, the shortfall was due to wet and poor quality gypsum as also its short supply and a shut down of the factory for 12 days owing to the strike in September, 1967 and increased maintenance of the old plant.

In 1968-69, the shortfall occurred due to poor quality and short supply of gypsum and increased maintenance jobs of the old plant and to the poor quality of coal.

(c) The following steps have been taken by Fertilizer Corporation of India Ltd., to streamline the factory :

1. Extensive phased renovation of all the major sections in the older plants.
2. Building-up of adequate stocks of gypsum prior to the monsoon.
3. Construction of metal road between Mohangarh and Hamira to improve the supplies of gypsum from Mohangarh Mines which are comparatively better.
4. Continued efforts to locate suitable quality of coal.
5. Covering open gypsum wagons in transit with tarpaulin during the rainy season to prevent excessive wetting of gypsum.

Licences to Kerosene Oil Dealers in Delhi

1036. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of Kerosene oil dealers to whom licences have been issued by Civil Supply Department in Delhi and New Delhi area ;

(b) the number of persons out of them who are actually engaged in this work ;

(c) whether proper action is taken against those who are actually not doing this work ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) 2150.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Yes.

(d) The Civil Supply Department of Delhi Administration renews licences only after inspecting the accounts as regards purchase and sale of kerosene oil. The renewal is refused in case the dealer is not able to show the records required to be maintained under the Delhi Kerosene Oil (Export and Price) Control Order, 1962.

नगरों के निकटवर्ती ग्रामों में नागरिक सुविधाएं

1037. **श्री झा० सुन्दर लाल :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री बलराज मधोक :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस बात से सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है कि दिल्ली नगर के निकटवर्ती ग्रामों में नल के पानी, शौचालय तथा सड़कों पर बिजली जैसी न्यूनतम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो नगर के निकटवर्ती ऐसे ग्राम कौन से हैं जिनमें अब तक यह सुविधायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और शेष ग्रामों के बारे में क्या किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). फिलहाल दिल्ली के नगरीकृत ग्रामों की कुल संख्या 111 है। इनमें से 54 ग्राम दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किये गये हैं। विकास क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के काम का उत्तरदायित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण पर है, जिन्होंने पहले ही 29 गांवों में

कार्य आरम्भ कर दिया है। शेष 25 गांवों के बारे में विकास कार्य उन द्वारा यथा शीघ्र आरम्भ किया जायगा।

57 ग्राम, जिन्हें विकास क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम दिल्ली नगर निगम का है जो आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर रहे हैं और कार्य के कार्यक्रम को चरणों में किये जाने का प्रस्ताव है।

Economy in Expenditure

1038. **Shri J. Sunder Lal :**
Shri P. M. Sayeed :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work regarding Stencilling etc., of the Parliament Questions is done only in one Section of the Ministry of Home Affairs but this work is done in the concerned Sections of the Ministry of Education ;

(b) if so, whether working system adopted by the latter involves payment of more over-time allowance than that adopted by the former ;

(c) whether it is proposed to issue orders to all Ministries of Government asking them to centralise the stencilling work in one Section after the replies to the Parliament Questions have been approved by the Minister so as to achieve economy in expenditure ; and

(d) if so, the date when such order would be issued and if not the reasons for incurring excess expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) In the Ministry of Home Affairs, stencilling work relating to Parliament Questions is done centrally. In the Ministry of Education and Youth Services, stencils of English material relating to Parliament Questions are cut in the Sections dealing with the subject matter, while those of Hindi material are cut centrally ; the cyclostyling of all such stencils is, however, done centrally.

(b) No, Sir. As only the cutting of stencils relating to English material is decentralised and this is spread over a number of Sections and further, as this work is, as far as possible, done during office hours, this system by itself does not involve grant of larger overtime allowance.

(c) No, Sir.

(d) As stated in part (b), the decentralised system does not by itself involve excess expenditure.

Hindi Assistants in Ministries Employed on Parliamentary Work

1039. **Shri J. Sunder Lal :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 5373 on the 7th April, 1969 and state :

(a) the names of the Ministries where the replies to Parliament Questions pertaining to

scientific, technological, engineering and other specific subjects are translated by the Hindi Assistants;

(b) the names of the Ministries, other than the Ministry of Finance, where specific translation work is undertaken by the officials other than the Hindi Assistants;

(c) whether it is a fact that the Research Assistants have promotion prospects whereas the Hindi Assistants have no such chances;

(d) the number of such Hindi Assistants in the Central Government as are employed on full time Parliamentary work;

(e) whether the work of translation of Parliament Questions during Sessions of Parliament is not full time parliament work; and

(f) the duties assigned to Parliament Assistants during the inter-Session period and the reasons for increasing their daily allowance recently from Rs. 4 to Rs. 5?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (f). The requisite information is not readily available. This will be collected and laid on the Table of the House as early as possible.

तेल निक्षेपों के लिये गहरे समुद्र में ड्रिलिंग कार्य

1040. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल निक्षेपों के लिये गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करने के हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ;

(घ) क्या इस उद्यम के लिये विदेशी सहयोग मांगा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे यह सहयोग मांगा गया है और तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ङ). गहरे पानी में ड्रिलिंग के बारे में परामर्श दाताओं की एक फर्म दी इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ग्रुप (आई० एम० इंजी०) लन्दन से, एक परामर्शी प्रबन्ध किया गया है। यह फर्म क्षेत्र से सम्बन्धित उपलब्ध दिशा का अध्ययन करेगी तथा पश्चिमी तट के गहरे पानी में अन्वेषी व्यधन कार्य करने के लिये, हमें अति उपयुक्त किस्म के चलते-फिरते तट-दूर ड्रिलिंग प्लेटफार्म की सिफारिश करेगी। परामर्शदाताओं की रिपोर्ट दो महीनों अर्थात् लगभग

अगस्त के अन्त तक प्राप्त हो जायेगी। रिपोर्ट की प्राप्ति पर, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ड्रिलिंग के बारे में आगामी कार्यवाही करने का फैसला करेगा।

एलीयावेट और भावनगर में ड्रिलिंग के लिये प्लेटफार्म

1041. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एलीयावेट के उथले जल में ड्रिलिंग हेतु प्लेटफार्म के लिये भारतीय डिजायन को मंजूर नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भावनगर में एक स्थायी प्लेटफार्म के लिये डिजायन तैयार करने हेतु इसके साथ एक करार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) एलीयावेट के उथले पानी में ड्रिलिंग हेतु प्लेटफार्म के लिये कोई भारतीय डिजाइन नहीं बनाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में डिजाइन, निर्माण तथा स्थिर किस्म के प्लेटफार्म की स्थापना में रूस की तकनीकी सहायता तथा भारतीय इंजीनियरों तथा तकनीशनों के प्रशिक्षण के लिये टेक्नोएक्सपर्ट, मास्को, के साथ एक ठेका किया है।

(घ) ठेके के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं :—

(1) प्लेटफार्म के डिजाइन का पहला चरण रूस में तैयार किया जायेगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के हिन्द आयल डिजाइन इन्स्टीटयूटस से दो डिजाइन इन्जीनियर दो महीनों की अवधि के लिये इस डिजाइन में संक्षिप्त प्रशिक्षण तथा भाग लेने के लिये रूस भेजे जायेंगे।

(2) प्लेटफार्म के विस्तृत डिजाइन तथा इसका निर्माण भारत में किया जायेगा। प्लेटफार्म के विस्तृत डिजाइन, निर्माण तथा स्थापना की देखभाल के लिये चार रूसी विशेषज्ञों को भारत बुलाया जायेगा।

(3) दस भारतीय इंजीनियरों तथा ड्रिलरों को 2 से 4 महीनों की अवधियों के लिये तटदूर कार्य में प्रशिक्षण हेतु वाकू, रूस भेजा जायेगा।

(4) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग मैसर्स टेक्नोएक्सपर्ट को निम्नलिखित लागतों की अदायगी करेगा :—

(क) पहले चरण डिजाइन के लिये 15000 स्वल्ज ।

(ख) 4 रूसी विशेषज्ञों को 12 महीनों के लिये वेतन ।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भेजे गये 12 (उपर्युक्त भाग (1) तथा (3) के अनुसार) भारतीय प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण लागत ।

Non-Payment of Rents by Ex-Ministers on Account of Furniture, Electricity and Water

1042. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of ex-Ministers who owed money to Gevernment on account of rent of furniture, electricity, water and other items and in whose case the amount has been written off during the past five years ;

(b) the amount due from each of such Ministers and the reasons for writing that off ;

(c) whether Government have framed any rules in this connection ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). A statement showing the names of ex-Ministers who owed money to Government on account of furniture, electricity and other items together with the amount due from each of such Ministers is attached.

No amount has been written off in the cases of ex-Ministers during the past 5 years on this account.

(c) and (d). The question does not arise.

Statement

Statement showing the names of Ex-Ministers who owed money to Government on account of furniture, electricity, water and other items and the amount outstanding against each Minister.

Sl. No.	Name of the Ex-Minister.	Amount outstanding
1.	Shri Raj Bahadur ..	Rs. 1334.24
2.	Shri B. Misra	Rs. 3.94
3.	Late Shri B. N. Datar	Rs. 753.90
4.	Shri Gulzarilal Nanda	Rs. 2219.60
5.	Shri S. K. Dey ..	Rs. 443.60

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्त कर्मचारी

1043. **श्री हेमराज** :क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1969 के अन्त तक केन्द्रीय चिकित्सा सेवा अथवा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कितने अधिकारी हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्त पर थे तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जो अपने मूल पदों पर वापिस जा रहे हैं अथवा बुलाये जा रहे हैं ;

(ग) उन वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ; जिन्हें पंजाब से हिमाचल प्रदेश की सेवा में रखा गया है और जो ऐसे पदों पर काम कर सकते हैं ;और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित अधिकारियों में से ऐसे पद न भरने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क)और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के सभी राजपत्रित पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में संवर्ग पदों के रूप में सम्मिलित हैं । अतः केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के किसी अधिकारी को हिमाचल प्रदेश में संवर्ग पदों की पूर्ति के लिए प्रतिनियुक्त पर भेजने अथवा उन्हें वापस बुलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). पंजाब से हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किए गए अधिकारियों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1389/69] वे जिन पदों पर काम कर रहे थे उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है । केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में इन अधिकारियों की नियुक्त का प्रश्न इस समय विचाराधीन है और जैसे ही केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में उनकी नियुक्ति हो जायेगी वे इन संवर्ग पदों के पात्र होंगे ।

हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्त पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारी

1044. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जो जून 1969 के अन्त तक हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्त पर काम कर रहे थे ;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जो सेवा निवृत हो रहे हैं अथवा जिन्हें अपने मूल कार्यालय में वापिस बुलाया जा रहा है ;

(ग) उन वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिन्हें पंजाब

से हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है तथा जो इन पदों पर काम कर सकते हैं ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित ऐसे अधिकारियों में से ये पद न भर जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के चार अधिकारी हिमाचल प्रदेश प्रशासन के बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं तथा विद्युत विभाग में जून, 1969 के अन्त तक उनके नामों के समक्ष दिये गये पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आरूढ़ थे ।

(1) श्री वाई० के० मुर्थी—चीफ इन्जीनियर

(2) श्री बी० डी० शर्मा—सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर

(3) श्री एम० पी० पारासुरामन—कार्यकारी इन्जीनियर

(4) श्री कुलदीप सुदर्शन—अस्सिटैन्ट इन्जीनियर (क्लास एक)

इनमें से कोई भी अधिकारी 1969 में रिटायर होने वाला नहीं है । श्री वाई० के मुर्थी 18-7-1969 से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में वापस आ गये हैं । श्री पारासुरामन के भी 12 सितम्बर, 1969 को प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत (जल विभाग) में वापस आने की सम्भावना है ।

(ग) निर्धारित पात्रता कसौटी के अनुसार भूतपूर्व पंजाब राज्य के निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारी, जिनको हिमाचल प्रदेश भेजा गया था और जो अब बहुप्रयोजनीय परियोजना तथा विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं, अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिये पात्र हैं ;

क्लास एक

1. श्री राजकुमार, सुपरिंटेंडिंग सर्वेयर आफ वर्क्स (सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर के समान)
2. श्री एम० सी० तिवारी, कार्यकारी इन्जीनियर
3. श्री नरिन्द्र नाथ, ,, ,,
4. श्री ए० के० श्रीकोथिया, ,, ,,
5. श्री बी० पी० प्रभाकर ,, ,,

(घ) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर आयोग में वापस आ जाते हैं, भर्ती प्रक्रिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार निःसन्देह भाग (ग) में उल्लिखित अधिकारियों के मामलों पर रिक्त स्थानों को भरते समय विचार करेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात

1045. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री द० रा० परमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये निर्यात के 1968-69 के अनुमानित आंकड़े क्या हैं और वे 1967-68 और 1966-67 के तुलनात्मक आंकड़ों से कितने अधिक हैं ;

(ख) गत दो वर्षों की तुलना में 1968-69 में सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों का निर्यात कम हुआ और कितना कम हुआ और इसके क्या कारण थे ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के निर्यात में वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि हुई तथा प्रत्येक द्वारा तैयार की गई कौनसी विशिष्ट वस्तुओं का विदेशों की नई मंडियों को निर्यात किया गया अथवा मांग बढ़ी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). 1968-69 के दौरान केन्द्रीय सरकार के निर्माता कम्पनियों द्वारा किया गया समग्र निर्यात पिछले दो वर्षों की अपेक्षा बेहतर रहा है । 1968-69 में केन्द्रीय सरकार की निर्माता कम्पनियों का कुल निर्यात अनुमानत: 6806 लाख रुपये का हुआ है। इसके मुकाबले, 1967-68 में कुल निर्यात 4471 लाख रुपये का और 1966-67 में कुल निर्यात केवल 2086 लाख रुपये का हुआ था । पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1966-67, 1968-69 में उपक्रमवार निर्यात की गई स्थिति अनुबन्ध 'क' में बताई गयी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-1390/69] विवरण को देखने से यह पता चलेगा कि अधिकांश उपक्रमों में तीन वर्ष की अवधि में निर्यात बढ़ता चला गया है । केवल तीन उपक्रमों में अर्थात प्रागा टूल्स, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का निर्यात 1967-68, में 1966-67 की तुलना में कम था । विवरण में जिन उद्यमों की सूची दी गई है उन सभी के निर्यात की मात्रा में 1968-69 में, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और केवल दो मामलों में अर्थात् हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के आकड़ों में 1968-69 में 1966-67 के मुकाबले कमी हुई है । इस कमी के, जोकि मामूली ही है, विशिष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चला है । अलग-अलग उद्यमों द्वारा निर्यात की गई मुख्य-मुख्य वस्तुओं का एक विवरण अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1390/69]

भारत और ईरान के बीच पेट्रो-रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के विकास के लिये सहयोग

1046. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-रसायन और उर्वरक उद्योगों के विकास हेतु लम्बी अवधि के सहयोग के

बारे में भारत और ईरान की सरकारों के बीच कोई अन्तिम निर्णय अथवा करार किये गये हैं ;

(ख) भारत में उर्वरक के संयुक्त कारखाने स्थापित करने का मामला किस अवस्था में है ; और

(ग) क्या यह सच है कि ईरान की सरकार ने भारत सरकार द्वारा विलम्ब से निर्णय किये जाने पर असंतोष प्रकट किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). भारत सरकार और ईरान के बीच हुये समझौते के अनुसार, अमोनिया के उत्पादन के लिये ईरान में संयुक्त उद्यम की स्थापना पर तकनीकी आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने के लिये, दोनों सरकारों के द्वारा नामित एजंसियों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्यकारी दल बनाया गया है । यह इरादा है कि इस तरह उत्पादित किये गये अमोनिया का अधिकांश अंश, भारत को उसके उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल के लिये, भेजा जायेगा । सितम्बर, 1969 के अन्त तक संयुक्त रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने की आशा है । इस समय संयुक्त आधारों पर भारत में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

1968-69 में चिकित्सा पर किये गये खर्च का भुगतान

1047. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों ने 1968-69 में चिकित्सा पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कुल कितनी राशि का दावा किया ; और

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा 1968-69 में 29,106.00 रु० के चिकित्सा खर्च का दावा किया गया था, और

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को 20,707.75 रु० की धनराशि दी गई थी विभागवार आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और यथासमय सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे ।

पी० एल० 480 निधियां

1048. **श्री को० सूर्यनारायण** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी पी० एल० 480 निधियों के अनुसंधान कार्य सम्बन्धी कुछ परि-

योज़नाओं के लिए सहायता स्वीकार करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा किये गये नियमों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अमरीकी निधियों से अनुसंधान कार्य के अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है। कुछ मंत्रालयों ने इस प्रयोजन हेतु अन्तर-विभागीय समन्वय समितियां भी स्थापित की हैं। मंत्रालयों से कहा गया है कि इन प्रस्तावों पर विचार करते समय वे निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखें।

(1) निधियों के निर्धारण के लिए योजना को समूचे राष्ट्रहित में आवश्यक तथा पर्याप्त महत्व का होना चाहिए और अनुदान की राशि का औचित्य बताया जाना चाहिए।

(2) संस्था के लिए नियत विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त अनुसंधान में और अधिक विदेशी मुद्रा अर्न्तग्रस्त नहीं होनी चाहिए।

(3) अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी दौरों की संख्या कम से कम होनी चाहिए।

(4) अनुसंधान के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धित संगठन के सामान्य नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।

केन्द्रीय सरकार द्वारा चंडीगढ़ में क्वार्टरों का निर्माण

1049. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय की चंडीगढ़ सलाहकार समिति ने सर्व-सम्मति से निर्णय किया है कि वहां आवास की तंगी दूर करने के लिए तथा बढ़ते हुए किरायों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने मकान बनाने चाहिए तथा सस्ते किराये पर देने चाहिये ;

(ख) इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या ये मकान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बन जायेंगे ; और

(घ) सरकार द्वारा कितने मकान बनाये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

संसद् सदस्यों को आवंटित किया गया निवास स्थान

1050. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने संसद् सदस्यों को (लोक-सभा और राज्य-सभा के) सरकारी निवास स्थान आवंटित किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने संसद् सदस्यों के निवास स्थानों का सर्वेक्षण कराया है और यह पता लगाया है कि उनमें से कितने रहने योग्य नहीं हैं और कितनों की मरम्मत करने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उन संसद् सदस्यों की संख्या जिन्हें सरकारी वास आवंटित कर दिया गया है 739 है, इसमें मंत्री/उपमंत्री, लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उपाध्यक्ष शामिल हैं ।

(ख) जी हां । कोई भी मकान रहने के लिये अनुपयुक्त नहीं पाया गया है । फिर भी, 171 मकानों में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है ।

(ग) निवास स्थानों के ब्योरे का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1392/69]

सरकारी उपक्रमों की निर्यात से आय

1051. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने क्रमश: निर्यात द्वारा एकत्रित रूप में तथा पृथक-पृथक कितनी धन-राशि अर्जित की ;

(ख) इन उपक्रमों ने आयात पर कितना व्यय किया था (उक्त अवधि में) ; और

(ग) 1969-70 में निर्यात के लक्ष्य क्या हैं और कच्चे माल तथा मशीनों के आयात पर एकत्रित रूप में तथा अलग-अलग कितना व्यय किया जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण अनुबन्ध 'क' में दिया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की प्रत्येक निर्माण कम्पनी को निर्यात से हुई आय दिखायी गयी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1393/69]

(ख) 1967-68 में केन्द्रीय सरकार की निर्माण-कम्पनियों द्वारा पूंजीगत तथा अनुरक्षण उपकरणों के आयात पर किया गया व्यय अनुबन्ध 'ख' में दिखाया गया है । [**पुस्तकालय में रखा**

गया । देखिये संख्या एल० टी० 1393/69] 1968-69 के सम्बन्ध में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है लेकिन वह हमेशा की तरह केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों की 1968-69 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जायगी, जिसकी प्रतियां संसद के दोनों सदनों में रखी जाती हैं ।

(ग) कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है । चौथी आयोजना के लिये उत्पाद-वार निर्यात का हिसाब लगा लेने के बाद ही सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये चौथी आयोजना की अवधि के प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में अलग-अलग लक्ष्य प्रकाशित किये जाएंगे ।

भारतीय तेल निगम की कार्य प्रणाली

1052. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में भारतीय तेल निगम के कार्य का कार्य-फल देखा है और क्या इसमें कोई उन्नति हुई है अथवा ह्रास हुआ है ;

(ख) क्या इस निगम का कार्य गत वर्षों की अपेक्षा अच्छा रहा है अथवा नहीं और लाभ तथा हानि, उत्पादन, निर्यात बिक्री और वस्तुओं की सूची आदि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में इस निगम का कार्य यही अधिकारी चलाते आ रहे हैं या नहीं तथा इसके अध्यक्ष, प्रबन्धक निदेशक और सचिव के नाम क्या हैं और वे उन पदों पर कब-कब से हैं तथा उनके वेतन भत्ते आदि क्या हैं और वे इस निगम में कहां-कहां से आये हैं ; और

(घ) पिछली कमियों या त्रुटियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या-क्या कार्यवाही की गई है और क्या जनता में इस निगम की साख तथा प्रतिष्ठा बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पता लगा है कि 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के भारतीय तेल निगम के कार्य परिणाम पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी अच्छे होंगे ।

(ख) वर्ष के आडिट किये गये लेखे उपलब्ध होने के पश्चात ही तुलना संभव होगी ।

(ग) गत तीन वर्षों में निगम में कुछ नये अधिकारी आये हैं और कुछ नौकरी छोड़ कर चले गये हैं । श्री एन० एन० काश्यप, 1-8-66 से निगम के चेयरमैन की हैसियत से कार्य कर रहे हैं और 3500 रुपये मासिक का नियत वेतन ले रहे हैं । पहले वह निगम के शोधनशाला

प्रभाग के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। मेजर जनरल सारदा नन्द सिंह (सेवा निवृत) 9 अगस्त, 1966 से निगम के शोधनशाला प्रभाग के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और पेंशन घटाकर रुपये 3000-125-3500 के वेतनमान में वेतन ले रहे हैं पहले वह गोहाटी शोधनशाला के महाप्रबन्धक थे और बाद में कोयाली शोधनशाला के कार्यकारी निदेशक। वर्मा शैल के एक भूतपूर्व अधिकारी श्री कमलजीत सिंह, 1-8-66 से निगम के मार्किटिंग प्रभाग के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और रुपये 3000-125-3500 के वेतनमान में वेतन ले रहे हैं। श्री डी० वी० पुरी, सितम्बर, 1965 से निगम के बोर्ड के सचिव हैं और रुपये 1100-1400 के वेतनमान में वेतन ले रहे हैं। निगम ने उन्हें सीधे ही भर्ती किया था। ये तमाम अधिकारी वही सामान्य भत्ते लेते हैं जो निगम के इसी हैसियत के अफसरों को उन के वेतनों के अतिरिक्त मिलते हैं।

(घ) पिछले वर्ष के कार्य परिणामों से इस बारे में निगम की प्रगति का पता चलेगा।

हल्दिया बरौनी पाइपलाइन के मामले की जांच

1053. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के मामले की कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या सरकार ने जांच प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो कौन से अधिकारी जिम्मेदार पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या ठेकेदारों से राशि वसूल करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) . जांच रिपोर्ट की, जो 1967 में भूतपूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री एन० एस० राव, को सौंपी गई थी, अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

प्लास्टिक उद्योग

1054. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों में प्लास्टिक उद्योग की कितनी अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(ख) विभिन्न पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूहों में और विभिन्न तेल शोधक शालाओं के इर्दगिर्द कितनी अतिरिक्त क्षमता बढाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस उद्योग में गत 4 वर्षों से क्षमता बेकार पड़ी है और यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक वर्ष में कितनी क्षमता बेकार पड़ी रही ;

(घ) अधिष्ठापित कारखानों की उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार किया गया ; और

(ङ) इस उद्योग के कार्य संचालन तथा विस्तार के मार्ग में क्या मुख्य समस्याएं उपस्थित होती हैं और इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1969-70 में निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों में बेसिक प्लास्टिक्स की निर्माण में कोई अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की आशा नहीं है । किन्तु प्लास्टिक्स की वस्तुओं के निर्माण की कई योजनाओं के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और प्लास्टिक संपरिवर्तन (कनवरशन) तथा सज्जित-माल-उद्योगों (प्रोसैस्ड गुड्स इण्डस्ट्री) में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है । क्योंकि उत्पाद-शृंखला बहुत विस्तृत है और परिचालन विभिन्न प्रकार के हैं ; इसलिये, अतिरिक्त क्षमता का, जिसकी इस क्षेत्र में स्थापित होने की सम्भावना है, आंकन करना सम्भव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बेसिक प्लास्टिक क्षेत्र में कुछ बेकार क्षमता पड़ी रही है और जिसका पिछले चार सालों का ब्योरा विवरण-पत्र में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1394/69] सरकार को उद्योग के संपरिवर्तन तथा प्रोसैसिंग अंश में किसी बेकार क्षमता का पता नहीं है ।

(घ) पिछले चार सालों में क्षमता बेकार पड़ी रहने के कारण निम्न प्रकार थे :

(1) अल्कोहल पर आधारित एककों के लिये अल्कोहल की कमी ।

(2) स्टाइरीन तथा पोली स्टाइरीन एकको के लिये बेंजीन की कमी ।

(3) पेट्रो-रसायन पर आधारित एककों के बारे में प्रक्रिया स्थिरी करण में समय का लगाना ।

1968-69 के दौरान खांड मौसम में सुधार होने से देशीय अल्कोहल काफी मात्रा में उपलब्ध है और छ पेट्रो-रसायन एककों के चालू होने से बेंजीन भी काफी मात्रा में उपलब्ध होगा । बेसिक प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ गया है और वास्तव में अप्रैल, 1969 से पी० वी० सी०, पोली-थीलीन तथा पोली स्ट्रीन जैसे मुख्य प्लास्टिक्स का आयात प्रतिबन्धित किया गया है । पेट्रो-रसायन पर आधारित एकक भी प्रारम्भिक कठिन परिस्थितियों पर काबू पा चुके हैं और भली भांति स्थिर हो चुके हैं ।

(ङ) आने वाले वर्षों में पेट्रो-रसायन संभरण स्टाक पर आधारित, बेसिक प्लास्टिक्स के निर्माण के लिये तीन और कारखाने चालू किये जाने की आशा है और अल्कोहल पर आधारित मौजूदा कारखानों में भी पेट्रो-रसायन संभरण स्टाक प्रयोग किये जाने की आशा है, इसके पश्चात उद्योग के इस क्षेत्र में कोई मुख्य समस्याओं के उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है। जहां तक प्रोसैसिंग एवं कन्वर्शन क्षेत्र का सम्बन्ध है, प्लास्टिक मशीनरी के देशीय निर्माण में वृद्धि हो रही है तथा आवश्यकरूप से अपेक्षित प्लास्टिक प्रोसैसिंग मशीनरी के आयात और प्रोसैसिंग एवं कन्वर्शन क्षेत्र के विकास के लिये प्लास्टिक के कच्चे माल की विशिष्ट तथा नई किस्मों का आयात करने के लिये भी सरकार ने उदार नीति अपनाई है।

खम्भात की खाड़ी में तट-दूर ड्रिलिंग

1055. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री एस० आर० दामानी :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री मधु लिमये :
श्री लोबो प्रभु :
श्री रवि राय :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री उमानाथ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री के० रमानी :
श्री समर गुह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी तथा अन्य क्षेत्रों में तट-दूर ड्रिलिंग के प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में क्रियान्वित के लिये खुदाई तथा तेल निकालने के लिये बनाये गये कार्यक्रम तथा इसके परिव्यय का ब्योरा क्या है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ;

(ग) किन विदेशी पार्टियों के साथ सहयोग किया जायेगा और सहयोग की शर्तें क्या होंगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का रूसी विशेषज्ञों की सहायता से एक स्थिर प्लेटफार्म से अलयाबेट क्षेत्र में एक तट-दूर कुएं में व्यधन करने का प्रस्ताव है।

स्थिर किस्म के प्लेटफार्म का निर्माण भारत में होगा और प्लेटफार्म के डिजाइन का पहला चरण रूस में तैयार किया जायेगा । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के दो-डिजाइन इन्जीनियर इस डिजाइन में दो महीने की अवधि के लिये भाग लेंगे । इन पहले-चरण डिजाइनों के अगस्त, 1969 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है । आयोग सितम्बर से नवम्बर, 1969 की अवधि में देहरादून में कार्यकारी डिजाइन के कार्य को हाथ में लेगा । नवम्बर 69 से फरवरी, 70 की अवधि में व्यधन-स्थल पर ब्लाकों को भेजा जायेगा तथा स्थापित किया जायेगा । मार्च, 1970 के अन्त तक पहले कुएं की खुदाई शुरू हो जाने की आशा है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों के लिये 8.4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ; जिसमें 2.68 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा अंश के रूप में शामिल हैं ।

जहां तक पश्चिमी तट पर गहरे पानी में व्यधन का सम्बन्ध है ; व्यधन की श्रेष्ठ पद्धति और इस क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले अति उपयुक्त व्यधन प्लेट-फार्म के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सलाह देने के लिये एक परामर्शी संस्था की सेवाएं प्राप्त की गई हैं । लगभग दो महीने की अवधि में इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर पक्का फैसला किया जायेगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली स्थित वेस्टर्न कोर्ट में कमरों पर अनधिकृत कब्जा

1056. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति ने वैस्टर्न-कोर्ट नई दिल्ली में किसी कमरे अथवा कमरों पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है ;

(ख) क्या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है कोई किराया देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). वैस्टर्न कोर्ट में छः अपात्र व्यक्ति रह रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	नाम	श्रेणी	सूट नं०	किराया दर
1.	मेजर जनरल एस० एस० सोखी	गैरसरकारी	31 (सिंगल)	बाजार दर
2.	श्री बी० के० भट्टाचार्य	गैरसरकारी	56 (सिंगल)	,,
3.	श्री हिम्मत सिंह	गैरसरकारी	59 (सिंगल)	,,

क्र० सं०	नाम	श्रेणी	सूट नं०	किराया दर
4.	श्री एम० जी० मीर-चंदानी	रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी	10 (सिंगल)	बाजार दर
5.	ब्रिगेडियर शिवशंकर	रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी	64 (सिंगल)	,,
6.	श्री राम वर्मा	भारत की खाद्य निगम के कर्मचारी	70 (डबल)	,,

सिंगल सूट का बाजार दर किराया 315.00 रुपये प्रति माह है और डबल सूट के लिए 555-00 रुपये प्रति माह।

देश में नकली तथा घटिया किस्म की औषधियां बेचने पर रोक

1057. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री रामचरण :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नकली तथा घटिया किस्म की औषधियां बनाने तथा बेचने पर रोक लगाने के लिये और क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इन उपायों के फलस्वरूप किसी नये नकली औषध गिरोह का पता लगा है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या प्रधान मंत्री को इस बारे में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को हाल में कोई पत्र लिखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) औषधियों में मिलावट की रोक थाम के लिये किये गये उपायों का ब्योरा लोक सभा में 25 मार्च, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5156 के भाग (ख) के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने अब उन अधिकारियों के नाम बतला दिये हैं। जिनसे नकली दवाओं के मामलों की छानबीन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) और (ग). सूचना राज्य सरकारों / संघ प्रशासनों से एकत्र की जा रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) राज्यों से अब तक प्राप्त सूचना से पता चलता है कि वे इस स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं और वे नकली तथा घटिया स्तर की दवाओं के निर्माण तथा बिक्री पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

Diamond Mines in Madhya Pradesh

1058. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the maximum number of diamond mines in the country are located in Madhya Pradesh but the methods of extracting diamonds therefrom are the same as were prevalent during the times of backward erstwhile Princly States and that the methods of leasing out land by measurement and bringing diamonds extracted therefrom to Government treasury and giving them a finish etc. for sale is a very out-moded one ;

(b) whether it is also a fact that neither the way of competition is adopted by duly making announcements throughout the country for exploration of diamonds nor adequate arrangements have been made to sell these high quality diamonds obroad ;

(c) whether it is also a fact that no factory has been established in Madhya Pradesh to make diamonds beautiful and attractive ;

(d) if so, whether Government propose to take any steps to improve the situation ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Chemicals Fertilizer Factories in Madhya Pradesh

1059. **Shri Ram Avatar Sharma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of chemical fertilizer factories in public and private sectors respectively in Madhya Pradesh ;

(b) if there is no chemical fertilizer factory in Madhya Pradesh, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to set up any chemical fertilizer plant in Madhya Pradesh in the near future ; and

(d) if so, the place in the State where the plant would be set up, the production capacity of the plant and whether the shortage of chemical fertilizers in the State would be removed after the setting up of this plant ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) There is one factory at Kumhari, Distt. Durg, in

private sector, for the production of single superphosphate. In addition, ammonium sulphate is produced as a by-product in the Bhilai Steel Plant.

(b) Does not arise.

(c) and (d). A proposal to set-up a chemical fertilizer plant at Korba in Madhya Pradesh is under consideration. Its capacity is proposed to be 229,000 tonnes of nitrogen and may be compared with the current year's consumption target of 40,000 tonnes for the State.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

1060. **श्री अदिचन :**

श्री निहाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अन्तिम बार वृद्धि किये जाने से लेकर अब तक प्रत्येक महीने में निर्वाह व्यय सूचकांक कितना-कितना रहा है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक महीने के अन्त में पिछले बारह महीनों की निर्वाह व्यय सूचकांक का औसत कितना-कितना था ; और

(ग) क्या गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन को देखते हुये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और महंगाई भत्ता देय है, यदि हां, तो कब और वर्ग-वार उसमें कितनी वृद्धि की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949=100) के 12 महीने के औसत स्तर 215 पर, महंगाई भत्ते में अन्तिम वार वृद्धि 1 सितम्बर 1968 से दी गई थी। मासिक सूचकांक तथा सितम्बर 1968 के परवर्ती महीनों के लिये मई 1969 तक (यह अन्तिम महीना है जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं) 12 महीने का औसत नीचे दिये अनुसार हैं :—

महीना	सूचकांक संख्या	12 महीने का औसत
सितम्बर 1968	218	215.33
अक्तूबर 1968	219	215.50
नवम्बर 1968	214	215.33
दिसम्बर 1968	208	214.83
जनवरी 1969	207	213.75
फरवरी 1969	205	212.75
मार्च 1969	207	212.25
अप्रैल 1969	208	211.75
मई 1969	210	211.58

(ग) आगे वृद्धि का प्रश्न तभी उठेगा जब 12 महीने का औसत 225 हो जायेगा, जो उपर्युक्त (क) तथा (ख) के अनुसार अभी नहीं हुआ है।

उर्वरकों की उत्पादन लागत

1061. **श्री अदिचन :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में उर्वरकों के अधिक मूल्य होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उर्वरकों के उत्पादन की लागत तथा उनके खदरा मूल्यों को उन्नत देशों के जैसे स्तर पर लाने के लिये कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारत की उत्पादन लागत की अन्य देशों की उत्पादन लागत से तुलना संभव नहीं है, क्योंकि उन देशों की उत्पादन लागत सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है। भारत में उत्पादित उर्वरकों की कीमतें कुछ अन्य देशों के उर्वरकों की कम कीमतों से अधिक है। वर्तमान अधिक कीमतों का कारण उत्पादन में अधिक लागत है तथा उत्पादन में अधिक लागत निम्नलिखित विभिन्न तथ्यों के परिणामस्वरूप है :—

(1) आयातित संयंत्र तथा मशीनों की अधिक लागत, जिसमें भाड़ा व्यय तथा आयात शुल्क शामिल है ;

(2) राक फास्फेट तथा सल्फर जैसे आयातित कच्चे मालों की अधिक लागत, जिन पर भाड़ा-व्यय भी करना पड़ता है ;

(3) सन्यन्त्रों के आकार तथा अब तक प्रयुक्त तकनीकी ;

(4) कहीं कहीं क्षमता का कम कार्य, जिसके कारण हैं बिजली में खराबी, देख रेख कठिनाइयां, श्रम समस्या आदि।

(ख) बताया जाता है कि उत्पादक प्रयत्न कर रहे हैं कि परिचालनों में सुधार लाकर तथा उत्पादन बढ़ा कर उत्पादन लागत में कमी की जाये।

उप प्रधान मंत्री द्वारा मई, 1969 में जामनगर में चिकित्सा की योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेदिक प्रणाली के बारे में व्यक्त किये गये विचार

1062. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर में मई 1969 के अन्तिम सप्ताह में आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा

और योग सम्बन्धी तीन दिवसीय गोष्ठी में भाषण करते हुए उप-प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) उनके द्वारा दिये गये सुझावों का ब्योरा क्या है और उनको किस हद तक क्रियान्वित किया जा सकता है ; और

(ग) चिकित्सा की तीनों प्रणालियों में समन्वय के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). मई 1969 में जामनगर में हुई आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग सम्बन्धी गोष्ठी में भूतपूर्व उप-प्रधान-मंत्री द्वारा दिये गये भाषण का मूल पाठ प्राप्त किया जा रहा है। मूलपाठ के प्राप्त हो जाने पर भाषण में दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा।

(ग) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी एवं योग चिकित्सा पद्धतियों के मौलिक तथा व्यावहारिक, विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के मार्ग दर्शन विकास तथा समन्वय के लिये भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद नामक एक स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति संबंधी कार्य से पृथक किया जाता है।

ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन का स्वर्ण कांड

1063. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ओ० ए० सी० के स्वर्णकांड के बारे में 17 मई, 1969 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित राजस्व गुप्त सूचना निदेशक, श्री एस० के० श्रीवास्तव के प्रतिवेदन की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) क्या प्रतिवेदन में दी गई बातों की पुष्टि हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार ने बी० ओ० ए० सी० के सोने के सम्बन्ध में, दिनांक 17 मई, 1969 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है।

(ख) तथा (ग). राजस्व गुप्तचर्या के निदेशक से आवश्यक पूछताछ की गई है। दिनांक 17 मई 1969 के 'ब्लिट्ज' में जो कथित उद्धरण प्रकाशित हुये हैं वे निदेशक द्वारा न्यायनिर्णय करने वाले प्राधिकारियों अथवा अपीलीय प्राधिकारियों को अथवा सरकार को प्रस्तुत की गई किसी रिपोर्ट अथवा दस्तावेज में से नहीं हैं।

भारत के भूतपूर्व नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की आय

1064. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतपूर्व नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक श्री ए० के० राय की सेवा के अन्तिम वर्ष में जब कि वह अपनी सेवा अवधि में सेवा बढ़ाये जाने के कारण सेवा में निर्धारित आय कितनी थी तथा उनकी सेवा निवृत्ति के बाद के वर्षों में (अब तक) वर्ष-वार आय कितनी थी ;

(ख) उन्होंने इसी अवधि में वर्ष-वार कितने धन कर का भुगतान किया ;

(ग) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के सेवा निवृत्ति के बाद कई समवायों के निदेशक बनने तथा धन इकट्ठा करने की अवांछनीयता के प्रश्न की सरकार ने जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) अब वह कितने समवायों के निदेशक हैं और उनके शेयर कितने रुपयों के हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) श्री ए० के० राय, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद से 15 अगस्त 1966 को सेवा-निवृत्त हुए । प्रश्न में उल्लिखित वर्षों में उनकी निर्धारित आय निम्न प्रकार थी :

कर-निर्धारण वर्ष 1967-68	51,622 रुपये
कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिये विवरणी में दिखाई गई आय (कर-निर्धारण होना बाकी है)	1,11,380 रुपये
कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिये विवरणों में दिखाई गई आय (कर-निर्धारण होना बाकी है)	1,18,127 रुपये

(ख) इन वर्षों से संबंधित विवरणियों में दिखाया गया धन (धन-कर निर्धारण होना बाकी है) निम्न प्रकार था :

कर-निर्धारण वर्ष	1967-68	2,30,353 रुपये
कर-निर्धारण वर्ष	1968-69	4,63,681 रुपये
कर-निर्धारण वर्ष	1969-70	विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, और उसके लिए अतिरिक्त मियाद मांगी गई है ।

(ग) और (घ). इस संबंध में असैनिक सेवा विनियम के अनुच्छेद 531-ख और उसके नीचे भारत सरकार के निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा, श्रेणी I, के सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी को सेवा-निवृत्त होने के दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक कार्य में किसी भी प्रकार की नौकरी स्वीकार करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। कम्पनी के डाइरेक्टर का पद सामान्य रूप से वाणिज्यिक नौकरी की किस्म का नहीं है।

(ङ) मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1395/69]

महाराष्ट्र में खनिजों का सर्वेक्षण

1065. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिये महाराष्ट्र में खनिजों सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा सर्वेक्षण कराये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा महाराष्ट्र में किये गये सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप बाक्साइट, लोह अयस्क, सीमेण्ट श्रेणी का चूना-पत्थर, मैंगनीज अयस्क, कोयला, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलीमैनाइट, स्टियटाइट और इल्मेनाइट के निक्षेपों का पता लगाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता तथा निरुपण क्षमता में असंतुलन

1066. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के संश्लिष्ट औषध कारखाने के प्रतिजीवाणु औषधि निर्माण कारखाने (एण्टीबायोटिक्स प्लांट) की उत्पादन क्षमता तथा निरुपण क्षमता में भारी असंतुलन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादन के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार केवल 1971-72

में प्रतिजीवाणु औषध निर्माण कारखाने की 290 टन की कुल क्षमता की तुलना में कारखाने द्वारा निर्मित 118 टन औषधियों को ही काम में लाया जा सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने का है जो कि इस दोषपूर्ण योजना के लिये उत्तरदायी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ग). सरकारी उपक्रमों की समिति की 46 वीं रिपोर्ट में इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में ऐसे विचार व्यक्त किये गये हैं तथा इन पर जांच की जा रही है। अतः इस अवस्था में दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजार बनाने के कारखाने में हानि

1067. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजार बनाने के कारखाने की वर्तमान उत्पादन दर से प्रति वर्ष लगभग 90 लाख रुपये की हानि होगी ; और

(ख) क्या सरकार ने मंडी की प्रवृत्ति और मांग का पता लगा करके अतिरिक्त मशीनरी का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). कोई जरूरी नहीं। परन्तु यह ठीक है कि पिछले चार वर्षों के दौरान हानियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। हानियों को कम करने के लिये, निर्यात के लिये मण्डियां ढूंढ़ने, उत्पादन में परिवर्तन करने तथा मुख्य ऊपरी खर्चों को कम करने के कदम उठाये गये हैं।

मद्रास स्थित शल्य चिकित्सा के औजार बनाने के कारखाने द्वारा औजारों का निर्माण

1068. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शल्य चिकित्सा औजार बनाने के कारखानों द्वारा रूसी नमूनों के आधार पर निर्मित औजारों को भारतीय शल्य चिकित्सा काफी बड़ी प्रतिशतता में स्वीकार नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजारों को जिनका

सुझाव भारतीय शल्य चिकित्सकों ने दिया था, मद्रास में स्थित शल्य चिकित्सा औजार निर्माण कारखाने के उत्पादन सूची में शामिल नहीं किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किसी कारखाने में किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाये तथा उनका निर्माण-कार्यक्रम क्या हो, आदि बातें किन सिद्धांतों के आधार पर तैयार की जाती हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : चिकित्सा के औजार बनाने वाले कारखाने में रूसी विशिष्टयों (स्पैसीफिकेशनज) के अनुसार निर्मित हुए औजारों को भारतीय सर्जनों ने अस्वीकार किया है ।

(ख) बातचीत के दौरान भारतीय सर्जनों ने कुछ शल्य औजारों के बारे में सुझाव दिया था किन्तु उन्हें रूसी सहयोगियों द्वारा पेश किये गये शल्य औजार कारखाने के उत्पाद-समिश्र में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यह अनुमान था कि इस सम्बन्ध में उनके पास तकनीकी एवं उपकरण उपलब्ध नहीं थे ।

(ग) विशेष मदों के लिये वर्तमान एवं सम्भाव्य मांग, उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था सहयोगी से जानकारी की उपलब्धि आदि किसी कारखाने के उत्पाद-समिश्र को सामान्यतया निर्धारण करने के लिये मूल सिद्धान्त हैं । प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस कारखाने के उत्पाद-समिश्र का व्यपवर्तन किया जा रहा है ।

आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान का विकास करने के लिये एक पृथक विभाग

1069. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी उपक्रमों के लिये जो कच्चे माल के आयात पर निर्भर रहते हैं, आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग करने के क्षेत्र में अनुसंधान का विकास करने हेतु एक पृथक विभाग स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों को देश में सरकारी अनुसंधान संस्थाओं की सहायता लेने के लिये कोई हिदायतें जारी की गई है ; और

(ग) क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग करने के बारे में विचार-विमर्श करने तथा जानकारी लेने हेतु कोई अन्तर-उपक्रम सम्मेलन किये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को देश के सभी उपक्रमों की, जिनमें सरकारी क्षेत्र में उपक्रम भी शामिल हैं, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता की पूरी जानकारी है। महानिदेशक ; तकनीकी विकास पर, जो इस विषय का केन्द्र-बिन्दु है, आयात की सभी मांगों को देशी दृष्टिकोण से छानबीन करने की जिम्मेदारी

है । महानिदेशक ; तकनीकी विकास, आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश के अन्दर उत्पादन करने को प्रोत्साहन देने के भी उपाय करता है । पूर्ति निदेशक को भी यह हिदायत दी गयी है कि वह आयात-प्रतिस्थापन की गुंजाइश की जांच करे । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कई प्रयोगशालाओं में आयात-प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में अनुसन्धान किये जाते हैं ।

आयात-प्रतिस्थापन के क्षेत्र में महानिदेशक, तकनीकी विकास और दूसरे व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रयत्नों की समीक्षा करने के लिये मार्च, 1969 में सचिव (औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी । इस्पात उद्योग में आयात-प्रतिस्थापन के प्रश्न की जांच करने के लिये इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय द्वारा जून, 1969 में एक और समिति नियुक्त की गयी थी ।

(ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयात-प्रतिस्थापन के काम को लगातार आगे बढ़ाने के लिये समय-समय पर हिदायतें दी हैं ।

(ग) महानिदेशक, तकनीकी विकास, आयात-प्रतिस्थापन की गुंजाइश के सम्बन्ध में जांच करने के लिये समय-समय पर गोष्ठियों का आयोजन करता रहा है, जिनमें गैर-सरकारी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेते रहे हैं । औद्योगिक विकास मंत्रालय ने भी आयात-निर्भरता कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिये सितम्बर, 1968 में सभी सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया था ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देशी उपकरणों का प्रयोग

1070. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आयातित उपकरणों के स्थान पर देशी उपकरणों का प्रयोग करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो जाएगी ;

(ग) क्या आयोग ने देशी उपकरणों की सहायता से नये कुओं के स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से खोज कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो आयोग कब तक देशी उपकरणों का प्रयोग करने की स्थिति में हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ; जिस हद तक वे उपलब्ध हों ।

(ख) देश में कई आयातित मदों अर्थात् वायु-संपीडकों, जनरेटर्ज, चलती-फिरती क्रेनों,

पोल-कैरियर, हैवी ड्यूटी ट्रैलरज, गहरे-व्यधन रिगों के हिस्सों, सीजन हीन लाइन पाइप्स और उच्च दाब वाल्व्स, के लिए प्रति स्थापकों का देशीय निर्माण स्थापित किया गया है और भूभौतिकी औजारों एवं उपकरणों अर्थात् विद्युत लगुड पैनल्स, डिवाइसिज एवं सोण्डीज तथा भूकम्पीय केबल्ज एवं ब्लास्टरज, के लिए प्रतिस्थापकों का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की प्रयोगशालाओं में विकास किया गया है। इन मदों के देशीय उत्पादन के कारण अब तक विदेशी मुद्रा में 312.00 लाख रुपये की बचत हुई है।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण कार्यों में आयातित उपकरण के साथ देशीय निर्मित उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम में भर्ती के सम्बन्ध में भेदभाव

1071. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर के भारतीय उर्वरक निगम के कारखाने में भर्ती के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोगों के साथ भेदभाव बरता जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस निगम के जिम्मेवार पद पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई व्यक्ति होगा ;

(ग) इस पक्षपात को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(घ) स्थानीय लोगों को अधिकाधिक रोजगार देने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) **स्थानीय व्यक्तियों को अधिकतर रोजगार मुहैया करने के लिये उठाये गए कदम निम्न प्रकार हैं :**

(1) भर्ती की नियमावली में व्यवस्था की गई है कि रोजगार के मामले में औसटीज को उच्चतम प्राथमिकता दी जाये, विशेष रूप से वर्ग-iii तथा वर्ग iv की श्रेणियों में।

(2) सभी रिक्त स्थान गोरखपुर की स्थानीय रोजगार एक्सचेंज को अधिसूचित कर दिये जाते हैं।

(3) वर्ग iii तथा iv के नियमित रिक्त स्थानों के लिये आमतौर पर क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन दे दिये जाते हैं या भर्ती स्थानीय रोजगार एक्सचेंज से उम्मीदवार बुला कर की जाती हैं। केवल दक्ष पदों के लिये जिनमें उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं थी/है ; वर्ग iii के पदों के लिये विज्ञापन अखिल भारतीय आधार पर किये जाते थे/ हैं, किन्तु भरती के लिये यदि अन्य बातें बराबर हों तो प्राथमिकता स्थानीय व्यक्तियों को दी जाती है। निम्न श्रेणी क्लर्क, जूनियर लेखा क्लर्क आदि वर्ग iii के रिक्त स्थानों, जिनके लिये स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध हैं, का विज्ञापन नहीं किया जाता है किन्तु केवल रोजगार एक्सचेंज को अधिसूचित कर दिया जाता है और चुनाव उन्हीं उम्मीदवारों तक सीमित रखा जाता है जिन्हें स्थानीय रोजगार एक्सचेंज भेजता है। यदि वह उपयुक्त व्यक्ति न भेज सके तो प्रेस में विज्ञापन करना पड़ता है।

(4) भारतीय उर्वरक निगम में रोजगार अवसर न होने के कारण, नौजवान औसटी के लड़कों को विभिन्न तकनीकी व्यवसायों, प्रशिक्षण देने के लिये, जिससे उनके भावी जीवन में सुधार लाकर किसी अन्य स्थान में उनका पुनर्वास किया जा सके, एक औसटीज ट्रेनिंग स्कीम बनाई गई थी।

घटिया दवायें बेचने वाली चान्दनी चौक की एक फर्म के विरुद्ध जांच

1072. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 20 मार्च, 1969 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निम्न स्तर की तथा मिलावट दवायें बेचने वाली चान्दनी चौक, दिल्ली की एक फर्म के विरुद्ध अपनी जांच इस बीच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अभी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले की जांच पड़ताल का कार्य पुलिस के सुपुर्द किया गया था जोकि दिल्ली प्रशासन के औषध नियन्त्रण संगठन की सहायता से इस बारे में छानबीन कर रही है।

Setting up of State Electricity Boards

1073. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether State Electricity Boards have been constituted in all the States of the country ;

(b) if so, the names of the Boards in each State and whether Boards are running at loss ;

(c) if so, the factors responsible for the losses ;

(d) whether Government have made any suggestion to the State Governments to make up the losses ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, except in Jammu and Kashmir and Nagaland.

(b) 1. Andhra Pradesh State Electricity Board.

2. Assam State Electricity Board.

3. Bihar State Electricity Board.

4. Gujarat Electricity Board.

5. Haryana State Electricity Board.

6. Kerala State Electricity Board.

7. Maharashtra State Electricity Board.

8. Madhya Pradesh Electricity Board.

9. Mysore State Electricity Board.

10. Orissa State Electricity Board.

11. Punjab State Electricity Board.

12. Rajasthan State Electricity Board.

13. Tamil Nadu State Electricity Board.

14. U. P. State Electricity Board.

15. West Bengal State Electricity Board.

Some of the Boards are running at a loss.

(c) The factors responsible for the losses generally are investment of large amounts on projects under construction which would only yield revenue on their completion, increased cost of operation and maintenance, increase in wages, low rates of tariff, uneconomical rural electrification schemes etc.

(d) and (e). The information has been given in statement attached.

Statement

A committee with Shri Venkataraman, formerly Minister Madras Government was constituted by the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power in April, 1964

to look into the financial position of the State Electricity Boards and to suggest (i) ways and means of improving the revenues of the various State Electricity Boards and also the income from the electricity duty and (ii) the pattern of relationship between the tariff and electricity duty. The Committee submitted its report in October 1964 and its recommendations were accepted by the Government of India in consultation with the State Governments. The recommendations inter-alia were :

(a) The first phase of the objective for all the State Electricity Boards should be to aim at higher revenues sufficient to cover operation and maintenance charges, contribution to the General and Depreciation Reserves and interest charges on loan capital. Boards which have not already achieved this, should aim realising the objective within a period of three to five years.

(b) As a second phase of objective, the Board should aim to achieving a balance of revenue after meeting all the charges indicated in the first phase, working out a net return or 3 percent on the capital base. Boards which have already achieved the first phase, should immediately proceed to realise the second phase andtothe her Boards should aim at achieving the second phase within three to five years of their achieving the first phase.

In accordance with the above recommendations, the Central Government have urged the State Electricity Boards to aim in the first instance on higher revenues, sufficient to cover operation and maintenance charges, contribution to general reserve, depreciation reserve and interest charges and to keep the cost of generation, transmission and distribution, including overheads as low as possible.

Grants/Loans to State Electricity Boards

1074. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have provided assistance to various State Electricity Boards in the form of grants or loans ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No. Assistance in the form of loans is given by the Government of India to the State Governments who in turn advance further loans to their State Electricity Boards on terms and conditions mutually agreed upon by them.

(b) Does not arise.

Drinking Water Scheme for Bihar

1075. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Patna, Jamshedpur, Muzaffarpur and many other big cities of the Bihar State are affected by severe water crisis ;

(b) whether Government have prepared any scheme to meet the crisis ;

(c) if so, the outlines thereof ;

(d) whether the Government of Bihar have sought any financial Assistance from the Central Government for implementation of the said scheme ;

(e) if so, the details of the assistance sought ; and

(f) the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Government of India have not received any report about this.

(b) and (c). Do not arise.

(d) No, Sir.

(e) and (f). Do not arise.

Promotion of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Ministry of Irrigation and Power

1076. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9237 on the 12th May, 1969 and state :

(a) whether the requisite information regarding the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in his Ministry has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) In so far as the Ministry of Irrigation and Power (including its attached and subordinate offices) is concerned the requisite information is NIL.

(c) Does not arise.

Enquiry Committees for New Delhi Hospitals

1077. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Flanning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the Inquiry Committees appointed by the Government of India to suggest reforms and look into the affairs of the hospitals in New Delhi during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the terms of reference of each Committee and the names, designation and addresses of the members of each Committee ;

(c) whether reports have been submitted by all the Committees ; and

(d) if so, the details thereof and the main recommendations made therein ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) (i) Study Group on Hospitals (1966-67)

(ii) K. N. Rao Committee (1967-68)

(iii) P. D. Sharma Commission of Enquiry (1968-69)

(b) Copies of the Reports are available in the Library of Parliament, and contain the information asked for.

(c) Yes.

(d) As at (b) above.

Allegations Against a Central Excise Inspector

1078. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the allegations made against a Central Excise Inspector under the caption 'Identify him—He is Excise Inspector' published in the 'Times of Rajhastan' Bikaner dated the 20th May, 1969 are true ;

(b) if so, the action taken by Central Excise Department against the concerned officer ; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The allegations made are against a Sub-Inspector and not an Inspector of Central Excise. Only on completion of the investigations which are still in progress will it be known whether the allegations are true.

(b) and (c). Do not arise at this stage.

Pay and Allowances of Vaids Working in C.G.H.S. Dispensaries

1079. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Vaids working in C.G.H.S. dispensaries are given a pay scales of Rs. 325-800 while the pay scale of doctors working in C.G.H.S dispensaries is Rs. 350-900 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the steps being taken by Government to make the pay scales of Doctors and Vaids uniform ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Doctors in the C.G.H.S. get the pay scales of the Central Health Service Cadre to which they belong. Vaids do not belong to the C.G.H.S. Cadre and the totality of condition of service is different in their case.

(c) No such action is contemplated.

Import of Tallow

1080. **Shri Om Prakash Tyagi :**

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 664 on the 24th March, 1969 and to state :

(a) the total quantity of tallow imported from the 1st December, 1968 to 31st May, 1969 ;

(b) the manner in which it was imported and distributed ;

(c) the manner in which the remaining 18951.802 metric tons tallow was allocated out of 52,072 metric tons imported upto November, 1968, and the quantity out of it given to manufacturers of vegetable oil ;

(d) whether the tallow allocated to M/s. Swastika Oil Mills, Bombay, Western India Vegetable Products, Bombay, J .P. Oil Mills, Kanpur, Vegetable Product Calcutta, etc. is utilised for the purpose of manufacturing vegetable oil ;

(e) whether Government propose to enquire into the production process of each vegetable oil factory so as to know whether or not the tallow is used for manufacturing vegetable oil ; and

(f) if not, the names of the manufacturers who use tallow in the manufacture of vegetable oil ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) 40267 tonnes from December, 1968 to March, 1969. Import figures beyond march, 1969 are not yet available.

(b) Tallow is imported by State Trading Corporation on committee basis and is distributed by it to the organised soap etc. units in accordance with recommendations of the D.G.T.D. For units in the small scale sector, bulk allocation of the recommendations of the DCSSI is made by the S.T.C. to the State Directors of Industries for release to the individual units.

(c) Out of 52,072 tonnes, 39,206 tonnes were imported by State Trading Corporation of which 36131.198 tonnes was distributed as per details given in reply to Starred Question No. 664—answered on 24th March, 1969. The balance (39,206—36,131.198) 3074.802 tonnes is the unlifted share of soap manufacturers in the small sector, distribution of which is in progress. The difference between 52,072 tonnes and 39,206 tonnes i.e. 12,866 tonnes, accounts for imports by individual units against import licences obtained prior to April, 1968. No tallow is given to vanaspati manufacturers.

(d) Tallow is given to them for their soap activity only.

(e) and (f). Under the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, only edible vegetable oils, specifically permitted by the Vegetable Oil Products Controller are to be used in the manufacture of vanaspati ; no animal fat like tallow can be used for the purpose. All vanaspati factories are being regularly inspected by Central Government inspectors and no evidence of any infringement of this statutory prohibition has so far come to light.

न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड बम्बई

1081. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री 3 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 259 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या जांच को दृष्टि में रखते हुये मुकदमा चलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अब तक की गई जांच पड़ताल के आधार पर विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के प्रत्यक्षतः उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न कम्पनियों को तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को 24 कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं जिनमें मेसर्स न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को जारी किये गये सात कारण बताओ नोटिस शामिल है। कुछ और कारण बताओ नोटिस जारी करने का विचार किया जा रहा है।

(ख) अभी तक इस्तगासे की कोई कार्यवाही चालू नहीं की गई है। कारण बताओ नोटिसों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। कोई इस्तगासे की कार्यवाही करने के प्रश्न पर प्रवर्तन निदेशक द्वारा, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23 (घ) के अधीन शुरू की गई जांच की कार्यवाही के दौरान विचार किया जाएगा।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को दिये गये ऋण की राशियों को बट्टे खाते में डालना

1082. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते में डालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक ने इस निगम को वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अध्यक्ष ने निगम के पूंजी ढांचे के

पुनर्गठन के लिये कुछ प्रस्ताव दिये हैं। यह विषय विस्तृत अध्ययन के लिये एक समिति को सौंपा गया है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर कर की बकाया धनराशि को वसूल करना

1083. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी० बी० मुखर्जी द्वारा दिनांक 11/13 नवम्बर, 1968 को दिये गये निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री हरिदास मूंदड़ा के विरुद्ध दिनांक 28 फरवरी, 1964 से कुर्की के आदेश जारी होने से अब तक उन से बकाया धन राशि वसूल करने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुर्की के आदेशों को कार्यान्वित करने में अधिकारियों की असफलता के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिये अब तक कोई उपाय किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 11/13 नवम्बर, 1968 के निर्णय में श्री हरिदास मूंदड़ा की परिसम्पत्तियों के 28 फरवरी, 1964 के अभिग्रहण सम्बन्धी आदेशों का उल्लेख किया था। 28 फरवरी, 1964 को अभिग्रहण का जो आदेश जारी किया गया था, वह केवल श्री मूंदड़ा द्वारा तयशुदा भावों पर टरनर मोरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 51 प्रतिशत शेयर खरीदने के तरजीही अधिकार के सम्बन्ध में था। उच्च न्यायालय के जिस रिमार्क का भाग (क) में उल्लेख है, उसे समुचित रूप से संशोधित/रद्द करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया ही जा रहा है।

प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी तथा अतिरिक्त जिलाधीश ने उपर्युक्त तरजीही अधिकार की बिक्री के लिये अनेक सुनवाइयां निश्चित की थीं। प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी ने 25 फरवरी, 1966 को आदेश दिया था कि 1961 के मुकदमे सं० 600 की डिग्री के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 2 मार्च, 1964 को दिये गये आदेश की रूह से उसे इस 'तरजीही अधिकार' को बेचने का अधिकार नहीं है और तरजीही अधिकार की बिक्री के लिये विभाग को न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

हाल में न्यायालय ने अपने 14 जुलाई, 1969 के निर्णय में आदेश देकर टरनर मोरिसन एंड कम्पनी लिमिटेड के शेयर तयशुदा कीमत पर श्री मूंदड़ा को देने के लिये एक सम्प्रापक नियुक्त किया है। न्यायालय द्वारा दी गई निषेधाज्ञा समाप्त कर दी गई है तथा आयकर अधिकारी को छूट दे दी गई है कि वह आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये अभिग्रहण के आदेश पर अमल

कर सकता है । फैसले की नकल की अभी भी प्रतीक्षा है तथा उसके प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विभाग ने, उपर्युक्त 'तरजीही अधिकार' का अभिग्रहण करने के अलावा, वसूली के लिये समय समय पर दूसरे भी सम्भव सब उपाय किये थे । श्री मूंदड़ा की अन्य परिसम्पत्तियों का भी अभिग्रहण किया गया था । परन्तु अभिग्रहण के मामले में मुकदमा चल रहा है ।

Ayurvedic Hospital for Delhi

1084. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no big Ayurvedic Hospital in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that for want of an Ayurvedic Hospital in Delhi the Vaidyas working in the C.G.H.S. dispensaries face a great difficulty in the treatment of patients suffering from chronic diseases ; and

(c) if so, the steps taken by the Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) No such difficulty has come to notice.

(c) Does not arise.

Non-Practising Allowances to C.G.H.S. Vaids

1085. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rate of non-practising allowance allowed to the doctors working in C.G.H.S. Dispensaries is 33 percent whereas it is 25 per cent in case of Vaids ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by Government to give allowance to both of them at the same rate ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The allopathic doctors serving under the C.G.H.S. have been encadered in the Central Health Service. They are allowed non-practising allowance in accordance with C.H.S. Rules. The scales of pay and non-practising allowance for the C.H.S. Officers have been fixed, keeping in view the duties performed by its members, the qualifications required of them, and the totality of their conditions of service.

(c) No uniformity in the rate of non-practising allowance of allopathic doctors and Vaids is contemplated.

C.G.H.S. Dispensaries in States

1086. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Central Government have under consideration a proposal to open C.G.H.S. Dispensaries in various cities for the benefit of their employees working in various States ;

(b) if so, the State-wise details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). During the Fourth Plan period the Central Government Health Scheme or a suitable variant of it is proposed to be extended to cities which have large concentration of Central Government employees such as Calcutta, Hyderabad, Meerut, Madras, etc. The selection of cities is still tentative.

(c) Does not arise.

दिल्ली के स्कूलों में पारिवारिक जीवन की शिक्षा

1087. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के विशेषज्ञों ने दिल्ली के स्कूलों में पारिवारिक जीवन की शिक्षा आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्कूलों में आरम्भ किये जाने वाले विषयों में यौन सम्बन्ध भी एक विषय होगा ; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

व्यास परियोजनाओं की लागत में विभिन्न राज्यों के भाग का प्रतिशत

1088. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प० मु० सईद :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने व्यास परियोजनाओं की लागत में विभिन्न राज्यों के भाग का सही प्रतिशत निर्धारित करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि तदर्थ प्रतिशत ठीक-ठीक निर्धारित नहीं हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान सरकार ने परियोजनाओं की लागत में सम्बन्धित सरकारों के भाग को अन्तिम रूप से निर्धारित करने के लिये अनुरोध किया है ।

(ख) भागीदार राज्यों के प्रतिशतता भागों को अन्तिम रूप दिये बिना ही तदर्थ रूप से निर्धारित किया गया है और सभी राज्य इस पर आपस में सहमत थे ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

उर्वरकों की उत्पादन क्षमता का विस्तार

1390. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों की क्षमता का विस्तार करने से पहले भरण सामग्री तथा विद्युत की कमी जिसके कारण बड़े पैमाने पर वर्तमान क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका, को दूर करने के लिये योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) बी० एच० सी० कास्टिक सोडा सल्फूरिक एसिड नकली रबड़ और कोयले की कितनी मात्रा का उपयोग नहीं होता और बढ़ी हुई क्षमता का प्रयोग करने की योजना क्या है ; और

(ग) एटोमैटिक नेप्था क्रैकर, वैक्स क्रैकर तथा कैप्रोलैक्टम का उत्पादन औसतन किस लागत पर होगा तथा क्या ऊंचे दाम होने से संश्लिष्ट कपड़े तथा रबड़ के उत्पाद में प्रतिस्पर्धा कम नहीं हो जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) वर्तमान कारखानों में सम्भरण सामग्री की कोई कमी नहीं हुई । विद्युत की कमी के बारे में जरूरत के अनुसार यथा सम्भव उचित उपाय किये जा रहे हैं । अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस देते समय, प्रत्येक कारखाने के लिये सम्भरण सामग्री, विद्युत आदि की उपलब्धता पर सावधानी से जांच की जाती है ।

(ख) बी० एच० सी० क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है । कास्टिक सोडे की अप्रयुक्त क्षमता लगभग 15,000 मीटरी टन प्रति वर्ष है और क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करने के सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं । सल्फ्यूरिक एसिड तथा कोयले की अप्रयुक्त क्षमताएं क्रमशः 9,00,000 मीटरी टन तथा 20 मिलियन टन हैं । इन मदों का उत्पादन मांग के अनुसार नियमित किया जाता है और इनकी मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन बढ़ा दिया जायेगा । सिन्थेटिक रबर की अप्रयुक्त क्षमता 5,000 मीटरी टन प्रति वर्ष है जिसका कुछ कारण अल्कोहल की अनुपलब्धि है और कुछ अल्प मांग है । कच्चे माल की सप्लाई में यथा सम्भव सहायता दी जा रही है तथा रबर इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को सिन्थैटिक रबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिये मनाया जा रहा है ।

(ग) इस समय यह आशा है कि पेट्रो कैमिकल परियोजनाओं में, जिनका सदस्य महोदय ने जिकर किया है, उत्पादन लागत शायद अनुचित रूप से अधिक न हो, जिससे कि उत्पादों के

विक्रय मूल्य इसी प्रकार की आयातित उत्पादों की लागत में बहुत अधिक हो जायें । इस अवस्था में इस बारे में कोई सही आंकड़े बताना सम्भव नहीं है ।

मद्रास भेषज कारखाना

1091. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास भेषज कारखाने में श्रम का केवल 58.42 प्रतिशत तथा वर्कशाप में केवल 58.6 प्रतिशत उपयोग करने के लिये दायित्व निर्धारित कर दिया गया है ; और

(ख) स्थानीय खरीद का अनुपात बहुत अधिक होने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में दायित्व सामान्यरूप से निर्धारित किया गया है अथवा व्यक्तिगत रूप से ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्य महोदय का मद्रास भेषज कारखाने से क्या आशय है ।

Deposits of Rock Phosphate in Uttar Pradesh and Rajasthan

1092. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether survey has been completed in regard to the huge deposits of rock phosphate discovered in Uttar Pradesh and Rajasthan and if so, the details thereof ;

(b) whether there is a scheme to utilise the said rock phosphate instead of importing it for the Sindri Unit ; and

(c) the extent of phosphorous (P_2O_5) content in the said rocks and whether it is possible to utilise these rocks from technical point of view and if so, the progress made in utilising them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) No, Sir. Detailed exploration by the Geological Survey of India is still continuing.

(b) It is proposed to use rock phosphate from Uttar Pradesh as well as from Rajasthan for manufacture of fertilizer.

(c) The P_2O_5 content of rock phosphate available in Uttar Pradesh is low whereas some of the deposits in Rajasthan contain above 30% P_2O_5. Rock phosphate from Uttar Pradesh will require beneficiation before it is utilized. However, some of the rock phosphates available in Rajasthan can be utilised directly. The Hindustan Zinc Ltd. will be shortly utilising rock phosphate from Rajasthan for the production of Single Superphosphate.

Irrigation Projects

1093. **Shri Maharaj Singh Bharati**
Shri Ram Charan :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only those incomplete irrigation projects which were taken up many years before, would be completed in the Fourth Plan period and only Rs. 97 crores would be spent on the preliminary work on the new projects ;

(b) if so, whether Government propose not to undertake new irrigation projects during the Fifth Plan period ; and

(c) whether a change has taken place in the technique of dam-construction which would help in expeditious construction of dams ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). As the allotments made in the draft Fourth Plan, particularly for new irrigation projects and for power generation schemes are very inadequate, the matter was discussed at the recent Conference of the State Ministers of Irrigation and Power. The Conference passed a Resolution requesting the National Development Council that additional Central Plan assistance which may become available after the proposed review by Planning Commission and Ministry of Finance should be exclusively earmarked for irrigation and power sectors of the States to accelerate the quantum of basic inputs necessary for food production and solving the acute unemployment problem.

The Planning Commission have been requested to consider this recommendation when the question of allocation of additional resources is taken up.

The technique of dam construction undergoes changes as a result of research, experience and introduction of new construction equipment and the economics arising will help in reducing the cost of the projects and period of their completion.

Expansion of Gauhati Refinery

1094. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Bibhuti Mishra :
Sbri Bedabrata Barua :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether a final decision has been taken in regard to the expansion of the Gauhati Refinery ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether efforts would be made to manufacture all varieties of costly oils and wax in addition to petroleum from Assam crude oil under the expansion scheme so that the factory may make profit ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) to (c). It has been recently decided to raise the capacity of Gauhati Refinery from 0.75 million tonnes to 1.1 million tonnes per year. The refinery's product pattern will continue to be on the present pattern. There is no intention to produce wax at this refinery.

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये वाहन

1095. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितने वाहन सप्लाई किये गये ।

(ख) उनमें से कितने वाहन काम करने की स्थिति में हैं ; और

(ग) सरकार ने उनके समुचित अनुरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है, 2728 वाहन दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1396/69]

(ख) 1445 वाहन काम करने की स्थिति में हैं और 1008 वाहनों को अधिक मामूली मरम्मत की जरूरत है ।

(ग) वाहनों के समुचित अनुरक्षण के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ।

(1) अधिकांश राज्यों ने राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन स्थापित कर लिये हैं और अधिक से अधिक वाहनों को चालू रखने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(2) वाहनों के अनुरक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार उन फालतू पुर्जों को जो कि नगरों में स्थानीय रूप से कठिनाई से प्राप्त होते हैं राज्य सरकारों को देती आ रही है ।

राज्यों को 1966-67 और 1967-68 में 8.50 लाख रुपये के और 1968-69 में 6 लाख रुपये के पुर्जे सप्लाई किये गये । 1969-70 के लिये 8.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

(3) 40 वाहनों के अंगोपयोग के लिये एक मार्गदर्शी परियोजना हाथ में ले ली गई है ।

(4) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन, दिल्ली वाहनों के समुचित अनुरक्षण और मरम्मत के काम में उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये विभिन्न राज्यों के राज्य स्वास्थ्य परिवहन अधिकारियों, ड्राइवरों और मेकेनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है ।

(5) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय के अधिकारी राज्यों/संघ क्षेत्रों के अपने दौरों के दौरान वाहनों की मरम्मत के कार्य में हुई प्रगति को देखते हैं तथा ऐसे कल-पुर्जों को, जो तत्काल उपलब्ध नहीं होते, प्राप्त करने में राज्यों और संघ क्षेत्रों को सलाह तथा सहायता देते हैं।

नई दिल्ली में किदवई नगर के चतुर्थ श्रेणी के मकानों के निवासियों की शिकायतें

1096. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किदवई नगर (नई दिल्ली) के चतुर्थ श्रेणी के मकानों के निवासियों द्वारा बार बार ज्ञापन दिये जाने पर भी केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का बागबानी विभाग बस्ती को स्वच्छ रखने तथा घास के लान लगाने की तनिक चिन्ता नहीं करता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि किदवई नगर के चतुर्थ श्रेणी मकानों का इन्क्वायरी आफीसर लोगों की शिकायतों की ओर तुरन्त ध्यान नहीं देता ; और

(ग) यदि हां, तो इन निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने तथा ये सुविधायें प्रदान करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान प्रभाग का उत्तर-दायित्व केवल इन क्वार्टरों के बजरी मार्ग की झाड़ू देने तथा घास के मैदानों का अनुरक्षण करना है। इन कार्यों को समुचित रूप से किया जा रहा है। इन क्वार्टरों में घास के मैदान भी लगा दिये गये हैं।

(ख) पूछताछ से पता चला है कि अधिकांश शिकायतों पर तीन दिन के भीतर कार्यवाही कर दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी बस्तियों में बिजली के नंगे तारों को उचित तरीके से ढकना

1097. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई दुर्घटनाएं होने तथा निवासियों द्वारा अभ्यावेदन पर भी किदवई नगर तथा नेताजी नगर के चतुर्थ श्रेणी के सरकारी मकानों में नंगे तारों को उचित तरीके से नहीं ढका गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । बिजली के तारों में उचित रोधन होता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवास समस्या को हल करने के लिये एक स्वायत्त शासी निकाय की स्थापना

1098. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री न० कु० सांधी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास की समस्या को हल करने के लिये एक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह स्वायत्तशासी निकाय देश के नगरीय आवास, विशेषकर दिल्ली की आवास समस्या को, कब तक हल करना आरम्भ कर देगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ब्योरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है । तथापि, जब कभी केन्द्रीय आवास प्राधिकरण स्थापित होगा तो वह राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के आवासीय कार्यक्रमों का समर्थन तथा समन्वय करेगा ।

तमिलनाडु तथा केरल के मध्य पानी के बटवारे के बारे में अन्तर्राज्य समझौता

1099. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाबिकुलम अलियार तथा भवानी जल योजनाओं के जल के बटवारे के

सम्बन्ध में तमिलनाडु तथा केरल के मुख्य मंत्रियों ने दिनांक 10-5-69 को एक अन्तर्राज्य समझौते पर हस्ताक्षर किये थे ; और

(ख) क्या इस समझौते का ब्योरा इस सभा के सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). परमाबिकुलम अलियार परियोजना तथा केरल और तमिल नाडु के नदी पानी सम्बन्धी अन्य प्रश्नों के बारे में केरल तथा तमिल नाडु के मुख्यमन्त्रियों तथा केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री के बीच 10-5-1969 को त्रिवेन्द्रम में बातचीत हुई थी ।

निम्नलिखित निर्णय किये गये थे

I. **परमाबिकुलम अलियार परियोजना** : केरल और तमिलनाडु के बीच इस विषय पर पहले किये गये निर्णयों में निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ परमाबिकुलम अलियार परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने पर सहमति हो गई :

(1) जैसे कि 1958 में पहले सहमति हो गई थी निरार नदी से तमिलनाडु पानी ले सकेगा क्योंकि टक्काडी बांध परियोजना को त्याग दिया जायेगा। तमिलनाडु द्वारा परमाबिकुलम पेरावारीपल्लम, तुनाकादाबू और निरार प्रस्तावित जलाशयों से 16.5. टी० एम० सी० से अधिक पानी नहीं ले सकेगा और न इससे अधिक का प्रयोग कर सकेगा । निरार बान्ध से लिये जाने वाले पानी से यह पानी अलग है ।

पेरूवारीपल्लम और तुनाकादाबू बांधों का निर्माण तमिल नाडु द्वारा किया जायेगा और पानी का प्रयोग परमाबिकुलम अलियार प्रणाली में किया जायेगा ।

(2) परमाबिकुलम अलियार प्रणाली में प्रयोग के लिये तमिलनाडु अनामालियार से 2.5 टी० एम० सी० पानी ले सकता है । परन्तु ऐसा केरल सरकार द्वारा एदायालपार जलाशय के निर्माण के बाद किया जायेगा । केरल सरकार तमिलनाडु और आगे सन्दर्भ के बिना पेरीयार प्रणाली में परियोजनाएं आरम्भ करेगी ।

(3) (क) परियोजना सम्बन्धी सभी नदियों की संयुक्त गेजिंग अभी तक नहीं की गई है। पहले किये गये निर्णयों के अनुसार नदियों में उपलब्ध वास्तविक प्रवाह और केरल के दांयां की ओर मोड़े जाने वाले फालतू पानी का निश्चय 10 वर्षों के लिए तमिलनाडु तथा केरल दोनों राज्यों द्वारा गेजिंग किये जाने के बाद किया जायेगा। संयुक्त गेजिंग का काम शीघ्र किया जायेगा।

(ख) पानी के विनियमन के लिये सिंचाई के भारसाधक मुख्य इन्जीनियरों तथा दोनों राज्यों के बिजली बोर्डों के एक एक प्रतिनिधियों पर आधारित संयुक्त बोर्ड बनाया जायेगा ।

(4) 1958 में इस बात पर सहमति हो गई थी कि 16.5 टी० एम० सी० से 2.5 टी० एम० सी० तक फालतू पानी केरल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु केरल ने संथुमपाई नहर से अथवा सिरकारपायी बिजली घर से उच्च स्तरीय नहर की शाखायें बनाने के लिये अनुरोध किया है। तमिलनाडु में इस नहर की लागत केरल सरकार द्वारा वहन की जायेगी। जैसे कि पहले सहमति हो गई है यदि 19 टी० एम० सी० से अधिक पानी होता है तो उसको चलाकुडी बेसिन में डाल दिया जायेगा।

(5) जैसे कि पहले सहमति हो गई है प्रत्येक वर्ष केरल सीमा पर 7.25 टी० एम० सी० पानी उपलब्ध किया जायेगा। यह पानी बाढ़ के पानी से अलग है जिसको सिंचाई के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता।

तमिलनाडु द्वारा केरल को महीने में दो बार पानी का हिसाब दिया जायेगा।

II. भवानी बेसिन

सिरुवानी जलाशय के निर्माण के पश्चात अट्टापाडी घाटी भूमि की सिंचाई के लिये केरल भवानी बेसिन में 2.5 टी० एम० सी० पानी का प्रयोग किया जायेगा।

III. पम्भर बेसिन

केरल में भूमि की सिंचाई के लिये पम्भर घाटी में केरल 0.6 टी० एम० सी० पानी का प्रयोग करेगा।

IV. कोयम्बतूर पानी सप्लाई

कोयम्बतूर को 1.3 टी० एम० सी० पीने के पानी की सप्लाई के लिये सिरुवानी नदी पर उपयुक्त क्षमता का एक जलाशय बनाया जायेगा। केरल की सीमाओं में सिरुवानी बांध परियोजना की लागत को तमिलनाडु सरकार द्वारा वहन किया जायेगा : तमिलनाडु सरकार के डिजायन तथा विवरणों के अनुसार और केरल सरकार द्वारा इनके अनुमोदन पर सिरूवानी बांध के निर्माण की लागत को केरल सरकार वहन करेगी।

पीने के पानी की सप्लाई के लिये जलाशय का कार्यसंचालन दोनों राज्यों के इन्जीनियरों के बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

V. कार्य को आरम्भ किया जाना

वर्तमान बैठक में किये गये निर्णयों के अनुसार एक महीने के समय में परमाबिकुलम अलियार तथा सिरुवानी परियोजनाओं के बारे में ब्योरा तैयार हो जाने के पश्चात् तमिलनाडु तथा केरल सरकारें परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ कर सकती हैं।

VI. काबिनी तथा सम्बन्धित मामले

काबिनी तथा सम्बन्धित मामलों के प्रश्न केरल तथा तमिलनाडु सरकारों के बीच और आगे चर्चा की जायेगी ।

हस्ताक्षर : ई० एम० एम० नम्बूदिरीपाद
मुख्य मंत्री, केरल

हस्ताक्षर
एम० करुणानिधि
10-5-69
मुख्य मंत्री
तमिलनाडु

हस्ताक्षर कु० ला० राव
10-5-69
केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री

राजस्थान में मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं के लिये धनराशि का नियतन

1100. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार तथा आयोजना से मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं के लिये और अधिक धनराशि देने की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने यह दलील पेश की है कि जब तक इन योजनाओं को हाथ में नहीं लिया जायेगा तब तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए असन्तुलन को दूर नहीं किया जा सकता ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले पर विचार किया हैं ; और

(घ) इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). ब्यास परियोजना के परिव्यय को घटाकर, राजस्थान सरकार ने तीन मध्यम सिंचाई स्कीमों, अर्थात् आखम, जेतपुरा तथा सेई व्यपवर्तन स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है । यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है ।

राजस्थान के आदिम जातीय क्षेत्रों में जल संसाधनों का विकास

1101. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के आदिम जाति क्षेत्रों का आर्थिक विकास योजना के लक्ष्यों के अनुसार नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रयोग खेती के विकास के लिये नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आदिम जाति के लोगों में, जिनकी क्रय-शक्ति सीमित है कोई भी खर्चीला सिंचाई का तरीका प्रचालित नहीं हो सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के आदिम जाति क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रयोग करने और आदिम जाति लोगों को ऐसी दर पर जिसे वे सहन कर सकें, सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में कोई योजना तैयार की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जल-विद्युत संसाधन

1103. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री भोलानाथ मास्टर :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अनुमान के अनुसार देश को आगे कई वर्षों तक जल-विद्युत संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा और मंत्रालय ने अणुशक्ति को विद्युत उत्पादन का मुख्य साधन होने की बात अस्वीकार कर दी है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के विचार अणुशक्ति आयोग के विचारों के प्रतिकूल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या एक दूसरे से भिन्न व्यक्त किये गये ऐसे विचारों के परिणाम-स्वरूप देश में अणुशक्ति के विकास में बाधा आने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). देश में जल विद्युत संसाधनों और कोयले की उपलभ्य राशियां पर्याप्त मात्रा में हैं । थोरियम के निक्षेप भी, जिसका परमाणु बिजली केन्द्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग हो सकता है, बहुत दूर तक फैले हुए बताये जाते हैं । चूंकि जल-संसाधनों और कोयले की उपलभ्य राशियों का देश में समरूप वितरण नहीं है, इसलिए यह आवश्यक होगा कि जल संसाधनों में अपूर्ण क्षेत्रों और/अथवा कोयला क्षेत्रों से दूरी पर स्थित क्षेत्रों में परमाणु बिजली केन्द्र बनाए जाएं ।

चौथी योजना के दौरान परमाणु बिजली विकास कार्यक्रम को इस समय तारापुर, राजाप्रतापसागर और कल्पक्कम परमाणु परियोजनाओं के पूर्ण होने तक सीमित रखा गया है जो कि प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं । परमाणु बिजली केन्द्रों के विकास के प्रश्न पर सम्बन्धित मंत्रालयों में कोई मतभेद नहीं है ।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक के कार्य की जांच

1104. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक के कार्य की जांच करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निदेशपद क्या हैं तथा यह जांच कब पूरी होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तस्करी का रोका जाना

1105. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क सम्बन्धी अपराध, जैसे तस्करी के अपराधी बहुत कम संख्या में पकड़े जाते हैं, अथवा गिरफ्तार किये जाते हैं ;

(ख) क्या भारत-नैपाल और पश्चिम पाकिस्तान-राजस्थान सीमाओं पर बड़े पैमाने पर तस्करी को रोकने के लिये सरकार का विचार स्थानीय पुलिस और सीमा शुल्क विभाग की एजेंसियों में अधिक समन्वय करने के बारे में कोई योजना तैयार करने का है;

(ग) क्या भारतीय और विदेशी विमान सेवाओं से तस्करी में सांठ-गांठ करने वाले विभिन्न विमान अधिकारियों का पता लगाने और उनका दमन करने में सहायता देने का अनुरोध किया गया है ; और

(घ) विभिन्न विमान सेवाओं के कितने कर्मचारियों को तस्करी का कार्य करने के कारण पकड़ा गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत-नेपाल सीमा पर कार्य करने वाली सभी प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच व्यवस्थित समन्वय के लिये केन्द्रीय तथा संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गयी है। वर्तमान में, पश्चिम पाकिस्तान-राजस्थान सीमा पर तस्कर आयात-निर्यात बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। फिर भी स्थानीय पुलिस तथा सीमा-शुल्क विभाग में सम्यक समन्वय है ।

(ग) तस्कर आयात निर्यात के मामलों का पत्ता लगाने के लिए, जब कभी आवश्यक होता है, भारतीय तथा विदेशी एयरलाइनों का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(घ) यह वर्ष 1966 से 1968 तक तथा वर्ष 1969 में 30 जून, 1969 तक विभिन्न एयरलाइनों के 16 कर्मचारियों को तस्कर-आयात-निर्यात में ग्रस्त होने के कारण पकड़ा गया था।

पंजाब उर्वरक कारखाना

1106. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उस सरकारी क्षेत्र में राज्य में एक उर्वरक कारखाना लगाने की अनुमति दे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम ने भाटिण्डा में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए, इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेण्ट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1951 के अन्तर्गत एक लाइसेन्स के बारे में सितम्बर, 1967 में एक प्रार्थनापत्र भेजा था। केस (मामले) की जांच करने के बाद निगम को सूचित किया गया था कि यह प्रस्तावित था कि उनके प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किया जाये परन्तु यदि वह कोई अभ्यावेदन भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। क्योंकि अभ्यावेदन भेजने के लिए निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ; सरकार प्रार्थना-पत्र को अन्तिम रूप से अस्वीकार करने का विचार कर रही है।

Employees of State Bank knowing Hindi

1107. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of employees of the State Bank of India who have working knowledge of Hindi and the number of those employees who have no knowledge of Hindi ;

(b) the arrangements made to teach Hindi to those employees who do not know Hindi ; and

(c) the number of persons learning Hindi at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) 35,538 employees have working knowledge of Hindi while 20,390 have no knowledge of Hindi.

(b) While there are no arrangements to teach Hindi, the Bank proposes to introduce a scheme to encourage the learning of Hindi by its staff.

(c) 747 employees are at present learning Hindi on their own.

Central Assistance to Cancer Hospital in Indore

1108. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether financial assistance, or assistance in any form, has been sought from the Central Government for the Cancer Hospital likely to be started in Indore in Madhya Pradesh ;

(b) whether it is a fact that a request has been made for some machines ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). No financial assistance has been sought but a request for the supply of a Cobalt Therapy Unit has been made.

(c) One Cobalt Therapy Unit out of the lot expected from Canada under the Colombo Plan will be supplied to Cancer Hospital, Indore.

Central Assistance for Ayurvedic System in Madhya Pradesh

1109. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any financial assistance is given by the Central Government for giving encouragement to the Ayurvedic System of Treatment in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). Medical relief being a State subject, no financial assistance is provided by the Central Government for the purpose. Financial assistance is, however, provided by the Central Government to the States for Post-graduate Education and Research in Ayurveda. No scheme relating to the post-graduate education has so far been received from the Madhya Pradesh Government. The Government of Madhya Pradesh have furnished research schemes in Indian System of Medicine, which are under consideration. An amount of Rs. 18,000 was sanctioned to the Government of Madhya Pradesh during 1968-69 for Research in Ayurvedic Colleges. In addition, the Indian Council of Medical Research have set up units for carrying out research in indigenous drugs in Madhya Pradesh and financial assistance is being given to these units by the Council out of the grants sanctioned to it by the Central Government. An amount of Rs. 61,147 was sanctioned to these Units during 1968-69 and an amount of Rs. 83,400 has been proposed in the Budget Estimates for 1969-70.

Central Assistance for Medical Colleges in Madhya Pradesh

1110. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any financial assistance is given by the Central Government for the Medical Colleges in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of the colleges and the amount of assistance given to each of them ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether seats are reserved in these colleges for Central quota ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Before the commencement of the Fourth Five Year Plan with effect from 1-4-1969, Central assistance was provided to the State for under graduate medical education under two schemes one Centrally aided and the other Centrally sponsored. Assistance under the former schemes was released for all the Centrally aided Schemes together in lump and hence it is not possible to indicate the amount utilised for the Medical Colleges specifically. Assistance under the latter scheme was provided as follows during the last three years :

1966-67	..	Nil
1967-68	..	Rs. 0.60 lakhs.
1968-69	..	Rs. 0.60 lakhs.

The Centrally sponsored scheme for the expansion of the admission capacity of medical colleges has been discontinued from the current year and the scheme for the establishment of new medical colleges has been included in the State Plan. In the Fourth Five Year Plan Central assistance for all the State Plan Schemes will be provided in the form of block loans and grants.

(c) Does not arise.

(d) Yes.

Measures to Check Floods in Rajasthan

1111. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some measures have been taken to check floods in Rajasthan ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Measures taken to reduce the damage caused by floods and drainage congestion include construction of embankments, drainage channels, town protection works and diversion of flood flows. A sum of Rs. 7 crores has been spent so far for the purpose. The important

works which have been taken up are:

	Name of scheme	Estimated cost	Status
(1)	(a) Scheme for diversion of river Ghaggar into sand dunes.	Rs. 4.2 crores	completed
	(b) Further works on the above for its efficient functioning	Rs. 1.5 crores	under execution.
(2)	Bharatpur City Flood Control	Rs. 35 lakhs	To be completed during 1969-70
(3)	Pahari Kama Drain	Rs. 45 lakhs	—do—
(4)	Protection to Bharatpur and adjacent areas	Rs. 81 lakhs	Work in progress.
(5)	Small works in Bharatpur District	Rs. 30 lakhs	—do—

(c) Does not arise.

फिल्मी कलाकारों को जीवन बीमा पालिसियों के माध्यम से भुगतान

1112. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड आफ इंडिया" ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है जिसमें काले धन की बुराई को कम से कम करने के लिये फिल्म कलाकारों का जीवन बीमा पालिसियों द्वारा अस्थगित भुगतान की प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने "फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड आफ इंडिया" द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस पर विचार किया जा रहा है ।

गर्भपात को वैध करार दिया जाना

1113. **श्री अदिचन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गर्भपात को वैध करार दिये जाने

के निर्णय में विलम्ब किये जाने का लाभ उठा कर बहुत बड़ी संख्या में अनर्हता और अर्हता प्राप्त महिला डाक्टर मुख्य रूप से गर्भपात का कार्य कर रही हैं और उन लोगों से जो अपने परिवार को सीमित रखने के इच्छुक हैं बहुत अधिक फीस ले रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस वृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इन डाक्टरों को किन परिस्थितियों में खुले तौर पर उक्त व्यवसाय को करने की अनुमति दी गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). अवैध गर्भपातों के लिये मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार प्रतीत होती हैं। ऐसे गर्भपात के मामलों पर, जिनकी सूचना मिलती है, कानूनी कार्यवाही की जाती है।

सरकार चैकित्सिक गर्भान्ति की शर्तों को उदार बनाने सम्बन्धी एक विधयक पर विचार कर रही है।

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मामले

1114. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों में भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज कराये गये हैं ; और

(ख) किन-किन अधिकारियों का चालान किया गया है और यदि उन्हें किसी प्रकार का दंड दिया गया है तो क्या दण्ड दिया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) इस मंत्रालय के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

1115. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों में गये अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनके दौरों का उद्देश्य क्या था और कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) क्या उनके दौरों से कोई लाभ हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बृहत कलकत्ता का विकास

1116. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में वृहत कलकत्ता की विकास सम्बन्धी परियोजनाओं और योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विकास कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उनको कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) विकास कार्य के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गई है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है और केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता का हिसाब किस आधार पर लगाया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गैर-सरकारी बैंकों द्वारा थोक व्यापार में पूंजी का विनियोजन

1117. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार थोक व्यापार में पूंजी विनियोजन करने वाले गैर-सरकारी बैंकों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जी नहीं ।

कलकत्ता के महानगर आयोजन संगठन में फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञ

1118. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता के महानगर आयोजन संगठन में काम करने वाले फोर्ड फाउन्डेशन के 5 अमरीकी विशेषज्ञों को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य छोड़कर चले जाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस निर्णय के क्या कारण बताये हैं;

(ग) क्या फोर्ड फाउन्डेशन कलकत्ता के महानगर आयोजन संगठन को कोई वित्तीय सहायता दिया करता था;

(घ) यदि हां, तो अब तक उसने कितनी राशि की सहायता दी है; और

(ङ) क्या इन विशेषज्ञों को वापस भेज देने के पश्चात् फोर्ड फाउन्डेशन वित्तीय सहायता देना बन्द कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) समाचार-पत्रों में विभिन्न समाचार प्रकाशित हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि कलकत्ता महानगर आयोजन संगठन में फोर्ड प्रतिष्ठान के जो सलाहकार काम कर रहे है, उन्हें राज्य छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा गया है ।

(ख) और (ङ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 45.4 लाख डालर ।

आसाम में बाढ़ की समस्याएं

1119. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की बाढ़ समस्याओं की जांच करने के लिये आसाम में विशेषज्ञों के जिस दल को भेजा गया था, उसके साथ राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में धरोई सिंचाई परियोजना

1120. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल ही में गुजरात राज्य की धरोई सिंचाई परियोजना के शीघ्र स्वीकार कराने के लिये अपना कोई अधिकारी भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). धरोई परियोजना के सम्बन्ध में सिंचाई व बिजली मंत्रालय के एक परामर्शदाता ने गुजरात तथा राजस्थान सरकारों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था। उसने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर स्वामिस्व

1121. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में मैसूर राज्य से निर्यात किये गये लोह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर राज्य सरकार को उसके स्वामित्व में से समुचित योग दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि का वर्ष-वार और खानवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1968-69 के लिये मैसूर राज्य के भाग का कोई अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या इस बारे में हिसाब रेलवे स्टेशनों और सड़क परिवहन द्वारा भेजे गये माल से लगाया गया है या बन्दरगाहों द्वारा भेजे गये माल से ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ङ). स्वामिस्व खनिज रियायतों के अन्तर्गत क्षेत्रों से निकाले गये सभी खनिजों पर लगाया जाता है और न कि केवल उन खनिजों पर जो कि रेल या सड़क परिवहनों के द्वारा राज्य से बाहर या बन्दरगाहों के द्वारा देश से बाहर भेजे जाते हैं। खनिजों पर उगाहे गये स्वामिस्व की सारी राशि संबंधित राज्य सरकार की आय का भाग बनती है। 1965-66, 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 वर्षों के दौरान मैसूर राज्य द्वारा उगाहे गये स्वामिस्व की कुल राशि के ब्योरे नीचे दिये गये हैं :

1965-66	47,88,383 रुपये
1966-67	60,15,973 रुपये
1967-68	52,32,851 रुपये
1968-69	73,79,418 रुपये

खान अनुसार उगाहे गये स्वामिस्व की राशि के ब्योरे एकत्रित किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

धन-कर में शामिल बहुत देर चलने वाली वस्तुएं

1122. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आय-कर अधिकारी धन-कर का हिसाब लगाते हुए मोटर-कार को भी सम्मिलित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो कार को, निजी सम्पत्ति होते हुए भी, धन-कर में सम्मिलित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) धन-कर में देर तक चलने वाली जिन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) निर्धारितियों के शुद्ध धन का निर्धारण करने में धन-कर अधिकारी सामान्यत: एक मोटर-कार का मूल्य छोड़ देते हैं जो निर्धारिती के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये होती है और जिसे धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) (viii) के अनुसार व्यक्तिगत अथवा घरेलू उपयोग की वस्तु माना जाता है। निर्धारिती द्वारा अपने व्यक्तिगत अथवा घरेलू उपयोग के लिये एक से अधिक मोटर-गाड़ियों का उपयोग करने का संतोषजनक सबूत उपस्थित करने पर धन-कर अधिकारी एक से अधिक मोटर-गाड़ी के मूल्य को धन-कर-निर्धारण के प्रयोजन के लिए शुद्ध धन में शामिल नहीं करता है। बिहार में धन-कर अधिकारियों द्वारा निर्धारितियों को मोटर-कारों के बारे में इस प्रकार की छूट देने से इन्कार नहीं किया जा रहा है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) धन-कर के लिये कर लगने योग्य परिसम्पत्तियों में सभी प्रकार की चल अथवा अचल जायदाद शामिल है। इसमें वह जायदाद शामिल नहीं है जिसे धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 (ङ) अथवा धारा 5 के अन्तर्गत विशेष रूप से छूट मिली हुई है।

गुजरात के एक आवास बोर्ड को ऋण

1123. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अपने हाल ही के दौरे में नये मकान बनाने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये गुजरात राज्य के आवास बोर्ड को 200 करोड़ रुपये का ऋण देने का वचन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं। गुजरात आवास बोर्ड से चर्चा के

दौरान इन्हें केवल इतना कहा गया कि आवास-निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए, देश के लिए कुल मिलाकर लगभग 200 करोड़ रुपये के एक 'रिवाल्विंग फण्ड' को बनाने का विचार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

मैसर्स विलासको इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता द्वारा राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को विशेष इस्पात का संभरण

1124. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान कलकत्ता की मैसर्स विलासको इंजीनियरिंग कम्पनी के मालिक तथा इस कम्पनी से संबंधित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें में 2 जून, 1969 को प्रैजीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान क्षेत्र में भाखड़ा-नांगल परियोजना की क्रियान्विति और तापीय विद्युत्शक्ति योजना के संबंध में केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये बोर्ड से कोटा सर्टिफिकेट तथा सब-कोटा सर्टिफिकेट प्राप्त करने और राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को धोखा देने के आरोप में अभियुक्त को दंड दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच की है जिनमें कलकत्ता इंजीनियरिंग कम्पनी को, जिनका राजस्थान में कोई संस्थान नहीं है, केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कोटा के आधार पर राजस्थान में भाखड़ा-नांगल परियोजना क्रियान्वित करने के संबंध में राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को विशेष किस्म का इस्पात सप्लाई करने का कार्य सौंपा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). यह जानकारी राजस्थान सरकार, जो इससे संबंधित है, से मंगाई जा रही है। जैसे ही उपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जायेगी, इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

मनीपुर सरकार के चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशन

1125. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 31 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4801 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है कि मनीपुर सरकार के चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशनों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण करके उसको आसाम के दिए गए वेतनक्रमों के बराबर कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह पुनरीक्षण कब से किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है।

लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के कार्य-भारित कर्मचारी

1126. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1670 के भाग (ग) और भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के कार्यभारित कर्मचारियों के सेवा-रिकार्ड को ठीक करने के लिये प्रस्तावित तदर्थ समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है और कर्मचारियों का सेवा-रिकार्ड यथायोग्य ठीक कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो तदर्थ समिति बनाये जाने और कार्यभारित कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड को पूरा करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और कार्यभारित कर्मचारी स्वीकृत स्थायी पदों पर कब तक स्थायी हो जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्रश्न के पूर्व भाग का उत्तर हां में है। कार्य प्रभारित स्टाफ के सेवा अभिलेखों की जांच तदर्थ समिति द्वारा की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मणिपुर सरकार ने यह सूचित किया है कि कार्य प्रभारित स्टाफ के सेवा-अभिलेखों की जांच लगभग आठ मास में पूरी हो जायगी। तत्पश्चात पात्र कार्य प्रभारित कर्मचारियों को स्वीकृत स्थाई पदों में स्थाई कर दिया जायेगा।

Financial Assistance to States for Family Planning Programme

1127. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6286 on the 14th April, 1969 and state :

(a) whether Government have since allotted funds to States for Family Planning Programme for the year 1969-70 ; and

(b) if so, the amount allotted to Madhya Pradesh for this financial year ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) Rs. 252.04 lakhs.

Fraudulent Vasectomy Operations

1128. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government had asked the State Governments of Punjab, Haryana, Uttar

Pradesh and Rajasthan to collect information about the cases filed by some persons against the doctors for performing vasectomy operations on them by fraud;

(b) if so, the number of cases filed in the above States according to information collected by the Central Government and the number out of them in which the Courts have since given their verdicts; and

(c) the number of doctors convicted by the courts and the amounts of fine imposed on them?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) to (c). The required information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Sahu Jain Group of Industries

1129. **Shri Hukam Chand Kachwai**:

Shri Jyotirmoy Basu:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8537 on the 6th May, 1969 and state:

(a) the amount of Income-tax outstanding at present against the 26 companies of the Sahu Jain group; and

(b) the steps Government propose to take to realise the Income-tax arrears?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). Information as on 1st March, 1969 is available in respect of 23 out of 26 companies of the Sahu Jain group. The same is given in the annexure. **[Placed in the Library. See No. LT-1397/69]** For the remaining three companies, information is being collected and will be laid on the Table of the House, as soon as possible.

काम्पटी में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये भत्तों की मंजूरी

1130. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम्पटी (महाराष्ट्र) में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देने के बारे में संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मांग की है और कर्मचारियों ने इसके लिये क्या औचित्य बताया है;

(ग) क्या इस मांग को स्वीकार करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). काम्पटी में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर निवास प्रतिपूर्ति सम्बन्धी भत्ता संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से अभ्यावेदन मिला है कि उनको नागपुर में मिलने वाली दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया जाना चाहिये, जो मांग मुख्यत: इस आधार पर की गई है कि काम्पटी, नागपुर का उपनगर है ।

(ग) और (घ). वर्तमान कसौटी के अनुसार नागपुर की दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता काम्पटी में तैनात कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि काम्पटी की एक अलग नगरपालिका है जो नागपुर निगम का संश्लिष्ट अंग नहीं है ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न फर्मों को दिये गये ऋण

1131. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) जीवन बीमा निगम (2) औद्योगिक वित्त निगम (3) औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम (4) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (5) राज्य वित्तीय निगम (6) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (7) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने (एक) साहू जैन सार्थ-समूह (दो) बांगुर सार्थ-समूह (तीन) गोयनका सार्थ-समूह (चार) किर्लोस्कर सार्थ-समूह और (पांच) सूरजमल नागरमल सार्थ-समूह के नियंत्रणाधीन फर्मों को कितनी राशि के ऋण, जिसमें उपरोक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत राशि भी शामिल है, दिया है; और

(ख) उक्त सार्थ-समूह के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों में जीवन बीमा निगम ने अब तक कुल कितना धन लगा रखा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 44 (1) के अनुसार, ऐसी जानकारी देना उस बैंक के लिए मना है । इसलिए जहां तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया का सम्बन्ध है, यह जानकारी देना सम्भव न होगा । अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

भारत को अनुदान देने वाले अमरीकी संस्थान

1132. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से अमरीकी संस्थान हैं जिन्होंने देश में व्यक्तियों तथा विभिन्न सरकारी संगठनों को अनुदान दिया है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठन को प्रत्येक संस्थान द्वारा नकदी तथा वस्तुओं के रूप में कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अनेक अमरीकी संस्थान 'सहायता' के आवरण में ऐसे कार्य करते रहे हैं जो देश के राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के पास इस समय फोर्ड फाउंडेशन, राकफेलर फाउंडेशन और कृषि विकास परिषद् के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है। इनके द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थानों को दिये जाने वाले अनुदान मुख्यतः अर्थ-प्रधान होते हैं। एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें इन फाउंडेशनों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1398/69]

(ग) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान गृह मंत्री द्वारा लोक-सभा में 28 मार्च, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 776 के उत्तर के भाग (घ) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना

1133. **श्री हेम बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले कुछ अति-उत्साही अधिकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने दो प्रमुख उपायों को अपनाया है :—(1) जनसंचार के समस्त साधनों द्वारा जनता में चेतना पैदा करना। ये साधन हैं :—प्रचल श्रव्य-दृश्य एकांश, पोर्टेबल प्रदर्शनी सैट, होर्डिंग, बस बोर्ड, भीत्री चित्र आदि प्रचार साधन, समाचार पत्र, रेडियो, फिल्म, सिनेमा स्लाइड, प्रदर्शनी आदि। (2) इस प्रकार उत्पन्न चेतना के बाद, शिक्षा विस्तार के माध्यम से दम्पत्तियों को व्यक्तिगत रूप में परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने और व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करना।

(ख) जी हां। ऐसे कुछेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, जिन पर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

अपंजीकृत औषध विक्रेता

1134. **श्री देवेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के औषध विक्रेता सरकार से अपंजीकृत औषध-विक्रेताओं को पंजीकृत करने के बारे में आवश्यक उपाय करने के लिये अनुरोध कर रहे हैं; और

(ख) क्या भारतीय औषध निर्माण परिषद् ने उनके मंत्रालय से औषध विक्रेताओं को मान्यता देने के लिये औषध निर्माण अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा के विस्थापित व्यक्तियों से जो कि पहले उन देशों में फार्मेसी का धन्धा कर रहे थे, फार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकृत किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ अभ्यावेदन ऐसे व्यक्तियों से भी प्राप्त हुए हैं जिन्होंने फार्मेसिस्टों का पहला रजिस्टर बनने के बाद कुछ राज्यों द्वारा चलाये गये कंपाउण्डर पाठ्यक्रम को पास कर लिया है। इन श्रेणियों के व्यक्तियों को पंजीकृत करने के लिए फार्मेसी एक्ट, 1948 में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

तटवर्ती प्रदेशों में तेल की खोज

1135. **श्री देवेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत के दो तटवर्ती प्रदेशों में—एक मद्रास तथा दूसरे अन्दमान द्वीपसमूह में तेल की खोज के कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिये फ्रैंच आयल कम्पनी के साथ बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस कार्य में कितनी पूंजी लगाई जायेगी और उसमें भारत का कितना हिस्सा होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उद्योगपतियों और व्यापारियों से ऋण की वसूली

1137. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में व्यापारियों और उद्योगपतियों से वसूल की गई ऋण की धन राशि से दो गुना धन-राशि तो सरकार को बट्टे खाते में डालनी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1967 को ऋण की बकाया धन-राशि कितनी है, वर्ष के अन्दर ऋण की कितनी धन-राशि वसूल की गई थी और उस वर्ष में ऋण की कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई ;

(ग) इतनी बड़ी धन-राशि बट्टे खाते में डालने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या वर्ष 1968-69 में भी यही प्रवृत्ति रही है और यदि हां, तो वर्ष 1968-69 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ङ) बट्टे खाते में डाली जाने वाली, ऋण की धन-राशि कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). सम्भवतः यह प्रश्न पाकिस्तान से आये विस्थापितों को व्यापार या उद्योग आरम्भ करने के लिये, भूतपूर्व पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों के संबंध में पूछा गया है। वास्तव में ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सामान्य अर्थों में व्यापारी या उद्योगपति नहीं कहा जा सकता।

पुनर्वास वित्त प्रशासन ने पाकिस्तान से आये लगभग 15,000 विस्थापित परिवारों को 11.22 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे। इन ऋणों के ब्याज की दरें $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच अलग अलग थीं और तुरन्त वापसी-अदायगी करने वालों को 1 प्रतिशत की छूट मिलती थी। ये ऋण मूलधन की प्रथम किस्त की वापसी और ब्याज की अदायगी के लिये 2 वर्ष की विलम्ब अवधि सहित, 15 वर्ष तक की अवधि में लौटाये जाने थे। इसमें से 31 मार्च 1969 तक कुल 10.42 करोड़ रुपये की रकम वसूल की जा चुकी है तथा 11489 ऋण खातों को अन्तिम रूप से बन्द किया जा चुका है। इस रकम में ऋणों के ब्याज की वसूल हुई रकम भी शामिल है।

अधिकांश अच्छे खाते 31 मार्च, 1967 से पहले निपटाये जा चुके थे और अब केवल वसूल न हो सकने वाले ऋणों के टेढ़े मामले ही बचे हैं। इसलिये 31 मार्च, 1967 के बाद काफी रकम वसूल नहीं की जा सकी।

इस समय बकाया ऋणों में से अधिकांश ऋण पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को दिये गये थे। इन विस्थापित व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये पुनर्वास वित्त प्रशासन ने जमानत संबंधी सामान्य व्यापारिक मानदण्डों में ढील दे दी थी। बहुत से मामलों में विस्थापित व्यक्तियों को ऐसे छोटे-छोटे व्यापार और उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण दिये गये थे, जिनका उन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं था। वे उन व्यापारों/उद्योगों को सफलतापूर्वक नहीं चला सके। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों पर और विशेषरूप से उन पर जो असम और उत्तर बंगाल में बसे थे, बाढ़ आदि दैवी विपत्तियों का और दंगों फसादों का बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कर्जदारों को ऋण लौटाने में और कठिनाइयां पैदा हो गयीं। सामान्य विधि प्रक्रिया के माध्यम से, संग्रहकर्ताओं के द्वारा वसूली के लिये की गई कार्रवाई सामान्यतः बहुत धीमी और बहुत से मामलों में निष्फल रही।

चूंकि बकाया ऋण के मामले बहुत टेढ़े हैं, इसलिये ऋण को छोटी-छोटी किस्तों में लम्बी अवधियों में वसूल करने की बजाय, ऋण की एक मुश्त तुरत अदायगी की अवस्था में

उसे कम करके लेने पर जोर दिया गया। एक मुश्त रकम, कर्जदार जमानतदार की वर्तमान वित्तीय शक्ति को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाती है। कर्जदार जमादार की वित्तीय क्षमता के निर्धारण और यथासम्भव अधिकतम रकम वसूल करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों की एक समिति लगातार इन ऋणों की समीक्षा कर रही है ताकि बट्टे खाते डाली जाने वाली रकम अन्ततः न्यूनतम हो सके।

प्रश्न के भाग (ख) और (घ) में मांगी गई सूचना इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

(ब्याज सहित) बकाया ऋण		(ब्याज सहित) वसूल ऋण		(ब्याज सहित) बट्टे खाते डाले गये ऋण	
31-9-1967 को	31-3-1968 को	1967-68 में	1968-69 में	1967-68 में	1968-69 में
362.00 (लगभग)	319.00	10.33	8.76	23.03	29.89

बम्बई में भारत के रक्षित बैंक के कार्यालय

1138. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षित बैंक कर्मचारी संघ ने यह शिकायत की है कि बम्बई में रक्षित बैंक के कार्यालय अस्वास्थ्यकर स्थान पर स्थित हैं और उसका कोई हल निकालने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या एक कार्यालय भवन हाल ही में बैठ गया था, और क्या कर्मचारी संघ ने कार्यालय भवनों की दयनीय स्थिति के बारे में पूर्ण जांच कराने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही का गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के संघ ने यह शिकायत की थी कि किराये पर ली गई इमारतों में से एक इमारत के आसपास सफाई नहीं है। इस इमारत में जो विभाग काम कर रहा है, उसके लिये बैंक ने दूसरी जगह प्राप्त कर ली है और अनुमान है कि मार्च, 1970 तक यह इमारत बन कर तैयार हो जायगी और इसका कब्जा मिल जायगा।

(ख) किराये पर ली गई एक इमारत की पहली मंजिल के काम में न लाये जाने वाले एक कमरे की छत, हाल ही में बैठ गयी थी। पर रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के संघ

से कार्यालयों का इमारतों के बारे में पूरी जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) जैसे ही छत बैठने की घटना हुई थी, वैसे ही उस इमारत में काम करने वाले विभागों को दूसरी जगह पर भेज दिया गया था ।

जैसलमेर क्षेत्र में तेल निकाला जाना

1139. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में तेल निकालने के कार्य को बन्द करने के विरुद्ध तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कोई अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं, जैसलमेर क्षेत्र में इस समय व्यधन कार्यों को बन्द करने का विचार नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

इंडिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, हास्पेट

1140. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **वित्त** मंत्री 7 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5514 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच 'मैसर्स मुराकार्स' की इण्डिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, हास्पेट, वेलारी जिला मैसूर राज्य के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच करने वाले विभाग का नाम क्या है और इसके कब पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आयकर विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है । यह कहना सम्भव नहीं है कि जांच पड़ताल ठीक कब पूरी हो जायगी । अवश्य ही, उसे शीघ्रता से पूरी करने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

General Insurance Companies Hesitation to do Business Due to Telengana Agitation

1141. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Hyderabad the General Insurance Companies are hesitating to undertake Insurance or emergency risk insurance business due to Telengana agitation; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) A circular issued by the Madras Regional Council of the Insurance Association of India declared with effect from 26-6-1969 apprehensive period in nine districts of Telengana. Insurers cover riot risk from that date on existing insurances at the normal rates applicable to other areas only for a maximum period of one month. For new business three times the normal tariff rates are charged.

(b) In view of the fact that insurance cover is available, though at enhanced rates, Government does not consider that there is any insurance problem.

योजना हेतु खातों की जांच

1143. **श्री भगवान दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के खातों की जांच के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) सरकार ने आयोग की किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) अन्य सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन सिफारिशों को जिनको सरकार ने स्वीकार किया है, कार्यान्वित करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने "वित्त लेखा और लेखापरीक्षा" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में आयोजना के प्रयोजनों के लिये लेखों की समीक्षा करने के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) लेखों के मुख्य शीर्षकों की समीक्षा की जाय और सरकार के मोटे-मोटे कार्यों और प्रमुख कार्यक्रमों के आधार पर उनका फिर से नाम निर्धारण किया जाय। आयोजना के प्रयोजनों के लिये निर्धारित किये गये विकास शीर्षकों और सामान्य लेखा-शीर्षकों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के लिये विकास शीर्षकों की भी समीक्षा की जाय।

(2) जिन विभागों और संगठनों में कार्य संबंधी बजट बनाना शुरू करने का विचार है उन सबके कार्यक्रमों, क्रियाकलापों और प्रायोजनाओं को भली भांति जान लिया जाए और इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित लघु शीर्षकों का फिर से उपयुक्त नाम निर्धारण किया जाय ताकि उनसे इन क्रियाकलापों के स्वरूप का पता चल सके।

(3) सिफारिश (1) और (2) के क्रियान्वयन के लिये कार्यक्रम बनाने के काम में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ।

(ख) सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) इस प्रयोजन के लिये अधिकारियों का एक दल बनाया गया है जिसमें उप-नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक वित्त मन्त्रालय के संयुक्त सचिव (बजट) और योजना आयोग का एक प्रतिनिधि शामिल है । जब कभी किसी प्रशासनिक मन्त्रालय से सम्बन्धित मामला हाथ में लिया जायगा, उस मन्त्रालय के प्रतिनिधि को भी दल में शामिल कर लिया जायगा ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये स्वीडन से सहायता

1144. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन सरकार ने भारत को परिवार नियोजन के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). स्वीडन सरकार ने स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, स्टाकहोम (स्वीडन) के जरिये निम्नलिखित सामग्री / उपकरण प्रदान करने हैं :

(1) निरोध.....16 करोड़ 49 लाख निरोध

(2) परिवार नियोजन कार्यालयों के लिये 18 छपाई मशीनें ।

(3) परिवार नियोजन विभाग के लिये 2 छपाई मशीनें ।

(4) 250 टन आफसैट कागज ।

(5) 500 टन ग्लेज्ड अखबारी कागज ।

(6) पैकिंग मशीनें ।

(7) एक इलेक्ट्रोनिक टेस्टिंग मशीन ।

(8) छोटे-मोटे और आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिये 1,00,000 तक की स्वीडिश मुद्रा की आकस्मिक निधि, जो कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिये बहुत आवश्यक है ।

स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ने निरोध कारखाने के लिये एक इलैक्ट्रोनिक टेस्टिंग मशीन और पैकिंग मशीनों के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये भी सहमति दी है ।

भारत सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ने 5 करोड़ 4 लाख निरोध जहाज से रवाना कर दिये हैं । छपाई मशीनें पहले ही भारत में पहुंच गई हैं । अन्य वस्तुओं के भी आर्डर दे दिये हैं । पहले प्राप्त उपकरणों को लगाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों ने आवश्यक कार्यवाही कर ली है ।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत किये जा रहे प्रजनन क्रिया विज्ञान में अनुसंधान सम्बन्धी कार्य के लिये आकस्मिक निधि में से स्वीडन से कुछ उपकरण आयात करने के लिये भी सहमति दे दी है ।

कोयना में अल्यूमीनियम कारखाना

1145. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में 50,000 मीट्रिक टन के अल्यूमीनियम कारखाने को स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) क्या इसमें विदेशी सहयोग भी शामिल होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) प्रयोजना की लागत का अनुमान 55 से 60 करोड़ रुपये तक लगाया जाता है । तथापि यथार्थ अनुमान प्रायोजना रिपोर्ट, जिसके लिये भारत एल्यूमीनियम कम्पनी परामर्शदाता प्रबन्धकों के सम्बन्ध में बातचीत कर रही है, के मिल जाने पर उपलब्ध होगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) दी जाने वाली फीस की वास्तविक राशि समझौते को अन्तिम रूप दे दिये जाने पर ज्ञात होगी ।

अलियावेट में तेल की खुदाई

1146. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा नदी के अलियावेट में तेल की खुदाई का कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस पर कब काम आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक कार्यक्रम बनाया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). रूपांकन तथा निर्माण में रूस की सहायता से भारत में एक स्थिर प्लेटफार्म बनाया जायेगा और तटदूर अलियावेट पश्चिम संरचना पर एक चुने गये स्थान पर उसका निर्माण किया जायेगा । पहले कुएं की खुदाई मार्च, 1970 के अन्त तक हो जाने की आशा है ।

नान-रेजिडेंट भारतीयों को भारत में मकान बनाने के लिये भूमि देने की योजना

1147. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके द्वारा नान-रेजिडेंट भारतीय देश में मकान बनाने के लिए भूमि खरीद सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) योजना का ब्योरा बनाया जा रहा है तथा उसके शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।

भारतीय विशेषज्ञ दल द्वारा अफगानिस्तान में सिंचाई तथा जल-विद्युत योजनाओं का सर्वेक्षण

1148. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान में सिंचाई तथा जल-विद्युत योजनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय सिंचाई विशेषज्ञों का एक दल अफगानिस्तान भेजा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय दल द्वारा कितनी योजनाओं के सर्वेक्षण किये जाने की संभावना है ; और

(ग) दल के गठन की घोषणा कब की जायेगी तथा उसे काबुल कब भेजा जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). अगस्त, 1968 में भारतीय विशेषज्ञों के दो दल कोलम्बो योजना के अधीन अफगानिस्तान भेजे गये थे, एक दल में 10 सिंचाई इंजीनियर थे और दूसरे में तीन विद्युत इन्जीनियर। विद्युत विशेषज्ञों का दल अफगानिस्तान में जनवरी, 1969 तक रहा। अफगानिस्तान में विद्युत विकास के तर्क-संगत और सुरक्षा आयोजन से मुख्य रूप से सम्बद्ध इस दल की रिपोर्ट जून, 1969 में अफगान सरकार को भेजी गई थी। सिंचाई इन्जीनियरों का दल इस समय चरडे-धोडाबन्द सिंचाई स्कीम और खानाबाद-आल्चिन स्कीम का अनुसंधान कर रहा है। 'नहर अभिकल्प' के क्षेत्र में दो भारतीय विशेषज्ञों का एक दल अभी हाल ही में अफगानिस्तान भेजा गया है।

जून, 1969 में जब प्रधान मंत्री अफगानिस्तान गयी थीं तब सिंचाई और पन बिजली परियोजनाओं के लिए भारतीय सहायता के संबंध में और बातचीत हुई। इसके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

ट्राम्बे परियोजना के विस्तार के लिये पूर्व अर्हता प्राप्त अमरीकी इंजीनियरिंग फर्मों को बोली बोलने का आमंत्रण देना

1149. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-अर्हता प्राप्त अमरीकी इंजीनियरिंग फर्मों को ट्राम्बे विस्तार परियोजना

के कार्य के लिए बोली बोलने का आमंत्रण 1 अक्टूबर, 1968 तक जारी किये जाने थे ;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक कोई ऐसे आमंत्रण जारी नहीं किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जैसा कि ऋण करार के अन्तर्गत अपेक्षित है, भारतीय उर्वरक निगम बोली बोलने के आमंत्रण के लिये यू० एस० एड० की सहमति की प्रतीक्षा कर रहा है ।

पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक

1150. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक को कितना धन दिया ;

(ख) इस बैंक के संचालक-बोर्ड के अध्यक्ष का नाम तथा पदनाम क्या है तथा संचालक-बोर्ड के अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या रिजर्व बैंक को संचालक बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के विरुद्ध अनाचार तथा अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बैंक के मामलों की जांच कराई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पिछले तीन सहकारी वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक के लिए जो कुल ऋण मंजूर किये थे और उक्त सहकारी बैंक ने इन ऋणों में से कुल रकमें निकाली थीं, वे इस प्रकार हैं :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	मंजूर की गयी रकम	निकाली गई रकम
1966-67	687.50	615.39
1967-68	922.50	714.12
1968-69	963.50	448.96

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक के संचालक-बोर्ड के अध्यक्ष श्री बी० मजूमदार

हैं। बोर्ड के अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री विष्णु पद हाजरा (उपाध्यक्ष)
2. श्री हरकाली पान
3. श्री भोला नाथ बनर्जी
4. श्री सुबोध चन्द्र सेन गुप्त
5. श्री सन्तोष कुमार राय
6. श्री नर बहादुर गुरूंग
7. श्री मणिन्द्र नाथ राय
8. श्री बीरेन्द्र कुमार मोइत्र
9. श्री कंचन लाल मुखर्जी
10. श्री नृपेन्द्र नाथ बनर्जी
11. श्री दिजेन्द्र नाथ मिश्र
12. श्री नगेन्द्र नाथ पट्टनायक
13. श्री अशोक कृष्ण दत्त
14. श्री सुरेन्द्र मोहन नायक
15. श्री गणपति मण्डल
16. श्री हृषीकेश हैत
17. श्री गिरिजा कुमार सारंगी
18. श्री क्षितिश चन्द्र मित्र
19. श्री अनिल कुमार चटर्जी
20. श्री अमल कुमार पाल
21. श्री दुर्गा पद घोष
22. देव प्रसाद प्रामाणिक
23. श्री मुनिंद्र सिन्हा
24. श्री सत्यव्रत भट्टाचार्य
25. श्री विजय किशोर गोस्वामी
26. श्री श्यामदास बनर्जी
27. श्री तारकेश्वर चक्रवर्ती
28. श्री जयदेव बनर्जी
29. श्री हरिदास बनर्जी
30. श्री श्रीपति चरण दास

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिली हैं।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तार से कोई खास जांच नहीं की थी।

फिर भी, रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) नियमित रूप से इस बैंक का निरीक्षण करता रहता है।

पश्चिम बंगाल सहकारी बैंक

1151. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक के कार्यों की जांच की है और यदि हां, तो वह किस निष्कर्ष पर पहुंचा ; और

(ख) यदि निदेशक-मंडल के प्रधान तथा अन्य सदस्यों के, जिन पर कदाचार का आरोप लगाया गया है, विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

Expenditure on Family Planning Programme During 1968-69

1152. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the details of expenditure incurred by various State Governments on Family Planning Programmes during the year 1968-69; and

(b) the details of expenditure incurred on propaganda and publicity, training camps, pay and allowances of the employees and payments made to persons who had undergone operations respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

स्वदेशी तकनीकी ज्ञान के विकास के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत

1153. क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने उर्वरक के लिए स्वदेशी डिजाइन तकनीकी जानकारी और रसायनिक सामग्री तैयार करके विदेशी मुद्रा की काफी बड़ी राशि की बचत की है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(घ) इन वैज्ञानिकों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं या दिये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रो-रसायन उद्योगों में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

1154. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम पेट्रो-रसायन उद्योगों में, जिनके लिये आसाम सरकार को लाइसेंस दिये गये हैं, विनियोजन करने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

सुकिण्डा, उड़ीसा में निकल पिघलाने वाली भट्टी

1155. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकल निक्षेपों के विदोहन के लिये उड़ीसा में सुकिण्डा में एक निकल पिघलाने वाली भट्टी लगाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह भट्टी कब तक लगायी जायेगी ?

पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). सुकिण्डा के निकल के निक्षेपों के सम्बन्ध में सम्भाव्यता अध्ययन किया जा रहा है । निकल निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय सम्भाव्यता अध्ययन के पूरा कर लिये जाने तथा उसके परिणामों की जांच हो जाने के पश्चात् ही लिया जा सकता है ।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार सूचकांकों में गिरावट

1156. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की परियोजना में 1968 और 1969 में रोजगार के सूचकांक में भारी गिरावट आई है ;

(ख) क्या सूचकांक की इस गिरावट को रोकने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या उड़ीसा में स्थित विभिन्न सरकारी उपक्रमों के लिए भर्ती की जा रही है अथवा नहीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला इस्पात कारखाने का उल्लेख कर रहे हैं, जो उड़ीसा में स्थित है। इन दोनों एककों में, 1968 या 1969 में रोजगार में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इन दो एककों में भर्ती, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नीति और रोजगार कार्यालय नियमावली के अनुसार की जाती है। इनके अनुसार, 500 रुपये तक मासिक वेतन वाले पदों के लिये भर्ती, सामान्यतः स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। अन्य मामलों में भर्ती, समाचारपत्रों आदि में विज्ञापन देकर अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

भारत और सऊदी अरब के बीच तेल की खोज के लिए संयुक्त उद्यम

1157. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत जुलाई के प्रथम सप्ताह में सऊदी अरब की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) क्या भारत में सम्भावित तेल क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये भारत और सऊदी अरब के बीच कोई समझौता हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

तांबा अयस्क के निक्षेपों की खोज

1158. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तांबा अयस्क के निक्षेपों का पता लगाने के लिये खोज कार्य चल रहा है और यदि हां, तो किन-किन स्थानों में ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): जी हां, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा देश के कई स्थानों में तांबे के लिये समन्वेषण

प्रगति पर हैं। व्यधन कार्यवाहियां की जा रही हैं। तांबे के लिए सिंघभूम तांबा पट्टी में, बिहार में हजारीबाग जिले में, राजस्थान की खेतडी तांबा पट्टी, भगोनी, पुर-दरीबा और ककराना में, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले की मैल्लरम पट्टी में, कुरनूल जिले में गनी स्थान पर, मैसूर के हरसन जिले में कल्यादी में, असम में उमपायरथा, नेफा में सुवनसिरि प्रभाग में, महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पुलार, परसोरी स्थान पर, मध्य प्रदेश में मलूंजखण्ड, मुण्डाटिकरा स्थानों पर, तांबे-लोहे के लिये आंध्र प्रदेश की अगिगुन्डला पट्टी में, तमिलनाडु के उत्तरी अरकाट जिले के अलगयम् स्थान पर, राजस्थान में जावर, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के जोगा स्थान पर, सीसे-जस्ते-तांबे के लिये राजस्थान के उदयपुर जिले में दरिबाराजपुरा पट्टी में, मैसूर के चित्रदुर्ग जिले के जगदलपुर स्थान पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में इमालिया स्थान पर, उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में लोकदेग-सरगीपल्ली स्थान पर, गुजरात के बंसकंथा जिले के अम्बामाता स्थान पर और हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिले में उचिच स्थान पर।

तांबे के लिये अकवाली तथा भगोनी स्थान पर और सीसे-जस्ते-तांबे के लिये राजस्थान की दरिबा-राजपुरा पट्टी में समन्वेषी खनन प्रगति पर है।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा बिहार के हजारी बाग जिले में बेंगाबाद-मारासिया-बडागन्दा क्षेत्रों में और सिंघभूम तांबा पट्टी में, उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ में, हिमाचल प्रदेश के महासु में, आंध्र प्रदेश में मैल्लरम में, मैसूर में कल्यादी तथा चिकमगलूर, मध्य प्रदेश में मुण्डाटिकरा तथा इमालिया में, महाराष्ट्र में पुलार, परसोरी, गुजरात में पंचमहल स्थान पर तथा राजस्थान में उदयपुर तथा भीलवाडा में भूतल समन्वेषण कार्य भी प्रगति पर है।

उड़ीसा को दिये गये ऋण, अनुदान और सहायता

1159. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को वर्ष 1967-68 और 1968-69 में तथा 1969-70 में अब तक अलग-अलग कुल कितनी राशि के ऋण, अनुदान और सहायता दी है ; और

(ख) ये ऋण और सहायता किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को 1967-68, 1968-69 और चालू वर्ष में (30 जून 1969 तक)

दिये गये ऋणों और अनुदानों का ब्योरा इस प्रकार है :

अनुदान	(करोड़ रुपयों में) 1967-68	1968-69	1969-70 (30 जून 1969)
1. आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (राज्यीय केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)	8.63	8.66	1.44
2. आयोजना-भिन्न अनुदान :			
(क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन सांविधिक अनुदान	29.18	29.18	7.30
(ख) दैवी विपत्तियों के लिये अनुदान	1.00	1.00	..
(ग) अन्य अनुदान	2.20	1.38	0.06
	41.01	40.22	8.80

ऋण	1967-68	1968-69	1969-70 (30 जून 1969)
1. आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋण (राज्यीय, केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)	21.58	22.96	5.76
2. जमा से अधिक निकाली गयी रकमों को चुकाने के लिये सहायता :			
(i) तदर्थ ऋण	8.65	..	..
(ii) अल्पावधिक अग्रिम	..	9.00	16.00
3. दैवी विपत्तियों के लिए ऋण	2.50	8.50	..
4. अन्य ऋण और अग्रिम	5.14	3.82	0.41
	37.87	44.28	22.17

1968-69 और 1969-70 के आंकड़े अन्तिम हैं।

केन्द्रीय अधिकारियों के दल का उड़ीसा का दौरा

1160. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अधिकारियों के एक दल ने राज्य सरकार की वित्तीय

स्थिति के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए जून, 1969 में उड़ीसा का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने इस बात की जांच की थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये धन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। जून 1969 में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के अधिकरियों का एक केन्द्रीय दल उड़ीसा सरकार की वित्तीय समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए भुवनेश्वर गया था।

(ख) इस पहलू की जांच करना केन्द्रीय दल का काम नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा विभाग इस बात का ध्यान रखता है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता का उपयोग किस प्रकार करती हैं और व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर अन्तिम रूप से यह निर्णय किया जाता है कि वर्ष में उन्हें कितनी सहायता दी जाय।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक के चेक और कागजों पर हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में हस्ताक्षर

1161. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक उन कागजों और चेकों को स्वीकार करते हैं, जिन पर हिन्दी या अन्य किसी प्रादेशिक भाषा में हस्ताक्षर होते हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में बैंकों को कोई निदेश दिये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक दोनों ही, उन चेकों और कागज-पत्रों को स्वीकार करते हैं जिन पर हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक के कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और भायखला (बम्बई) स्थित कार्यालयों को छोड़ अन्य किसी कार्यालय में ऐसे चेक प्राप्त नहीं हुए जिन पर प्रादेशिक भाषाओं में हस्ताक्षर किये गये हों।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सरकार किसी को हिदायतें जारी करना जरूरी नहीं समझती।

सस्ती और अच्छी किस्म की दवाइयों का उत्पादन

1162. **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सस्ती और अच्छी किस्म की दवाइयों का उत्पादन करने और उन पर सरकारी नियंत्रण

लागू करने का सरकार का विचार है ताकि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और देश में एक औसत व्यक्ति को संतोषजनक दवाइयां उपलब्ध की जा सकें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : इस समय, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र की दो कम्पनियां, दवाइयों का उत्पादन करती हैं। दवाइयों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में नये कारखाने लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 से दवाइयों पर गुण-नियन्त्रण किया जाता है और कीमतें ड्रग्स प्राइसिस (डिस्पले एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के अन्तर्गत विनियमित की जाती है। यथावश्यक सुधार करने के लिये, इनका सतत पुनरीक्षण किया जाता है।

राजस्थान में पोस्त की खेती

1163. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने एकड़ भूमि में पोस्त की खेती होती है ;

(ख) क्या सरकार ने और अधिक भूमि में पोस्त की खेती करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और भूमि में और इसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त आय होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राजस्थान में 1968-69 की फसल के दौरान पोस्त की काश्त का रकबा 11,557 हैक्टर था।

(ख) और (ग). 1969-70 की फसल के सम्बन्ध में लाइसेन्स देने के लिए रकबे का निर्णय अगली फसल का मौसम शुरू होने के पहले कहीं अगस्त/सितम्बर, 1969 में किया जायगा।

तेल वितरक एजेन्सियां

1164. **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों में इण्डियन आयल के तेल और तेल उत्पादों का वितरण करने वाली एजेन्सियों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन वितरक एजेन्सियों को किन शर्तों पर अनुमति दी गई है ; और

(ग) 30 जून, 1969 को आन्ध्र और मैसूर राज्यों में कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 30-6-69 की भारतीय तेल निगम लि० की एजेन्सियां, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों में, मिट्टी के तेल तथा लाइट डीजल आयल का वितरण करती हैं, निम्न प्रकार हैं :

राज्य	एजेन्सियों की संख्या
गुजरात	116
उत्तर प्रदेश	202
आन्ध्र प्रदेश	228
मध्य प्रदेश	106
मैसूर	128

(ख) सम्भाव्यी मार्किट पर निर्भर होने पर, वित्तीय स्थिरता, व्यापार-अनुभव, ख्याति और संतोषजनक उपभोक्ता सेवा के लिये उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाता है।

(ग) 30-6-69 को आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य में अनिर्णीत प्रार्थना-पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

राज्य	अनिर्णीत प्रार्थना-पत्रों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	5
मैसूर	3

भुज में चांदी का तस्कर व्यापार

1165. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुज में चांदी के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया जब कि न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भुज में चांदी के तस्कर आयात निर्यात के सम्बन्ध में किसी पाकिस्तानी राष्ट्रिक की गिरफ्तारी नहीं की गई।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

हृदय रोगों तथा जठर-आंत्र शोथ के मामले

1166. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत अधिक लोग हृदय रोगों तथा जठर-आंत्र शोथ से पीड़ित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और क्या सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये इस बारे में एक सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारत के विभिन्न भागों के अस्पतालों के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल मौतों से तीन प्रतिशत मौत हृदय रोग के कारण होती हैं । उपलब्ध आंकड़ों से ऐसा जान पड़ता है कि अधिकांश व्यक्ति जठर-आंत्र शोथ से पीड़ित रहते हैं ।

हृदय रोग

(ख) से (घ). भारत में होने वाले हृदय रोग से पता चलता है कि इन्फेक्टिव अर्थात् रयूमेटिक हृदय रोग और सी० एच० कार्पलमोनेल प्रकार के हृदय रोग की घटनाएं अधिक और इस्केमिक हृदय रोग की घटनाएं अपेक्षाकृत कम संख्या में होती हैं । पहले प्रकार के हृदय रोग की अधिक घटनाएं होने के कारण निर्धनता, अधिक भीड़-भाड़ तथा कुपोषण हैं । उपचारात्मक उपायों में रहन-सहन स्तर में तथा पर्यावरणिक स्वास्थ्य में आम सुधार करना, स्ट्रेपटोकोक्कल संक्रमण, रयूमेटिक ज्वर तथा वक्ष-रोग संक्रमण की शीघ्र पहचान तथा उपचार करना सम्मिलित हैं । आमतौर पर धनी वर्ग के लोगों में इस्केमिक हृदय रोग अधिक होता है । यह रोग संभवतः वसा वाले पदार्थों का अधिक उपभोग करना, अधिक समय तक बैठे रहने की आदतों तथा विशेषतः उच्च वर्ग के लोगों में व्याप्त मानसिक तनाव एवं बोझ के कारण होता है । इसके उपचारात्मक उप उपायों में आहार नियंत्रण द्वारा मोटापन दूर करना, अत्यधिक वसा युक्त आहार का सेवन न करना तथा नियमितरूप से व्यायाम करना सम्मिलित है ।

जठर-आन्त्र शोथ

जठर-आन्त्र शोथ मुख्यतः पर्यावरणिक सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था एवं लोगों द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपर्याप्त ध्यान देने के कारण होता है । चौथी पंचवर्षीय योजना में हैजा तथा जठर आन्त्र शोथ की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित पीने के पानी तथा मलनिष्कास की समुचित व्यवस्था करना, निरोधी एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, हैजा नियंत्रण कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कुछेक उपाय बरतने का विचार है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में एक रूग्णता सर्वेक्षण करने का विचार है ।

परिवार नियोजन कार्यों तथा उपायों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1167. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यों और उपायों के लिये गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मैसूर को कितने उपकरण सप्लाई किये गये और कितनी राशि दी गई ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में उक्त राज्यों को कितने उपकरण और कितनी राशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1399/69]

(ख) 1969-70 में परिवार नियोजन कृत्यों के लिये प्रारम्भ में निम्नलिखित राशि नियत की गई थी ।

आंध्र प्रदेश	290.65 लाख रुपये
मध्य प्रदेश	252.04 लाख रुपये
मैसूर	194.60 लाख रुपये

उपकरणों आदि की सप्लाई वर्ष के दौरान इन राज्यों में कार्यक्रमों के विकास तथा राज्य सरकारों द्वारा सप्लाई डिपो को दिए गये इन्डैन्टों पर निर्यात करती है ।

आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

1168. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों की सरकारों ने उन राज्यों के अस्पतालों में अधिक डाक्टरों की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उन राज्य सरकारों से यह पूछा है कि अस्पतालों में इस समय कितने डाक्टरों की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, आसाम, तथा हिमाचल प्रदेश की पीने के पानी की सप्लाई सम्बन्धी योजनायें

1169. **श्री गाडिलिंगन गौड:**

श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, आसाम तथा हिमाचल प्रदेश से अनुमोदन तथा मंजूरी के लिये पीने के पानी की सप्लाई सम्बन्धी कितनी योजनायें प्राप्त हुईं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) ऐसी योजनायें कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिनको अनुमोदन तथा मंजूरी मिल गई है, जो अब तक पूर्ण हो चुके हैं तथा जिनको अब तक अनुमोदन तथा मंजूरी नहीं मिली है ;

(ग) उनके सम्बन्ध में मंजूरी कब मिलेगी तथा वे योजनायें कब पूर्ण होंगी जिनको पहले ही मंजूरी मिल चुकी है ; और

(घ) प्रत्येक योजना में कुल कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार को प्राप्त योजनाओं, उसके द्वारा अनुमोदित योजनाओं, उनकी अनुमानित लागत, अनुमोदित लागत तथा राज्य सरकारों को संशोधन/आशोधन के लिये लौटाई गई योजनाओं का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०- 1400/69]**

योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है । विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में भारत सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बंगलौर में राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन

1170. **श्री शंकरानन्द** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बंगलौर में हुए राज्यों के आवास मंत्रियों के सम्मेलन

में मैसूर राज्य ने शिकायत की थी कि केन्द्र योजना में सम्मिलित योजनाओं में आवास को उचित प्राथमिकता नहीं दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) 1966-67 से 1968-69 तक वर्षवार प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई तथा प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि उपयोग की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). सम्मेलन में, मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों ने प्लान योजनाओं में केन्द्र द्वारा आवास को निम्न प्राथमिकता देने के बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं की । तथापि, राष्ट्रीय आयोजना की योजना में "आवास" को दी गई निम्न प्राथमिकता का प्रश्न सम्मेलन की कार्य-सूची में एक मद के रूप में था । क्योंकि अब सभी आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में आती हैं, सम्मेलन ने, अपने दो मुझावों में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि उन्हें दी गई ब्लाक केन्द्रीय सहायता (ऋण तथा अनुदान) में से वे और अधिक निधियां नियत करें । राज्य सरकारों के सुझावों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) सूचना अनुलग्नक में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1401/69]

बंगलौर में राज्य आवास मंत्री सम्मेलन

1171. **श्री हेम राज :** **श्री रविराय :**
श्री नन्द कुमार सोमानी : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हाल में राज्य आवास मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किया गया था और क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, बंगलौर में 18 से 20 जून, 1969 तक आवास, नगर-विकास तथा नगर-आयोजना के मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ।

(ख) सम्मेलन के द्वारा की गई सिफारिशों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गयी हैं । उन सिफारिशों से सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से उन पर कार्यवाई की जायेगी ।

Confirmation of Lower Division Clerks in the Horticulture Department of C. P. W. D.

1172. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the total number of Lower Division Clerks in the Horticulture Department of the Central Public Works Department and the number of those among them who are temporary, quasi-permanent and permanent, separately;

(b) the total period of service of those who are temporary and the period after which they are declared permanent or quasi-permanent under the rules;

(c) the number of those among them who have completed about seven years of service, the Division in which they are employed and the reasons for not declaring them permanent/quasi-permanent; and

(d) whether those Lower Division Clerks who have completed more than five years and three years Service would be declared permanent and quasi-permanent, respectively, and if so, the date by which it would be done, and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) There are 70 Lower Division Clerks in the Horticulture Directorate of the C. P. W. D; 23 of them are temporary, 30 quasi-permanent and 17 permanent.

(b) 10 Lower Division Clerks have rendered service of less than 3 years, 12 between 3 to 7 years and one over 7 years.

According to rules, there is no specific period of service after which a person becomes eligible for confirmation. Confirmation of temporary LDCs depends upon availability of permanent vacancies and their seniority as well as suitability. As regards quasi-permanency, a Government servant becomes eligible after completing 3 years of continuous temporary service provided that his service is satisfactory and he has passed the typing test at the prescribed speed and he fulfils all other conditions laid down by Government.

(c) There is only one temporary LDC who has completed 7 years of service. He is employed in the North Division of the Horticulture Directorate. He has been declared eligible for confirmation but orders have not been issued as he is under suspension in connection with disciplinary case against him. He has also not produced proof of his educational qualifications.

(d) As stated in reply to Part (b), confirmation in the grade would depend upon availability of permanent posts. As regards declaration of quasi-permanency, such of the temporary L.D.Cs who fulfil all the requirements laid down for this purpose would be declared quasi-permanent as early as possible.

बिहार में तपेदिक के रोगी

1173. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में तपेदिक के कितने रोगी हैं ;

(ख) बिहार में जिलेवार तपेदिक के कुल कितने रोगियों के इलाज की व्यवस्था है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग की रोकथाम के लिए क्या विशिष्ट व्यवस्था की गई है और उससे अब तक क्या सफलता मिली है ; और

(घ) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

ठेकेदारों द्वारा इमारतों के निर्माण-कार्य का बन्द किया जाना

1174. **श्री अदिचन :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री गणेश घोष :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के प्रमुख ठेकेदारों की सेन्ट्रल बिल्डर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगें मनवाने के लिये इस वर्ष जून के अन्तिम सप्ताह में सभी स्थानों पर सरकारी इमारतों का निर्माण-कार्य रोक दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) निर्माण-कार्य शीघ्र पुनः आरम्भ कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जैसे सरकारी उपक्रमों के इस क्षेत्र में काम करने पर भी सरकार के ठेकेदारों पर निर्भर करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। कार्य 23 जून, 1969 से 28 जून, 1969 तक निलम्बित कर दिया गया था ।

(ख) जो निर्माण-कार्य चल रहे थे उनके सम्बन्ध में ठेकेदारों की मांग थी कि भारत सरकार की दिनांक 19 मई, 1969 की अधिसूचना के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी के पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो उन्हें अधिक खर्च करना होगा उसकी कुल लागत तक उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए ।

(ग) ठेकेदारों को यह आश्वासन दे दिया गया था कि ठेके की शर्तों के अनुसार कोई भी प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी । एक्जीक्यूटिव इन्जीनियरों को निर्देश भी जारी कर दिये गये थे कि

वे ठेकेदारों को यह नोटिस जारी कर दें कि बगैर नोटिस दिये कार्य को निलम्बित करना ठेका भंग करना है तथा इस प्रकार की भंगता के सभी परिणामों के लिए वे उत्तरदायी होंगे ।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन० बी० सी० सी०) सभी सरकारी निर्माण-कार्य को लेने में तथा उसे प्रतियोगितात्मक दरों पर क्रियान्वित करने में अभी तक समर्थ नहीं है । अन्य अभिकरणों (एजेंसीज) का उपयोग अनिवार्य है जबकि इन मामलों में आवश्यक सुधार करने की तैयारी की जा रही है ।

चिकित्सकों के पंजीयन के लिये विधेयक

1175. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1959 से निरन्तर 10 वर्ष के चिकित्सा व्यवसाय के आधार पर चिकित्सकों के पंजीयन के लिये एक प्रारूप माडल विधेयक तैयार कर रही है और इसी आधार पर विधान बनाने के लिये उसे राज्य सरकारों को परिचालित कर रही है ;

(ख) क्या तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब सरकारों ने विधेयक पुरःस्थापित किये थे और प्रवर समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये थे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने इस कारण से रोक दिया कि उनका मंत्रालय उपरोक्त विधेयक का प्रारूप तैयार कर रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने अक्तूबर, 1968 में बम्बई में इस बारे में एक संकल्प पारित किया था ; और

(घ) यदि हां, तो आधुनिक औषध विज्ञान के वर्तमान चिकित्सकों की सुरक्षा की व्यवस्था करके पंजीकृत चिकित्सकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय करने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इस विधेयक के कब तक पास किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिये केन्द्रीय विधेयक का एक प्रारूप राज्यों के विचार जानने के लिये परिचालित कर दिया गया है ।

(ख) चूंकि इन चिकित्सकों के पंजीयन के प्रश्न पर राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा था, इस लिए यह उपयुक्त समझा गया कि राज्य सरकारों को जिनमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब भी सम्मिलित हैं, चाहिये कि वे अपने प्रस्तावों पर आगे कोई कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर लें ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 की उप धारा (2)

के अनुसार राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित चिकित्सक के सिवाय कोई भी व्यक्ति चिकित्सा व्यवसाय नहीं कर सकता है । उक्त अधिनियम की उपधारा (3) में आगे यह भी दिया गया है कि जो व्यक्ति इस उपबन्ध का उल्लंघन करे उसे एक साल की कैद अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं जो व्यक्ति पंजीकृत नहीं हैं उन्हें चिकित्सा व्यवसाय न करने देने के लिए यह दाण्डिक व्यवस्था काफी है ।

विधेयक के प्रारूप पर और आगे कार्यवाही राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो जाने के बाद की जायेगी ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेलशोधक कारखाना

1176. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में और विशेषतः फैजाबाद डिवीजन में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में पुनासा और बारगी परियोजनाएं

1177. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में बारगी और नर्मदा घाट (पुनासा) परियोजनाओं की स्वीकृति देने में विलम्ब होने के कारण नर्मदा नदी के समीप के कई जिलों में किसानों को पानी के अभाव में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं से लगभग नौ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना होने के बावजूद भी इनकी स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल में बारगी तथा नर्मदा सागर (पुनासा) परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं जिनकी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा निर्माण-कार्य बन्द किया जाना

1178. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने जून, 1969 में काम बन्द करने के लिये कितने ठेकेदारों को नोटिस दिये थे ;

(ख) कितने दिन और किन-किन इमारतों में काम बन्द रहा तथा उनका कुल तल क्षेत्र कितना था ;

(ग) क्या काम के बन्द होने से इन इमारतों में रहने वाले व्यक्तियों को असुविधा और परेशानी भी हुई ;

(घ) यदि हां, तो उन्हें असुविधा और परेशानी के लिये प्रतिकर देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

कोसी नदी के तटबन्धों में दरार पड़ जाने के कारण उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल में जान और माल की हानि

1179. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष कोसी नदी तथा अन्य तटबन्धों में अचानक दरार पड़ जाने के कारण उत्तर बिहार और उत्तर बंगाल के लोगों को जान और माल की अत्यधिक हानि उठानी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो तटबन्धों में दरार पड़ने को रोकने और बाढ़ की समय पर पूर्व सूचना देने तथा उससे सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल, आसाम तथा अन्य क्षेत्रों में बाढ़ से क्षति के विरुद्ध निवारक और सहायतार्थ उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तरी बंगाल में तीस्ता तथा अन्य नदियों में और उत्तरी बिहार में पूर्णिया जिले में कोसी तथा अन्य नदियों में भयंकर बाढ़ें आने के कारण जान-माल का नुकसान हुआ ।

(ख) और (ग). उत्तरी बिहार में, कोसी परियोजना प्राधिकारियों ने दरारें बन्द करने बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के क्षतिग्रस्त भागों का पुनरूद्धार करने और 1968 की बाढ़ों से प्रभावित कोसी तटबन्धों को ऊंचा और मजबूत करने के लिए उपाय किये हैं । बाढ़ों के दौरान तटबंधों पर गश्त लगाने की व्यवस्था भी कर दी गई है । वैज्ञानिक बाढ़-पूर्वसूचना के लिये पटना में एक केन्द्र की भी स्थापना कर दी गई है ।

उत्तरी बंगाल में, राज्य सरकार ने सारी दरारें बन्द कर दी हैं और जलपाईगुड़ी तथा दोमोहोनी तटबंधों को ऊंचा और मजबूत कर दिया है । बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के क्षतिग्रस्त भागों के पुनरूद्धार का कार्य पूरा हो गया है । बाढ़ों की पूर्व सूचना देने के लिये तीस्ता नदी पर एक बाढ़-पूर्वसूचना केन्द्र स्थापित कर दिया गया है ।

असम में, तटबन्धों को ऊंचा और मजबूत किया जा रहा है और धन की उपलभ्यता के अनुसार अन्य बाढ़-रोधक उपाय किये जा रहे हैं । रोधक उपाय के रूप में अब तक 2200 मील लम्बे तटबंध बनाये गये हैं । तटबंधों में दरारों को रोकने के लिये रात दिन निगरानी रखी जाती है । गौहाटी में एक बाढ़ पूर्वसूचना केन्द्र स्थापित कर दिया गया है ।

1968-69 के दौरान, स्वीकृत बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के लिये सहायता व्यय एवं ऋण सहायता के रूप में राज्य सरकारों ने निम्नलिखित धनराशियां निर्मुक्त की :

		धनराशि लाख रुपयों में
राज्य	**सहायता व्यय**	**स्वीकृत बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के लिये ऋण सहायता**
असम	400	300
बिहार	150	90
पश्चिम बंगाल	* 2004	** 69

बाढ़ों से होने वाली क्षति को कम करने के लिये और बाढ़ों से प्रभावित होने वाले देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से राहत पर होने वाले व्यय को न्यूनतम करने के लिये भी 1954 से अब तक उपयुक्त उपाय किये जाते रहे हैं । इन उपायों को चौथी योजना अवधि में जारी रखा जायेगा । योजना आयोग, ने चौथी योजना के दौरान बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर लगभग रुपये 100 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है । 1969-70 के लिए प्रस्तावित परिव्यय लगभग रुपये 13 करोड़ है ।

* इसमें बाढ़ों द्वारा क्षतिग्रस्त तटबंधों तथा अन्य बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये ऋण-सहायता शामिल है ।

** इसके अतिरिक्त चन्द्रनगर नगर-सुरक्षा स्कीम के लिये सहायता अनुदान के रूप में रुपये 1.69 लाख दिये गये ।

बरौनी में विद्युत जनन यूनिटों में खराबी

1180. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 18 अप्रैल, 1969 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जनरेटर के इंसूलेशन में खराबी तथा एक बायलर की इकानोमाइजर ट्यूबों तथा ड्राफ्ट फैनों में गड़बड़ी पूर्णतया ठीक कर दी गई है और जनरेटरों में आगे खराबी न होने की गारण्टी मिली है ;

(ख) क्या बरौनी में 50 मैगावाट के 2 नये यूनिट स्थापित किये गये हैं तथा चालू किये गये हैं और गया को बरौनी से मिलाने वाली ट्रांसमिशन लाइन बन गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या साधारण् खपत की तुलना में बिजली फालतू है ; और

(घ) क्या 1 जुलाई, 1969 के बाद जयनगर तथा उत्तर बिहार के अन्य स्थानों में बिजली फेल हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जनित्र (जनरेटर) रोटर के विद्युत रोधन (इन्सूलेशन) में खराबी मितव्ययक नलियों (ट्यूबों) से होने वाले रिसाव, और बायलर के प्रेरित वायु वाहक पंखे (इंडयूस्ड ड्राफ्ट फैन) की एक गोली (वियरिंग) की खराबी को ठीक करके, जांच पड़ताल, और परीक्षण कर लिये गये हैं। अब इन दोनों मशीनों से पहले की तरह काम लिया जा रहा है।

(ख) जबकि 50 मैगावाट के पहले यूनिट को प्रतिष्ठापन कार्य पूरा हो गया है और अगस्त, 1969 में इसके चालू हो जाने की सम्भावना है, दूसरे यूनिट के मार्च, 1970 के अन्त तक चालू होने की आशा है। गया और बरौनी के बीच पारेषण लाइन के अगस्त, 1969 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) उत्तर बिहार में इस समय कोई फालतू बिजली उपलब्ध नहीं है।

(घ) जय नगर और उत्तर बिहार के अन्य स्थानों पर बिजली कहीं-कहीं फेल हो गई थी जिसके कारण निम्नलिखित हैं :

(1) बिजली की कमी के कारण उसके उद्ववाह्य भार को कम करना ;

(2) अनधिकृत व्यक्तियों का शीर्षोपरि पारेषण लाइनों और उपकरणों को छेड़ना और ऊर्जा की चोरी।

(3) पारेषण और वितरण लाइनों की त्रुटियों और खराबियां ; और

(4) उप-केन्द्रों की त्रुटियां।

भारत को विदेशी सहायता सम्बन्धी अमरीकी नीतियों की समीक्षा

1181. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अमरीका के राष्ट्रपति निक्सन द्वारा अपनाई गई विदेशी सहायता तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी नीतियों की जिनका भारत से सम्बन्ध है, समीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रपति निक्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस को विदेशी सहायता के सम्बन्ध में अपना संदेश देते हुए यह घोषणा की थी कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्पूर्ण सहायता कार्यों पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये एक विशेष कार्य-दल स्थापित कर रहे हैं, ताकि इस बात का निश्चय करने में मदद मिल सके कि विकास शील देशों के प्रति उनके देश की नीतियां क्या हों। इसका परिणाम मालूम होने पर ही इन नीतियों पर विचार किया जा सकेगा। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की नई सरकार ने अब तक जो कदम उठाये हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि वह विदेशी सहायता देने के सम्बन्ध में अनुकूल नीति बरत रहे हैं।

Fertilizer Factory by Birla Brothers in Goa

1182. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total investment being made in the Chemical fertilizer factory proposed to be set up by the Birla Brothers in Goa ;

(b) the annual production capacity of the said factory ; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be saved annually as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The total cost of the project is estimated at about Rs. 58 crores.

(b) The annual capacity is as under :

Urea	280,000 tonnes
Compound Fertilizer (28 : 28 : 0)	150,000 ,,

(c) At current rates, the value of the above annual production will be about Rs. 29 crores in foreign currency.

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये अर्हता प्राप्त डाक्टरों को प्रोत्साहन

1183. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 50,000 से कम, 10,000 से कम और 2,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों तथा 500 या इससे कम जनसंख्या वाले गांवों में निजी तौर से डाक्टरी का व्यवसाय करने वाले या सरकारी संस्थाओं द्वारा नियुक्त अर्हता-प्राप्त डाक्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ख) अर्हता प्राप्त डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने 16 और 17 अक्तूबर, 1968 को बम्बई में हुई अपनी 15 वीं बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें सिफारिश की गई कि डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने को आकर्षित करने के लिये चिकित्सा अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाये और नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता, ग्राम भत्ता, परिवहन सुविधाएं, नि:शुल्क क्वार्टर, 3 साल तक संतोषजनक ग्राम सेवा के लिये अग्रिम वेतन वृद्धियां, बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाएं, स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये सीटों का आरक्षण, कनिष्ठ अध्यापकीय पदों के लिए ग्राम-सेवा को आवश्यक बनाना इत्यादि जैसे कुल सर्वेष्ट प्रलोभन दिये जाने चाहिएं । इस सुझाव को अमल में लाने की संस्तुति सरकारों से कर दी गई थी । आगे जो कदम उठाये जा रहे हैं अथवा जिन्हें उठाने का विचार है, वे इस प्रकार हैं :

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भौतिक सुविधाओं में सुधार विशेषत: इमारतों, रहने के क्वार्टरों, प्रयोगशाला सेवाओं की व्यवस्था सहित अनिवार्य नैदानिक सुविधाओं और मेडिकल स्टोरों की दृष्टि से ।

(2) चिकित्सा छात्रों को कुल निश्चित वर्षों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने को वाध्य करने के लिये उन्हें छात्रवृत्तियां/वजीफे देना/चिकित्सा कालेज भी ग्राम्य स्वास्थ्य सेवाओं के निकट संपर्क में लाये जा रहे हैं ।

चलचित्र कलाकारों से काला धन निकालने के लिये छापे

1184. **श्री अदिचन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के चलचित्र कलाकारों के पास बहुत बड़ी राशि में काला धन होने के बारे में विभिन्न साक्ष्य होने के बावजूद ऐसा धन बाहर निकालने के लिये हाल ही में कोई छापे नहीं मारे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो छापे न मारने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या काले धन के बारे में सूचना देने वालों का नकद पुरस्कार देने की योजना सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना में क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह सच नहीं है कि फिल्म कलाकारों के मामले में हाल में कोई तलाशियां नहीं ली गई हैं। एक फिल्म कलाकार के मामले में जनवरी, 1969 में तलाशी ली गई थी परन्तु कोई लेखा बाह्य धन पाया नहीं गया और पकड़ा नहीं गया। उपलब्ध सूचना से जब तलाशी लेना वाजिब लगता है, तलाशी ली जाती है ।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशियां लेना तो लेखा बाह्य धन का पता लगाने के तरीकों में से केवल एक है। जब तक तलाशी का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो, तलाशी की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तलाशी का अधिकार देने के पहले आयकर आयुक्त को तलाशी के औचित्य के बारे में अपना सन्तोष करना होता है। यदि किसी मामले की परिस्थितियां तलाशी लेने के लिए उचित लगती हैं तो तलाशी लेने में कोई ढिलाई नहीं की जाती।

(ग) और (घ). मुखबिरों को पुरस्कार देने की योजना उपयोगी सिद्ध हुई है, हालांकि इसके कार्य चालन में कुछ दोष नजर आए हैं। पुरस्कार सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष में परिवर्तन

1186. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष को ही अपनाये रखने का निर्णय किया है और ऐसा करके सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1969 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह बात उसके विचारार्थ रखी गयी थी। सामान्यतः परिषद का यह मत था कि वित्तीय वर्ष को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह प्रति वर्ष पहली अप्रैल से ही आरम्भ होता रहे। राष्ट्रीय विकास परिषद के मत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बात पर विचार किया और यह निर्णय किया कि स्थिति को यथापूर्व बनाये रखा जाय ।

पश्चिम बंगाल में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री का वक्तव्य

1187. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री देवेन सेन : **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1969 के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ता की अपनी यात्रा के दौरान भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति तथा केन्द्रीय सरकार के सम्भावित हस्तक्षेप के बारे में कही गई बातों से पश्चिम बंगाल सरकार अप्रसन्न है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री ने हाल ही में जून, 1969 के अन्तिम सप्ताह में अपनी कलकत्ता यात्रा के दौरान 'इण्डियन कौंसिल आफ करेण्ट अफेयर्स' के सदस्यों के सम्मुख भाषण दिया था। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में उनसे कई सवाल किये गये थे। यद्यपि उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर सामान्य रूप से दिये थे पर उनसे एक खास सवाल यह पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में 900 कारखानों के बन्द हो जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार स्थिति पर नजर रखेगी और तब तक हस्तक्षेप न करेगी जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाय कि संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गयी है।

बिहार में आयकर विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के निरीक्षकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति

1188. **श्री कार्तिक उरांउ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आयकर निरीक्षकों तथा आयकर अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो (एक) गत तीन वर्षों में उक्त पदों में कुल कितने स्थान रिक्त हुए ; (दो) उक्त अवधि में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों से पृथक-पृथक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; (तीन) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुल कितने स्थान आरक्षित किये गये ; और (चार) उक्त अवधि में प्रत्येक श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये तथा उसका वार्षिक ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। श्रेणी I के आयकर अधिकारियों की नियुक्ति अंशतः भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं आदि के माध्यम से सीधी भरती द्वारा तथा श्रेणी II के आयकर अधिकारियों को पदोन्नत करके की जाती है। श्रेणी I के आयकर अधिकारियों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, किसी विशेष प्रदेश/कार्यक्षेत्र के अनुसार नहीं की जाती। श्रेणी I के आयकर अधिकारियों की सीधी भरती के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए हस्बमामूल आरक्षण बराबर किया जाता है। श्रेणी II के आयकर अधिकारियों के पद सामान्यतः आयकर निरीक्षकों को तरक्की देकर भरे जाते हैं। श्रेणी II तथा श्रेणी I के आयकर अधिकारियों के जिन पदों पर भरती पदोन्नति द्वारा की जाती है, उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। श्रेणी II के आयकर अधिकारियों के 199 पदों पर हाल में जो एतदर्थ भरती की गयी थी, वह भरती नियमों में ऐसी एतदर्थ भरती सम्बन्धी व्यवस्था के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुनाव द्वारा की गई थी। इस भरती में भी अनुसुचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए हस्बमामूल आरक्षण बराबर किया गया था। यह एतदर्थ भरती अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी तथा किसी विशेष कार्य क्षेत्र के अनुसार नहीं की गयी है।

(ख) उपर्युक्त (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रेणी I तथा II के आयकर अधिकारियों के मामले में यह प्रश्न नहीं उठता। आयकर निरीक्षकों की सीधी भरती के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(I)	1966	—	3
	1967	—	6
	1968	—	1

(II)		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां
	1966	61	42
	1967	कोई नहीं	कोई नहीं
	1968	133	57

(III)		निरीक्षक	
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां
	1966	2	1
	1967	2	कोई नहीं
	1968	कोई नहीं	1

(IV)			
	1966	कोई नहीं	1
	1967	1	1
	1968	कोई नहीं	कोई नहीं

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये ऋण

1189. **श्री के० रमानी :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के 250 करोड़ रुपये के ऋण के लिये ऋण-प्रमाणपत्र खरीदने वाले लोगों की सूचियां ऋणों के खुलने के 15 मिनट के अन्दर ही बन्द कर दी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के ऋण प्रमाणपत्र खरीदे ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सम्भवतः, माननीय सदस्यों का संकेत $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले, 1976 के ऋण की ओर है जिसे केन्द्रीय सरकार ने पहली जुलाई, 1969 को जारी किया था। ऋण की निर्धारित रकम से अभिदानों की प्राप्त रकम अधिक हो जाने पर उसी तारीख को दिन के एक बजे लेना बन्द कर दिया गया था।

(ख) सरकारी ऋणों के अभिदाताओं का ब्योरा गुप्त माना जाता है इसीलिए वह प्रकट नहीं किया जाता।

बर्दवान जिले में सोनेटोरिया गांव में भूमि में दरार पड़ना

1190. **श्री देवेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्दवान जिले में सोनेटोरिया गांव में भूमि में दरारें आ गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनेक गांवों के लोगों को, जो असुरक्षित हो गये हैं, अपने मकान खाली करने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और क्या इनके वैकल्पिक पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या सरकार प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति करने का विचार करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

बिजली का उत्पादन

1191. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बांधों के नाम क्या हैं, जहां जल शक्ति से बिजली पैदा की जाती है और

कितनी बिजली पैदा की जाती है और मूलतः कितनी बिजली पैदा करने का अनुमान लगाया गया था ;

(ख) क्या बिजली पैदा करने के मूल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). विभिन्न परियोजना अधिकारियों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर उसको सभापटल पर रख दिया जायेगा ।

कम आय के मामलों में कर निर्धारण की योजना

1192. **श्री वेशी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष करों संबंधी बोर्ड द्वारा बनाई हुई कम आय के मामलों में कर निर्धारण की योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ख) इस योजना के आरम्भ होने से अब तक इसके अन्तर्गत वर्गवार, कितने मामलों का निपटारा किया गया;

(ग) एक आयकर अधिकारी से प्रति महीने कितने मामलों के निपटारे की आशा की जाती है;

(घ) क्या वह प्राप्त परिणामों से संतुष्ट हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वह इस योजना का और आगे विस्तार करने का विचार कर रहे हैं और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) थोड़ी आय वाले मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये योजना जनवरी, 1964 में प्रारम्भ की गयी थी । उसके बाद योजना में अधिक प्रभाव तथा उद्देश्य लाने के लिये उसमें अक्तूबर, 1967 में कुछ सुधार किये गये । इस समय प्रवर्तमान योजना की मुख्य-मुख्य बातें विवरण क में दी गयी हैं ।

(ख) इस योजना के अधीन निपटाये गये मामलों के बारे में आंकड़े अलग से तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन निम्नलिखित श्रेणियों के निपटाये गये मामलों की संख्या विवरण—ख में दी गयी है । इन श्रेणियों में थोड़ी आय वाले मामलों को जल्दी निपटाने की योजना के बहुत सारे मामले आ जायेंगे अर्थात्—

(1) 7,500 रुपये से नीचे की आमदनी वाले व्यापार सम्बन्धी मामले,

(2) सरकारी वेतन सम्बन्धी मामले,

(3) गैर-सरकारी वेतन सम्बन्धी मामले,

(4) धारा 237 के अधीन वापसी के सभी मामले ।

(ग) ऐसे मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की है । लेकिन थोड़ी आय वाले मामलों को निपटाने वाले आय-कर अधिकारियों से आशा की गयी थी कि वे दूसरे आय-कर अधिकारियों के मुकाबले कर-निर्धारण के अधिक मामले निपटायेंगे । आय-कर अधिकारियों के लिये निपटान के लक्ष्य निर्धारित करने का काम आय-कर आयुक्तों के विवेक पर छोड़ दिया गया था ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) इस सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त करने के लिये सरकार ने आय-कर अधिनियम 1961 में एक संशोधन पेश किया है जिससे इस योजना को उचित सुधार के साथ स्थायी रूप दिया जा सके ।

विवरण—क

थोड़ी आय वाले मामलों के कर-निर्धारण योजना की मुख्य-मुख्य बातों का विवरण

(1) थोड़ी आय वाले मामलों के कर-निर्धारण की योजना के अन्तर्गत आने वाले मामलों में विवरणियां सामान्यतः विवरणी में दिखायी गयी आय में उन मदों को शामिल करके स्वीकार की जाती हैं जो स्पष्टतः व्यय के रूप में माने जाने योग्य नहीं होतीं ।

(2) इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के मामले आते हैं :

(क) विवरणी में दिखायी गयी 10,000 रुपये अथवा उससे कम (बम्बई तथा कलकत्ता नगरों के लिए 15,000 रु० अथवा उससे कम) आय के मामले। लेकिन यदि किसी मामले में कर-निर्धारण के एक से अधिक मामले अनिर्णीत हों और इनमें से किसी भी एक वर्ष के लिए विवरणी में दिखायी गयी आय 10,000 रु०, 15,000 रुपये से अधिक हो, तो मामला इस योजना के बाहर चला जायगा ।

(ख) सर्वेक्षण करने पर पता लगे मामले, जिनमें सम्पत्ति में निवेश ग्रस्त नहीं हों और जो निम्नलिखित वर्गों में आते हों :

(i) निरीक्षक द्वारा किया गया आय अनुमान 12,500 रुपये से कम हो, तथा

(ii) नियोजित पूंजी और उधार ली गयी पूंजी दोनों मिलाकर कुल 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो ।

(ग) चार अथवा अधिक भागीदारों वाली रजिस्ट्रीकृत फर्मों के मामले, जहां वर्ष के लिए विवरणी में दिखायी गयी कुल आय 20,000 रुपये अथवा उससे कम हो और पिछली निर्धारित आय 20,000 रुपये से अधिक न हो तथा अनिर्णीत पड़े किसी भी निर्धारण में विवरणी में दिखायी गयी आय 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो ।

(घ) भागीदारों के मामले, जिनमें विवरणी में दिखायी गयी आय 10,000 रु० (बम्बई तथा कलकत्ता नगरों के लिए 15,000 रु०) से कम हो।

(ङ) विगत समय में विवरणी में दिखायी गयी निर्धारित आय का विचार किये बिना सरकारी वेतन सम्बन्धी सभी मामले।

(च) 18,000 रुपये के कम आय वाले सभी गैर-सरकारी वेतन के मामले।

(3) योजना निम्न प्रकार के मामलों पर लागू नहीं होती :

(1) कम्पनी सम्बन्धी सभी मामले।

(2) हानियों को व्यक्त करने वाली विवरिणां।

(3) महिलाओं तथा नाबालिगों द्वारा दायर की गयी स्वेच्छिक विवरणियों के मामले।

(4) जहां तक प्रथम कर-निर्धारण वर्ष का सम्बन्ध है ऊपर (3) के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में दायर की गयी स्वेच्छिक विवरणियां।

(5) कर-अपवंचन के विशिष्ट आरोपों वाले मामले अथवा ऐसे मामले जिनमें कर-निर्धारण करने वाले अधिकारी की सूचना के अनुसार कर-अपवंचन का संदेह हो।

(4) योजना के अन्तर्गत आने वाले मामलों में से लगभग 10 प्रतिशत मामलों को ब्योरेवार छानबीन के लिए चुना जाता है।

विवरण—ख

वर्ष	निपटाये गये मामलों की संख्या
1964-65	14,53,485
1965-66	19,35,303
1966-67	18,77,353
1967-68	19,71,681
1968-69	26,17,459

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का परिसमापन

1193. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का परिसमापन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है; और

(ग) अक्तूबर, 1968 से अब तक राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी नहीं की जा रही है; काम में कमी हो जाने तथा व्यय के अधिक होने के कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी करना आवश्यक हो गया था ।

(ग) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा 1 अक्तूबर, 1968 से नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 994 में से केवल 41 व्यक्तियों की छंटनी की गई है ।

गंडक परियोजना पर काम का रुक जाना

1194. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारन जिला में गंडक परियोजना का काम बिल्कुल ठप्प हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका परिणाम यह हुआ है कि उस क्षेत्र में गंडक परियोजना के कर्मचारी गत दो वर्षों से बिल्कुल बेरोजगार हैं;

(ग) सारन जिले में कर्मचारियों को मंजूरी तथा वेतन (मासिक या वार्षिक) के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाता है;

(घ) क्या लगभग 10,000 एकड़ कृषि भूमि अर्जित की गई है और वह गत 6 से 8 वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस भूमि को कृषकों को अस्थायी आधार पर देने के लिये कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) धन की कमी के कारण तथा मुख्य नहर के ऊपरी भाग पर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कार्य पूरा न होने के कारण, सारन नहर प्रणाली पर कार्य 1967 से धीमा कर दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं । विभिन्न संरचनाओं के लिए डिजाइन आंकड़े एकत्र करने और उनकी योजनाएं और प्राक्कलन तैयार करने के अलावा, कर्मचारीगण हाथ में लिये हुए कार्यों को समाप्त करने, सर्वेक्षण, अनुसंधानों तथा नहरों, कमान क्षेत्र में शाखाओं तथा उपशाखाओं की रिपोर्टें तैयार करने में व्यस्त रहते हैं । कुछ कर्मचारियों को तिरहुत नहर के वरीयता क्षेत्र में कार्य करने के लिये स्थानांतरित कर दिया गया है ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सारन नहर के प्रतिष्ठान पर निम्नलिखित व्यय हुआ :

1967-68	9,57,000 रुपये
1968-69	10,33,000 रुपये

(घ) और (ङ). नहरों तथा कर्मचारियों की बस्तियों के लिये 8600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है जिसमें से 6600 एकड़ भूमि को पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है। शेष क्षेत्रों में भूतपूर्व मालिकों को खेती करने की अनुमति दे दी गई है।

श्रीलंका का ऋण

1195. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका को 5 करोड़ रुपये का नवीन ऋण देने के लिये भारत तथा श्रीलंका की सरकारों के बीच 30 जून, 1969 को नई दिल्ली में एक करार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ऋण वस्तुओं तथा अन्य मशीनों के रूप में दिया जायेगा या नगदी के रूप में;

(ग) ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(घ) श्रीलंका सरकार द्वारा यह ऋण कब तक तथा किस रूप में लौटाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) इस ऋण से उन पूंजीगत वस्तुओं की खरीद की वित्त-व्यवस्था की जानी है जिनके नाम, दोनों देशों में हुए करार के अनुबन्ध 1 में दर्ज हैं, नीचे दिये जाते हैं। श्रीलंका की सरकार को सीधे ही नकद रकम की अदायगी किये जाने का विचार नहीं है। इस ऋण का इस्तेमाल भारतीय संभरकों को अलग-अलग करारों के मूल्य के 90 प्रतिशत भाग तक की रकम सीधी अदायगी करने के लिए किया जायगा। प्रत्येक करार की रकम का पहला 10 प्रतिशत भाग, श्रीलंका की सरकार, अपने साधनों से परिवर्तनीय मुद्रा में अदा करेगी।

5 करोड़ रुपये के ऋण के अधीन श्रीलंका को दी जाने वाली वस्तुओं की सूची

वस्तु	भारतीय रुपयों में मूल्य (लाख रुपये)
1. **बिजली के उपकरण**	30.00
(क) विद्युतरोधी	
(ख) स्टारी छड़ और क्रास आर्म्स	
(ग) प्रेषित्र (ट्रांस्फार्मर)	

वस्तु	भारतीय रुपयों में मूल्य (लाख रुपये)
बिजली के उपकरण	
(घ) विभिन्न किस्मों के सर्किट ब्रेकर	
(ङ) ड्रापआऊट फ्यूज	
(च) हवाई (एअर) ब्रेक स्विच	
(छ) तड़ित निरोधक	
(ज) कंडक्टरों के सहायक उपकरण	
(झ) और वस्तुएं जिनके बारे में दोनों सरकारें सहमत हों।	
2. **दूर-संचार उपकरण**	10.00
(क) स्वचल स्विच बोर्ड	
(ख) हाथ से चलाये जाने वाले स्विच बोर्ड	
(ग) सहायक बिजली संयंत्र	
(घ) टेलीफोन के उपकरण	
(ङ) दूर मुद्रक	
(च) विद्युतरोधियों और तर्कुओं सहित टेलीफोन लाइनों की सामग्री	
(छ) अन्य वस्तुएं जिनके बारे में दोनों सरकारें सहमत हों।	
3. **औद्योगिक मशीनें और मशीनी औजार**	20.00
(क) खराद	
(ख) बिजली की प्रेस	
(ग) छेद करने की मशीनें	
(घ) गन्ना पेरने के यंत्र	
(ङ) बिजली से चलने वाले करघे	
(च) कपड़ा बनाने की मशीनें	
(छ) मशीनों को अन्तिम रूप देने वाली और खांचे करने वाली मशीनें	
(ज) प्लास्टिक तैयार करने वाली मशीनें	
(झ) बिजली के हविस	
(ञ) ढलाई के उपकरण	
(ट) हविस और लिफ्टों जैसी खींचने और उठाने वाली मशीनें	
(ठ) अन्य वस्तुएं, जिनके बारे में दोनों देश सहमत हों।	

वस्तु	भारतीय रुपयों में मूल्य (लाख रुपये)
4. खेती और सिंचाई के उपकरण और मशीनें	30.00

(क) छिदाई सम्पीडक

(ख) ट्रैक्टरों के लिये सहायक पुर्जे और औजार

(ग) चाय सम्बन्धी मशीनें

(घ) 40 अश्व-शक्ति तक के स्थिर डीजल इंजन और पम्प सेट

(ङ) अन्य वस्तुएं जिनके बारे में दोनों सरकारें सहमत हों।

5. निर्माण सम्बन्धी और सामान्यतः काम में आने वाली मशीनें 90.00

(क) खनित्र

(ख) सड़क बनाने वाले इंजन

(ग) पत्थर कूटने वाली मशीनें

(घ) कम्पित्र

(ङ) वर्गीकरण संयंत्र

(च) फोर्क लिफ्ट

(छ) औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रशीतन संयंत्र

(ज) शीतागार संयंत्र

(झ) जल-मल अभिक्रिया संयंत्र

(ञ) क्रेन, जिनमें स्वचालित और सामान ऊपर ले जाने वाले क्रेन भी शामिल हैं।

(ट) ढलवा लोहा और तन्तुकृत पाइप

(ठ) पानी खींचने के यंत्र (वाटर बाउजर)

(ड) अपकेन्द्री पम्प

(ढ) ट्रेलर

(ण) कूओं के संधानित खोल

(त) गहरे कूओं के अक्षीय पम्प

(थ) फ्लो टर्बाइन पम्प

(द) हाथ से चलाया जाने वाला चट्टान खोदने का बरमा

(ध) पश्चाग्र जल पम्पों सहित हीरे के नोक वाले बरमे

(न) अन्य वस्तुएं जिनके बारे में दोनों सरकारें सहमत हों।

वस्तु	भारतीय रुपयों में मूल्य (लाख रुपये)
6. **वाणिज्यिक मोटर-गाड़ियां**	270
(क) बसें	
(ख) ट्रक, जिनमें एक टन की गाड़ियां भी शामिल हैं	
(ग) जीपें	
(घ) 200 तक यात्री कारें	
(ङ) 500 बसों के ढांचे बनाने के लिए सामान (एल्यूमिनियम की चादरें, सरकने वाली खिड़कियां, हवा रोक शीशे, सुरक्षा शीशे और समतल शीशे)	
(च) अन्य वस्तुएं जिनके बारे में दोनों सरकारें सहमत हों।	
7. **रेल उपकरण**	50.00
(क) रेल वैगन	
(ख) टैंक वैगन	
(ग) डिब्बे (सवारी डिब्बे)	
(घ) अन्य वस्तुएं जिनके बारे में दोनों सरकारें सहमत हों।	
जोड़ ...	500.00

(ग) इस ऋण की बकाया रकमों पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा।

(घ) यह ऋण बराबर-बराबर की छमाही किस्तों में नौ वर्ष की अवधि में चुकाया जायेगा। किस्तों की अदायगी हर साल 30 जून और 31 दिसम्बर को करनी होगी और यह अदायगी 30 जून, 1971 में शुरू होगी।

पारी से बाहर सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के अनिर्णीत मामलों पर पुनर्विचार के लिये समिति की नियुक्ति

1196. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के पारी से बाहर आवंटन (प्रतीक्षा सूची) के अनिर्णीत मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री ने कितने मामलों की मंजूरी दी है और मंत्री द्वारा नियुक्त तत्कालीन आवास समिति ने कितने मामलों में मंजूरी दी थी;

(ग) उस प्रतीक्षा सूची पर पुनर्विचार करने के क्या कारण हैं, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन मंत्री ने दी थी;

(घ) पुनर्विचार समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी;

(ङ) इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(च) यह समिति नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) फिलहाल 532 मामले हैं, जो प्राय: टाईप V और उससे नीचे के हैं, जिनमें निर्माण, आवास बिना-बारी के आवंटन स्वीकृत किए जा चुके हैं, परन्तु जिनमें वास्तविक आवंटन अभी नहीं किया गया है । इन विचाराधीन मामलों में से, 254 मामलों में बिना-बारी के आवंटन की स्वीकृति भूतपूर्व मंत्री महोदय द्वारा दी गई और टाईप IV तथा उसके नीचे के 278 मामलों में विशेष आवास समिति द्वारा दी गई, जो अन्तत: मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित की गई ।

(ग) बिना बारी के आवंटन अब से लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष पूर्व तक स्वीकृत किए गए और अब प्रत्येक मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनरीक्षण वांछनीय समझा गया है ।

(घ) समिति ऐसे मामलों का पुनरीक्षण करेगी और यह निर्णय करेगी कि किन मामलों में बिना-बारी के आवंटन किया जाना चाहिए । कार्य के शीघ्र ही पूरा किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं । निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग के सचिव और स्वास्थ्य सेवाओं के महा-निदेशक (समिति के) सदस्य हैं और सम्पदा निदेशक समिति के सचिव हैं ।

(च) कृपया ऊपर भाग (ग) का उत्तर देखें ।

वाणिज्यिक बैंकों में जमाकर्ताओं की श्रेणी का अध्ययन

1197. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े व्यापारिक बैंकों में जमाकर्ताओं (जैसे बड़े व्यापारी, दलालों आदि) की श्रेणी का कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । लेकिन, रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों में जमा रकमों के स्वामित्व के स्वरूप का वार्षिक सर्वेक्षण करता है । 31 मार्च, 1968 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा रकमों के स्वामित्व के स्वरूप की जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1402/69]**

नई दिल्ली में आरामबाग क्षेत्र के क्वार्टरों में अतिरिक्त पंखे की व्यवस्था

1198. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 17 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में डी० आई० जेड० क्षेत्र के क्वार्टरों में स्वीकृति के बिना ही तीसरा पंखा लगा दिया गया है, जब कि नई दिल्ली में आरामबाग के क्षेत्र के भूतपूर्व 'ई' टाइप के दो कमरों वाले क्वार्टरों में अभी तक दूसरा पंखा भी नहीं लगाया गया है, जिसे लगाने का प्रश्न विचाराधीन था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आरामबाग क्षेत्र के क्वार्टरों में दूसरा पंखा कब तक लगाया जायेगा ;

(ग) क्या इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाईप IV की उच्च श्रेणी में लाये गये क्वार्टरों में उचित स्वीकृति के अधीन तीसरे पंखे की व्यवस्था की गई है। आराम बाग क्षेत्र के 'ई' टाइप (टाइप III) क्वार्टरों में दूसरे पंखे की व्यवस्था के लिये सरकार की स्वीकृति जारी कर दी गई है और इस वर्ष के अन्त तक कार्य के समाप्त होने की आशा है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

शहरी आय की अधिकतम सीमा

1199. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). आय सम्बन्धी असमानता को दूर करना सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य है। जहां तक शहरी आय का सम्बन्ध है, 2,50,000 रुपये की कर-योग्य आय के स्तर तक आरोही दरों के अनुसार 82.5 प्रतिशत तक अधिकतम आयकर का लगाया जाना इस उद्देश्य को पूरा करने का एक साधन है। इसके

अतिरिक्त, शहरी जमीन और इमारतों पर सम्पत्ति कर तथा अतिरिक्त सम्पत्ति-कर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों की उगाही के काम में सुधार किया जा रहा है तथा आय और सम्पत्ति को छिपाने या उन्हें कम करके बताने के अपराध के लिये पहले की अपेक्षा अधिक दण्ड की व्यवस्था की गई है। शहरी सम्पत्ति से होने वाली आय की तथा शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के प्रश्नों के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रियों द्वारा सरकारी व्यय पर विदेशों की यात्रा पर अपने रिश्तेदारों को साथ ले जाना

1200. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी व्यय पर अपने साथ किसी रिश्तेदार को ले जाने वाले मंत्री का क्या नाम है ;

(ख) रिश्तेदार का नाम क्या है और सरकार ने उस पर कितना व्यय किया है ; और

(ग) उस पर सरकारी धन व्यय करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका की डग्लस कम्पनी द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के एक अधिकारी को रिश्वत देने की कथित पेशकश

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : महोदय, मैं पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलाता हूं तथा उनसे इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :

"संयुक्त राज्य अमरीका की डगलस कम्पनी के एक प्रतिनिधि द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स के एक अधिकारी को लिखा गया कथित पत्र, जिसमें उन्हें कम्पनी से प्रत्येक डी० सी० 9 विमान की खरीद पर 15,000 पाउंड देने की पेशकश की गई।"

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 16 अप्रैल, 1969 को इस सदन के एक माननीय सदस्य, श्री जार्ज फरनेन्डीज ने एक पत्र द्वारा मुझे बताया कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि इंडियन एयरलाइन्स मूल्यांकन दल के सदस्यों को, जिन्होंने बोइंग विमान को खरीदने की सिफारिश की थी, विभिन्न तरीकों से तंग किया जा रहा है और यह भी बताया कि उनका ध्यान

मैसर्ज इण्डामेर कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, श्री कोजारेक के इंडियन एयरलाइंस के कैप्टेन ह्यूलगोल के नाम लिखे पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रत्येक डगलस विमान के खरीदने पर उन्हें 75,000 डालर की रिश्वत प्रस्तुत की गयी है। 23 अप्रैल को अपने उत्तर में मैंने कहा कि आरोप यदि सच हैं तो वे अत्यन्त गम्भीर हैं, और यह भी कहा कि मैं इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकवर्ग से इस मामले की रिपोर्ट मांग रहा हूं। उसी दिन मैंने इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन को एक पत्र लिखा जिसमें उनका ध्यान श्री फरनेन्डीज के पत्र की ओर दिलाया और उस पर उनकी टिप्पणी मांगी। चेयरमैन ने अपने उत्तर में मूल्यांकन दल के सदस्यों के तंग किये जाने के आरोप को अस्वीकार किया और लिखा कि "जहां तक दूसरे आरोप अर्थात मेकडानल्ड डगलस कारपोरेशन के स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा पत्र लिखे जाने का सम्बन्ध है, मेरी सूचना के अनुसार हमारे ध्यान में इस प्रकार के किसी पत्र के मिलने की बात बिल्कुल ही नहीं लाई गई है। सम्भवतः आप श्री फरनेन्डीज से पूछना पसन्द करेंगे कि क्या उन्होंने तथाकथित पत्र देखा है, यदि हां तो किसके पास और पत्र में यथार्थतः क्या लिखा है।"

2. मेरे मंत्रालय के सचिव 10 से 27 अप्रैल तक देश से बाहर थे। 28 तारीख को कार्य पर वापिस आने पर उन्हें अपनी डाक में पिलमेन एयरक्राफ्ट कम्पनी के श्री एम० जे० बी० मानक जी का 12 अप्रैल का लिफाफा बन्द पत्र मिला। पत्र में श्री कोजारेक द्वारा कैप्टन ह्युलगोल को 12 अक्तूबर, 1967 को लिखे बताये गये हस्तलिखित पत्र की फोटोस्टेट कापी संलग्न थी। तथाकथित पत्र, जहां तक उसे पढ़ा जा सकता है, निम्न प्रकार है :

"प्रिय कैप्टेन ह्युलगोल,

इस पत्र को हमारे बीच हुए विभिन्न विचार-विमर्शों के सन्दर्भ में देखें जिनका सम्बन्ध हमारे आपसी हितों में उन उत्पादनों की बिक्री की व्यापारिक उन्नति से है जिनके मार्केटिंग का काम मैं कर रहा हूं। कृपया विश्वास रखें कि हमारी जितनी यूनिट बिकेंगी उनकी बिक्री और डिलीवरी पूरी हो जाने पर हम आपको प्रत्येक यूनिट पर 75,000 डालर की राशि देंगे, जिसकी अंश अदायगी निर्देशानुसार अन्य व्यक्तियों को कर दी जायेगी।

कृपया यह भी ख्याल रहे कि आप इन्हीं वस्तुओं के अन्य किसी विक्रेता की सहायता नहीं करेंगे। आप समय-समय पर इस सम्बन्ध में की गयी प्रगति से मुझे अवगत कराते रहेंगे।

जे० पी० कोजारेक"

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हस्तलिखित पत्र में यह साफ दिखाई नहीं देता है कि उसमें 15,000 डालर का उल्लेख है अथवा 75,000 डालर का। मैंने फोटोस्टेट कापी को देखा है तथा उसमें उल्लिखित आंकड़े को मैंने 75,000 डालर समझा है।

3. सचिव ने श्री मानकजी को पत्र की प्राप्ति की स्वीकृति तुरन्त भेज दी और अगले ही दिन मानकजी के पत्र तथा उसके साथ संलग्न पत्र की फोटोस्टेट कापियां इण्डियन एयरलाइन्स के जनरल मैनेजर को, इस अनुरोध के साथ भेज दीं कि वे मामले की पूरी जांच करें। सचिव ने अपने पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि "इस मामले पर अति गम्भीरतापूर्वक, अविलम्ब और पूरी जांच की आवश्यकता है, जिससे कि जितनी जल्दी हो सके, मन्त्री महोदय को इस बारे में तमाम तथ्यों से सम्पूर्णतया अवगत कराया जा सके।" 2 मई को एयरलाइन्स ने कैप्टेन ह्यलगोल से, जो 4 अप्रैल से विभिन्न प्रकार की लम्बी छुट्टी पर जिसमें बीमारी की छुट्टी भी सम्मिलित थी, चले गये थे। तीन दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर यह बताने के लिये कहा कि :

(क) क्या उनको श्री कोकारेज का पत्र मिला है, यदि हां तो वे सुविधानुसार शीघ्रतम मूल पत्र और उनके द्वारा भेजा गया उस का उत्तर प्रेक्षणार्थ प्रस्तुत करें।

(ख) जिन मामलों के सम्बन्ध में और जिन परिस्थितियों में श्री कोजारेक का यह पत्र उनको लिखा गया, उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकवर्ग को उक्त पत्र की प्राप्ति तथा उसकी विषयवस्तु की सूचना क्यों नहीं दी गई।

6 मई को कैप्टन ह्यलगोल ने जनरल मैनेजर को टेलीफोन किया और बतलाया कि क्योंकि उनकी दायीं आंख पर मोतियाबिन्द का आपरेशन हुआ है और आंख से अभी टांके नहीं हटाये गये हैं इसलिये वे उत्तर सोमवार, 12 मई तक भेजेंगे। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो 14 मई को जनरल मैनेजर ने कैप्टेन ह्यलगोल को टेलीफोन पर याद कराया और एक पत्र भी भेजा। तत्पश्चात् कैप्टेन ह्यलगोल ने 17 मई को अपना उत्तर भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उन्होंने कहा कि उन्हें वह पत्र निर्दिष्ट तारीख के बहुत बाद में मिला था, तथा कुछ देर के उपरान्त उन्होंने उसके पत्र की विषय-वस्तु को उच्च अधिकारियों को जिनमें गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी सम्मिलित थे, ध्यान में लाने का निर्णय किया। इसके उत्तर में जनरल मैनेजर ने 20 मई को उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें कुछ और पूछताछ की गयी थी। इस पत्र का अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

4. साथ ही साथ, एयरलाइन ने 2 मई को श्री जे० पी० कोजारेक को एक पत्र लिखा जिसके साथ उनको उक्त फोटोस्टेट की एक कापी भी भेजी, और उन्हें कहा कि प्रबन्धकवर्ग को यह बताया जाये कि क्या उन्होंने इस प्रकार का कोई पत्र लिखा था, और यदि हां, तो उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाए जिनमें ऐसा किया गया। कई बार स्मरण कराने के बाद श्री कोजारेक ने 12 जून को उत्तर दिया कि उन्होंने कभी ऐसा पत्र नहीं लिखा। एयरलाइन को यह उत्तर 16 जून को प्राप्त हुआ।

5. क्योंकि कैप्टेन ह्युलगोल एक स्वायत्त निगम के कर्मचारी हैं, मंत्रालय का विचार था कि निगम द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच कर लेने तथा उस पर अपने विचार सरकार को भेज देने के बाद ही अगली कार्यवाही के बारे में फैसला किया जाना चाहिए। वास्तव में हम अभी कारपोरेशन से अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि यह मामला 23 जुलाई को राज्य सभा में प्रश्नावधि के दौरान बहस के लिये उठाया गया। उसके तुरंत बाद मामले पर इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन तथा जनरल मैनेजर के साथ विचार-विमर्श किया गया और उससे अगले दिन, उनकी सहमति से, कैप्टेन ह्युलगोल के विरुद्ध इससे पहले मिली कतिपय गुमनाम शिकायतों एवं आरोपों सहित, इस विषय से संबंधित सब कागज-पत्र गृह सचिव के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिये गये कि यह सारा मामला केन्द्रीय जांच ब्योरो के सुपुर्द कर दिया जाए। केन्द्रीय जांच ब्योरों ने मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है।

6. महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि तथाकथित पत्र प्रामाणिक है अथवा नहीं, इस मामले के अलावा जो कि निःसन्देह अपने आप में अत्यधिक गम्भीर है, उससे अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण इंडियन एयरलाइन्स के लिये एक नये विमान के पूर्ण एवं सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के प्रश्न पर सरकार अत्यन्त व्यग्रतापूर्वक विचार कर रही है और आशा की जाती है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी: मैं समझता हूं कि इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता कि उस पत्र में 15,000 डालर की राशि का उल्लेख है अथवा 75,000 डालर की राशि का। परन्तु मूल बात यह है राशि चाहे 15,000 डालर हो अथवा 75,000 डालर, मैं उस पत्र का एक अंश पढ़ रहा हूं जो इस प्रकार है, "....प्रत्येक यूनिट पर....की राशि देंगे, जिसकी अंश अदायगी निर्देशानुसार अन्य व्यक्तियों को कर दी जायेगी।"

इससे यह प्रतीत होता है कि इस मामले में उस अधिकारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी सम्बद्ध हैं। सरकार तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये।

यह एक गम्भीर मामला है जिसकी कलई खुल गई है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल यह ही एक ऐसा मामला नहीं है, ऐसे बहुत से अन्य मामले हैं जिनको ध्यान में नहीं लाया जाता है। अमरीकनतथा यूरोपीय कम्पनियां सामान्यतया बातचीत करने वाले अधिकारियों को निजी कमीशन देती हैं और अधिकांश मामलों में बेइमान अधिकारियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाता है। कुछ अच्छे तथा ईमानदार अधिकारी भी हैं, जो ऐसे कमीशन की राशि को घटाकर सरकारी धन की अदायगी कराते हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश मामलों में अधिकारी कमीशन की राशि को ले लेते हैं और उसे अमरीकी अथवा स्वीस बैंकों में जमा करा देते हैं। अतः ऐसे बहुत से मामले हो सकते हैं। सरकार को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

एक और अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानून इतना कमजोर है कि अधिकारी यह समझते हैं कि अधिक से अधिक उनका तबादला कर दिया जायेगा अथवा उन्हें सेवानिवृत कर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : प्रश्न पूछता हूं । परन्तु मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं और वह है कि रूस तथा अमरीका द्वारा राजनैतिक दबाव डाला जाता है । सरकार को राजनैतिक दबाव में नहीं आना चाहिये और उसे तुरन्त यह निर्णय करना चाहिये कि वे किस किस्म के विमान खरीदेंगे ।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस सदन के अथवा संसद के दोना सदनों के सदस्यों की एक समिति नियुक्त करेगी ताकि यह मामला ठीक ढंग से निबटाया जा सके और उचित कार्यवाही की जा सके ? यह समिति एक स्थायी समिति होनी चाहिए तथा इसका कार्य भ्रष्टाचार के उन सब मामलों को जो रोशनी में आते हैं, छानबीन करनी चाहिए ।

दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी, तथा क्या सरकार डगलस कम्पनी को काली सूची में रखेगी और उसके उस प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो रिश्वत देता है ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सब करारों की एक केन्द्रीय तंत्र द्वारा जांच पड़ताल की जाया करेगी और यह सुनिश्चित किया जाया करेगा कि जो राशि अदा की जाये वह ऐसे कमीशनों इत्यादि की राशि को घटाकर अदा की जाये ताकि कमीशन की राशि अधिकारियों की निजी जेबों में न जाये ।

डा० कर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है और इसके सब पहलुओं की छानबीन की जानी चाहिए । मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले के सब पहलुओं की छानबीन करेगी ।

जहां तक दबाव का सम्बन्ध है, यह सच है कि इस मामले में निर्णय लेने में समय लगा है, परन्तु इसका कारण दबाव नहीं है । यह एक ऐसी खरीद है जिससे हमारी उड्डयन व्यवस्था पर 10 अथवा 12 वर्ष तक स्थायी प्रभाव पड़ता है अतः हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नहीं चाहते हैं । मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि सरकार किसी के दबाव में नहीं आयेगी ।

जहां तक समिति की नियुक्ति का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है । हमें उसकी जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिये और यदि किसी व्यक्ति अथवा फर्म को दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The question of purchasing aircraft has become a laughing stock like that as the matter of manufacturing small Car. A committee was appointed in this regard under the Chairmanship of Shri Lal, but their report has not so far been published and placed before the House. I want to know the reasons therefor.

A reference has been made above pressure. It is known to me that the Captain had contacts with very high ups in the Indian Airlines Corporation. He had personal friendship with Shri Bharat Ram. It is with my knowledge that Shri Bharat Ram is also connected in this matter and he was also to get an amount of nearly one lakh dollars on the purchase of each aircraft. So my submissions is that Shri Bharat Ram's conduct should also be enquired by C.B.I. He should either be removed or sent on leave.

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या माननीय सदस्य बिना किसी साक्ष्य के इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं ? क्या उन्होंने आपके समक्ष इस आरोप की पुष्टि में कोई साक्ष्य पेश किया है ? क्या वह सभा के विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं ? क्या उन्होंने आपके समक्ष कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे प्रथम दृष्टया मामला बनता हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अपनी सीमा से बाहर बात करते हैं, तो मैं उन्हें रोक देता । मैं समझता हूं वह अपनी सीमा के बाहर बात नहीं कर रहे हैं । उन्होंने मंत्री महोदय को जो पत्र लिखा है उसमें भी यह संकेत दिया है कि इस मामले में कुछ अन्य व्यक्ति भी सम्बद्ध हैं । यह एक भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के मामले में साक्ष्य कभी कभी प्राप्त होता है । जब वह ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके पास कोई न कोई प्रमाण भी अवश्य होगा । उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये । मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता हूं ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । चूंकि उस पत्र में कहा गया है कि इस मामले में कुछ अन्य व्यक्ति भी सम्बद्ध हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उस मामले में डा० कर्ण सिंह अथवा उपमंत्री या किसी अन्य व्यक्ति ने इतना रुपया लिया है ? क्या ऐसा कहना उचित होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण देने के लिये उपस्थित नहीं होता, तो उसका नाम नहीं लिया जाता और मैं अवश्य उन्हें ऐसा करने से रोकता परन्तु .....

श्री नारायण दांडेकर : किसी व्यक्ति के यह पत्र लिखने पर कि भ्रष्टाचार के मामले में कुछ व्यक्ति सम्बद्ध हैं, क्या इस सभा में नामों का उल्लेख किया जा सकता है, क्या आपका ....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : आप पहले कृपया मेरी बात सुन लीजिये । मेरा निवेदन यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस सभा के किसी माननीय सदस्य अथवा मंत्री महोदय को यह पत्र लिखता है

कि रेलवे में भ्रष्टाचार है तथा उसमें बहुत से व्यक्ति सम्बद्ध हैं, तो क्या कोई सदस्य खड़ा होकर रेलवे के व्यक्तियों के नाम ले सकता है और यह कह सकता है कि भ्रष्टाचार में फलां-फलां व्यक्ति सम्बद्ध हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं ? **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री रवि राय (पुरी) : क्यों नहीं, प्रमाण होने पर ऐसा किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की बात समझ गया हूं । वह कृपया बैठ जायें । मैं पूर्ण रूप से उनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं । इस विशेष मामले में श्री मधु लिमये के एक सहयोगी गैर सरकारी सदस्य ने सम्बन्धित मंत्रालय अथवा मंत्री को पत्र लिखा था तथा प्रारम्भिक जांच के बाद स्वयं मंत्री महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस मामले की आगे जांच होनी चाहिये । इसलिये यह एक कृत्रिम मामला नहीं है । इसमें कुछ सार है । प्रथम दृष्टया यह मामला सही प्रतीत होता है और इसीलिये इसको केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है । जब उसी माननीय सदस्य ने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये हैं, तो मैं समझता हूं कि यह एक भ्रष्टाचार का मामला है । अतः इन आरोपों का खण्डन करना मंत्री महोदय का काम हैं । मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिये और यदि वह उन आरोपों का खण्डन कर सकते हैं, तो करें ।

श्री दांडेकर ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है ।

श्री दांडेकर : आपका निर्णय आगे के लिये एक उदाहरण बन जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अन्तर्ग्रस्त मामला है । इसलिये मैंने अनुमति दे दी है । **(अन्तर्बाधाएं *)**

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तर्बाधाओं को सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये । **(अन्तर्बाधाएं)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को दो बजे म० पं० पर लिया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर दो मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at two minutes past fourteen of the Clock.

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

*Not recorded.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि एक साथ कई माननीय सदस्य खड़े न हों। यदि वे ऐसा करते रहे तो मुझे यह आदेश देना पड़ेगा कि कार्यवाही वृतान्त में किसी भी बात को शामिल न किया जाये। मेरा विनिर्णय अन्तिम है। मेरे सामने दो प्रश्न और आये हैं। एक प्रश्न पूर्वसूचना से सम्बन्धित है। जब मंत्री महोदय को एक माननीय सदस्य से पत्र प्राप्त हो गया था, तो मैं समझता हूं कि उन्हें इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की खरीद तथा अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में पर्याप्त पूर्वसूचना मिल गई थी। दूसरे डा० भरत राम के नाम का उल्लेख किया गया है। वह प्राइवेट व्यक्ति नहीं हैं। जब उन्होंने उनके नाम का उल्लेख किया था तो उन्होंने इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के प्रधान की हैसियत से उनके नाम का उल्लेख किया था जब उन्होंने मंत्री महोदय को लिखा था तो उन्होंने कथित भष्टाचार का उल्लेख किया था अतः जब उनका नाम का उल्लेख किया गया था, उस समय निजी हैसियत से नहीं बल्कि इन्डियन एयरलाइन्स के प्रधान के रूप में उनके नाम का उल्लेख किया गया था। अतः इन प्रश्नों के बारे में मेरा विनिर्णय अन्तिम है। यदि कोई अन्य प्रश्न हों तो उन्हें उठाया जा सकता है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : महोदय, मैं नियम 353 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियम 353 में कहा गया है, "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान-हानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा·····"

"किसी व्यक्ति" शब्द को देखिए। एक सरकार निगम का प्रधान में "किसी व्यक्ति" की संज्ञा में आता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस सदन का किसी विशेष सदस्य द्वारा व्यक्तिगत दुर्भाव्ना का बदला लेने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उक्त नियम के परन्तुक में कहा गया है :

"परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने के प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक-हित सिद्ध नहीं होता।"

अतः इस सभा की गरिमा को बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। मैं यह नहीं समझ सका हूं कि ये वामपंथी दल जो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं, राष्ट्रीयकृत एयरलाइन्स कारपोरेशन में नुक्स क्यों निकाल रहे हैं। वे हर चीज के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे है ··(**अन्तर्वाधायें**)

इसके अतिरिक्त इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छानबीन की जा रही है। इस-लिए यह मामला एक प्रकार से न्याय-निर्णय अधीन है। अतः इसका उल्लेख करना उचित नहीं है। मैं आपसे सभा की गरिमा को बनाये रखने के लिये अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करने का अनुरोध करता हूं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : नियम 353 के अन्तर्गत दी गई पूर्वसूचना में किसी

व्यक्तिविशेष नाम का उल्लेख होना चाहिये तथा केवल मंत्री महोदय को पत्र लिखने से जिसमें सामान्यरूप से यह कहा गया है कि वहां ऐसी बातें हो रही हैं, इस नियम की शर्तें पूरी नहीं होतीं। उस पत्र में डा० भरत राम के नाम का उल्लेख नहीं था। आप मंत्री महोदय से इस बात की पुष्टि करा सकते हैं। अतः इस मामले में डा० भरत राम के नाम को नहीं घसीटा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय देने से पहले उस नियम को देखा है। वह नियम प्राइवेट व्यक्तियों पर लागू होता है। परन्तु वह इण्डियन एयरलाइन्स के प्रधान हैं। इसलिये उनको प्राइवेट व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। पद धारण करने के बाद एक व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति नहीं रहता है। इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रधान के नाते उनके नाम का उल्लेख किया गया है। मेरा विनिर्णय अन्तिम है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मंत्री महोदय को इण्डियन एयरलाइन्स में कथित भ्रष्टाचार के लिये पहले ही सूचित कर दिया गया था। अतः अब यदि किसी अधिकारी के नाम का उल्लेख किया जाता है, तो उस अधिकारी की रक्षा करना मंत्री महोदय का काम है। श्री मधु लिमये कृपया अपना प्रश्न पूरा करें।

Shri Randhir Singh (Rohtak): On a point of order Sir, It is clear that this House is the supreme legislative body of the land and there is no power over it. The Members of this House have certain rights and privileges. There should be no curbs on the privileges of the Members. They should have freedom of speech. All the Members of the House are very responsible persons and it can not be expected from them that they will tell lie. We can not imagine that Shri Madhu Limaye will say any thing untrue. If there is corruption in I.A.C. there is no use in hiding that. So my submission is that there should be no restrictions on the freedom of speech.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं यही समझता हूं कि सभा का हर माननीय सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति है तथा उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करेगा।

Shri Madhu Limaye: I will clarify the position in one sentence. I saw you in the morning, as is required by the rules and placed before you the evidence, whichever I had. I would have not mentioned the name of the Chairman, had I been confident that the enquiry could be conducted even if the Chairman continued to hold his office. But the Captain and the Chairman are fast friends and as such....

श्री मी० रु० मसानी : इसका क्या प्रमाण है ?

Shri Madhu Limaye: There is evidence. Do they want evidence there..,..... **(Interruptions).**

श्री लोबो प्रभु : आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब आप नियमों का पूरे तौर से उल्लंघन कीजिये और साक्ष्य हमारे सामने रखिये।

Shri Madhu Limaye: It is a triangular matter—the Chairman, the Douglas Company and these poeople are involved in it. They are raising a hue and cry. But I am not

going to yield. The Report of the Lal Committee has not been placed on the Table of the House. The Chairman has unanimously favoured the purchase of Boeing Aircraft. But now the Chairman, the Captain and the Douglas Company want to sabotage the recemmendations of the Lal Committee and they want that the aircrafts should be purchased from Douglas Company. The Hon. Minister should answer these questions or refute these allegations. They want me to mention the names. I am not going to be pressurised. I am ready to mention the names.

श्री नारायण दांडेकर : उन्होंने एक सरकारी नौकर का नाम लिया है। इस प्रकार यदि नाम लिया जाने लगा तो उसका कोई अन्त नहीं होगा। इस प्रकार से नाम नहीं लिये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले तो इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन का नाम लिया गया था''

श्री लोबो प्रभु : श्री हकसर प्रधान मंत्री के निजी सचिव हैं और वह एक सरकारी अधिकारी हैं। **(व्यवधान)**

श्री नारायण दांडेकर : आप श्री हकसर का नाम नहीं लेने देते परन्तु श्री भरत राम के नाम लेने की आप अनुमति दे रहे हैं। मैं इसको नहीं समझ सका।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को दोनों में अन्तर को समझना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : First is the matter concerning the Chairman, second is in regard to Douglas Company and the third is in regard to Soviet aircraft. Shri Haksar met the General Manager this month and put pressure on him that Indian Airlines should purchase the Soviet T.U. 154 plane.

I have visited Rumania, Czechoslovakia and Yugoslavia. I was told there that the Soviet aircraft is no doubt heavy and durable but from economic point of view, it is not good.....**(Interruption)**. I want to know whether at the time of taking a decision it would be seen that the benefit is given to the Government and not to anybody else? No intermediary should be allowed to get commission.

Dr. Karan Singh : First point is regarding the allegation against the Chairman Shri Bharat Ram.

Shri Madhu Limaye : I said that he should be removed so that impartial enquiry takes place.

Dr. Karan Singh : The C.B.I. enquiry will be impartial. I want to assure the House that all concerned in this matter will be dealt with suitably—whatever his status may be.

It is the duty of a Minister that if a charge is made against a chairman of his Corporation, he should protect the Chairman till it is proved that the charge is correct. So far I am concerned, I do not know of any such charge against Shri Bharat Ram. It is my duty as a minister incharge to make it clear that there is no such charge before us. Shri Limaye, who is a senior member can realise its justification.

He said that Shri Haksar has met the General Manager. I want to deny that any pressure has been put by him. I do not know whether he has met the General Manager or not.

There are three proposals before us. We want to ensure that best aircraft is selected. We want that Indian Airlines should get the planes before 1971. We do not want that some intermediary should get anything. We want that all the concessions should be passed on to the public.

Shri Bhogendra Jha : I want to draw the attention of the Hon. Minister to the 37th report of the Committee on public undertakings. It is stated therein that P. C. Lal Committee's report should be considered carefully. I want to know whether any other committee has been appointed there ? Another point is in regard to the bribe of 75,000 dollar for one aircraft purchased. In this respect a copy of the alleged letter should be placed on the table of the House.....**[Placed in Library. See No. LT-1471/69]** **(Interruptions)**....

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

Shri Bhogendra Jha : Now the question is that who are those 'others' referred to in the letter. It has become a practice here that such people are retired prematurely and they go scot free.

Have they taken this decision by bypassing the report of Lal Committee ? I want to say that Shri Bharat Ram has opened many companies in collaboration with American companies. I want to know whether those companies are connected with this aircraft company and whether this would also be inquired into ?

श्री रंगा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब मंत्री महोदय ने श्री भरतराम के बारे में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है तो अब फिर आप माननीय सदस्य को वही बातें कहने को अनुमति दे रहे हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो उन्हीं आरोपों को दोहरा रहे हैं ।

Shri Bhogendra Jha : I want to know whether C. B. I. will enquire into all these things.

May I know whether the proposal of the purchase of aircraft from Douglas Co. has been abandoned or not after this and which aircraft will be best suited to us ?

Dr. Karan Singh : First of all I want to make it clear that Shri Haksar has not met the General Manager of Indian Airlines.

Lal Committee was set up in 1967. It had suggested that Viscount plane could give good service for five years and in the meantime Government could decide about its replacement. It had recommended two planes—Boeing and Douglas. Afterwards it was felt that we have to increase our fleet. An evaluation team was appointed. The report of the team was first considered by the Board then it came before the Government. It will be a very important decision. We hope to take a decision very soon.

Shri Madhu Limaye : Why the report of the Lal Committee was not placed on the Table of the House ?

Dr. Karan Singh : Because it was a technical evaluation report and was meant for Indian Airlines. The decision will be placed before you and we will make known the reasons for taking that decision.

In regard to the letter, I want to say that we have sent all the letters etc. to the C. B. I. I do not want to say more. It is for the C. B. I. to make thorough enquiry.

Shri George Fernandes : **

Shri Madhu Limaye Do you want to prove whether the letter is genuine or not?

Dr. Karan Singh: I do not want to say anything at this stage, because I am myself not aware about those other persons.

We are examining all the three types of Planes. These planes are Boeing 737, D.C-9, and T. U. 154. We have to consider about all the three. We want to arrive at a decision taking into consideration the merits of the planes.

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रश्न ; श्री तेन्नेटी विश्वनाथम **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हारबर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री देवकी नन्दन पाटोदिया ने डी० सी० वायुयानों के विक्रय तथा क्रय के सम्बन्ध में.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। मैंने श्री तेन्नेटी विश्वनाथम से कहा है। **(व्यवधान)** **

विशेषाधिकारों का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGES

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैंने विशेषाधिकारों का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रस्ताव का नोटिस दिया है। साधारणतया इस प्रकार के समाचार पत्रों में मुद्रित अथवा किसी समाचार पत्र के विरूद्ध मैं प्रस्ताव पेश नहीं करता हूं। परन्तु बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्धित विधेयक के वर्तमान सन्दर्भ में समाज के कुछ भागों में जो तनाव पैदा हो गया है तथा जो कुछ इस दिशा में घटित हुआ है, उसको देखते हुए मैंने इस सम्बन्ध में आपके ध्यान को आकृष्ट करना उपयुक्त तथा संगत समझा है।

27-7-69 के हिन्दुस्तान टाइम्स के पृष्ठ 6 पर एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है 'दि वीक इन पार्लियामेन्ट' इसमें उपाध्यक्ष के द्वारा सभा की कार्यवाही पर चार पैरों की व्याख्या दी गई है।

इसके अन्तिम पैरे में बताया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने वाले इस विधेयक का विरोध करते हुए श्री मसानी ने कहा कि :

"The Deputy Speaker had allowed himself to be used by the Prime Minister in presenting the Supreme Court with the accomplished fact of a Bill."

यह तो विधेयक को प्रस्तुत करने वाले नोटिस के उत्सर्वन का उल्लेख मात्र है जिसे आप

** सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

** Not recorded.

बनाना चाहते हैं। परन्तु श्री मसानो जी का आधिकारिक वक्तव्य है कि प्रधान मंत्री ने सर्व प्रथम शनिवार को सायंकाल के समय अध्यादेश लागू करके इसे पूर्ण रूप से सम्पन्न तथ्य से संसद का सामना करने का प्रयत्न किया जब उच्चतम न्यायालय ने सदन के विशेषाधिकारों का समर्थन किया तो प्रधान मंत्री भी अब सम्पन्न तथ्य के द्वारा उच्चतम न्यायालय का सामना करना चाहती हैं।

श्री मसानी जी के वक्तव्य में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि इस सारे मामले में अधिकारी को फसाने का लेशमात्र भी सुझाव नहीं है परन्तु इस लेख में यह कहा गया है।

श्री मसानी जी पर इसके प्रतिबिम्ब पड़ने के अतिरिक्त इसका गम्भीर प्रभाव सदन पर भी पड़ता है। मेरी राय में इसके अभिप्रेत अर्थ यही होते हैं कि उपाध्यक्ष का प्रधान मंत्री द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयोग किये जाने के लिये उसे किसी प्रकार का सन्ताप नहीं होता कि उस अवसर पर प्रधान मंत्री उपाध्यक्ष का प्रयोग करना चाहती थीं और कि उपाध्यक्ष ने स्वयं को प्रधान के कार्य के लिये अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पराजित करने के लिये प्रस्तुत कर दिया था और लोक सभा एक निस्सहाय तथा मौन दर्शक के रूप थी।

मेरा निवेदन है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सम्मुख भेजा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सम्बन्धित सम्पादक के साथ पत्र व्यवहार करेंगे और इसके पश्चात ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : किसी भी विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिये यह जरूरी है कि पहले इसकी अनुमति दी जाये अथवा नहीं, इस बात का फैसला करना होता है। यदि अधिकारी यह समझे कि इसे सभा के सदन में लाया जाना चाहिए तो वह प्रस्तुतकर्त्ता को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे देते हैं और सभा की अनुमति से इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने प्रथम दृष्टि में यह पता लगा लिया है कि इसे स्वीकार कर लिया जाये तथा आपने प्रस्तावक को इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है और सदन की अनुमति ले ली है।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व अपनाई गई परिपाटी को आपने देखा ही होगा। जब कभी किसी समाचार पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठा है, तो हम इसे यहां उठाये जाने से पूर्व सम्बद्ध सम्पादक को स्पष्टीकरण के लिये पत्र लिखते हैं। हर बार जब इस प्रकार के नोटिस दिये जाते हैं और हम प्रथम दृष्टि में यह समझते हैं तो हम सम्पादक से स्पष्टीकरण मांगते हैं।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : इस विधयक का विरोध करते हुये मैंने दो भिन्न बातें कही थीं। यह बिल्कुल सच है कि एक बात के सम्बन्ध में हमारे व्यवस्था के प्रश्न के विपरीत नियमों के उत्सर्वन से सम्बन्धित आपके आचरण पर कुछ भी नहीं कहा है अथवा प्रतिम्बिबित किया है। परन्तु मैं समाचार पत्रों के प्रति भी निष्कपट भाव रखना चाहता हूं क्योंकि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का भी उतना ही महत्व है जितना कि एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों

का। मैंने यह भी कहा कि 'मुझे कहने दीजिये कि यदि आप नहीं करते तो''हमें नियमों का पालन करना चाहिये।''''मैं एक बहुत दुखद निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आप अपने कर्तव्य के पालन में असमर्थ सिद्ध हो रहे हो।" अपनी व्याख्या देते हुए हो सकता है, समाचार पत्र ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखा हो। यह व्याख्या निष्कपट थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि समाचार पत्रों पर इस प्रकार छींटाकशी होती रही तो सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से नहीं चल सकती।.... (**व्यवधान**)

मित्रता पूर्ण बातचीत चल रही है और मैं इस विषय को समाप्त नहीं करना चाहता।

परन्तु यदि कोई मुझे इस बात की धमकी दे कि मैं अपनी इच्छा से कार्य न करूं तो मुझे इस पर बहुत गम्भीरता से सोचना होगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली वित्त निगम का परिसम्पत्ति तथा देयता सम्बन्धी विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम, नई दिल्ली, की 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में आस्तियों और दायित्वों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण), लाभ तथा हानि लेखा, लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उक्त निगम के कार्य के बारे में प्रतिवेदन, जो दिनांक 23 जनवरी, 1969 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 7 (17)/68-इंड/फिन० (जी) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1375/69]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1552-1553 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 30 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विमान चलाने वाले उपक्रमों की आय पर दोहरे करारोपण को रोकने के लिये भारत सरकार और लेबनान गणराज्य के बीच करार को कार्य रूप देने के लिये थी। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1376/69]

(3) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) स्वर्ण नियन्त्रण (ग्राहकों की पहचान) नियम, 1969 जो दिनांक 3 जुलाई

1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2705 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) स्वर्ण नियन्त्रण (विक्रेताओं को लाइसेंस देना) नियम, 1969 जो दिनांक 3 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2706 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 1377/69]

(4) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 14 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1723 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1378/69]

(5) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1924 की धारा 11 क के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 2 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1598 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 1379/69]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 1335 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1336 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1361 जो दिनांक 9 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1457 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1458 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) परियोजना सम्बन्धी आयात (ठेके का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1587 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1588 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 1628 जो दिनांक 8 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छ) जी० एस० आर० 1609 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1610 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 12 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 1380/69]

(7) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 1272 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर 1340 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1341 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1541 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1542 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 1583 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1584 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1381/69]

विशेषाधिकार का प्रश्न—जारी
QUESTION OF PRIVILEGE (Contd.)

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : जाने अथवा अनजाने में आपने सभा सदन को वह सूचना दी जिसका उल्लेख आपको नहीं करना चाहिए था । इसका उल्लेख करने के पश्चात अब इस बात को देखना आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि क्या किसी सदस्य ने इसके लिए आप पर दबाव डाला है अथवा नहीं । अत: इस प्रकार के उल्लेख सदन में भविष्य में न किए जाने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मसानी ने अपने वक्तव्य में एक वाक्य का उल्लेख किया जिसमें दबाव का संकेत था । यदि कोई मित्र चाहे मित्रता के रूप में ही मुझे धमकी दे····**(व्यवधान)**

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : यदि हममें से किसी व्यक्ति ने भी सौहार्द्रता में

आपसे कोई ऐसी बात कह दी है तो आप भी उसी रूप में उसे लें, न कि उसे धमकी समझकर गम्भीरता से विचार करें। मैं समझता हूं कि इसके पश्चात कोई व्यक्ति आपसे इस प्रकार की बात नहीं करेगा।

श्री चेंगलराया नायडू : जब आपने यह बात सदन को बताई है तो हम उसका नाम जानना चाहते हैं कि किसने आपको धमकी दी है ताकि आपकी रक्षा की जा सके।

श्री हेम बरुआ : मैं नहीं चाहता कि उसका नाम बताया जाए कि कौन व्यक्ति आपके कक्ष में गया और मित्रता के भाव में आपसे इस प्रकार का व्यवहार कर आया। मैं नहीं चाहता कि संसदसदस्य अध्यक्ष के कक्ष में जाएं और कानाफूंसी करें और इस विषय को समाप्त करना चाहिए।

श्री रंगा : मैं श्री बरुआ जी की बात का समर्थन करता हूं।

श्री रणधीर सिंह : विशेषाधिकार के प्रश्न पर .... (**व्यवधान**)।

पूर्वी नदियों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान वार्ता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. INDO-PAKISTAN TALKS ON EASTERN RIVERS

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : 15 से 26 जुलाई, 1969 तक नई दिल्ली में पूर्वी नदियों के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सचिव-स्तर की बातचीत का विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1383/69]

सदस्य द्वारा त्याग पत्र

RESIGNATION OF MEMBER

(श्री सो० सि० बसी)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि पंजाब के फीरोजपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री सो० सि० बसी ने 25 जुलाई, 1969 से लोक-सभा से अपना त्यागपत्र दे दिया है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

REGARDING MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैंने प्राइमरी अध्यापकों की भूख हड़ताल के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। क्या आपने उसे स्वीकार कर लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में वह मुझसे बाद में पूछ सकते हैं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं वर्ष 1969-70 के आयव्ययक (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

83वां प्रतिवेदन

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : मैं स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों के अतिरिक्त व्यय, जिनका प्रकटीकरण वर्ष 1967-68 के विनियोग लेखे (सिविल), (डाक तथा तार), (रेलवे) तथा (प्रतिरक्षा सेवाओं) में किया गया तथा लोक लेखा समिति के 31 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 83वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

ब्रिटेन द्वारा सूती वस्त्र पर टैरिफ लगाये जाने के बारे में विवरण
STATEMENT RE. IMPOSITION OF TARIFF ON TEXTILES BY U. K.

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : चूंकि यह वक्तव्य $5\frac{1}{2}$ पृष्ठों का है, अतः मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं ।

विवरण

ब्रिटिश वस्त्र परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में ब्रिटेन के व्यापार मण्डल के प्रधान माननीय श्री एंथनी क्रासलैंड ने ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में 22 जुलाई, 1969 को एक घोषणा की थी । उसके विषय में मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य देना चाहता हूं । इस घोषणा से इस सभा के माननीय सदस्यों को स्वभावतः चिन्ता हुई है ।

2. व्यापार मण्डल के प्रधान के वक्तव्य से यह प्रकट होता है कि ब्रिटिश सरकार ने वस्त्र उद्योग को वित्तीय सहायता देने के बारे में कुछ सिफारिशों को तो स्वीकार नहीं किया है परन्तु उसने राष्ट्रमण्डलीय अधिमान क्षेत्र से सूती वस्त्रों के आयातों पर 1 जनवरी, 1972 से शुल्क लगाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । व्यापार की मुख्य मद, सूती कपड़े पर यह शुल्क 15% होगा । उसी तारीख से वर्तमान सामान्य कोटा पद्धति समाप्त कर दी जायगी

और ब्रिटिश सरकार व्यापार तथा टैरिफ संबंधी सामान्य करार के दीर्घावधि सूती करार के अन्तर्गत विशेष उत्पादों पर ही कोटा का प्रयोग करने के विषय में विचार करेगी, और वह भी केवल उस स्थिति में होगा जब सूती वस्त्रों के कुल आयात वर्तमान स्तर से काफी बढ़ जायें और उन विशेष उत्पादों के विषय में बाजार अव्यवस्थित होने लगे। हमें क्षोभ है कि ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापार में सूती वस्त्र जैसे महत्वपूर्ण उत्पादन के विषय में, हमसे पूर्व-परामर्श किये बिना ही यह निर्णय कर लिया गया है।

3. जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच व्यापार 1939 के भारत ब्रिटेन व्यापार करार के अनुसार होता है। इस करार के अन्तर्गत भारत के सूती वस्त्र को ब्रिटिश बाजार में निःशुल्क प्रवेश करने का और प्रत्याभूत अधिमान लाभ का हक है। उस करार में यह भी उपबन्ध है कि उसकी शर्तों के बदलने के किसी भी प्रस्ताव पर दोनों सरकारों के बीच परामर्श किया जायगा।

4. 1959 में, जब ब्रिटेन का विचार यूरोपीय निर्बाध व्यापार क्षेत्र का सदस्य बनने का था तब ब्रिटिश सरकार ने हमसे अनुरोध किया था कि उसे 1939 के भारत-ब्रिटेन व्यापार करार के कतिपय उपबन्धों के प्रवर्तन से मुक्त कर दिया जाय ताकि वह यू० नि० व्या० क्षेत्र के देशों से होने वाले आयातों पर शुल्क कम कर सके और अन्ततोगत्वा उस शुल्क को समाप्त ही कर सके। उस समय व्यापार मण्डल की यह धारणा थी कि यू० नि० व्या० क्षेत्र में ब्रिटेन की सदस्यता को भारतीय हितों पर कोई सारवान प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु व्यापार मण्डल ने यह बात स्वीकार की है कि यदि राष्ट्रमण्डलीय अधिमानों की समाप्ति या उसमें कमी करने के फलस्वरूप यू० नि० व्या० क्षेत्र का कोई देश ब्रिटेन में ऐसा नया व्यापार स्थापित कर ले जिससे भारत के स्थापित व्यापार हितों को सारवान हानि पहुंचे तो भारत सरकार को यह मामला पुनः उठाने का अधिकार होगा। भारत सरकार ब्रिटिश सरकार द्वारा उल्लिखित कुछ बाध्यताओं से उसे मुक्त करने के लिये सहमत हो गई परन्तु साथ ही उसने कुछ शर्तें रखी जिनमें ये भी हैं :

(क) यूरोपीय निर्बाध व्यापार क्षेत्र के माल के सम्बन्ध में, संविदात्मक अधिमानों को हटाने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि भारतीय माल पर इस समय लगे हुये शुल्क से अधिक दर पर शुल्क लगाया जाये ;

(ख) जहां कोई प्रतियोगी हित उत्पन्न होगा, वहां ब्रिटेन यह सुनिश्चित करेगा कि शुल्क लगाने आदि के मामलों में भारतीय माल को यू० नि० व्या० क्षेत्र के माल की अपेक्षा अलाभ की स्थिति में नहीं रखा जायेगा।

5. व्यापार मण्डल के प्रधान के वक्तव्य का यथासम्भव अध्ययन करने से हमें यह प्रतीत होता है कि उन विकसित देशों को जो यू० नि० व्या० क्षेत्र के सदस्य हैं, ब्रिटेन में अपने सूती

वस्त्र के निर्यात पर निशुल्क प्रवेश और 17½ प्रतिशत के अधिमान-लाभ की सुविधा मिलती रहेगी, पर राष्ट्रमण्डलीय देश, जिन्हें अधिक समय से इसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं, उन से वंचित हो जायेंगे। अब राष्ट्रमण्डल को केवल 2½ प्रतिशत का अधिमान-लाभ प्राप्त होगा।

6. सन् 1966 में, राष्ट्रमण्डलीय व्यापार मंत्रियों ने राष्ट्रमण्डल के सभी सदस्यों के लिये, विशेषत: उसके कम विकसित सदस्यों के लिये, राष्ट्रमण्डलीय अधिमान प्रणाली के महत्व की पुन: पुष्टि की थी। ब्रिटिश सरकार का निर्णय उस पुनः पुष्टि के सर्वथा विपरीत है।

7. इस वर्ष के जनवरी मास में मुझे राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये हमारे प्रधानमंत्री के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पारस्परिक परामर्श के पश्चात राष्ट्रमण्डलीय सरकारों के प्रमुखों ने यह निश्चय किया था, और मैं उसके विषय में राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्री सम्मेलन के पश्चात निकाली गई विज्ञप्ति का उद्धरण देता हैं कि "राष्ट्रमण्डलीय व्यापार के विस्तार की लगातार गुंजाइश है और इस परियोजना के लिये राष्ट्रमण्डल के सदस्यों के बीच सुस्थापित सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है"। ब्रिटिश सरकार राष्ट्रमण्डल अधिमान क्षेत्र से आयातों पर शुल्क लगाने की जो कार्यवाही 1 जनवरी, 1972 से आरम्भ करने वाली है उससे राष्ट्रमण्डल के सम्बन्ध कमजोर ही होंगे और सुदृढ़ नहीं होंगे और उसका भारत जैसे विकासशील देश के निर्यात व्यापार के एक प्रमुख क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ेगा।

8. ब्रिटिश सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार के विरुद्ध है। गाट के अनुच्छेद 37 में विकसित संविदाकारी पक्षों की ओर से यह वचन दिया गया है कि वे कम विकसित संविदाकारी पक्षों के लिये विशेष निर्यात हित के या ऐसी सम्भावना वाले उत्पादों पर सीमा-शुल्क या गैर-टैरिफ का आयात बाधाएं आरोपित नहीं करेंगे और उन्हें बढ़ायेंगे भी नहीं।

9. ब्रिटिश प्रस्ताव, अंकटाड द्वितीय में सर्वसम्मति से स्वीकृत संकल्प संख्या 21 (द्वि०) के संदर्भ में भी एक प्रतिगामी कदम है। उस संकल्प में यह स्वीकार किया था कि विकास-शील देशों के लिये लाभकर एक सामान्य तथा विभेद रहित अधिमानों की पद्धति जिसमें बदले में अधिमानों की अपेक्षा न हो पारस्परिक सम्मति से शीघ्र ही स्थापित करने के विषय में मतैक्य है।

10. हमारी अर्थ-व्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग के महत्व को सभी जानते हैं। इससे 10 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से और भी कई लोगों को रोजगार मिलता है। इस उद्योग की समृद्धि विदेशों में अनुकूल निर्यात अवसरों पर बहुत कुछ निर्भर है। क्योंकि ब्रिटिश बाजार को हमारे सूती वस्त्र के कुल निर्यातों का लगभग 35% माल भेजा जाता है, अत: भारतीय उत्पादन, निर्यात तथा ब्रिटिश बाजार की मांग के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हो गया है ब्रिटिश सरकार अब जो एक पक्षीय कार्यवाही करना चाहती है, उससे

आमूलचल परिवर्तन हो जायेगा और हमारे वस्त्र उद्योग के समक्ष जो अनेक समस्याएं हैं वे बढ़ जायेगी ।

11. ब्रिटिश व्यापार मण्डल के प्रधान ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि प्रस्तावित व्यवस्था के अन्तर्गत भारत ब्रिटेन को वर्तमान व्यवस्था की अपेक्षा कम माल का निर्यात कर सकेगा । उन्होंने यह भी कहा कि भारत को सहायता देने का निश्चय करते समय वे उक्त बात पर भी ध्यान रखेंगे । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सहायता व्यापार का स्थान नहीं ले सकती ।

12. हो सकता है कि ब्रिटिश वस्त्र उद्योग के सामने कुछ कठिनाइयां हों । परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि गत आठ वर्षों में कई देशों ने अपने वस्त्र निर्यातों को कई गुना बढ़ाया है, पर भारतीय निर्यात लगभग ज्यों के त्यों हैं और उनसे ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है ।

13. भारत सरकार को इस विषय में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही पर खेद है और वह कार्यवाही ब्रिटिश सरकार भारत को द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूप में दिये गये वचन के विरुद्ध है । अत: मैं लन्दन में हमारे उच्चायुक्त को यह अनुदेश दे रहा हूं कि वह इस विषय में हमारी गंभीर चिन्ता के विषय में ब्रिटिश सरकार को अवगत करे । व्यापार-मण्डल के प्रधान ने अपने वक्तव्य में स्वयं कहा है कि वे सम्बद्ध सरकारों से बातचीत आरम्भ करेंगे । मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के फलस्वरूप दोनों सरकारों के लिये भारत तथा ब्रिटेन के वस्त्र उद्योगों की कठिनाइयों का कोई परस्पर सम्मत हल निकालना संभव होगा जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों और विकासशील देशों के व्यापार के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय नीति तैयार करने के अनुरूप होगी ।

स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक
GOLD (CONTROL) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में उन उपबन्धों का उल्लेख है जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है, इस विधेयक के उपबन्ध अनावश्यक हैं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिये । यह अधिनियम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में पूर्णतया असफल रहा है । इसलिये देश के हित में तथा सुनारों के कल्याण के लिये, जिनमें से कुछ सुनारों को सरकार के गलत निर्णय के कारण अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा था, इस अधिनियम को रद्द किया जाना चाहिए, हम इस विधेयक में संशोधन

नहीं चाहते हम चाहते हैं सरकार इसे वापस ले और इस अधिनियम कोसमाप्त करें।

श्री प्र० चं० सेठी : संसद् इस मामले पर विधान बना सकती है । उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के केवल पांच या छः उपबन्धों को अवैध घोषित किया है और यह विधेयक उसकी त्रुटियों को दूर करता है । अधिनियम के गुणावगुणों के सम्बन्ध में श्री बनर्जी ने जो बातें कहीं हैं उन पर हम वाद-विवाद के दौरान विचार कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 159 तथा विपक्ष में 71 मत प्राप्त हुए

Ayes 159; Noes 71

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: GOLD (CONTROL) AMENDMENT ORDINANCE

श्री प्र० चं० सेठी : मैं स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन अध्यादेश, 1969 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियम 71 (1) के अन्तर्गत सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1382/69]

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प तथा बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक, 1969

STATUTORY RESOLUTION RE: BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE AND BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL, 1969.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा बैंकिंग कम्पनियां उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण,

अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा सम्बन्धित विधेयक पर जिसके लिये आठ घन्टे नियत किये गये है, चर्चा आरम्भ करेंगे.....

अन्तर्बाधाएं***

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

जहां तक अध्यादेश तथा विधेयक का सम्बन्ध है, 8 घन्टे नियत किये गये हैं। मेरा सुझाव है कि 4 घन्टे का समय वाद-विवाद के लिये, 3 घन्टे खण्डशः विचार के लिये तथा एक घण्टा तृतीय वाचन के लिये रखा जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम सब चाहते हैं कि प्रस्तुत विधेयक इसी सप्ताह पारित हो जाय। हम ऐसा भी नहीं समझते कि इसे प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है। किन्तु इसके लिये समय बहुत कम नियत किया गया है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि विधेयक में कोई त्रुटि रहे और उसके किसी उपबन्ध को अदालत में चुनौती दी जा सके इसलिये उसके हर खण्ड तथा उपबन्ध पर तथा उसके सम्बन्ध में दिये गये संशोधनों पर व्यापक रूप से विचार करना जरूरी है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसके लिये कम से कम 15 घन्टे का समय नियत किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का सदस्य होने के नाते वहां मौजूद था। पहले इसके लिये केवल 5 घन्टे का समय नियत किया गया था और बाद में प्रत्येक सदस्य की अनुमति से 3 घन्टे और बढ़ाये गये। इस पर भी, यदि आप आवश्यक समझें तो एक घन्टा और बढ़ा सकते हैं। केवल एक-दो दलों को छोड़कर बाकी सभी लोग प्रस्तुत विधेयक से सहमत हैं। इसलिये हमें जो समय नियत किया गया है, उसी से सहमत होना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, I support what Shri Surendra Nath Dwivedi has said about 15 hours. Different types of amendments have been tabled which require close scrutiny. At the same time the Bill itself requires a proper discussion and close scrutiny. Besides, clause by clause consideration stage will also require much more time. I therefore appeal to the House and to you that the time already allotted for the purpose should be extended.

श्री हुमायूं कबिर (बसिरहाट) : सभा ने विधेयक का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है लेकिन इसे प्रवर समिति में भेजना जरूरी है क्योंकि उसके उपबन्धों पर गहनरूप से तथा सावधानी-पूर्वक विचार करना आवश्यक है इसलिये कि सिद्धांत को मानते हुए भी, इस बात पर अभी मतभद है कि राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए था और उसकी क्रियान्विति के

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

***Not recorded.

लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिए आदि। अतः प्रधान मंत्री से मेरी अपील है कि प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि उस पर व्यापक रूप से विचार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के बारे में सुझाव का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य उसके लिये उचित अवसर आने पर संशोधन पेश कर सकते हैं। जहां तक समय बढ़ाने का प्रश्न है, उस पर वह अपनी राय दे सकते हैं।

श्री हुमायूं कबिर : विधेयक के लिये ज्यादा समय नियत करना इसलिये और भी जरूरी है क्योंकि उसे प्रवर समिति को नहीं भेजा जा रहा है। मैं भी द्विवेदी के सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : देश में लोगों को बहुत लम्बे समय से इस विधेयक की प्रतीक्षा थी और उन्हें इस बात का अच्छी तरह पता है कि इस विधेयक के क्या उपबन्ध हैं, इसलिये इस प्रयोजन के लिये नियत समय पर्याप्त है और इसे प्रवर-समिति को भेजने का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मेरा सुझाव है कि इसके लिये दो घन्टे का समय बढ़ाया जाना चाहिए।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा नियत समय के अनुसार चलना चाहिए। बाद में आप यदि ऐसा महसूस करें कि उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है, तो कार्य मंत्रणा समिति की फिर बैठक हो सकती है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, may I urge upon you to allow us to table our amendments by suspending rule 79 as you have done in the case of introduction of the Bill by suspending rules.

In so far as time issue is concecrned it cannot be decided until the question of referring the Bill to the Joint Committee is decided. What I feel about the Bill is it has many lacunae and it is ill-drafted. The Bill should be sent to the Joint Committee for 7 days for proper and close scrutiny.

उपाध्यक्ष महोदय : समय सम्बन्धी प्रश्न पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार-विमर्श किया गया था। सभा ने जब रिपोर्ट स्वीकार की थी उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस विधेयक के लिये समय 8 घन्टे नियत किया गया है, उस समय किसी ने भी संशोधन पेश नहीं किया। यदि सभा अब समय बढ़ाना आवश्यक समझती है, तो इस अनुरोध को फिर से कार्य मंत्रणा समिति को विचारार्थ भेजा जायेगा।

हमने इसे कल तक हर हालत में समाप्त करने का निश्चय किया है अतः अब इसके लिये और समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो सभा कुछ देर तक बैठ सकती है किन्तु हमें इसे समाप्त कल तक अवश्य करना है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हमें इस मामले पर खण्डवार विचार-विमर्श करना है अतः सभी माननीय सदस्यों को समय देने के लिये इस विषय पर विचार करने के लिये 10 घन्टे मिलने चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : हमें इस विधेयक के सिद्धांत स्वीकार्य हैं तथापि हम नहीं चाहते कि उसमें किसी प्रकार की कमी रह जाय जिससे भविष्य में कोई कठिनाई आये। अतः इस विधेयक पर ब्योरेवार विचार-विमर्श होना चाहिये तथा इसके लिये 12 घन्टे नियत किये जाने चाहिये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, it goes without saying that the present Prime Minister has taken such a step which could not have been taken by any of her predecessors. Even then to avoid any sort of lacunae in this Bill the House should be given sufficient time to discuss on it because at this juncture any kind of mistake might be proved drastic to the public sector and thereby to the Nation herself.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय केवल बात निश्चित करनी है और पहली बात यह है कि क्या विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाय या नहीं।

श्री गोविन्द मेनन : जी नहीं इसे प्रवर समिति को भेजना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक समय का सम्बन्ध है उसके लिये एक सभा 10 घन्टे का समय निर्धारित करने पर सहमत है।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the undermentioned resolution :

"This House disapproves of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 8 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 19th July, 1969."

Sir, the precipitate action regarding the nationalisation of banking companies taken by the Government clearly indicates that what has been done during the last three weeks including the promulgation of ordinance itself was a sequell of political interests rather than a step towards the financial betterment of the country.

Radical changes in the economy of our country are, no doubt, to be carried out. The financial policies should be framed in a manner by which the present vide gap between the rich and the poor should be mitigated. But this ordinance was brought in a flabbergasted manner and we are at a loss to understand the desirability and consistency of this bill. The Government have not seriously and prudently pondered over this bill before bringing in it. Actually

it can be said a political bungling. I warn the Government that by raising the slogans it is next to impossible to solve the serious problems which the country is facing for a long period.

On behalf of my party I want to make a suggestion in this regard, as we are also interested in bringing certain radical changes in the fiscal policy of our country. In a democratic system of society we have three institutions, named Legislative, Executive and the Jduiciary in our country. We suggest, that Government should also be a fourth institution dealing with monetary policies of the country. We do not plead that that institution should be declared as entirely independent one. The supermacy of the Parliament must be applicable to that institution. The Reserve Bank of India has been given certain rights regarding the monetary policy but these rights are fictitious. So far as the policies related to the currency and the debt are concerned they should be assigned to be framed by that institution and the Government should appoint a board of Directors who can give directions to our monetary policies.

At times, there may arise certain difference of opinion between the Ministry of Finance and the institution under consideration and to take final decision on such disputed issues the matter should be forwarded to the House.

I am constrained to mention that this Government could not provide the fundamental necessities of life to the public. They have failed in their duty to make the public understand the basic policies of the Government. The country have been facing several serious problems but this Government could not solve any one of them to any extent.

It should be remembered that at the time of nationalisation of Life Insurance Corporation in 1956 the plausible understandings were given by the members of the Communist Party and certain labour unions. At this time also the Government have been given the support by the Communist. But the Government should not forget that they are not to be relied upon because at one time they are brothers and at another they do not hesitate in doing any ill to the country. Sir, you might have listened radio Peking announcing that bank-nationalisation in India has been undertaking under the guidance of Russia. In other words I want to state that this Government is working for the Communists who are interested in a situation of breaking law and order in the country.

The Government had already taken over so many other agencies, such as L.I.C., Financial Corporation, State Bank, etc., by which they could have implemented their financial policies, of facilitating the progressive industrialist but, in this context, I want to know how many progressive industrialists have so far been given facilities by the Life Insurance Corporation?

According to the figures available, it is very clear that the percentage of the financial assistance given to the Birlas and other big industrialists by the L.I.C. has been raised much higher, while the progressive industrialists have not been given any facility.

Government did not take any decision on the recommendations made by the Morarka Committee for more than six months, but it is strange that the same Government decided the whole matter regarding the nationalisation of banks during the period of 44 hours. Does it not show that there was but certain political reasons behind this step of the Government? Every

body knows that the ordinary and low paid employees in the public sector undertakings have been living in privation on while the higher officers have been receiving lot of amenities. Even then this Government claim that they are interested in the well-being of the low paid group of these undertakings.

The Government have seized the rights of forming the Trade Unions from the workers. The condition of the employees of the Central Government is very deplorable. They could not get their right to establish their Trade Unions as yet.

If the Government claim that they are honest and fair in their dealings, may I know then, whether they are prepared to announce that the pay scales of the employees of the banks being nationalised will be the same as given by the Bank of India to their employees? Secondly will the representatives of the employees of the nationalised banks be included in the management? But what I am afraid of is that these things will not be done at all. Government want to deprive the workers with their right of forming their Trade Unions. I would like to mention also that only internal banks are nationalised. Government have not touched the foreign banks. This will propel the people to send their capital abroad.

It has been observed that during the period of 20-22 years crores of rupees have been misappropriated by the persons like Dharam Teja, Monthra and others but the Government have failed to recover any amount from such persons. Now the Government is inclined to bring bureaucrats in the nationalised banks and wants to assign the management of these banks to them. But I would like to warn the Government that such an important and technical agencies could never been run by these bureaucrats. These persons are unexperienced ones and they will entirely fail to understand the grievances of the workers and to solve the economic problems of the country. I request at the same time, the Government should not force the rejected elements upon the public sector otherwise the efficiency and viability of these agencies would be effected to very great extent.

The Government should not be motivated by any political interests and they should not take any steps under any pressure from inside the country or abroad. The basic problems of life should not be forgotten. They should be solved in a rational manner. In these words I oppose the ordinance.

प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के अनुकूल अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति के लिये कतिपय बैंकिंग कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन तथा हस्तांतरण के लिये तथा तत्सम्बन्धी अथवा तदानुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का ध्येय उन भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है जिनमें इस वर्ष के जून मास के अन्त तक 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक की राशि जमा की गई है। माननीया प्रधान मंत्री महोदया नें इस बारे में सभी बातें अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दी हैं अतः मैं समय की कमी को देखते हुए इस विधेयक के ध्येय आदि के ब्योरों में नहीं पड़ना चाहता।

इस विधेयक में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :

राष्ट्रीयकृत किये गये बैंकों की अलग सत्ता रखी जायगी जिससे कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न रहे । ऐसे प्रत्येक बैंक का चेयरमैन उसका अभिरक्षक होगा तथा केन्द्र सरकार उसकी सहायता तथा उसे सलाह देने के लिये एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी ।

प्रत्येक बैंक के गठन, उनके भावी स्वरूप और निदेशक-बोर्ड के गठन के बारे में सरकार सावधानी से सोचेगी । इन विषयों के बारे में सरकार एक योजना बनाएगी तथा उसे सभा के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी । विधेयक में उपक्रमों के हस्तांतरण करने पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है ।

इस विधेयक को असंवैधानिक बताया गया है किन्तु हमारे संविधान में राष्ट्रीयकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं । उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो विधेयक में उपयुक्त मुआवजा देने का भी उल्लेख होना चाहिए और यह व्यवस्था इस विधेयक में विद्यमान है ।

बाद में यह भी उचित समझा गया कि मुआवजा सीधे अंशधारियों को मिलना चाहिए अन्यथा उन्हें बैंकों के प्रबन्धकों से मुआवजा मिलने में कठिनाइयां हो सकती हैं । यह व्यवस्था भी की गई है कि अंशधारियों को विभाजनगत मूल्य देना चाहिए क्योंकि यह मूल्य प्रदत्त मूल्य तथा यहां तक बाजार मूल्य से भी अधिक हो सकता है । अतः विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि देश के हजारों व्यक्तियों को जो इन 14 बैंकों के अंशधारी हैं अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाय । यद्यपि वर्तमान विधेयक में ये व्यवस्था नहीं है किन्तु इन्हें संशोधन के माध्यम से विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा । श्री सेठी संशोधन प्रस्तुत करेंगे तथा मुझे संशोधन स्वीकार्य है ।

Shri Kanwar Gupta : Sir, the Hon. Minister is calculating the amount of compensation to the shareholders while no such provisions are made available in the Bill itself. He is interested in refering the details about the amendments to the Bill and it is strange that these amendments have not been circulated in the House. Thus, it clearly indicates that this Bill has been brought in the House in a haste and the Government have belittled the importance of the House. Apart from this, it should be moved by the appropriate minister.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है तो इसे प्रवर समिति को भेजना ही चाहिए ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Sir, it would be a wrong convention to allow the discussion on the amendments since they are not circulated in the House. Who will be held responsible if the Government go back from their commitment?

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो

कि विशिष्ट प्रकार का है। सभा के समक्ष विचारार्थ विधेयक का प्रस्ताव है अतः माननीय मंत्री केवल विधेयक में दी गई व्यवस्था के संशोधनों पर ही चर्चा कर सकते हैं, उससे अलग नहीं। सरकार के पास आए अनेक प्रस्ताव हो सकते हैं किन्तु वे विधेयक के अंग नहीं हैं।

मैं विधेयक में यह उपबन्ध करना चाहता हूं कि वर्तमान बैंकों को प्रतिकर देने की बजाय अंशधारियों को प्रतिकर दिया जाये।

सरकारी अधिकार में लिये गये बैंकों में से कुछ की शाखाएं भारत से बाहर हैं। उसके लिये भी कुछ विशेष उपबन्ध किये जा रहे हैं क्योंकि हमारे कानून विदेशों में लागू नहीं होते।

हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी यह बैंक वाणिज्यिक आधार पर कार्य करते रहें। उन्हें केवल नीति के बारे में निदेश दिये जाएंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी बात न कही अथवा की जाये जिससे बैंकों में धन जमा कराने वालों का उन पर विश्वास उठ जाये।

इस सदन का बहुमत इस विधेयक का समर्थन करता है। मैं आशा करता हूं विरोधी दलों के वे सदस्य, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक वैसी ही दक्षता से काम करें जैसा कि वे पहले करते रहे हैं।

विरोधी सदस्यों ने यह कह कर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया है कि इससे देश में तानाशाही आयेगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमने जीवन बीमा निगम, इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया तथा भूतपूर्व देशी रियासतों के फल अथवा आठ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। उनसे देश में तानाशाही नहीं आई है।

जब भी बैंकों अथवा बीमे का राष्ट्रीयकरण करना हो, तो उसे अध्यादेश द्वारा ही करना पड़ेगा। अध्यादेश जारी करने के बाद हम ने उसके लिए सभा का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। मैं यह आरोप मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ऐसा दूसरों की प्रेरणा पर किया जा रहा है।

यह भी केवल राजनैतिक आधार पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीयकृत संस्थाएं ठीक नहीं है और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम अच्छे हैं। जब बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय के वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख ने गैर-सरकारी उपक्रमों में दोषों के बारे में बताया था और इसी कारण ही उन्होंने एक अध्यादेश द्वारा जीवन बीमा को राष्ट्रीयकरण करना उचित समझा।

इस सभा ने सरकारी उपक्रमों में अनियमितताओं का पता लगाने के लिये एक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति नियुक्त की है। यदि ऐसी ही समिति गैर-सरकारी उपक्रमों के बारे में भी नियुक्त की जाए तो मैं जानता हूं कि उसके परिणाम क्या होंगे। देश में बैंकों में धन जमा कराने वाले लोग यथा सम्भव राज्य बैंक में धन जमा कराना ही उचित समझते हैं।

मैं सभा के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : संकल्प तथा विधेयक पर साथ-साथ विचार किया जाएगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 234 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मी० रु० मसानी : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं विधि मंत्री से इस बात में सहमत हूं कि ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिये जिससे बैंकों में धन जमा कराने वालों का बैंक प्रणाली से विश्वास ही उठ जाए क्योंकि अध्यादेश जारी करने तथा इस विधेयक को लाने से उनका विश्वास ही उठ चुका है।

सरकार उपक्रमों की खराब स्थिति के बारे में मैं केवल वर्तमान मंत्री के 1966 में वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने सरकारी उपक्रमों के सभी दोष बताये हैं। राष्ट्रीयकरण के औचित्य के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा बंगलौर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा कार्यकारी समिति को भेजे गए नोट से उद्धरण देना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा था :

"हमें या तो पांच अथवा छः बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर विचार करना चाहिए या ऐसे निदेश देने चाहिए कि बैंकों के संसाधन बहुत बड़ी सीमा तक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए रक्षित किये जायें।"

प्रधान मन्त्री के बारे में राष्ट्रीयकरण पर बल न देकर दूसरे विकल्प पर अधिक बल दिया गया था और उसी की व्याख्या भी की गई थी। उस समय के उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने भी कहा था कि हाल ही के अनुभव से यह ठीक मालूम नहीं होता कि बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

इस विधेयक के अध्ययन के बाद यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों पर रिजर्व बैंक के अधीक्षण तथा विनियमिक कर्त्तव्य समाप्त करने का कोई औचित्य है, इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि नये बैंकों पर बैंकिंग विधियां (विनियमन) अधिनियम उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार राष्ट्रीयकरण से पूर्व 19 जुलाई तक उन पर यह अधिनियम लागू होता था। मुझे समझ नहीं आती कि उन बैंकों पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशन, पथप्रदर्शन तथा अधीक्षण की नीति क्यों लागू नहीं की जाती।

इस बारे में तीसरा प्रश्न यह है कि क्या विद्यमान बैंकों के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के पशुओं की भांति हस्तान्तरण की शर्तें उचित हैं। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि हस्तान्तरण के बाद उनकी सेवा की शर्तें वर्तमान शर्तों से कम उनके पक्ष में नहीं होंगी। इस विधेयक के अन्तर्गत बैंकिंग विधियां (विनियमन) अधिनियम की विवादास्पद धारा 36 क घ भी लागू की गई है जिसके अन्तर्गत कार्मिक संघों की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। जब भी कर्मचारियों को एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में भेजा जाता है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उन्हें समापन्न प्रतिकर का भुगतान करना आवश्यक होता है। परन्तु इस विधेयक में इसे शामिल नहीं किया गया है।

बैंकों को मिलने वाले प्रतिकर के बारे में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में सरकार के साथ बातचीत करने, उसके साथ कोई समझौता करने तथा समझौता न हो सकने पर वाद-विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने की मांग का अधिकार बैंकों को न होकर अंशधारियों को होगा। क्या इन छोटे-छोटे अंशधारियों से यह आशा की जा सकती है कि वे मामले को न्यायालय में ले जायें अथवा न्यायाधिकरण को सौंपने की मांग करें ?

प्रतिकर के भुगतान के मामले में साख के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि हम कोई उपक्रम अपने अधिकार में लेते हैं तो आस्तियों और दायित्व के मूल्यांकन के अतिरिक्त सबसे कठिन काम साख करने का मूल्यांकन करना है।

मालूम नहीं सरकार अंशधारियों को किस रूप में प्रतिकर देगी। मैं समझता हूं कि उन्हें बन्धक-पत्र दिये जायेंगे जिन पर 4 प्रतिशत ब्याज होगा जब कि कुछ बैंकों में प्रदत्त पूंजी पर 10 प्रतिशत की आय प्राप्त हो रही है।

माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया है कि वे बन्धक-पत्र हस्तान्तरणीय होंगे अथवा नहीं। उन पर ब्याज राष्ट्रीयकरण की तिथि से नहीं, बल्कि उस तिथि से दिया जायेगा, जब यह अधिनियम लागू होगा। जिस तिथि से उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जायेगा, उस तिथि से ब्याज नहीं मिलेगा।

इस अधिनियम में बहुत त्रुटियां हैं । आर्थिक बातों को ध्यान में रखकर इस विधेयक को नहीं बनाया गया है । इसके लिये कांग्रेस दल की आंतरिक राजनीति ही जिम्मेदार है ।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : I congratulate the Cabinet and Prime Minister in particular for taking this bold and timely action of nationalizing the banks. Had the Ordinance been not issued the whole purpose of nationalizing the banks would have been defeated as the interested persons might have withdrawn their deposits.

It has been stated that banks have been nationalized because of the internal party politics of the Congress and it has not been done on economic considerations. In this connection I want to say that even since we have started the plans we have been considering this matter. Now it was felt that more burden should not be put on the poor people by way of more taxes. But we have together resources for the Fourth Five Year Plan. So the nationalization of banks was considered necessary. All the progressive and social elements have welcomed this step.

We have seen that during the last twenty years wealth has accumulated in the hands of a few and monopolies have also been increased. Few persons were controlling the economic matters of the country. The banks have played a leading role in all that. So the poor and middle class of society suffered on account of this and they could not make headway as was envisaged in our constitution. So for the progress and development of these poor people, it was considered necessary to nationalize the banks. Even the banks employees have welcomed this measure.

In 1951 the deposits in the banks were to the tune of 908.47 crores of rupees which rose to four thousand crores of rupees in 1969. Eighty per cent of their deposits were being used by the capitalists for their own ends. Negligible percentage of these deposits was given to the farmers. It was only 0.2 per cent in 1965. Moreover the directors of these banks were also the directors of the various other firms. They were using the bank money for their firms. In many cases the loans were granted by the banks to the non-priority industries. So that directors of the banks were using the bank deposits for increasing their individual earnings which was not our objective in the plans. On the other hand we wanted to raise the standard of the common man and also to improve the economic and social conditions of the society. This objective was defeated by the role of the banks.

The small and middle class entrepreneurs could not get loans from the banks and as a result thereof they could not flourish. In this way these banks put obstacles in the development of the country.

Another thing which I want to point out is this that the big capitalists were now engaged in establishing firms in foreign countries with the help of these banks whereas the poor people were not getting money for their business. These poor people were forced to go to the financiers and take money on high rates of interest. So it was considered necessary to nationalise the banks for promoting socialistic pattern of the Society.

In this connection I want to give some suggestions. Bank employees and eminent economists should be given representation in the Advisory Board. Secondly these Boards should function

in a competitive spirit. Branches of these nationalised banks should also be opened in the villages. Some percentage of the deposits should be fixed for the use of farmers, and small entrepreneurs.

So far as the question of nationalization of foreign banks is concerned the Government is going to give some powers to the Reserve Bank for imposing some restrictions and having more control over these banks.

I hope the Hon. Prime Minister will also take steps for fixing ceiling on the urban property and for nationalizing import and export trade.

With these words I once again welcome the Bill and congratulate the cabinet and Hon. Prime Minister in particular.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : कुछ लोगों का कहना है कि प्रधान मंत्री ने अपने दल में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। यदि इस बात को सच भी मान लिया जाये तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई की नीतियों से पूंजीवाद मजबूत हुआ था। अब उन नीतियों का अन्त कर दिया गया है। अत: देश को इस बात का स्वागत करना चाहिए। हम पिछले कुछ वर्षों से इस बात की मांग कर रहे थे। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस दल को बधाई देता हूं यद्यपि हमारे उनसे बहुत मतभेद हैं। जब कभी कांग्रेस पार्टी कोई अच्छा काम करेगी भारत का साम्यवादी दल उसका समर्थन करेगा और कांग्रेस पार्टी का साथ देगा। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम भी जब कोई अच्छा काम करें अथवा जनता के हित के लिए लड़ें तो कांग्रेस दल हमारा साथ दे।

श्री मोरारजी देसाई ने श्रमजीवी वर्गों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हितों की सदा अवहेलना की थी। बहुत से सदस्य अब बैंक कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं परन्तु जब धारा 36 ए० डी० को पास किया जा रहा था उस समय उन्होंने इस धारा का विरोध नहीं किया था।

अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बिना और आगे प्रगति करना असम्भव था। वास्तव में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पांच वर्ष पूर्व कर दिया जाना चाहिए था।

श्री दाण्डेकर की शिकायत यह है उन्हें बैंकों की प्रदत्त पूंजी पर पहले 22 प्रतिशत लाभांश मिलता है परन्तु अब उन्हें केवल चार प्रतिशत ही मिलेगा। उनकी राजनीति का यह भेद है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि 22 प्रतिशत उनको किस काम का मिलता था।

बैंकों में कुछ नहीं होता । कारखानों में फिर भी काम होता है । उद्योगपतियों को अपने उत्पादन का ध्यान रखना पड़ता है । परन्तु बैंकों के निदेशकों को कुछ काम नहीं करना पड़ता । लोग अपनी सुरक्षा के लिए ही धन को बैंकों में जमा कराते हैं । जिसका पूंजीपति अर्थात् बैंकों के निदेशक लाभ उठाते हैं । रिजर्व बैंक द्वारा अनेक बार मना करने के बावजूद भी बैंकों द्वारा कृषि वस्तुओं के लिये ऋण दिया जाता रहा है । जिससे जमाखोरी होती है और चीजों के मूल्यों में भी वृद्धि होती है । इसी धन से पूंजीपति सट्टा लगाते हैं । परन्तु इनके विरुद्ध रिजर्व बैंक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि रिजर्व बैंक के निदेशक बोर्ड में भी सट्टे लगाने वाले हैं। फिर भी इन लोगों को उनके धन तथा प्रतिकर से वंचित नहीं किया जा रहा है ।

बैंकों में बिना उचित पूछताछ अथवा जांच पड़ताल के ही जान पहिचान के लोगों को ऋण दिया जाता है । अत: गरीब लोगों के धन को सट्टे आदि में लगाया जा रहा था और बहुत कम ही उद्योगों को दिया जा रहा था ।

बैंकों द्वारा कृषि के लिये बहुत कम राशि दी जा रही थी । बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कृषि के लिए अधिक राशि उपलब्ध होगी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक गरीब किसान को इन बैंकों से रुपया मिल सकेगा क्योंकि गरीब किसान अथवा किरायेदार किसान ऋण लेने के लिए प्रतिभूति नहीं दे सकेगा । अधिक भूमि रखने वाले किसानों को ही ऋण मिलेगा । परन्तु छोटे किसानों के लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे । अत: अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक प्रगतिशील कदम हैं । प्रतिक्रियावादी लोगों ने 1963 में जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण का भी विरोध किया था । उनके द्वारा स्टेट बैंक बनाये जाने का भी विरोध किया गया था ।

राष्ट्रीयकरण से सट्टाबाजों तथा एकाधिकार वालों को ही हानि हुई है । इससे गरीब व्यक्ति को लाभ हुआ है देश को इससे लाभ होगा क्योंकि एक हजार से अधिक समवायों का संचालन वाले 180 निदेशक जनता के धन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे । इस धन का उपयोग अब सरकार द्वारा किया जायेगा ।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकारी क्षेत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता । अत: इसका प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं हो सकता । वास्तव में गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग ही सरकारी क्षेत्र के कार्य को खराब करते हैं। अत: गैर-सरकारी क्षेत्र को जितना खत्म किया जायेगा सरकारी क्षेत्र को उतना ही लाभ होगा ।

सरकारी क्षेत्र के नौकरशाही प्रबन्ध को भी समाप्त किया जाना चाहिए । यह एक स्थायी बुराई है । मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध में श्रमजीवी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए । अत: मैं बैंकों के कर्मचारियों को बैंकों के प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व दिये जाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

बैंक कर्मचारियों को प्रबन्ध व्यवस्था में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। परन्तु आज जो सदस्य बैंक कर्मचारियों का पक्ष लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और श्री सी० डी० देशमुख के समर्थक हैं, उन्हें मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जब श्री देखमुख वित्त मंत्री थे तो उन्होंने बैंक कर्मचारी न्यायाधिकरण के बोनस सम्बन्धी पंचाट को बैंक कर्मचारियों के विपक्ष में बदल दिया था। तब श्री वी० वी० गिरि ने, जो उस समय श्रम मंत्री थे, पंचाट में इस परिवर्तन का विरोध किया था और मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दे दिया था। सदस्य श्री वी० वी० गिरि तथा श्री सी० डी० देशमुख के पिछले कार्यों की तुलना कर सकते हैं। उन दिनों श्री संजीव रेड्डी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था परन्तु आन्ध्र तथा तेलंगाना हमें सदा उनकी उपस्थिति की याद दिलाते रहते हैं।

श्री दांडेकर कर्मचारियों को समापन लाभ दिलाना चाहते हैं और अब वह कर्मचारियों का बढ़ चढ़ कर पक्ष ले रहे हैं। परन्तु यह समापन लाभ सब से अधिक प्रबन्धकों को मिलेंगे। जब भी किसी नीति को जनता का समर्थन प्राप्त होता है, तो विरोध उस पर सीधा वार न करके पीछे से वार करते हैं। वे इसे प्रवर समिति को भेजने के नाम पर इसे कुछ दिन के लिये आगे डालना चाहते हैं। हमें इनकी चाल में नहीं आना चाहिये। दायें पक्ष के प्रतिगामी अब बैंक कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के पक्षपाती बन कर आगे आना चाहते हैं। अब वे श्री मोरारजी देसाई के पक्षपातियों के साथ मिलकर दोनों ओर के प्रगतिवादियों को समाप्त करना चाहते हैं। उनकी चाल असफल हो गई है।

विदेशी बैंकों को भी अधिकार में लिया जाना चाहिये। यदि आप यह समझते हैं कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने से विश्व बैंक से अधिक ऋण मिलेगा, तो यह आपका नितान्त भ्रम है। फ्रांस जैसा देश भी इस बात को शिकायत कर रहा है कि विश्व बैंक उस का अतिक्रमण कर रहा है। अतः हमें इस देश के पूंजीपतियों के साथ मिले हुए विदेशों के एकाधिकार पूंजी के अतिक्रमण के बारे में सजग होना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये और इसे तुरन्त स्वीकार किया जाये।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

---

*रूस तथा अन्य देशों को रेलवे के माल डिब्बों का निर्यात

**EXPORT OF RAIL WAGONS TO U. S. S. R. AND OTHER COUNTRIES

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : जब हम यह देखते हैं कि हमारी सरकार किसी

---

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-Hour Discussion.

विशेष मामले के तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर उचित ध्यान नहीं देती है तो उस पर चिन्ता होना स्वाभाविक ही है। हम गत दो तीन वर्षों से रूस के साथ माल डिब्बों के सौदे के बारे में बातचीत करते रहे हैं। जब गत वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर रूसी प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन यहां आये थे तो इंजीनियरी उद्योग में बहुत आशायें बंध गई थीं। इसी प्रयोजन के लिये हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो० डो० आर० गाडगिल भी मास्को भेजे गये थे। रूस के उपमंत्री, श्री मारोटर की अध्यक्षता में एक तकनीकी दल के दौरे के बाद यह आशा हो गई थी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 54,000 माल डिब्बों का निर्यात किया जा सकेगा।

अक्तूबर, 1968 में रेलवे बोर्ड का एक विशेष दल माल डिब्बे रूस को देने के कार्यक्रम तथा मूल्यों के प्रश्न को अन्तिम रूप देने के लिए रूस गया था। मामला इस हद तक आगे बढ़ गया था कि उससे जनता को, उद्योग को तथा विदेश व्यापार मंत्रालय को विश्वास हो गया था कि जहां तक रूस को माल डिब्बों के सम्भरण का सम्बन्ध है, इस बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है और यह दल केवल ब्योरे पर विचार करने के लिए जा रहा है। परन्तु जब हम इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए टी० यू० 154 के लिए क्रयादेश नहीं दे सके तो रूस इससे पीछे हट गया।

जनवरी, 1969 में मूल्यों के मामले में गतिरोध के समाचार पहली बार प्राप्त हुए क्योंकि विमानों के बारे में मंत्रिमण्डल अन्तिम निर्णय नहीं ले सका था। अतः जनवरी, 1969 के बाद देश में सभी लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रूस को मालडिब्बों के सम्भरण का मामला खटाई में पड़ गया है। मास्को में हमारे राजदूत, श्री धर को सोवियत अधिकारियों द्वारा बताया गया कि सोवियत संघ ने 54,000 माल डिब्बों की खरीद का कभी वचन नहीं दिया था।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भारत में माल डिब्बे बनाने वालों ने कितने मूल्य पर माल डिब्बे देने की पेशकश की है, उनके लिये आयातित पुर्जों की लागत कितनी होगी, रूस द्वारा खरीद मूल्य क्या होगा और यदि सोवियत संघ द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों तथा सरकार द्वारा स्वीकार किये गये मूल्यों में अन्तर 25 प्रतिशत की सामान्य सीमा से अधिक हो, तो स्थिति क्या होगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि रूस के साथ अन्तिम करार करते समय केवल तकनीकी आर्थिक विचार ही ध्यान में रखे जायेंगे।

विदेश व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस सौदे में तकनीकी, आर्थिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त और कोई दृष्टिकोण नहीं है। हमारी तथा रूस की योजना का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें कोई तकनीकी दृष्टिकोण नहीं है। इस सौदे का विमानों की खरीद के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

जब सन्धि के पूर्वलेख पर हस्ताक्षर हुए थे तो उसमें 54,000 माल डिब्बों का उल्लेख

था। विशिष्ट विवरण तथा आद्यरूप के प्रमाप के प्रश्न पर समझौता हो गया है और करार पर हस्ताक्षर होते ही हम माल डिब्बों का निर्माण शुरू कर देंगे।

यह भी ठीक है कि हमारे माल डिब्बों के निर्माता अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में प्रतियोगिता करने लगे हैं। हमारे मूल्य भी प्रतियोगितात्मक हैं। परन्तु यह सौदा बहुत बड़ा है। हमें आशा है कि इस सौदे को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। शीघ्र ही एक सोवियत दल मामले तय करने के लिये यहां आ रहा है।

इस समय लागत के ब्योरे पर विचार करना उचित न होगा। लगभग एक लाख रुपये प्रति माल डिब्बा की पेशकश की गई है इस पर कुछ समय लग सकता है। हमें आशा है कि इस बार अन्तिम बातचीत होगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Mr. Chairman, Sir, The import and export policy of the Government can not be appreciated. The Government have been exporting wagons at a cheaper rate of Rs. 75 per wagon on long term agreement to Russia while we are internally in short supply of wagons and thereby suffering from overcrowding in Railways. The Government of Russia, while importing Tractors to India, imposed many vary conditions on us and they showed as if they were doing much favour to us.

May I know whether any other country is interested in purchasing the wagons from India at a reasonable prices? If there is any such country the Government should make business transactions with it. When the Government of Russia are prepared to discontinue any long term agreement why the Government of India should be hesitant in doing so. Therefore, I request the Government should reconsider their policy relating to the import and export.

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : महोदय! यह मामला पिछले दो वर्षों से एक समस्या बना हुआ है। मंत्री महोदय निर्यात की जाने वाली, वैगनों की संख्या पहले 20,000 बताई, फिर 8000 और अब वह संख्या 500 हो गई है। यद्यपि मंत्री महोदय का यह कहना उचित है कि व्यापार के मामले में वैयक्तिक विचारधारा का प्रवेश नहीं होना चाहिए तथापि उन्हें सभा को कुछ बातों का तो आश्वासन देना ही चाहिये। इस व्यापार के बारे में पिछले दो वर्षों से विचार-विमर्श हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल्य के मामले को लेकर इस व्यापार में कोई अड़चन उत्पन्न हुई है? दूसरे क्या सरकार अन्य देशों के साथ इस प्रकार का व्यापार करना नहीं चाहती?

Shri George Fernandes (Bombay South): Sir, may I know whether the Government of Russia have also received quotations from any other country relating to the proto-type wagons, and if so, the difference between the quotations submitted by the Government of India and that submitted by any other country?

May I also know whether the Government propose to suggest the Government of Russia that the deal in question should necessarily be fanalised within a specific period of time, say within a period of 3 months or so, otherwise they would like to close this chapter. I understand that the Government of India are interested in this deal because it involves a heavy amount of foreign exchange but the Government of Russia are not inclined to deal with us in this matter. They are simply harassing us.

I would like to suggest the officers of the A.T.C. that they should not make public any dealing with any country unless it is not finalised in proper terms.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : इस विषय में अब तक की बातचीत से यह ज्ञात हुआ है कि रूस के साथ व्यापार के सम्बन्ध में हुई पहली बातचीत से व्यापार की शर्तों में कुछ परिवर्तन आये थे जिसके परिणामस्वरूप रूस से अधिक तनाव वाले इस्पात का आयात करना था तथा उसे इन वैगनों के निर्माण के लिये उपयोग करना था। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस इस्पात के आयात करने से वैगनों के मूल्यों में कितना अन्तर आता है तथा सरकार इन वैगनों के क्या मूल्य रखना चाहती है। माननीय मंत्री ने कहा है कि अभी वैगनों के मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूं उपर्युक्त इस्पात के आयात तथा उसके उपयोग के कारण पूर्व अनुमानित मूल्य तथा अन्तिम मूल्यों में कितना अन्तर आयेगा।

श्री ब० रा० भगत : मैं पूरे ब्योरे में न पड़कर केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस्पात की लागत वैगनों की कुल लागत की 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पहले मूल्य और दूसरे या तीसरे मूल्य जैसी कोई बात नहीं है। पहले हम व्हील सैट का आयात करना चाहते थे किन्तु अब हम उस उपकरण को दुर्गापुर कारखाने में बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि हम उनका निर्माण करने में सफल रहे तो उनका आयात नहीं किया जायेगा। फिर भी यदि हमें उनका आयात करना पड़ा तो उनकी लागत कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी।

जहां रूसी दबाव या उसको सस्ते दामों में निर्यात करने का सम्बन्ध है हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नही है।

जहां तक इस व्यापार में देरी होने का सम्बन्ध है इस विषय में जनवरी, 1968 से बातचीत आरम्भ हुई है। बहुत-सी तकनीकी समस्याएं होती हैं और अब उन सभी को सुलझाया जा चुका है।

रूस सरकार ने हमारे प्रोटो टाइप के विशिष्ट विवरण को स्वीकार कर लिया है तथा मेरा अनुमान है रूस ने किसी अन्य देश से प्रोटो टाइप वैगन खरीदने की मांग नहीं की है।

जहां तक व्यापार की बातचीत को समाप्त करने की मांग है हम अपनी ही ओर से

व्यापार को समाप्त नहीं कर सकते। पोलैंड में बनी प्रोटोटाइप वैगन अन्य प्रकार की हैं अतः उनसे हमारे माल की तुलना नहीं की जा सकती।

केवल मूल्यों को लेकर कुछ कठिनाइयां हैं जिनके कारण व्यापार को अन्तिम रूप देने में बाधा आई है। फिर भी आशा है यह समस्या भी शीघ्र ही हल हो जायेगी। जहां तक रूस से एक निर्धारित अवधि में व्यापार करार को पूरा करने का सुझाव देने की बात है मेरा निवेदन है कि यह प्रक्रिया व्यापार में नहीं अपनायी जा सकती।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 29 जुलाई, 1969/7 श्रावण 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 29, 1969/Sravana 7, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—4-11-1969—600